चतुर्दश माला, खंड 30, अंक 6

शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2007

2 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Committee & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 17 Sept 2008

(खण्ड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)
अंक 6, शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2007/2 अग्रहायण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 123, 125, 127 और 128	2-38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	38
तारांकित प्रश्न संख्या 124, 126 और 129 से 140	38-89
अतारांकित प्रश्न संख्या 959 से 1176	89-429
सभा पटल पर रखे गए पत्र	429-450
राज्य सभा से संदेश	450
लोक लेखा समिति	
अठावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन	451
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन	451
याचिका का प्रस्तुतीकरण	452
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मागों (2007-2008) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पी.आर. किन्डिया	452-453
(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 171वें, प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री कपिल सिब्बल	453-455

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(तीन) उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में हुए बम विस्फोट

श्री शिवराज वि. पाटील 530-534

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2007-2008

श्री लालू प्रसाद 455

सभा का कार्य 455-460

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खराब गेहूं की आपूर्ति के कारण उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा 460

श्री शरद पवार 460-490

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007

श्री खारबेल स्वाईं 491-492

श्री एस.के. खारवेनथन 493-495

श्री स्वदेश चक्रवर्ती 495-497

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 497-499

श्री वरकला राधाकृष्णन 499-501

श्री संतोष मोहन देव 501-507

खंड 2 से 6 और 1 508-510

पारित करने के लिए प्रस्ताव 510

संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 510-518

श्री थावरचन्द गेहलोत 518-520

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के संबंध में प्रस्ताव 520

गैर सरकारी सदस्य का संकल्प

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 520-534

विषय	कॉलम
श्री राम कृपाल यादव	520-534
श्री जे.एम. आरून रशीद	534-536
श्री थावरचन्द गेहलोत	536-541
श्री शैलेन्द्र कुमार	541-544
डा. के.एस. मनोज	544-548
श्री भर्तृहरि महताब	548-555
डा. सिबैस्टियन पॉल	555-558
श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली	558-559
श्री रवि प्रकाश वर्मा	559-564
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	564-572
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	573-574
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	574-580
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	581
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	581-584

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2007/2 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(श्री मोहन सिंह *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: प्रश्न संख्या 121।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, हमें एक मिनट का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रभुनाथ जी, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। कृपया आसन ग्रहण करें। प्रश्नकाल चलने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम सिर्फ 60 सैकेन्ड का समय चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आसन की अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**...

सभापति महोदय: आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

सभापति महोदय: आप आसन ग्रहण कीजिए। नोटिस दीजिए, फिर देखा जाएगा। आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सभापति महोदय: प्रश्न संख्या 121

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन

+

***121. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने विद्युत क्षेत्र सुधारों के अंतर्गत पारेषण और वितरण एवं उत्पादन को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन अथवा निगमीकरण किया है तथा अपने राज्य विद्युत बोर्डों को पृथक-पृथक इकाइयों में बांट दिया है;

(ख) पुनर्गठन की उक्त प्रक्रिया से राज्य विद्युत बोर्डों को कितनी मदद मिली है; और

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों के घाटों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अभी तक 13 राज्यों ने अपने राज्य बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया है। दस राज्यों नामशः उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश ने अपने संबंधित राज्य बिजली सुधार अधिनियमों के तहत ऐसा किया है। असम, महाराष्ट्र तथा पश्चिमी बंगाल ने विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत अपने राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन किया है। त्रिपुरा सरकार ने अपने बिजली विभाग को निगमित किया है।

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों ने पुनर्गठन के प्रभाव बारे में इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आई.आई.पी.ए.) को अध्ययन कार्य सौंपा है। इस अध्ययन का स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि कुछ कमियों को छोड़कर पुनर्गठन का समग्र रूप से प्रभाव सकारात्मक रहा है और सही दिशा में है।

(ग) राज्य बिजली बोर्ड/विद्युत यूटिलिटियां संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। अतः राज्य सरकार

का यह प्राथमिक दायित्व है कि वे अपनी यूटिलिटियों की हानियों को कम करें। यद्यपि, भारत सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों की हानियों को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल की हैं-

(i) राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.बी.) द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों को पुराने देय 34,957.96 करोड़ रुपये की धनराशि को वर्ष 2001 में प्रत्याभूत कर दिया गया था।

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 में दिए प्रावधानों के अनुसार टेरिफ निर्धारण स्वतंत्र विद्युत नियामक आयोगों द्वारा किया जाना है।

(iii) अधिनियम की धारा 65 में प्रावधान है कि राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में राज्य सरकार यदि किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को कोई सब्सिडी देना चाहती है तो राज्य सरकार सब्सिडी दिए जाने की एवज में संबंधित यूटिलिटी/लाइसेंस धारक को अपेक्षित राशि अदा करेगी।

(iv) तकनीकी हानियों में कमी करने और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हेतु उप पारेषण व वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण में अपेक्षित निवेश के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों की नकद हानियों में नकद अनुदान के जरिए कमी को प्रोत्साहित करने के लिए भी वर्ष 2002-2003 में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम आरंभ किया गया था।

(v) बिजली चोरी से संबंधित विद्युत अधिनियम, 2003 के कानूनी प्रावधानों को विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 के माध्यम से और सुदृढ़ बनाया गया है।

(vi) बिजली की भारी क्षति वाले स्थानों के चिन्हिकरण के लिए विद्युत का ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षा हेतु उपभोक्ताओं को की जाने वाली आपूर्ति और फीडरों की मीटरिंग पर बल दिया जाता है।

(vii) विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय व्यवहार्यता सुधारना विद्युत क्षेत्र सुधार के मुख्य परिणामों में एक है। "राज्य विद्युत बोर्डों एवं बिजली विभागों के कार्यकरण" पर योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (2001-02) में यह मूल्यांकन किया गया है कि रा.वि. बोर्डों की वाणिज्यिक हानियां (सब्सिडी बिना) वर्ष 1992-1923 में 4580 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2000-01 में 25259 करोड़ रुपये हो गया था। वर्ष 2001-02 के उपरांत पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.), जो कि राज्य विद्युत यूटिलिटियों को भी निधियां मुहैया करवाता है, ने इन यूटिलिटियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन के परिणामों पर वार्षिक संकलन प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया है। पी.एफ.सी. की अद्यतन रिपोर्ट यह दर्शाती है कि विद्युत यूटिलिटीज की वाणिज्यिक हानियों के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगी है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों की वाणिज्यिक हानियां (बिना सब्सिडी के) जो कि वर्ष 2003-04 के दौरान 19,107 करोड़ रुपये थी बढ़कर वर्ष 2004-05 के दौरान रु. 23,880 करोड़ रुपये हो गई थी, वह टर्नओवर में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ वर्ष 2005-06 में घटकर रु. 19,546/- करोड़ रुपये हो गई है।

श्री जी.एम. सिद्वीश्वर: सभापति महोदय, कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र दावणगेरे और चित्रदुर्ग में रोजाना भारी विद्युत कटौती हो रही है। रोजाना तीन चरणों में केवल चार घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत वोल्टेज भी बहुत कम होता है। इस विद्युत कटौती और वोल्टेज की कमी के कारण किसानों और पढ़ने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि कर्नाटक में राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद, राज्य में मांग और आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है? राज्य में संयत्रवार वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार को कोई सहायता दी है। और यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक में विद्युत की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने हेतु और कौन से कदम उठाए जाने हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, माननीय सदस्य ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। अतः मुझे उन्हें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। मेरे पास सभी उत्तर तैयार हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मुख्य प्रश्न से बड़ा सप्लीमैंट्री है।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: माननीय मंत्रीजी काफी विद्वान हैं। ये जवाब दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे: कर्नाटक में विद्युत की कमी रही है, और इस समय मेरे पास आंकड़े हैं। अप्रैल से अक्तूबर, 2007 तक मांग 6583 मे.वा. है और आपूर्ति केवल 5506 मे.वा. है। इस समय 1077 मे.वा. की कमी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य...

सभापति महोदय: आपको सभापति महोदय कहना चाहिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे: यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप अध्यक्ष की सीट पर हैं। इस समय कर्नाटक की स्थापित उत्पादन क्षमता 6972 मेगावाट है। इस समय कमी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोर्ड के पुनर्गठन के बाद कर्नाटक हमें सूचित करता रहा है कि उन्होंने उनकी क्षति में कमी की है। कल ही, मैंने अपने अधिकारियों के माध्यम से कर्नाटक में संबंधित विभागों से पता किया था और उनका कहना है कि लिखित उत्तर के अनुसार, जो उन्होंने हमें भेजा है, पुनर्गठन से उन्हें, पारेषण और वितरण के दौरान हानि में कमी, गुणवत्तायुक्त विद्युत उपलब्ध कराने और विद्युत चोरी के मामलों में कमी करने सहित विद्युत क्षेत्र में सुधार करने में मदद मिली है। आज की स्थिति में विद्युत चोरी कानून भी लागू हैं और उपभोक्ता अनुकूल उपाय भी हमने किए हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि 10वीं योजना के दौरान हम लक्षित अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने में असफल रहे हैं। मैं सभा की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि 10वीं योजना के दौरान हमने लगभग 42,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाई थी, लेकिन हम केवल 21,000 मेगावाट ही जोड़ सके। गत तीन योजनाओं में, अभी तक हमने 56000 मे.वा. अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की है। जब मैं मंत्री बना, मैंने संपूर्ण देश में अतिरिक्त क्षमता की स्थिति की समीक्षा की और आज मुझे इस सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 11वीं योजना के दौरान हम 78,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने जा रहे हैं? आज की स्थिति के अनुसार, हम पहले ही 54000 मेगावाट हासिल कर चुके हैं। विगत में ऐसी स्थिति नहीं थी, जैसी आज है और मुझे पूरा विश्वास है कि दो या तीन सालों के बाद देश विद्युत कमी से मुक्त हो जाएगा।

श्री जी.एम. सिद्वीश्वर: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य में नए विद्युत केन्द्र स्थापित करने हेतु कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड और विद्युत आपूर्ति कंपनियों के लिए अलग से 57,000 करोड़ रु. निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक सरकार को कोई अनुदान देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, राज्यों में विद्युत उत्पादन हेतु सहायता अनुदान देने अथवा राजसहायता देने की कोई योजना नहीं है। लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम के माध्यम से ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। यदि कर्नाटक सरकार ने ऋण की मांग की है, तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय: श्री रघुवीर सिंह कौशल - उपस्थित नहीं।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: सभापति महोदय, हम जानते हैं कि बिजली मानव के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गई है। यह न केवल रोशनी अपितु औद्योगिकीकरण के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए हमारी संप्रग सरकार इंडो-यू.एस. न्यूक्लियर एनर्जी कारपोरेशन एग्रीमेंट को पारित करवाने के लिए तत्पर है। हमारी सरकार देश में बिजली उत्पादन के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि उत्पादित ऊर्जा में से सम्प्रेषण हानि 'लाइन लॉस' के समान बहुत अधिक है। कुछ राज्यों में यह 30-40 प्रतिशत से भी अधिक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या 'लाइन लॉस' को कम करने के लिए सरकार ने कोई ठोस अथवा उचित कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुवीर सिंह कौशल: सभापति महोदय, प्रश्न में दूसरे नंबर पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने हेतु मेरा नाम है, लेकिन मुझे प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं दिया गया।

सभापति महोदय: मैंने आपका नाम पुकारा था। संभवत: आपने सुना नहीं। आप अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए जब नहीं खड़े हुए, तब मैंने अगले माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति दी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: सभापति महोदय, मैं तो अपनी ही सीट पर बैठा हुआ हूं।

सभापति महोदय: ठीक है। अब आप खेद प्रकट कीजिए। माननीय सदस्य, श्री एन.एस.वी. चित्तन के प्रश्न का माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिए जाने के पश्चात् मैं आपका नाम पुकारूंगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: सभापति महोदय, मैं खेद प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि योजना आयोग ने बताया है कि राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक हानि 1992-93 में 4,560 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2001 में 25,259 करोड़ रु. हो गई थी और इसीलिए विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2002 में ए.पी.डी.आर.पी. नामक एक नई योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य पी.एल.एफ. में वृद्धि करना तथा कार्यक्षमता में सुधार करना है ताकि नुकसान को कम किया जा सके।

जहां तक बिजली की चोरी का संबंध है इसको रोकने के लिए एक नया कानून बनाया गया है और हमने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं जिससे बिजली चोरी करना आसान नहीं होगा और हमने सभी एहतियाती कदम उठा लिए हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुवीर सिंह कौशल: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पी.एफ.सी. की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार विद्युत बोर्डों को हो रही हानियों में कमी आई है और आपका जो एस.आर.पी. है, उसमें भी कमी आई है क्योंकि किसान के एग्रीकल्चर कनैक्शन में, ट्रांसफार्मर पर ही बक्से में बन्द मीटर रखते हैं। उससे चोरी पर रोक लगी है, लेकिन अर्बन रेनोवेशन प्रोग्राम सुधार कार्यक्रम के पश्चात् भी विद्युत हानियों में कमी नहीं आई है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अर्बन क्षेत्रों में विद्युत की हानि में कमी लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

सभापति जी, इसी में मेरा दूसरा प्रश्न यह है,...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कई प्रश्न एक साथ नहीं हो सकते हैं। एक प्रश्न ही होता है। वह आपने पूछ लिया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: सभापति जी, दो प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती रही है।

सभापति महोदय: तीन अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: सभापति जी, माननीय सदस्य ने सही बताया है कि रूरल एरियाज में फीडर लाइन अलग-अलग करने की सूचना दी गई थी। इसलिए फीडर लाइन्स अलग-अलग कर के ट्रांसमीशन पर ही मीटर लगाने का काम हो गया है। जैसा आपने पूछा कि अर्बन एरियाज में क्या स्ट्रिक्ट मैजर्स लिए गए हैं, मैं कई उदाहरण इस बारे में दे सकता हूं जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि यहां काफी स्ट्रिक्ट मैजर्स लिए गए हैं जिनके कारण लॉसेस काफी रिड्यूस हुए हैं। मैं दिल्ली का उदाहरण देते हुए बताना चाहता हूं कि यहां काफी स्ट्रिक्ट मैजर्स लिए गए हैं, जिनके कारण लॉसेस काफी रिड्यूस हुए हैं। न केवल दिल्ली में बल्कि कोलकाता में भी लॉसेस कम हुए हैं। कई जगह ऐसी हैं, जहां हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि 10 से 15 परसेंट लॉसेस कम हो गए हैं।

श्री चंद्रकांत खैरे: सभापति महोदय, आपके माध्यम से, महाराष्ट्र से आने वाले और आज देश के बिजली मंत्री हैं, मैं उनसे क्वैश्चन करना चाहता हूं कि एक तो उन्होंने ए.पी.डी.आर. के बारे में बताया है। जैसा श्री अनन्त गंगाराम गीते साहब और श्री सुरेश प्रभु साहब ने कहा, वैसे ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र संभाजी नगर और औरंगाबाद क्षेत्र में उन्होंने लागू की थी। अब 133 करोड़ रुपए का प्रपोजल हमारे बोर्ड ने भेजा था और वह टैंथ फाइव ईयर प्लान में भेजा था, लेकिन जो उत्तर आपने मुझे दिया है, वह लैटर मेरे पास है, उसमें आपने लिखा है कि उसे आप इलैवंथ प्लान में भी ले सकेंगे। अगर हम उसे रीस्ट्रक्चर करेंगे, तो उसमें काफी समय चला जाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 133 करोड़ रुपए का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रस्ताव गया है, क्योंकि मैं वहां हर महीने इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अन्तर्गत मीटिंग लेता हूं, तो वहां मुझे अधिकारी बोलते हैं कि आप दिल्ली में माननीय शिन्दे साहब, मंत्री जी से कहें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री चंद्रकांत खैरे: सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो मेरे डिस्ट्रिक्ट का प्रस्ताव 10वीं पंचवर्षीय योजना के

समय 133 करोड़ रुपए का भेजा गया था, उसे कन्वर्ट कर के क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना में कंसीडर करेंगे और उसकी आपूर्ति करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बिजली की बहुत शॉर्टेज है, यह आपको पता ही है। इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि ए.पी.डी.आर.पी. कार्यक्रम के माध्यम से बिजली की आपूर्ति बढ़ाई जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका प्रश्न हो गया। मंत्री महोदय के पास हर गांव या हर जिले की सूचना नहीं होती है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री चन्द्रकान्त खैरे के दिल में यह नहीं आना चाहिए कि श्री सुरेश प्रभु और श्री अनन्त गंगाराम गीते जी जो शिव सेना के मंत्री थे, उन्होंने वहां उनके जिलों में कर दिया। यह भ्रम आप अपने दिल से निकाल दीजिए। कांग्रेस वाला ही आखिर में आपका काम करेगा और मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इलैवंथ प्लान में हम उनका काम करेंगे।

श्री थावरचन्द गेहलोत: सभापति जी, जब माननीय मंत्री, श्री सुशील कुमार शिन्दे यह कह रहे थे कि आखिर में कांग्रेस वाले ही उनका काम करेंगे, तो डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री कुछ कहने वाले थे कि केवल कांग्रेस वाले ही नहीं, वे भी तो हमारा काम करते हैं।

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए। मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि केवल कांग्रेस वालों का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि सबका काम करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो स्वयं विद्युत के मामले में आत्म-निर्भर होना चाहती हैं और इस हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग कर रही हैं। बिहार ने भी कई तरह के प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें औरंगाबाद में जाइंट वैंचर वगैरह के प्रस्ताव भी हैं, लेकिन केन्द्र सरकार का कोआपरेशन नहीं मिल रहा है। स्थिति यहां तक बदतर है कि बिहार को विद्युत की आपूर्ति तालचेर, कहलगांव और फरक्का से की जाती है, लेकिन जानबूझकर, बिहार को डिस्टर्ब करने के लिए, समय पर विद्युत की कटौती कर दी जाती है। यहां तक कि दीपावली और दशहरा के त्यौहारों के अवसर पर भी विद्युत की कटौती कर दी गई।

सभापति महोदय: यह विद्युत की आपूर्ति से संबंधित प्रश्न नहीं है। प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, हम मंत्री जी को थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहते हैं।

सभापति महोदय: नहीं, समय बहुत कम है। आप संक्षेप में अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम एकदम संक्षेप में ही प्रश्न पूछेंगे।

सभापति महोदय, विद्युत की कटौती कर दी जाती है, यहां तक कि दीपावली और दशहरे के अवसरों पर केरल से महंगे दामों पर बिहार के लिए विद्युत की आपूर्ति कराई गई। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से बिहार में विद्युत की आपूर्ति के संबंध में जानना चाहते हैं और देहाती इलाकों में पावर ग्रिड के माध्यम से या अन्य साधनों से विद्युत की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें राज्य सरकार के जो प्रस्ताव आपके पास आए हैं, उनके अनुसार आप कब तक कार्यवाही करेंगे? हम यही आपसे जानना चाहते हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: सभापति महोदय, कैपेसिटी एडिशन करने में चार से पांच साल का समय लगता है। बिहार में कई सालों से कैपेसिटी एडिशन नहीं किया गया है। उसकी वजह से वहां बिजली की आपूर्ति बहुत कम है। इतना ही नहीं, इसी सदन में, पिछले दो सेशन से मैं बताता आ रहा हूं कि वहां पी.एल.एफ. भी बहुत कम है। हमारे एन.टी.पी.सी. के अधिकारी भी उनके सहयोग के लिए काम पर लगाए गए हैं। इसके अलावा इनका पी.एल.एफ. भी बढ़ा दिया गया है। हम उनको बिजली देते हैं। लेकिन वह अनएलोकेटिड कोटा से बिजली मांगते हैं। आज पूरे देश में ही 18 हजार से 19 हजार मेगावाट बिजली की कमी है। इसलिए हमें हर जगह देखना पड़ता है। यह बात सही है कि देश के सभी राज्यों में बिजली की कमी है और उन्हें अपना-अपना मैनेज करना पड़ता है। बिहार के साथ हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। मैंने स्वयं वहां जाकर मीटिंग करवाई है। कैपिसीटी एडीशन के लिए ज्वायंट सेक्टर के साथ नई योजना लगाने की अनुमति भी दी है। दसवीं योजना में जो फैलियोर हो गया था, उसके बारे में बताया और ग्यारहवीं योजना में ज्यादा योजनाएं लगाने के लिए हमने कहा है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: माननीय मंत्री जी ने बताया है कि, हानियों में कुछ कमी आई है; वर्ष 2005-06 में यह हानि 19,000 करोड़ रु. थी। पहले यह 23,000 करोड़ रु. थी।

23,000 करोड़ रु. से घट कर यह 19,000 करोड़ रु. रह गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन करने से हानि में कितनी कमी आई है। अथवा क्या आपने हमारे ट्रांसमिशन और सब-ट्रांसमिशन सिस्टम और सब-स्टेशनों के नवीकरण और उनके आधुनिकीकरण पर बहुत अधिक धनराशि व्यय की है? महोदय, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में सुधार करने वाले राज्य में...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए। यह कोई वाद-विवाद का मुद्दा नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: सर्वप्रथम, हमने देखा है कि पी.एल.एफ. में 48 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन करने से हानि में कमी आई है, अथवा ट्रांसमिशन सिस्टम का आधुनिकीकरण करने से हानि में कमी आई है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: हानि में कमी किसी एक कारण से नहीं हुई है। हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं, बिजली चोरी रोकने के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं और मशीनों का उचित रखरखाव कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्यों की वाणिज्यिक हानि में कमी आई है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि 1998-99 में...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: वे तो वहां से उठकर चले गए हैं। उनकी आपके उत्तर में रूचि नहीं है। आप उनको लिखकर के भेज दे दीजिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, उनकी बहुत रूचि है क्योंकि सीविलियन न्यूक्लियर पावर से भी यह संबंधित है। इसलिए मैं हम से संबंधित साथियों को यह बताना चाहूंगा कि इसमें कितना फायदा हुआ है।

सभापति महोदय: आप उनको लिखकर के भेज दीजिए।

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

+

*122. **श्री रशीद मसूद:**

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2007-08 के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिए नए हॉस्टलों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

(क) से (ग) नए होस्टलों के निर्माण के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति इनके सामने दर्शायी गई है।

क्र. सं.	राज्य	आवेदनकर्ता संगठन का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	असम	बराक वैली वैलफेयर डैवलेपमेंट सोसायटी, सिल्चर, असम	सीधे मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने वाले इस संगठन को इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करके इसे राज्य सरकार के माध्यम से भेजने को कहा गया है।

1	2	3	4
2.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	विश्वविद्यालय से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
3.		हरियाणा पुलिस महानिदेशक, पंचकुला	हरियाणा राज्य सरकार से इस परियोजना पर अपनी राय देने को कहा गया है।
4.		इण्डियन रैडक्रॉस सोसायटी, फतेहाबाद, हरियाणा	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
5.	हिमाचल प्रदेश	बद्दी में होस्टल के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार	हिमाचल प्रदेश सरकार से इस स्कीम में मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
6.	कर्नाटक	जनता ट्रस्ट बैंगलौर	प्रस्ताव में ब्यौरा नहीं दर्शाया गया है।
7.		प्रगति समुदाय, बगलकोट, कर्नाटक	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
8.		भटकल एडुकेशन ट्रस्ट, भटकल, कर्नाटक	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
9.		आदर्श शिक्षण समिति, हवेरी, कर्नाटक	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
10.		श्री जगद्गुरु गुरुसिद्धेश्वर कोऑपरेटिव हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट लिमिटेड, घाट प्रभा, कर्नाटक	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस प्रस्ताव की तकनीकी जांच कर रहा है।
11.	केरल	श्री अरबिन्दो कल्चरल सोसायटी, तिरुवंत-पुरम, केरल	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
12.		संतिगिरी आश्रम, त्रिवेन्द्रम, केरल	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
13.		जीवदान सैंटर, इडुक्की, केरल	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप, अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।

1	2	3	4
14.		श्री सत्यसाईं अनाथालय ट्रस्ट, त्रिवेन्द्रम केरल	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
15.		श्री शंकर नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडुकेशन ट्रस्ट, त्रिवेन्द्रम	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
16.	मध्य प्रदेश	ओजस्विनी समदर्शी न्यास, भोपाल, मध्य प्रदेश	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
17.		जी.आर. मैडिकल कॉलेज सोसायटी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
18.	महाराष्ट्र	डा. विट्ठल राव विखे पाटील फाउंडेशन, विलदघाट, अहमदनगर, महाराष्ट्र	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
19.	मणिपुर	सैंटर फॉर यूथ डैवलेपमेंट एण्ड एक्शन, चूरचन्द्रपुर, मणिपुर	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
20.		एस. कुला विमन्स कॉलेज, नामबोल, मणिपुर	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस प्रस्ताव की तकनीकी जांच कर रहा है।
21.		मणिपुर विमन एण्ड चिल्ड्रन अपलिफ्टमेंट आर्गेनाइजेशन, इम्फॉल	सीधे मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने वाले इस संगठन को इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करके इसे राज्य सरकार के माध्यम से भेजने को कहा गया है।
22.		विमन्स डैवलेपमेंट आर्गेनाइजेशन तमेंगलांग, मणिपुर	सीधे मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने वाले इस संगठन को इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करके इसे राज्य सरकार के माध्यम से भेजने को कहा गया है।
23.	राजस्थान	हरि ओम शिक्षण समिति, झालावाड़, राजस्थान	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
24.	तमिलनाडु	तमिलनाडु सरकार, वडपलानि अंडावर तिरुक्कोइल, तमिलनाडु में होस्टल	राज्य सरकार से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।

1	2	3	4
25.	उत्तर प्रदेश	द्वारिका समाज कल्याण समिति, बचरवा, रायबरेली उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस प्रस्ताव की तकनीकी जांच कर रहा है।
26.	पश्चिम बंगाल	ह्यूमैनिटी एसोसिएशन हावड़ा, पश्चिम बंगाल	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।
27.	पांडिचेरी	मैसर्स इनमैक्यूलेट हार्ट ऑफ मेरीज सोशल सर्विस सोसायटी, थट्टनचेड़ी, पांडिचेरी	संगठन से इस स्कीम के मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा गया है।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद: सभापति महोदय, 1972 से यह स्कीम लागू है और सन् 1972 से आज तक कुल 873 हॉस्टल्स बने हैं, जो जरूरत का पांच परसेंट भी नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो परेशानी की बात है कि पिछले पांच साल के अगर इस मंत्रालय से हॉस्टल्स के मुताल्लिक सवालात को आप उठायें तो कंट्राडिक्ट्री जवाबात मिलते हैं, इसलिए हमें वास्तविकता का पता ही नहीं चलता कि वास्तविकता क्या है, किस जगह पर हम खड़े हुए हैं। अभी 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 से 9 एप्लीकेशंस उत्तर प्रदेश की पैंडिंग थीं और एक एप्लीकेशन भी उत्तर प्रदेश की एक्सैप्ट नहीं हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप प्रश्न करिये।

श्री रशीद मसूद: मैं प्रश्न ही कर रहा हूं।

मेरा यह कहना है कि अब भी जो इस साल की, 2007-2008 की लिस्ट दी है, अब तकरीबन तीन चौथाई साल खत्म हो गया है और उनमें से एक प्रपोजल भी मंत्रालय ने एक्सैप्ट नहीं किया है, बल्कि हर स्कीम के ऊपर इन्होंने या तो स्टेट की राय मांगने के लिए भेज दिया है या सी.पी.डब्लू.डी. के पास टैक्नीकल ओपीनियन मांगने के लिए भेज दिया है। जब तीन चौथाई साल में ये कोई टैक्नीकल ओपीनियन भी हासिल नहीं कर सकते हैं तो अगले तीन महीने में कैसे कोई सैंक्शन कर सकते हैं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि औरतों, लड़कियों या विकलांग व्यक्ति, जिनके लिए यह स्कीम है, वे सफर कर रहे हैं और गवर्नमेंट का पैसा बिना जरूरत जाया हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो सन् 2007-2008 के प्रपोजल्स हैं, इनको कब तक क्लियर कर देंगे?

श्रीमती रेनुका चौधरी: महोदय, सबसे पहले तो मैं मैम्बर रशीद मसूद जी को बधाई देती हूं कि इतनी अच्छी समस्या को आपने उठाया, क्योंकि इसकी वजह से सारे हाउस की दृष्टि इस मामले पर आ सकती है। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लड़कियों को हम पढ़वा रहे हैं, उनको नौकरी देते हैं और बढ़ा देते हैं, मगर उनके रहने की सहूलियत कहीं आज तक उतनी नहीं मिली है, जितनी मिलनी चाहिए। इसके विभिन्न कारण हैं, जिसकी वजह से यह डिले होती जाती है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो प्रपोजल्स हमारे पास आते हैं, इसमें केन्द्र का कोई अधिकार नहीं है, जो हम बिना राज्य सरकार की मर्जी के फैसले कर सकें। राज्य सरकारों की कई जगहों पर यह समस्या होती है कि लैंड इनको हैंडओवर नहीं करते, जब तक आपका डिपार्टमेंट उनकी सफाई नहीं देता है, *[अनुवाद]* मैं इसकी अनुमति देने का जोखिम नहीं उठा सकता। *[हिन्दी]* मेरा यह प्रयास है कि भविष्य में हम बहुत जल्दी एक नई स्कीम, जिसे कमेटी भी रिव्यू करके दे चुकी है, हम इस स्कीम को एक नई दिशा देना चाह रहे हैं, उसमें मैं उम्मीद रख सकती हूं कि आगे हम बहुत बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर 63,781 हॉस्टल्स देश भर में बनाये हैं। यू.पी. में एक सी.पी.डब्लू.डी. का जैसा आपने जिक्र किया, वही आज के दिन पैंडिंग रहा है। मैं खुद इसे मोनीटर कर रही हूं, ताकि हम यह सहूलियत लड़कियों को और औरतों को दें।, इसमें कमेटी की कई रिकमेण्डेशंस भी आई हैं, उनको भी हम लागू करने जा रहे हैं। लेकिन यह सब कहते हुए मैं यह सोचती हूं कि अगर यहां के मैम्बर पार्लियामेंट मेरा

साथ दें, क्योंकि कई स्टेट्स में यह भी एक समस्या है कि वहां जो हॉस्टल्स हमारे बन चुके हैं, उनका स्टेट गवर्नमेंट गलत उपयोग करती हैं। वे किराये पर दूसरों को दे देती हैं, ऐसी हरकत भी हो रही है। इसकी मैं जानकारी करवा रही हूं, तब मैं आपको हाउस में जवाब दे सकती हूं।

श्री रशीद मसूद: सभापति जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, काफी हद तक मैं उनकी दिक्कतों को समझ सकता हूं, लेकिन यह पैसा केन्द्र का होता है और केन्द्र इस बारे में कार्रवाई करने में सक्षम है। आप जब रूल्स बनायें तो आप रिकवरी का क्लाज उसमें डालिये कि जो आर्गेनाइजेशन, क्योंकि ज्यादातर पैसा आप आर्गेनाइजेशंस को देते हैं, स्टेट्स को तो बहुत कम देते हैं, जो आर्गेनाइजेशंस इसका मिसयूज कर रही हैं, उनसे आप यह रिकवरी करें। यह आपके हाथ में है, यह प्रोवीजन आप डाल दीजिए। मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि वर्किंग वूमेन रूरल एरियाज में नहीं हैं, छोटे टाउंस में नहीं हैं, वहां विकलांग लोग हैं, वहां पढ़ने वाली छात्राएं हैं और दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जैसे बेवाएं वगैरह, वे सब लोग हैं। रूरल एरियाज से बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं और वहां जमीन की भी एवेलेबिलिटी होती है. लेकिन मुझे कुछ लोग मिले।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री रशीद मसूद: मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। जब तक बैकग्राउंड नहीं होगा, तो सवाल समझ में ही नहीं आएगा।

सभापति महोदय: सभी आपके सवाल को समझ रहे हैं।

श्री रशीद मसूद: अगर डायरेक्ट सवाल पूछना है, तो वह तो मैंने लिखा हुआ था, सप्लीमेंट्री की कोई जरूरत नहीं थी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना प्रश्न पछिए, यह कोई जरूरत नहीं है कि लंबा भाषण दें।

श्री रशीद मसूद: सप्लीमेंट्री की जरूरत इसीलिए होती है। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। जब तक बैकग्राउंड नहीं बतायेंगे, तो सवाल कैसे समझ में आएगा?

सभापति महोदय: आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री रशीद मसूद: जवाब राइटिंग में दे दीजिए, फिर तो सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि रूरल एरियाज में आप हास्टल्स बनाने के लिए कोई कदम उठाएंगे या नहीं?

श्रीमती रेनुका चौधरी: महोदय, एक बात आप तसल्ली से सुन लीजिए कि मैं कहीं एक कौड़ी भी छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं सारे स्टेट्स से पूरी रिकवरी ब्याज समेत करूंगी।

दूसरी बात यह है कि हम भविष्य में जो नयी स्कीम की दिशा में देख रहे हैं, इसमें हम चाहते हैं कि रूरल एरियाज भी कवर हों।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री असाबुद्दीन ओवेसी: श्रम मंत्रालय के 2005 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 50.69 लाख कामकाजी महिलाएं हैं; और वर्ष 2007-08 के 27 प्रस्तावों में से के.लो.नि.वि. के पास केवल 3 प्रस्ताव हैं। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि पिछले 35 वर्षों में कामकाजी महिलाओं के लिये 873 होस्टलों को संस्वीकृति प्रदान की गई है। मैं उनकी स्थिति को समझ सकता हूं क्योंकि यह राज्य सरकारों से सम्बद्ध है। लेकिन मुश्किल यह है कि 2007 तक केवल 607 ऐसे होस्टलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।

मेरे अनुपूरक प्रश्न का भाग (ख) यह है। क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में केवल पांच नए होस्टलों को स्वीकृत किया गया है? मंत्रालय इस संबंध में कन्वर्जेंस क्यों नहीं करता क्योंकि श्रम मंत्रालय महिलाओं और बच्चों दोनों के बारे में बात करता है; जब प्राथमिक शिक्षा की बात आती है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों दोनों की बात करता है। आप स्वयं ऐसा करते हैं। तो, हम इसमें भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते?

राज्य सरकारें भी कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टलों के प्रस्ताव नहीं भेज रही हैं क्योंकि राज्य सरकार के अनुसार ये अनावश्यक भार हैं। अनेक गैर सरकारी संगठन आगे आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग तब सुरक्षित महसूस करते हैं जब उनके परिवार की लड़की अथवा महिला कामकाजी महिलाओं के होस्टल में रहती है। अत: यह बहुत महत्वपूर्ण है। 27 प्रस्तावों में से के.लो.नि.वि. के पास केवल 3 प्रस्ताव हैं। आपके मानदंडों में क्या समस्या है। तथा मंत्री महोदया, यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि इस कार्य में तेजी लाई

जाए क्योंकि उन्होंने अपने उत्तर में माना है कि काम की गति बहुत धीमी है?

श्रीमती रेनुका चौधरी: महोदय, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। राज्य सरकारें जिस प्रकार इन मुद्दों को देखती है उससे इस सम्पूर्ण क्षेत्र में काफी समस्याएं आती हैं। हमारी गति धीमी होने के तीन प्रमुख कारण हैं। पहला, इन प्रस्तावों में खामियां हैं। प्रस्तावों हेतु उचित ढंग से जांच करके नहीं भेजा जाता है और वे हमारे सभी प्रस्तावों के उत्तर नहीं देते हैं। दूसरे, अधिकांश प्रस्ताव हमारे द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं होते। तीसरे, कुछ प्रस्ताव भूमि पंजीकरण हेतु मंजूरी, उसे सौंपने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उसकी जांच हेतु लंबित पड़े हैं। धीमी गति के लिए ये ही तीन प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं। परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि ये बहाने नहीं हैं और किसी भी कार्य में इतनी कम प्रगति नहीं होनी चाहिए। मुझे आशा है कि मैं अगली बार इस सभा में एक बिल्कुल नई संकल्पना लेकर आऊंगी जिसमें हम इसे प्रदान कर पाएंगे क्योंकि वास्तव में लाभ लाभभोगियों को प्राप्त होना चाहिए परन्तु दुख की बात यह है कि राज्य सरकारें इसे इतना महत्व नहीं देतीं जितना उन्हें देना चाहिए। मैं संसद सदस्यों, विशेषकर इस मुद्दे को उठाने वाले सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि मैं स्वयं राज्य सरकारों द्वारा इस मुद्दे को प्राथमिकता देने के लिए उन पर दवाब डालने के लिए निर्भर हूं। अकसर भूमि लड़कियों के कार्य करने के स्थान से 20 से 30 मील दूर आबंटित की जाती है जो उनके लिए असुरक्षित होता है।

अतः, हम इस स्थिति से निपटने के लिए नया रास्ता खोज रहे हैं और मुझे आशा है कि इस कार्य में हमें इस सभा और देश का सहयोग प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में जो आपने बार-बार यह बात कही कि राज्य सरकारें ही इसके लिए जिम्मेदार हैं और राज्य सरकार ही इसे देखें कि यह पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संचालित हो रहा है या नहीं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहती हूं कि जिस तरीके से कामकाजी महिलाओं के हास्टल्स चल रहे हैं, उनको आप लोग यहीं से सुविधा ग्रांट करते हैं और संस्थायें सीधे आपसे संपर्क करती हैं। उसमें राज्य सरकार या वहां के जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछा जाता, केवल कलैक्टर रिकमैंड करता है और यहां से कामकाजी महिला के लिए होस्टल ग्रांट कर दिया जाता है। जब वे संस्थाएं वहां ठीक तरह काम संचालित नहीं करतीं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सवाल पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: मैं छोटी सी भूमिका देकर प्रश्न पूछना चाहूंगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: समय नहीं है। आधे घंटे में केवल दो प्रश्न ही हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती किरण माहेश्वरी: मैंने खुद जब एक कामकाजी महिला होस्टल को जाकर देखा तो हमने उन पर कार्यवाही करने की सोची। लेकिन उन्होंने कहा कि कार्यवाही नहीं हो सकती क्योंकि इसे केन्द्र सरकार ही देख सकती है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहती हूं कि क्या आप यह उचित समझती हैं कि कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल आवंटित करते समय उसमें राज्य सरकार और वहां के जनप्रतिनिधि, चाहे वे विधायक हों या सांसद, की सिफारिश होनी चाहिए ताकि यदि कोई ठीक से कार्य न करे तो आप अपनी तरफ से उन्हें कह सकें? क्या आप इसके लिए राज्य सरकार की सिफारिश लेती हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती रेनुका चौधरी: सर्वप्रथम, कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल संबंधी मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

यदि आपको कुछ कमियां नजर आंएं तो बेशक आप हमें बता सकते हैं। यह आपका अधिकार है, आप माननीय सदस्य के नाते कहीं भी जा सकते हैं और किसी बात की शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं। हम तुरंत उसकी जानकारी करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम हर प्रपोजल डायरैक्टली नहीं लेते।

[अनुवाद]

राज्य सरकार स्तर पर एक अधिकारप्राप्त समिति है।

[हिन्दी]

जब तक वे फैसला करके अपनी रिकमैंडेशन नहीं देते, हम उसके बारे में जिक्र नहीं करते।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगी कि प्रत्येक राज्य में महिला और बाल विकास मंत्रालय को कामकाजी महिलाओं हेतु इस महत्वपूर्ण योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित राज्य के संसद सदस्यों को शामिल करके एक समिति गठित करनी चाहिए।

श्रीमती रेनुका चौधरी: आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति है जिसका कार्य इस मामले पर ध्यान देता है। हम उस पर अधिक दवाब डालने का प्रयास करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं एक अत्यंत संक्षिप्त प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय: पूछिए।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मंत्री जी अत्यंत ऊर्जावान और सक्रिय हैं परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि उल्लेख की गई 27 योजनाओं में से 20 योजनाओं के संबंध में यह उत्तर दिया गया है कि संगठन से प्रस्ताव की समीक्षा करने जो नया प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। परन्तु मुझे इस पर संदेह है। कई बार कई आवेदनों को छोटी-छोटी गलतियों के कारण वापस भेज दिया जाता है। मेरे विचार से इससे अत्यधिक विलम्ब हो जाता है। यह महिलाओं और बच्चों के लिए है। मेरे विचार से इसे और अधिक निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाना चाहिए तथा और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: आपका प्रश्न क्या है? अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पी.सी. थामस: अन्यथा न केवल आपके मंत्रालय में अपितु अन्य मंत्रालयों में जिन्हें संगठनों की ऐसी योजनाएं सौंपनी होती हैं, हमने यह देखा है कि वे काफी लम्बे समय तक अपने पास रखते हैं और फिर प्रस्ताव यह लिखकर वापस भेज देते हैं कि इसमें कोई गलती है अथवा इसमें संशोधन लिया जाए। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार और मंत्रालय यह देखने के लिए कोई कदम उठायेंगे कि इसे पारदर्शी बनाया जाए और संसद सदस्यों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा इस संबंध में प्रथम दृष्टि में प्रश्न पूछे जा सकें। मेरा यही प्रश्न है।

श्रीमती रेनुका चौधरी: यह पारदर्शी है और हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि यह ऐसी ही रहे। यदि आप मुझे यह अधिकार दें तो मैं सभी संबंधित मानदंडों को देखे बिना उसकी मंजूरी दे दूंगी। यदि मुझे इसका अधिकार नहीं दिया जाता तो मुझे इस मंत्रालय को चलाने वाले पूर्ववर्ती लोगों द्वारा सुनिश्चित मानदण्डों का पालन करना होगा। अतः हमें इसका ध्यान रखना होगा क्योंकि यह जनता की राशि है और हमें इसे मानदण्डों के अनुसार कार्यान्वित करना चाहिए। यदि मुझे इसे हटाने की अनुमति दी जाती है तो मैं तुरंत इसकी स्वीकृति दे दूंगी परन्तु आप उसके बाद मुझसे इस संसद में इस बारे में प्रश्न पूछेंगे।

कमजोर वर्गों के लिए आवास

+

***123. श्री रेवती रमन सिंह:**

श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल के वर्षों में कुल आवासीय मांग विशेषकर कमजोर वर्गों की मांग के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या का दीर्घावधिक आधार पर समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कमजोर वर्गों के लिए आवास

(क) और (ख) जी, हां। शहरों में आवासों की कमी का अनुमान लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने एक तकनीकी दल का गठन किया गया था। इस दल ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 24.71 मिलियन मकानों की कमी का

अनुमान लगाया था। इस कमी का 99% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के संबंध में है।

(ग) भारत के संविधान के अनुसार, आवास का विषय राज्यों को आबंटित किया गया है। तथापि, केन्द्र सरकार समय-समय पर आवास के मसले के समाधान के लिए अनेक पहल-प्रयास करती रही है। 7 वर्षों की अवधि (2005-06 से 2011-12) के लिए बने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) कार्यक्रम का उद्देश्य 63 चुनिन्दा मिशन शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवास और बुनियादी सेवाएं मुहैया कराना है तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अधीन शेष अन्य शहरों के लिए ऐसा ही प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास का प्रावधान करने हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम के लिए वर्ष 2007-08 के बजट में 30 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जो लिखित उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 89 मिलियन से ज्यादा वीकर सैक्शन के हाउसिंग शार्टेज हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह शार्टेज हर साल बढ़ता जा रहा है। मैट्रो सिटीज़ के अलावा जो बड़े शहर हैं, उनमें भी स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या सरकार कोई ऐसी कार्रवाई करेगी, जो स्टेट गवर्नमैंट से हटकर हो, क्योंकि सरकार ने कहा है कि यह स्टेट गवर्नमैंट का सब्जैक्ट है। हमारा कहना है कि स्टेट गवर्नमैंट इसमें पूरी तरह से असफल हो गयी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप सैंट्रल से इसे दूर करने के लिए अलग से कोई स्कीम बनायेंगी?

कुमारी सैलजा: महोदय, पहले मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगी। मैंने अपने लिखित जवाब में 89 मिलियन न कहकर 24.71 मिलियन कहा है। ये हाउसेज ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में शार्टेज हैं। माननीय सदस्य की यह बात सही है कि मकानों की शार्टेज बढ़ रही है। जैसा मैंने अपने लिखित जवाब में कहा है कि इसकी रिस्पौंसिबिलिटी राज्य सरकारों की होती है, क्योंकि लैंड उनका सब्जैक्ट है। लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार ने बहुत मेजर इनीशियेटिव्ज लिये हैं, ताकि आज के दिन जो हाउसिंग अर्बन एरियाज में शार्टेज हैं, उससे हम जूझें और उस समस्या को सबसे ऊपर यानी सामने लेकर आयें। हमारी यू.पी.ए. सरकार ने अभी तक दो मेजर इनीशियेटिव्ज लिये हैं जिनमें एक जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सबसे बड़ा है। उसके तहत हम हाउसिंग को बहुत मेजर थ्रस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा इसी साल के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 30 करोड़ रुपये का प्रावधान इंटरैस्ट सबसिडी स्कीम के लिए रखा है। हाउसिंग शार्टेज जो मैंने 24.71 मिलियन कहा है, उसमें 99 प्रतिशत इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन और एल.आई.जी. यानी जो इनकम ग्रुप्स की हैं। इन दोनों स्कीमों में से हमने एक स्कीम लागू कर दी है और दूसरी हम लागू करने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा थ्रस्ट देगा। इसके अलावा राज्य सरकार भी अपना इनीशियेटिव ले रही हैं। हम चाहेंगे कि वे और ज्यादा लें। कई राज्य सरकारें हैं जैसे आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य भी हैं, उन्होंने इसमें इनीशियेटिव लिया है।

श्री रेवती रमन सिंह: अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि खाली 24.71 मिलियन हाउसिंग की शार्टेज है। लेकिन मंत्री जी ने प्रश्न का जो लिखित उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 89 मिलियन मकानों की कमी है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि 99 परसेंट वीकर सैक्शन के लोगों के लिए हाउसिंग की कमी है। हमारा कहना है कि मंत्री जी ने शायद अपना लिखित उत्तर गलत भेजा है। वे इसे संशोधित कर लें। इसके साथ-साथ माननीय मंत्री जी ने यह बात भी कबूल की है कि राज्य सरकारें इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर हम लोग सीधे लोक सभा के सदस्य के रूप में आपको प्रस्ताव दे दें, जैसे विदित है कि इलाहाबाद में सागर पेष्टा के लोग बहुत बड़े पैमाने पर घरों में काम करते हैं, लेकिन उनके रहने की जगह नहीं है। क्या मेरे प्रस्ताव पर आप सीधे यहां से उन गरीब लोगों के लिए स्कीम सैंक्शन करने की कृपा करेंगी?

कुमारी सैलजा: महोदय, पहली बात तो यह है कि शायद कुछ गेप है। मैं चाहूंगी कि सैक्रेटेरियेट इसे देख ले।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी सदन में जो कह रही हैं, वही सही उत्तर है।

कुमारी सैलजा: महोदय, मेरे पास जो लिखित जवाब है उसमें 24.71 मिलियन हाउसिंग शार्टेज है। हमने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत अब तक लगभग आठ लाख हाउसेज अलग-अलग राज्यों में सैंक्शन किये हैं। अब यह एक सिस्टम है कि राज्य सरकार अपनी प्राथमिकता के आधार पर हमें प्रौजेक्ट्स दें। हम पैसा उसी प्रकार से आवंटित करते हैं। आप अपनी राज्य सरकार से बात करके जो भी प्रौजेक्ट हमें भेजेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि वहां से वह प्रौजेक्ट...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लेकिन सरकार से कोई बात नहीं होती।

...(व्यवधान)

कुमारी सैलजा: मैं उनकी मजबूरी को समझती हूं, लेकिन आप भी हमारी मजबूरी समझें।

सभापति महोदय: श्री हंसराज गं. अहीर - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन: धन्यवाद, महोदय। हमें यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता है कि शहरी गरीब वर्ग को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत 63 मिशन शहरों को चयनित किया गया था जिसमें तमिलनाडु राज्य के भी तीन शहर सम्मिलित हैं।

मैं, आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तमिलनाडु में कितने गैर-मिशन शहरों को चयनित किया गया है विशेषत: समेकित आवासीय और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत डिंडीगुल जिले में? यदि हां, तो इस हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? क्या इसे पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इस विषय पर सूचना लेने की आवश्यकता हो तो बाद में लिखित उत्तर भेज दीजिएगा।

कुमारी सैलजा: ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर बाद मे लिखित रूप मे भेज दूंगी।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय, माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में वर्ष 2007-2008 के लिए 30 करोड़ रुपए के आवंटन का जिक्र किया है। आज बड़ी तादाद में गांवों से लोग शहरों में आ रहे हैं और हर जगह झुग्गी-झोपड़ियां बन गयी हैं, इसे देखते हुए यह धनराशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में सरकार ने गरीबों के लिए कितने मकान बनाए हैं?

सभापति महोदय: यह लिखित उत्तर में दिया गया है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, लिखित उत्तर में यह जानकारी नहीं दी गयी है।

सभापति महोदय: मंत्री जी, यदि आपके पास सूचना हो तो इसकी जानकारी दे दीजिए।

कुमारी सैलजा: महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि दिसंबर, 2005 में जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युवल मिशन शुरू किया गया था। उसके तहत हमने 7.79 लाख हाउसेज राज्यों के लिए सैंक्शन किए हैं। यह बात ठीक है कि अर्बनाइजेशन का ट्रेन्ड बढ़ रहा है, लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं और उसके साथ ही समस्याएं भी बढ़ रही हैं क्योंकि ये लोग ज्यादातर गरीब हैं, उनके आवास की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है। लेकिन केन्द्र सरकार ही इसे अकेले करे, ऐसा नहीं हो सकता है। केन्द्र सरकार ने, हमारी यू.पी.ए. सरकार ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के रुपए में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आज तक शहरों के लिए इतना कभी नहीं किया गया था। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि इसे अकेले केन्द्र सरकार करे, ऐसा नहीं है। इसमें राज्य सरकारों से भी सहयोग लेना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें लाना पड़ेगा। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युवल मिशन इस पक्ष पर भी एम्फेसाइज करता है कि हम इस काम में प्राइवेट सेक्टर को लाएं।

सभापति महोदय: प्रश्न सं. 124, - श्री सुरेश अंगडि - उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 125 - श्री अलोक कुमार मेहता

विद्युत आबंटन

+

*125. **श्री आलोक कुमार मेहता:**

श्री राम कृपाल यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत छः महीनों के दौरान किसी राज्य सरकार से केन्द्रीय पूल से अधिक विद्युत आबंटन का अनुरोध करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) लगभग सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अतिरिक्त विद्युत के आवंटन के लिए समय-समय पर विभिन्न मंचों पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों की अनाबंटित विद्युत सीमित एवं निर्धारित होने के कारण आबंटन में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल क्षेत्र में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के भीतर सामान्यतः आबंटन के समायोजन, अनुरोध के तात्कालिक या मौसमी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सापेक्ष विद्युत आपूर्ति की स्थिति, मौजूदा उत्पादन संसाधनों के उपयोग, निष्पादन एवं भुगतान क्षमता के मद्देनजर ही संभव है।

(ग) और (घ) पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड), जो भारत की एक केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी है, अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तथा राष्ट्रीय ग्रिड के विकास का काम करती है। 31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार पावरग्रिड लगभग 64,000 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों तथा लगभग 65,000 एम.वी.ए. की रूपांतरण क्षमता वाले 107 उप-केन्द्रों का मालिक है एवं उनका प्रचालन करता है। वर्तमान में लगभग 17,000 मे.वा. की अंतःक्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता वाले राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की गई है, जिसे वर्ष 2012 तक बढ़ाकर 37,000 मे.वा. से भी अधिक किए जाने का विचार है।

कर्नाटक राज्य में पावरग्रिड 400 के.वी. पारेषण लाइनों के लगभग 3000 सर्किट किमी, 400 केवी/एच.वी.डी.सी. के सात (7) उप-केन्द्र, जिनकी रूपांतरण क्षमता 5770 एम.वी.ए. है तथा कोलार में 2500 मे.वा. का एच.वी.डी.सी. बाइ-पोल स्टेशन का मालिक है और उनका प्रचालन एवं अनुरक्षण करता है।

निकट भविष्य में पावरग्रिड ने नई पारेषण स्कीमों के विकास की योजना बनाई है, जिससे मुख्यतः कर्नाटक को तथा सामान्य रूप से पूरे दक्षिणी क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत 5930 एम.वी.ए. की रूपांतरण क्षमता के साथ 765/400 के.वी. के तीन (3) उप-केन्द्रों समेत 2000 सर्किट किलो मीटर पारेषण लाइनें बिछाई जानी है।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विद्युत वितरण राज्यवार जनसंख्या, कृषि एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे राज्यवार पुनर्निर्धारित करने पर विचार कर रही है क्योंकि बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां देश की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या बसती है, वहां की विद्युत की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार का हिस्सा उसे नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विद्युत वितरण को राज्यवार जनसंख्या, कृषि और उद्योग को ध्यान में रखते हुए कोटे को पुनर्निर्धारित करने पर विचार करने की सरकार की कोई योजना है?

सभापति महोदय: इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है, फिर भी मैं यह बताना चाहूंगा कि वहां पर कैपेसिटी एडीशन नहीं है। टोटल बिजली उनकी केवल 628 मेगावाट है, लेकिन वहां कैपेसिटी एडीशन नहीं हो रहा है। यह राज्यों को करना है कि कितनी बिजली किसान

को देना है, कृषि के लिए देनी है, कितनी इण्डस्ट्री को देनी है। यह बाइफर्केशन स्टेट के द्वारा किया जाता है, हम लोग केवल एसिस्ट करते हैं। लेकिन आजकल इसका उल्टा हो रहा है, जो भी विषय कनकरेन्ट लिस्ट में है, उसके बारे में केन्द्र सरकार को ही करना पड़ता है।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, बिहार की वर्तमान सरकार विद्युत व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से असफल है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह बात यहां मत कहिए। आप अपना प्रश्न कीजिए।

श्री आलोक कुमार मेहता: बिहार में उत्पादन क्षमता 545 मेगावाट है, लेकिन इसमें से एक्चुअल प्रोडक्शन मात्र 20-30 मेगावाट है। बिहार की वास्तविक आवश्यकता 1200 से 1800 मेगावाट है और बिहार का सैंट्रल शेयर 1170 मेगावाट है, जबकि मात्र 900 मेगावाट किसी तरह से तलचर, पालघाट और कैगा जैसे विद्युत संस्थानों से उपलब्ध हो पाता है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार का जो एक्चुअल एलोकेशन है, जो ईस्टर्न रीजन है, उसमें एन.टी.पी.सी. और एन.एच.पी.सी. द्वारा उत्पादित विद्युत का 85 प्रतिशत केंद्र सरकार के डिस्पोजल पर रहता है, लेकिन 15 प्रतिशत उसके अपने डिस्क्रिस्न पर रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार की विद्युत के मामले में बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए क्या एन.टी.पी.सी. और एन.एच.पी.सी. को निर्देश देना चाहेंगे कि अपने डिस्क्रस्नरी पायर से जो नके पास 15 प्रतिशत विद्युत उपलब्ध है, उसे बिहार को दे सकते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अब इसे बिगाड़िए नहीं।

श्री आलोक कुमार मेहता: पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पास पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। क्या आप इस तरह के इंरट्रक्शन्स देना चाहेंगे?

सभापति महोदय: माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या आप डिस्क्रिस्नरी कोटा बिहार के लिए बढ़ाएंगे?

श्री सुशील कुमार शिंदे: हम हमेशा बिहार की मदद के लिए जाते हैं। चाहे कोई भी राज्य हो, जिस प्रकार से अभी माननीय सदस्य कह रहे थे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राज्य तो जनता का है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: हम सैंट्रल पूल से 4594 मेगावाट पूरे देश को अनएलोकेटिड पावर देते हैं। एन.टी.पी.सी. या एन.एच.पी.सी. का, इस तरह से कोई कोटा नहीं जाता है। बार-बार मुख्यमंत्री कहते हैं या राज्य के बिजली मंत्री कहते हैं तो हम स्पेशल केस करके कहीं न कहीं से इंतजाम कर देते हैं।

सभापति महोदय: आज माननीय सदस्य के कहने से कुछ व्यवस्था करेंगे?

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, बिजली ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बिजली निर्माण करने के लिए कैपेसिटी बढ़ानी होगी।...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): लेकिन वे लोग ऐसा करने नहीं दे रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि प्राय: सभी राज्यों में बिजली की कमी है और सभी राज्यों से मांग आती रहती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के पैमाने पर कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं? मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने प्रयास से नबीनगर में एक स्पेशल यूनिट लगाने की बात तय की है और आपका सहयोग लिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि पर्याप्त पानी नहीं मिलने की वजह से वह स्कीम चालू नहीं हो पा रही है, राज्य सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है और इसकी वजह से वह थर्मल पावर स्टेशन चालू नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार की ओर से यह स्पष्ट कहा गया है कि मैं सहयोग नहीं करूंगा। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इससे पता चलता है कि वहां की राज्य सरकार बिहार के विकास के लिए कितनी चिन्तित है।

सभापति महोदय: आप अपना प्रश्न कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: वहां की सरकार केन्द्र सरकार के प्रयासों में भी अड़ंगा डाल रही है।...*(व्यवधान)* बिजली के अभाव में बिहार का विकास संभव नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है, हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव: राज्य में संसाधनों को ठीक करने के लिए प्रदेश की पूर्व सरकार का एन.टी.पी.सी.

के साथ कांटी और बरौनी थर्मल पावर प्लांट्स का जीर्णोद्धार करने का समझौता हुआ था, जिस पर वर्तमान प्रदेश सरकार ने अमल नहीं किया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में अतिरिक्त बिजली देने की बात की जा रही है, लेकिन कांटी और बरौनी के थर्मल पावर प्लांट्स को कब तक दुरुस्त कर दिया जाएगा, ताकि वहां बिजली की कमी को दूर किया जा सके? इसके अलावा राज्य सरकार जो असहयोग कर रही है और केन्द्र सरकार के काम में रुकावट डाल रही है, उसे रोकने के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री सुशील कुमार शिंदे: सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न के उत्तर में पूर्व में ही कहा था कि एडीशनल केपिसिटी देश में बढ़ी है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आठवीं, नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में अर्थात 15 सालों में जो 54,000 मेगावाट की केपेसिटी हो गई थी, उससे ज्यादा हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना में अर्थात् 78,577 मेगावाट की केपिसिटी बढ़ाने का तय किया है। 54,000 मेगावाट के आर्डर्स चले गए हैं और मार्च तक 78,000 मेगावाट में से बाकी हैं, वे भी दे देंगे। पूरे देश में बिजली की कमी है इसलिए हमने पिछले एक-डेढ़ साल में प्रयास करके, मानिटरिंग करके यह काम किया है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि 2012 तक देश के हर आदमी को एक हजार यूनिट बिजली देने का जो हमारा काम है, वह देकर रहेंगे। आपने बिहार के नवीनगर के बारे में कहा है। हमारे सामने रेल मंत्री जी के साथ उस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उसमें 90 प्रतिशत बिजली रेलवे को जाएगी और दस प्रतिशत बिजली बिहार एवं झारखंड को जाएगी। रेल मंत्री जी ने रेलवे के साथ-साथ बिहार को भी बिजली देने के लिए जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देता हूं। बाकी जो आपने प्रदेश सरकार के बारे में कहा है, तो मैं खुद उनसे बात करूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न - 126 - श्री बाडिगा राधाकृष्णा - उपस्थिति नहीं।

[हिन्दी]

यह अच्छी बात नहीं है कि माननीय सदस्य का नाम लिखित प्रश्न में हो और वह सदन में उपस्थित न होते हैं। प्रश्न संख्या 127, श्री सुब्रत बोस।

[अनुवाद]

विज्ञान के माध्यम से कृषि क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

*127. **श्री सुब्रत बोस:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चार प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए आपके मंत्रालय ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से 11वीं योजना अवधि के दौरान उन संभावनाओं का पता लगाने के लिए कार्य शुरू किया है जहां कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप कृषि संवृद्धि दर को 4% के लक्ष्य पर ला सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जी.आई.एस. आधार का उपयोग करके ग्राम स्तर तक के फसल अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए एक परिकलन प्रणाली का विकास किया है। एक गांव में प्रति हेक्टेयर उपज का मूल्यांकन करने के लिए हरियाणा राज्य में इस क्षमता का परीक्षण किया गया और वर्तमान में मौजूदा फसल मौसम के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा में इसका विस्तार किया गया है। यह जानकारी सरकार को निम्न उत्पादकता के क्षेत्रों का पता लगाने और फसल पर दबाव के मामलों में समय पर साधन - सामग्री लगाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। दोनों मंत्रालय एक वेब - पोर्टल के माध्यम से किसानों को परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर तक की फसल जानकारी और मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमानों को एकीकृत करेंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में गठित कार्यदल निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यक्रम तैयार कर रहा है-

(i) कृषि के लिए जैव कीटनाशकों का प्रचार।

(ii) मृदा गुणवत्ता और जल उपलब्धता मानचित्रण पर

आधारित कार्यप्रणालियों एवं सामग्रियों का एक समेकित पैकेज तैयार करना।

(iii) विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी के लिए ऊतक संवर्धन गुणवत्ता की रोपण सामग्री का प्रसार।

(iv) समुद्री शैवालों से कृषि के लिए आवश्यक तत्व पोटाश को तैयार करना।

श्री सुब्रत बोस: धन्यवाद महोदय। एक तरफ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरी तरफ कृषि प्रयोजनों हेतु उपलब्ध भूमि उतनी ही है या संभवत: कृषि प्रयोजनों के लिए इसकी उपलब्धता कम हो रही है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप की नई संभावनाओं की तलाश प्रारंभ की है ताकि उत्पादन बढ सके। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस परीक्षण की क्षमता की जांच हरियाणा में की गई है और अब इसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा में भी लागू किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह हरियाणा में किए गए इन परीक्षणों के परिणामों से हमें अवगत करायेंगे या वे इस संबंध में कोई अच्छी सूचना देने से पहले अन्य राज्यों में हुए परीक्षणों के परिणामों की प्रतीक्षा करेंगे।

श्री कपिल सिब्बल: मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा और सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि हाल ही मे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यू.पी.ए. सरकार की प्राथमिकताओं के संदर्भ में निर्णय लिया कि हम कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय के क्षेत्र में विशेष बल देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रौद्योगिकीय सहयोग से कृषि वृद्धि चार प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में, हमने पहले निर्णय लिया कि आंकड़े एकत्रित किए जाएं जो विभिन्न राज्यों में उगाई जाने वाली विविध फसलों के संदर्भ में सभी राज्यों को उपलब्ध कराए जाएं। हम ऐसा कर भी रहे हैं। वस्तुत: यह एक प्रौद्योगिकी है वास्तविक प्रौद्योगिकी नहीं - यह आंकड़ों का संग्रह है जो हमने विभिन्न स्रोतों से लिया है और हमने निम्नवत कार्य किया है:

हम अनेक फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा और विभिन्न अन्य फसलों का चयन करते हैं और हम आंकड़े उपग्रह के माध्यम से एकत्रित करते हैं। इसके उपरांत एक जैव भार सूची के माध्यम से हम प्रत्येक फसल हेतु यह बता सकते हैं कि जिला स्तर पर उत्पादकता के क्या स्तर हैं। हम इसकी सप्ताहिक आधार पर निगरानी कर सकते हैं, इसका परिणाम यह होगा कि हम जिला प्राधिकारियों और राज्य सरकारों को यह बताने में समर्थ होंगे कि उत्पादकता के संदर्भ में एक जिले के किस विशिष्ट क्षेत्र में क्या गलत हो रहा है - क्या वहां अधिक पानी की आवश्यकता है, क्या वहां कोई कीटनाशक पौधे की वृद्धि को बाधित कर रहा है, क्या पौधे में कोई रोग है इत्यादि? यह सभी सूचना हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है, ताकि हम सप्ताहिक आधार पर फसल पैटर्न की निगरानी कर सकें और इसलिए हम संपूर्ण देश में प्रत्येक फसल के उत्पादकता स्तरों का अनुमान लगा सकते हैं ताकि जब मौसम की समाप्ति पर निर्यात या आयात करना हो तो हमें मौसम के प्रारंभ या मौसम के मध्य में मालूम हो कि कितना निर्यात या आयात करना है।

इसलिए यह एक नए प्रकार का आंकड़ा संग्रह है और हम इसके लिए कृषि विभाग के साथ कार्य कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमने संपूर्ण हरियाणा के संबंध में आंकड़ा संग्रह कर लिया है। अब हम वस्तुत: सप्ताहिक आधार पर हरियाणा को उनके फसल पैटर्न के संदर्भ में आंकड़े दे रहे हैं। हमने वस्तुत: यह हरियाणा की सभी फसलों के लिए कर लिया है। हरियाणा के प्राधिकारी इससे काफी प्रसन्न हैं और उन्होंने हमें बताया है कि हमारे दिए गए आंकड़े वास्तविक परिणामों के समान है। उदाहरण के लिए यदि तूफान आता है और किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र समूह में फसल नष्ट हो जाती है, तो इस आंकड़े के माध्यम से हम राज्य सरकारों को उन कृषकों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें नुकसान हुआ हो और उनको राहत भेज सकते हैं। इससे जिन किसानों की फसलें नष्ट नहीं हुई हैं, गलत दावे नहीं करेंगे। हम ऐसा भी कर रहे हैं। इसलिए हरियाणा सरकार बहुत प्रसन्न है; अत: हम उत्तर प्रदेश में धान के रोपण का समग्र कार्य इसी प्रकार कर रहे हैं। हम अन्य सभी फसलों को भी सम्मिलित करेंगे। मैं इस सभा को आश्वस्त करता हूं कि 6-9 माह की अवधि के भीतर मैं संपूर्ण भारत को इसमें शामिल कर लूंगा। संपूर्ण भारत के संबंध में आंकड़े संग्रहित करने के बाद मैं इसे सभी राज्य सरकारों को उपलब्ध कराऊंगा ताकि हम फसल पैटर्न की निगरानी में उनके साथ सहयोग कर सकें।

श्री सुब्रत बोस: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह उत्साहवर्धक सूचना दी। माननीय मंत्री ने कहा कि वे आंकड़ा संग्रहण के अगले 8-9 माह या एक वर्ष की अवधि में सभी अन्य राज्यों में आंकड़ा संग्रहण का कार्य आरम्भ करेंगे। मैं केवल यही कहूंगा - यह वस्तुत: प्रश्न नहीं है - मेरी आशा है कि वे

जितना जल्दी संभव हो सके इस कार्य मेरे राज्य सहित प्रत्येक राज्य में आरंभ करें।

श्री कपिल सिब्बल: यह प्रत्येक राज्य में किया जाएगा।

सभापति महोदय: प्रश्न 128 - श्री किसनभाई वी. पटेल : उपस्थित नहीं।

श्री सुग्रीव सिंह

स्वास्थ्य बीमा योजना

+

***128. श्री सुग्रीव सिंह:**

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने देश में स्वास्थ्य बीमा नीति के लिए ग्राहकों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई क्षेत्र सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जीवन बीमा कंपनियां विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने भी सोचा कि चूंकि ऐसे उत्पादों के लिए मांग है अतः विशेष रूप से ऐसी बीमा सुरक्षा प्रदान करना उपयुक्त होगा।

श्री सुग्रीव सिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का आभारी हूं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या जीवन बीमा निगम स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत उन लोगों को भी कवर करेगा जो गरीबी रेखा से नीचे है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, जीवन बीमा निगम ने स्वास्थ्य बीमा करने का निर्णय लिया है। इसने आई.आर.डी.ए. को स्वास्थ्य बीमा की अनुमति हेतु 25 अक्तूबर, 2007 को आवेदन किया है। एक बार अनुमति मिलने पर लोगों का स्वास्थ्य बीमा शुरू हो जाएगा।

सभापति महोदय: दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

श्री सुग्रीव सिंह: मेरा कोई दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नैनो प्रौद्योगिकी केन्द्र

***124. श्री सुरेश अंगडि:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर कर्नाटक में नैनो प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है; और

(ग) इन केन्द्रों के कब तक चालू होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) नैनो प्रौद्योगिकी (एन.टी.) एक ज्ञान सघन और 'समर्थ बनाने वाली प्रौद्योगिकी' है जिसके द्वारा उत्पादों और प्रक्रियाओं की व्यापक किस्मों पर प्रभाव पड़ेगा जिनके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं विकास पर दूरगामी प्रभाव होंगे। नैनो प्रौद्योगिकी अत्यंत छोटे आकार के पदार्थों से संबंधित है और उस आकार व्यवस्था में पदार्थों के गुणों को उपयुक्त रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे टेलर निर्मित पदार्थों के उत्पादन और विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में उनके उपयोग की संभाव्यता का मार्ग प्रशस्त होता है। उदाहरण के लिए नैनो पदार्थ युक्त सेलर सेल सिद्धांततः सूर्य की रोशनी का अपेक्षाकृत अधिक कारगर रूप से उपयोग कर सकते हैं और एकत्रित सूर्य प्रकाश की उसी मात्रा के लिए विद्युत संचालन हेतु अधिक संख्या में आवेश का निर्माण कर सकते हैं। एक बार पूरा हो जाने के बाद यह प्रौद्योगिकी उच्च प्रभावक्षमता वाले सोलर सेल्स का उत्पादन कम लागत में कर सकती है। नैनो आकार युक्त टिटेनियम डाईआक्साइड हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जल के विदारण हेतु सूर्य की रोशनी के उपयोग में सहायक हो सकती है जो ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है। नैनो आकार के उत्प्रेरक अपनी उच्चतर रसायनिक रिएक्टिविटी के कारण वायु प्रदूषण को कम करने में अधिक कारगर पाए गए हैं। नैनो बायोसेंसरों में सिद्धान्ततः अकेले एक वाइरस का भी पता लगाने की

क्षमता होती है और ये पशुओं एवं पौधों में बहुत जल्द ही संक्रमण का पता लगा सकते हैं। संक्रमणों का उपचार औषधियों और कीटनाशकों की अपेक्षाकृत कम मात्रा से ही किया जा सकता है। उपयुक्त जैव वैज्ञानिक मालिक्यूल्स से युक्त नैनो आकार के कणों से संपुटित औषधियां केवल संक्रमित स्थान पर ही ड्रग डिलिवरी को सक्षम बना सकती है जिससे दवा की मात्रा और अवांछित प्रभावों को काफी कम किया जा सकता है। ऐसे नैनोस्केल ड्रग्स कोशिकामित्तियों को भी ऊपर उठा सकते हैं और कोशिकाओं के भीतर संक्रमणों का उपचार कर सकते हैं - जो कि आम दवाई से संभव नहीं है। इसकी कई संभावनाएं हैं और विशाल क्षमता है और इसलिए इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियों को परिपूरित करने के विश्वव्यापी प्रयास किए जा रहे हैं।

नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के एक अंग के रूप में भारत सरकार ने नैनोस्केल प्रणालियों पर मौलिक अध्ययन कराने और जल परिशोधन प्रणालियों, थर्मोरेग्युलेटेड वस्त्रों, टायर अनुप्रयोगों हेतु नैनोफिलर्स, नैनोबायोसेंसरों, ऊतक इंजीनियरी, ड्रग डिलिवरी, नैनो पैटर्निंग आदि जैसे अनुप्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कर्नाटक सहित देश के विभिन्न भागों में लगभग 10 करोड़ रु. के औसत निवेश से कई उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना पहले ही संतुलित रूप से की है।

भारत सरकार ने अनुसंधान के इस क्षेत्र में और बल प्रदान करने हेतु 5 वर्षों के लिए 1000 करोड़ रु. के आवंटन से हाल ही में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की है। नैनोमिशन कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में तीन विद्यमान संस्थानों को नैनो प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास में प्रमाणित क्षमता से युक्त कर सुदृढ़ करने की योजना है। ये केन्द्र इन स्थानों में होंगे - (1) मोहाली, इंटरनैशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटिरियल्स (ए.आर.सी.आई.), हैदराबाद के भाग के रूप में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एस.ई.आर.) के साथ सह-स्थापित, (2) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जे.एन.सी.ए.एस.आर.) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.सी.सी.), बंगलौर के संयुक्त केन्द्र के रूप में बंगलौर में, और (3) इंडियन एसोसिएशन फार द कल्टीवेशन आफ साइंस (आई.ए.सी.एस.), कोलकाता के एक भाग के रूप में कोलकाता में। इनमें से प्रत्येक केन्द्र पर 100 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की संभावना है। इन केन्द्रों के लिए विस्तृत नियोजन अभी आरंभ ही हुआ है।

'इन्सपायर' कार्यक्रम

***126. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) 'इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इन्सपायर्ड रिसर्च (इन्सपायर) कार्यक्रम' के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) विज्ञान के अधिक से अधिक छात्रों को तैयार करने और भारतीय वैज्ञानिक संस्थाओं से वैज्ञानिकों के पलायन को रोकने में इन्सपायर कार्यक्रम में कितनी मदद प्राप्त होती है;

(ग) क्या गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कराने वाले पी.एच.डी. छात्रों की संख्या में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इन्सपायर कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों में पी.एच.डी. अनुसंधान की रूचि जागृत करने में कितनी मदद मिलती है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) भारत सरकार ने विज्ञान के अध्ययन एवं उसे अपने कैरियर के रूप में चुनने के लिये प्रतिभावान युवाओं को आकर्षित करने की दृष्टि से "प्रेरित अनुसंधान हेतु वैज्ञानिक प्रयासों में नवीनता" (इंस्पायर) नामक एक विशेष छात्रवृत्ति स्कीम शुरू की है। इन्सपायर का उद्देश्य जनाकिकी और पारम्परिक ज्ञान प्रणाली के द्वारा भारत की तुलनात्मक शक्ति के प्रतिस्पर्धी लाभों में रूपान्तरण के माध्यम से नवोन्मेषी ज्ञान अवसंरचना का निर्माण करना है। इंस्पायर स्कीम की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं: (क) विज्ञान के प्रति प्रतिभाओं के प्रारंभ में ही आकर्षण की स्कीम (सीट्स) जिसमें उनके स्कूल कैरियर में एक बार 10 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के कुल 10 लाख युवा छात्रों के लिए पांच हजार रुपये की विज्ञान नवोन्मेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण शीर्षस्थ 1% निष्पादकों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर में विज्ञान में नोवेल पुरस्कार विजेताओं और भारत के अग्रणी वैज्ञानिकों सहित विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों के माध्यम से परामर्श (ख) 10,000 छात्रों के लिए बी.एस.सी. और एम.एस.सी. स्तरों पर विज्ञान शिक्षा जारी रखने के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपये की दर से 17-22 वर्ष के आयु वर्ग हेतु उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्तियां (एस.एच.ई.) और (ग) विज्ञान में डॉक्टोरल अनुसंधान करने के लिए पांच वर्ष हेतु 22-32 वर्ष के आयुवर्ग में 1000 युवा अनुसंधानकर्ताओं के लिए अनुसंधान कैरियर हेतु सुनिश्चित अवसर (ए.ओ.आर.सी.) जिसे उनकी पी.एच.डी. के पूरा होने पर पांच वर्ष की अगली अवधि के

लिए सुनिश्चित अनुसंधान कैरियर अवसर स्कीम द्वारा सहायता दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विगत पांच वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों सहित विभिन्न विषयों के लिए पंजीकृत पी.एच.डी. छात्रों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। इंस्पायर कार्यक्रम जो विज्ञान में अभिरूचि वाले और नवोन्मेष करने के लिए इच्छुक युवाओं को यथोचित वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त आवश्यक अवसर प्रदान कर विज्ञान को एक कैरियर विकल्प के रूप में प्रदान करता है, अपेक्षाकृत अधिक संख्या में विज्ञान छात्रों और पी.एच.डी. तैयार करने तथा भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक समुदाय की वृद्धि करने में सहायता करेगा।

[हिन्दी]

जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उपलब्धियां

*129. **डा. सत्यनारायण जटिया:**
श्री महावीर भगोरा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.-आर.एम.) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उक्त निधि का उपयोग करने और इसके उद्देश्यों की प्राप्ति का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) यद्यपि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संकेतात्मक आबंटन किए गए हैं तथापि यह बात नोट करने की जरूरत है कि यह एक मांग आधारित मिशन है। राज्यों के जरिए शहरी स्थानीय निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों से अलग-अलग परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा नियुक्त तकनीकी एजेंसियों द्वारा किया जाता है और तत्पश्चात् सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा इन पर विचार किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है और मंत्रालय में प्रस्ताव प्राप्त होते ही उन पर अनुमोदनार्थ विचार किया जाता है।

यू.आई.जी. के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए दूसरी किस्त जारी करने हेतु विभिन्न शहरों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत अनुमोदित परियोनजाओं के संबंध में दूसरी किस्त जारी करने हेतु इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. घटकों के तहत विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है। अभी तक जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. घटक के अंतर्गत सभी चुनिंदा 63 शहरों ने नगर विकास योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं और इन सभी नगर विकास योजनाओं का मूल्यांकन कर दिया गया है। सुधारों को लागू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तरों पर अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए 58 करार ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सुधारों की प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV क, ख एवं ग में दी गई है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत किए गए अब तक के पहल प्रयासों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

जे.एन.एन.यू.आर.एम. - अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त जारी करने हेतु प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	शहर	सेक्टर	परियोजना का नाम	देय ए.सी.ए. की दूसरी किस्त (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	122 फीट रिंग रोड पर श्रेययास क्रासिंग पर अहमदाबाद बोटार्ड	106.00

1	2	3	4	5	6
				एम.जी. रेलवे लाइन पर आर.ओ.बी. का निर्माण	
2.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	बसाना और पीराना 122 रोड को जोड़ने वाली साबरमती नदी पर चार लेन के पुल का निर्माण	258.50
3.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	नर्मदा मेन केनाल से कोटारपुर डब्ल्यू.टी.पी. तक पाइप लाइन, कोटारपुर के समीप साबरमती नदी में 330 एम.एल.डी. इंटेकवेल, रसाका के जल शोधन संयंत्र	471.00
4.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	साबरमती बीरमगांव बी.जी. रेलवे लाइन अहमदाबाद में चार लेन के पुल का निर्माण	175.00
5.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	ए.यू.डी.ए. क्षेत्र में बड़े और छोटे रेडियल रोड फेज-I का निर्माण	438.00
6.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	मनीनगर और वातवा रेलवे स्टेशन के बीच बी.जी. रेलवे लाइन पर दक्षिणी सोसायटी के समीप आर.ओ.बी. सं. 132 फीट रिंग रोड का निर्माण	187.00
7.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	अहमदाबाद में शिवरंजनी जंक्शन पर 4 लेन के फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण	146.00
8.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	बामरोली द्वितीयक सीवेज शोधन संयंत्र	165.31
9.	गुजरात	सूरत	जलापूर्ति	सूरत शहरी विकास प्राधिकरण की वेसु शहरी बस्ती के लिए जल आपूर्ति परियोजना	239.80
10.	गुजरात	सूरत	जलापूर्ति	पलपलानपोर क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति परियोजना	124.30
11.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	अंजना सीवेज शोधन संयंत्र का उन्नयन	137.00
12.	गुजरात	सूरत	सड़क/फ्लाईओवर/ रोड ओवर ब्रिज	नानावराचा के नजदीक फ्लाई ओवर ब्रिज	94.75
13.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	अदाजन सीवरेज का आवर्द्धन	149.00
14.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	गेसान सीवेज शोधन संयंत्र का आवर्द्धन	188.00

1	2	3	4	5	6
15.	गुजरात	राजकोट	जलापूर्ति	राजकोट के लिए जलापूर्ति परियोजना	1070.00
16.	गुजरात	राजकोट	जल निकास/बरसाती पानी की नालियां	भूमिगत जल निकास फेज-II एवं फेज-III (भाग-I) (सीवेज निपटान नेटवर्क एवं एस.टी.पी.)	942.70
17.	गुजरात	राजकोट	ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण (फेज-I)	108.38
18.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़क/फ्लाईओवर/ आर.ओ.बी.	मल्लेश्वरम सर्किल में अंडर पास का निर्माण	108.96
19.	कर्नाटक	बंगलौर	जल निकास/बरसाती पानी की नालियां	केथामारानहल्ली और अतरावती माइनर वेली-I और कथरीगुप्पा माइनरवेली-III सहित व्रशभावती वेली में बंगलोर शहर में प्राइमरी और सेकेन्डरी बरसाती पानी नालियों का पुर्ननिर्माण (3 डी.पी.आर.)	1997.27
20.	कर्नाटक	बंगलौर	जल निकास/बरसाती पानी की नालियां	बंगलोर शहर, कोरामंगला वेली में प्राइमरी और सेकेन्डरी बरसाती पानी नालियों का पुर्ननिर्माण	975.53
21.	कर्नाटक	बंगलौर	जल निकास/बरसाती पानी की नालियां	बंगलोर शहर, हेब्बल वेली में प्राइमरी और सेकेन्डरी बरसाती पानी नालियों का पुर्ननिर्माण	1616.47
22.	कर्नाटक	बंगलौर	जलापूर्ति	सी.डब्ल्यू.एस.एस. स्टेज-iv फेज-I से अतिरिक्त 100 एम.एल.डी. पानी का आवर्द्धन	85.82
23.	मध्य प्रदेश	भोपाल	शहरी नवीकरण	भोपाल में श्रेणीकृत स्क्रेप मार्ट में बुनियादी अवसंरचना का नवीकरण	101.38
24.	मध्य प्रदेश	भोपाल	शहरी नवीकरण	एम.पी. नगर भोपाल में बुनियादी अवसंरचना का नवीकरण	236.75
25.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	नागपुर शहर में जलापूर्ति वितरण तंत्र का विस्तार और उन्नयन	474.12
26.	महाराष्ट्र	नासिक	जलापूर्ति	जलापूर्ति परियोजनाओं के चालू कार्य	631.50
27.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सीवरेज	विजयवाड़ा के कृष्णालंका क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली देना	92.87

विवरण-II

जे.एन.एन.यू.आर.एम.

राज्यवार जारी धनराशि

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं का प्रतिशत	स्वीकृत परियोजनाओं की लागत (लाख रु. में)	स्वीकृत परियोजनाओं की लागत का प्रतिशत	जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)	जारी धनराशि का प्रतिशत	स्वीकार्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	33	12.99	225391.51	10.26	22915.16	9.49	98707.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	0.79	8919.7	0.41	2006.94	0.83	8027.73
3.	असम	1	0.39	3516.71	0.16	791.26	0.33	3165.04
4.	बिहार	1	0.39	3695.4	0.17	461.93	0.19	1847.70
5.	चंडीगढ़	2	0.79	5698.6	0.26	1139.72	0.47	4558.88
6.	छत्तीसगढ़	1	0.39	30364	1.38	6072.8	2.52	24291.20
7.	गुजरात	44	17.32	249769.32	11.37	26378.26	10.92	105511.19
8.	हरियाणा	3	1.18	21097.7	0.96	2637.72	1.09	10550.85
9.	हिमाचल प्रदेश	2	0.79	2613.06	0.12	522.61	0.22	2090.45
10.	जम्मू-कश्मीर	2	0.79	26215	1.19	5898.38	2.44	23593.50
11.	कर्नाटक	31	12.20	173988.09	7.92	14858.39	6.15	73486.68
12.	केरल	6	2.36	68005	3.10	4405	1.82	43079.60

13. मध्य प्रदेश	13	5.12	98799.33	4.50	12349.83	5.11	49399.66
14. महाराष्ट्र	47	18.50	639619.83	29.13	73745.2	30.54	295011.38
15. मणिपुर	1	0.39	2580.71	0.12	0	0.00	2322.64
16. नागालैंड	1	0.39	2525.6	0.12	0	0.00	2273.04
17. उड़ीसा	2	0.79	50492.66	2.30	5278.66	2.19	40394.13
18. पंजाब	2	0.79	32883	1.50	4110.375	1.70	16441.50
19. पांडिचेरी	1	0.39	20340	0.93	0	0.00	16272.00
20. राजस्थान	6	2.36	47453.37	2.16	11096.76	4.60	29388.59
21. तमिलनाडु	23	9.06	222684.32	10.14	24855.82	10.29	100257.77
22. उत्तर प्रदेश	12	4.72	132930.77	6.05	12425.16	5.15	66762.87
23. पश्चिम बंगाल	18	7.09	126358.7	5.75	9501.98	3.94	47420.28
कुल	254	100	2195942.38	100	241451.95	100	1064854.26

विवरण-III

2005-06, 2006-07 और 2007-08 (31-10-2007 तक) के दौरान यू.डी.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत कस्बों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं और जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के संबंध में राज्य वार स्थिति

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहरों/ कस्बों की संख्या	परियोज-नाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	पात्र केन्द्रीय अंश अनुमोदित लागत का (80%/90%) (बचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	पात्र केन्द्रीय अंश की पहली किस्त की राशि अर्थात् अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का 50%	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए की गई सिफारिश (प्रोत्साहन सहित)	2005-06 के दौरान जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	2006-07 के दौरान जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	2007-08 के दौरान जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	वित्त मंत्रालय/ गृह मंत्रालय द्वारा जारी कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (प्रोत्साहन सहित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	39	44	130953.87	104763.10	52381.55	54033.99	4919.68	25568.26	23546.05	54033.99
2.	असम	4	4	2933.19	2639.87	1319.94	1363.93	0.00	1364.00	0.00	1364.00
3.	बिहार	9	9	15257.67	12206.14	6103.07	6331.88	0.00	3643.00	315.00	3958.00*
4.	छत्तीसगढ़	3	3	6118.65	4894.92	2447.46	2447.46	0.00	2447.00	0.00	2447.00
5.	गुजरात	25	25	21272.23	17017.78	8508.89	8560.26	2444.00	6003.00	113.00	8560.00
6.	हिमाचल प्रदेश	3	3	1805.88	1444.70	722.35	749.44	0.00	357.00	392.00	749.00
7.	जम्मू-कश्मीर	8	34	27579.08	24821.17	12410.59	12824.27	0.00	10100.00	2724.00	12824.00
8.	कर्नाटक	14	17	23417.87	18734.30	9367.15	9718.41	0.00	8217.00	1501.00	9718.00
9.	केरल	8	8	15642.00	12513.60	6256.80	6491.43	0.00	3363.00	3128.00	6491.00
10.	मध्य प्रदेश	18	27	19746.62	15797.30	7898.65	7898.65	0.00	7555.00	344.00	7899.00

11.	महाराष्ट्र	18	25	50834.50	40667.60	20333.80	20933.47	0.00	11775.00	7312.00	19087.00**
12.	उड़ीसा	3	5	8842.90	7074.32	3537.16	3669.86	0.00	2234.00	1435.00	3669.00
13.	राजस्थान	22	22	14338.05	11470.44	5735.22	5897.87	1384.00	4301.00	214.00	5899.00
14.	तमिलनाडु	91	97	53917.49	43133.99	21567.00	21567.00	0.00	12169.00	2879.00	15048.00***
15.	उत्तर प्रदेश	22	28	58469.95	46775.96	23387.98	24264.99	0.00	20534.00	3731.00	24265.00
16.	पश्चिम बंगाल	13	14	18736.93	14989.54	7490.78	7775.85	0.00	5267.00	2508.00	7775.00
17.	दादर एवं नगर हवेली	1	1	1864.73	1471.78	745.89	745.89	0.00	0.00	0.00	0.00****
	कुल	301	366	471731.61	380416.51	190214.26	195274.65	8747.68	124897.26	50142.05	183786.99

* 5720 लाख रु. की अनुमोदित लागत पर बिहार में 5 कस्बों की 5 परियोजनाएं जिसमें 2373.75 लाख रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के पास लंबित है।

** वित्त मंत्रालय ने सांगली जल आपूर्ति स्कीम के लिए 1846.77 लाख रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की अल्प राशि जारी कर दी है।

*** 16299.85 लाख रुपए की अनुमोदित लागत पर तमिलनाडु में 15 कस्बों की 15 परियोजनाएं जिसमें 6519.94 लाख रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय साहयता जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के पास लंबित है।

**** प्रस्ताव जारी करने हेतु गृह मंत्रालय के पास लंबित है।

विवरण-IV

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के दूसरे वर्ष - 2006-07 में कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध राज्य स्तरीय सुधारों पर स्थिति

पहले और दूसरे वर्ष के लिए लक्षित राज्य स्तरीय सुधारों की उपलब्धि

राज्य	प्राप्त सुधार	लक्ष्य वर्ष
गुजरात	सार्वजनिक प्रकटीकरण अधिनियम	वर्ष 2

पहले और दूसरे वर्ष के लिए लक्षित राज्य स्तरीय सुधारों की अप्राप्त उपलब्धि

राज्य	अप्राप्त सुधार	लक्ष्य वर्ष
आंध्र प्रदेश	यू.एल.सी.आर.ए. का निरसन	वर्ष 2
चंडीगढ़	5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क	वर्ष 2
	सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून का अधिनियमन	वर्ष 2
गुजरात	74वां संविधान संशोधन अधिनियम (एम.पी.सी. का गठन)	वर्ष 2
तमिलनाडु	सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून का अधिनियमन	वर्ष 2
पश्चिम बंगाल	किराया नियंत्रण सुधार	वर्ष 2

विवरण-V

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के दूसरे वर्ष - 2006-07 में कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध शहरी स्थानीय निकाय सुधारों पर स्थिति

पहले और दूसरे वर्ष के लिए लक्षित शहरी स्थानीय निकाय-स्तर के सुधार

राज्य	शहर	सूचित सुधार	लक्ष्य वर्ष
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	ई-गवर्नेंस स्थापित	वर्ष 2
	विशाखापट्टनम	संपत्ति कर (85% कवरेज)	वर्ष 1
		ई-गवर्नेंस स्थापित	वर्ष 2
		संपत्ति कर (90% वसूली क्षमता)	वर्ष 2
		जल आपूर्ति और एस.डब्ल्यू.एम. की 100% लागत वसूली	वर्ष 1

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	रायपुर	ई-गवर्नेंस स्थापित	वर्ष 1
गुजरात	राजकोट	ई-गवर्नेंस स्थापित	वर्ष 2
		संपत्ति कर (85% कवरेज)	वर्ष 2
		शहरी गरीबों के लिए सेवाओं हेतु धनराशि का आंतरिक निर्धारण	वर्ष 1
केरल	कोची	शहरी गरीबों के लिए सेवाओं हेतु धनराशि का आंतरिक निर्धारण	वर्ष 2
	त्रिरुवंतपुरम	शहरी गरीबों के लिए सेवाओं हेतु धनराशि का आंतरिक निर्धारण	वर्ष 2
मध्य प्रदेश	भोपाल	शहरी गरीबों के लिए सेवाओं हेतु धनराशि का आंतरिक निर्धारण	वर्ष 2
	इंदौर	शहरी गरीबों के लिए सेवाओं हेतु धनराशि का आंतरिक निर्धारण	वर्ष 2
	जबलपुर	शहरी गरीबों के लिए सेवाओं हेतु धनराशि का आंतरिक निर्धारण	वर्ष 2
महाराष्ट्र	नागपुर	दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली	वर्ष 1
उड़ीसा	भुवनेश्वर	दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली	वर्ष 2
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	संपत्ति कर (85% कवरेज)	वर्ष 1
	मदुरै	संपत्ति कर (85% कवरेज)	वर्ष 2
	चेन्नई	दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली	वर्ष 1
		संपत्ति कर (9% वसूली क्षमता)	वर्ष 1
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली	वर्ष 2

विवरण-VI

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के दूसरे वर्ष में कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध शहरी स्थानीय निकाय सुधारों पर स्थिति

पहले और दूसरे वर्ष के लिए लक्षित शहरी स्थानीय निकाय स्तर के अपूर्ण सुधार

राज्य	शहर	सूचित सुधार	लक्ष्य वर्ष
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	जबलपुर	ई-गवर्नेंस स्थापित	वर्ष 2

1	2	3	4
महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति की 100% लागत वसूली	वर्ष 2
राजस्थान	अजमेर	प्राप्ति आधारित दोहरी प्रविष्ठि लेखांकन प्रणाली	वर्ष 1
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	संपत्ति कर (90% वसूली क्षमता)	वर्ष 1

विवरण-VII

मुख्य पहल - प्रयास:

(i) सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने, वास्तविक कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा सेवा प्रदायगी में दक्षता सुधार करने के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पी.एम.यू.) स्थापित करने के लिए सहायता।

(ii) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत परियोजनाओं और सुधारों के कारगर कार्यान्वयन के लिए सक्षमता में वृद्धि करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराना।

(iii) स्वतंत्र समीक्षा और मॉनीटरिंग एजेंसियों की नियुक्ति के जरिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की तृतीय पक्ष मॉनीटरिंग और समीक्षा करना।

(iv) डी.पी.आर. तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं का पैनल बनाना।

(v) शहरों और संस्थानों के बीच परस्पर सूचना आदान प्रदान के लिए तीव्र प्रशिक्षण कार्यक्रम, पियर एक्सपीरियंस एंड रिफलक्टिव लर्निंग के जरिए क्षमता निर्माण और सूचना कार्यकलाप।

(vi) एक व्यापक वैब आधारित कार्यक्रम मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन प्रणाली विकसित की गई है जो मिशन की ऑन लाइन मॉनीटरिंग के सभी पहलूओं को कवर करेगी और राज्यों, शहरों तथा मिशन निदेशालय के बीच भागीदारी बढ़ाने में मदद करने हेतु एक मंच मुहैया कराएगी।

(vii) सुधार मूल्यांकन एजेंसियां: राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नियोजन संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी.), राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एन.आई.यू.ए.) तथा भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज मिशन के अंतर्गत राज्य और शहर स्तरों पर सुधारों के कार्यान्वयन की गहन समीक्षा करेंगे।

(viii) मिशन के कार्यान्वयन में वृद्धि के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

(ix) विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से जे.एन.एन.यू. आर.एम. शहरी सुदृढ़ीकरण और परिवर्तन परियोजना (जे.यू.एस.टी.) आरम्भ की जा रही है। प्रारम्भिक सहायता के रूप में 40 मिलियन यू.एस. डालर प्रदान किए जा रहे हैं।

(x) शहरों और राज्यों को अवार्ड, जो मिशन के कार्यान्वयन में सही ढंग से निष्पादन करते हैं।

(xi) संचार अभियान।

(xii) नागरिक समाज को शामिल करना।

(xiii) समुदाय सहभागिता कोष (सी.पी.एफ.)।

(xiv) शहरी भूमि निकायों को क्रेडिट रेटिंग।

(xv) नगर पालिका वित्त सुधार कार्यक्रम (एम.एफ.आई.पी.)।

ग्रामीण विद्युतीकरण

***130. श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि में देश के प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की कितनी परियोजनाएं चल रही हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के त्वरित क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय ने उक्त योजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) 10वीं योजना के दौरान राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) चरण-I की 235 निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं जिन पर कार्य चल रहा है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) देश में आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण की गति को तेज करने के लिए निम्नांकित उपाय किए गए हैं:

- परियोजनाओं के शीघ्र एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इनका टर्न-की आधार पर निष्पादन किया जा रहा है।

- भारत सरकार ने एक अंत: मंत्रालयी मानीटरिंग समिति गठित की है, जो परियोजनाओं की मंजूरी और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए आवधिक बैठकें करती है।

- राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति को मानीटर करने की सलाह दी गई है। सभी राज्यों ने जिला समितियों के निरूपण को अधिसूचित कर दिया गया है।

- राज्य द्वारा इच्छा व्यक्त करने पर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.एस.) की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। सी.पी.एस.यू.एस. को 139 जनपद आबंटित किए गए है।

(ग) से (ङ) जी हां। भारत सरकार ने 4 वर्ष की अवधि में सभी गांवों का विद्युतीकरण करने की दृष्टि से अप्रैल 2005 में "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" (आर.जी.जी.वी.वाय) आरंभ की है। नई परियोजनाओं हेतु 11वीं योजना में स्कीम का सातत्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।

आर.जी.जी.वी.वाई. की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

1. इस स्कीम के अंतर्गत गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण और पहले से ही विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा 90% पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

2. स्कीम अन्य बातों के साथ-साथ सभी ग्रामीण वास स्थानों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानदंड के अनुसार 100% पूंजी सब्सिडी समेत देश में गरीबी की रेखा से नीचे के सभी गैर विद्युतीकृत परिवारों के विद्युतीकरण की वित्त व्यवस्था करती है।

3. स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी से पहले पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र परियोजनाओं हेतु राज्यों से पहले ही वचनबद्धता ली जाती है-

   - ग्रामीण वितरण के प्रबंधन हेतु स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं में फ्रैंचाइजियों को लगाना और

   - विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अपेक्षित राज्य यूटिलिटियों के लिए जरूरी राजस्व सब्सिडियों का प्रावधान।

4. ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के निष्पादन में राज्यों की सहायता हेतु उनकी इच्छा पर सी.पी.एस.यू.एस. की सेवाएं प्रस्तावित की गई हैं।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाएं						
		परियोजनाओं की सूची	जिलों की संख्या	शामिल किए जाने वाले गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल किए जाने वाले गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल किए जाने वाले गैर-विद्युतीकृत आवास (बी.पी.एल. सहित)	शामिल किए जाने वाले बी.पी.एल. आवास	कुल परियोजना लागत
1.	आन्ध्र प्रदेश	17	17	0	21623	3166161	2114317	648.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	237	321	7230	4377	43.30
3.	असम	3	3	903	1746	190663	148971	158.03
4.	बिहार	26	25	17125	0	843499	843499	1495.80
5.	छत्तीसगढ़	3	3	117	3504	270085	122316	148.94
6.	गुजरात	3	3	0	2409	243397	188471	60.84
7	हरियाणा	4	4	0	1075	116814	49198	48.48
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	1118	2531	647	25.02
9.	जम्मू-कश्मीर	3	3	103	1444	99088	59731	97.62
10.	झारखण्ड	13	13	8727	4379	1469520	942319	1277.17
11.	कर्नाटक	17	17	49	21152	1319939	631828	375.39
12.	केरल	1	1	0	38	23799	17834	19.75

13.	मध्य प्रदेश	8	8	115	9653	565912	311295	395.57
14.	महाराष्ट्र	4	4	0	4052	355590	262538	52.60
15.	मणिपुर	2	2	186	270	25136	14447	64.07
16.	मेघालय	2	2	174	797	41495	23676	45.99
17.	मिजोरम	2	2	90	209	15331	8618	41.75
18.	नागालैण्ड	2	2	12	279	21701	14290	16.25
19.	उड़ीसा	4	4	2602	4637	598625	335080	434.10
20.	पंजाब							
21.	राजस्थान	25	24	1705	15608	1009310	699651	453.23
22.	सिक्किम	2	2	16	158	10320	3724	26.09
23.	तमिलनाडु							
24.	त्रिपुरा	1	1	48	72	20548	13119	19.57
25.	उत्तर प्रदेश	64	65	29051	3287	1694075	1120648	2719.51
26.	उत्तरांचल	13	13	1469	14105	357309	281615	643.89
27.	पश्चिम बंगाल	13	13	4283	0	145918	97847	385.03
	कुल	235	234	67012	111936	12613996	8310056	9696.14

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

*131. **श्री टेकलाल महतो:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन विभाग द्वारा की गई आपत्तियों के कारण झारखंड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य करने में गंभीर अड़चनें पैदा हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में विद्युतीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) यद्यपि झारखंड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाय.) के अंतर्गत विद्युतीकरण करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग ने कोई आपत्ति नहीं प्रकट की है, किन्तु झारखंड के वन/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन स्वीकृति देने में विलंब के कारण आर.जी.जी.वी.वाय. के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य पूरा करने में क्रियान्वयक एजेंसियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

(ख) आर.जी.जी.वी.वाय. के अंतर्गत बिजली के तारों को वन वाले क्षेत्रों से होकर बिछाना पड़ता है जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम की धारा-2 के अंतर्गत वन स्वीकृति तथा गैर-वनीय कार्यों के लिए वन भूमि के विपथन हेतु अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सुरक्षित वन तथा "जंगल-झाड़ी" से होकर गुजरने वाले हाई टेंशन लाइनों के मार्ग संबंधी ब्यौरे तथा इन्हें मौजा/गांव के नक्शे तथा स्थलाकृतिक विवरण का पालन करने की आवश्यकता भी होती है। एक सिंगल 11 के.वी. लाइन में 50 से 60 मौजा/गांव के नक्शे शामिल होते हैं। कभी-कभी ये नक्शे तत्काल उपलब्ध नहीं होते हैं। इन ब्यौरों के बिना वन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव की समीक्षा संभव नहीं है।

(ग) विद्युत मंत्रालय तथा स्कीम के अन्य स्टेकहोल्डरों द्वारा मामले पर कार्रवाई के पश्चात् अभी हाल ही में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा झारखंड राज्य में आर.जी.जी.वी.वाई. के कार्यान्वयन के लिए वन स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (जो 1988 में संशोधित है) हैन्डबुक के पैरा 2.4, वन संरक्षण नियम, 2003 (जो 2004 में संशोधित है), दिशानिर्देश एवं स्पष्टीकरण (जून, 2004), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के अनुसार "कतिपय प्रस्ताव समूहों के लिए सरलीकृत प्रक्रिया" के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना है।

सरलीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ स्थलाकृतिक शीट पर नक्शा बनाकर ही प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी ने सरलीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वन स्वीकृति हेतु यथाशीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संबंधित वन प्रखंडों को धनबाद, कोडरमा और बोकारो जिला के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए है।

[अनुवाद]

पवन चक्कियां लगाना

*132. **श्री मो. ताहिर:***

श्री सुभाष महरिया:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में राज्यवार कुल कितनी पवन-चक्कियां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या देश में नई पवन चक्कियां लगाने हेतु कुछ स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) दिनांक 30 सितम्बर, 2007 तक देश में 7660 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता वाली पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं जिनमें 225 किवा. से 1650 किवा. यूनिट क्षमता के पवन टरबाइन शामिल हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। 50 मीटर की ऊंचाई पर 200 वाट/वर्गमीटर अथवा इससे अधिक के वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व वाले 216 संभाव्यता स्थलों की पहचान की गई है जिन्हें पवन विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना हेतु उपयुक्त समझा जा सकता है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्यवार पवन विद्युत संस्थापित क्षमता
(दिनांक 30-09-2007 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	क्षमता (मेगावाट)
आन्ध्र प्रदेश	122.4
गुजरात	806.0
कर्नाटक	853.2
केरल	2.0
मध्य प्रदेश	57.3
महाराष्ट्र	1622.2
राजस्थान	493.9
तमिलनाडु	3698.9
पश्चिम बंगाल	1.1
उड़ीसा	3.2
कुल	7660.2

विवरण-II

देश में संभाव्यता-स्थलों के राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	अवस्थिति	संभाव्यता स्थल
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	अनन्तपुर, विशाखापटनम, कुर्नोल, कुडप्पा, चित्तूर, नेल्लौर, रंगारेड्डी	32
2.	गुजरात	कच्छ, जूनागढ, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, अमरेली, पोरबंदर, भावनगर	38
3.	कर्नाटक	चिकमंगलोर, धारवाड, चामराजनगर, बेलगांव, रायचूर, बीजापुर, चित्रदुर्ग गडग, बेल्लारी	26
4.	केरल	पलाक्कड, इडुकी, तिरूवनन्तपुरम	17
5.	मध्य प्रदेश	देवास, बेतूल, शाहजहांपुर, रतलाम, खरगोन	7
6.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर, सतारा, नासिक, धुले, नंदूरबार, सांगली, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, बीड, सिंधदुर्ग, लातूर	31
7.	उड़ीसा	बालासोर, गंजाम, कोरापुट, कटक, पुरी	6
8.	तमिलनाडु	तिरूनेलवेल्ली, कोयम्बटूर, मदुरै, चेंगलपेट, कन्याकुमारी, तूतीकोरिन, थेनी, इरोड, डिंडीगुल	41
9.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़, सीकर, जैसलमेर, बारमेड, जोधपुर	7
10.	उत्तरांचल	नरेन्द्रनगर	1

1	2	3	4
11.	पश्चिम बंगाल	साउथ 24 परगना	1
12.	अंडमान एवं निकोबार	निकोबार	1
13.	लक्षद्वीप	कावारती	8
	कुल		216

अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

*133. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं में वित्तीय समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक परियोजना-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) परियोजना-वार निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या जापान की सहायता से किसी परियोजना को स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यू.एम.पी.पी.एस.) के तहत, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों में स्थलों का पता लगाया था। ये परियोजनाएं निर्माण, स्वामित्व और परिचालन आधार पर विकसित की जा रही हैं तथा परियोजना विकासकर्ता को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के द्वारा चयनित किया जाता है। जापान सहित किसी भी देश से बोली लगाने वाली कंपनियों की भागीदारी की मनाही नहीं है तथा यह चयनित विकासकर्ता की जिम्मेवारी है कि वह परियोजना के लिए अपेक्षित निधियां सुनिश्चित करे। यद्यपि, मुद्रा तथा सासन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया पूरा हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में यह कृष्णापटनम तथा तिलैया अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रक्रियाधीन है। अन्य अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया स्थल तथा अपेक्षित स्वीकृतियां मिलने के बाद शुरू की जाएगी। मुंद्रा में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के मामले में स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) जो कोस्टल गुजरात पावर लि. (सी.जी.पी.एल.) है, तथा जिसे चयनित विकासकर्ता को हस्तांतरित कर दिया गया था ने हाल ही में सूचित किया है कि बॉयलर तथा स्टीम टरबाइन जेनरेटर पैकेजों की आपूर्ति हेतु संविदाएं की जा चुकी है।

मुंद्रा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के लिए विद्युत क्रय करार (पी.पी.ए.) पर दिनांक 22-04-2007 को तथा सासन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के लिए दिनांक 7-8-2007 को हस्ताक्षर किए गए थे। चयनित विकासकर्ता द्वारा संबंधित विद्युत क्रय करारों में बताई गई विभिन्न यूनिटों के लिए यह निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन की तिथियां निम्नानुसार है:-

	विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि से माह	
	सासन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (प्रत्येक 600 मे.वा. की 6 यूनिटें)	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (प्रत्येक 800 मे.वा. की 5 यूनिटें)
यूनिट-1	69	64
यूनिट-2	76	70
यूनिट-3	83	76
यूनिट-4	90	82
यूनिट-5	97	88
यूनिट-6	104	–

तथापि, विकासकर्ता के पास कमीशनिंग तिथि पहले तय करने हेतु विद्युत क्रय करार के तहत विकल्प है।

विद्युत उत्पादन और विद्युत चोरी

*134. **श्री मोहन रावले:**

श्री पी.सी. गद्दीगउडर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में कितने जल और ताप विद्युत संयंत्र कार्य कर रहे हैं और इनसे कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में विद्युत की राज्य-वार कितनी मांग है;

(ग) क्या उत्पादित विद्युत के 40 प्रतिशत की चोरी हो जाती है और देश में इस पर कोई रोक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीतियां बनाई गई हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) 31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में 131 जल विद्युत और 302 ताप विद्युत संयंत्र कार्य कर रहे थे और अप्रैल से अक्तूबर, 2007 की अवधि के दौरान उनसे 395280 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित की गई थी।

(ख) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा प्रकाशित भारत के "17वें विद्युत सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट" मार्च, 2007 के अनुसार देश में वर्ष 2007-08 के लिए कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में वैद्युत ऊर्जा की अनुमानित खपत 112626, 180912 और 134962 मिलियन यूनिट क्रमशः होगी। वर्ष 2007-08 के लिए कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में अनुमानित की गई ऊर्जा खपत राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विद्युत के पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों का आकलन करने के लिए वर्ष 2001-02 में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (ए.टी. एंड सी.) की अवधारणा शुरू की गई थी। ए.टी. एंड सी. हानि के मानदंडों में न केवल तकनीकी हानियां बल्कि विद्युत चोरी एवं दुरूपयोग, खराब फीडर, वितरण ट्रांसफार्मर एवं उपभोक्ता मीटरिंग, असंतोषजनक बिलिंग तथा बकायों की वसूली न होने के कारण होने वाली वाणिज्यिक हानि भी पकड़ में आ जाती है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा तैयार रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य विद्युत यूटिलिटियों की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि 34.54% थी।

ए.टी. एंड सी. हानियों के मुख्य कारण निम्न हैं-

(I) **तकनीकी हानियां**

- मौजूदा लाइनों एवं उपकेंद्र उपस्करों की ओवरलोडिंग
- पुराने एवं अप्रचलित नेटवर्क
- लो-हाइटेंशन: लो टेंशन अनुपात
- उपस्करों की खराब मरम्मत एवं अनुरक्षण
- पर्याप्त कैपिसिटरों की संस्थापना न करना
- घटिया एवं अकुशल तथा कम गुणवत्ता के वितरित उपस्कर।
- उपभोक्ता उपकरणों के खराब पावर फैक्टर

(II) **वाणिज्यिक हानियां**

- दोषपूर्ण मीटर
- चोरी एवं दुरुपयोग
- मीटरों के साथ छोड़छाड़
- कर्मचारियों में दायित्वहीनता
- कम मीटरिंग दक्षता
- असंतोषजनक बिलिंग कुशलता
- बकायों की गैर-वसूली

तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करना वितरण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो मुख्यतया राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार ने ए.टी. एंड सी. हानियों को कम करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

(I) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.

आर.पी.) 2002-03 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित तकनीकी, वाणिज्यिक एवं प्रबंधन उपाय करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी गई थी।

(क) तकनीकी उपाय

- कमजोर वितरण प्रणाली का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण।
- वितरण उपकेंद्रों की पुनःस्थापना और/अथवा अतिरिक्त वितरण उपकेंद्रों का प्रावधान।
- कम संख्या/समूह वाले उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मरों की संस्थापना तथा कम गैर-भार वाली हानियों के वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन।
- शंट कैपेसिटरों की संस्थापना
- हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली अपनाना (एच.वी.डी.सी.)।
- वितरण नेटवर्क का नियमित अनुरक्षण।
- डाटा संकलन समेत उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क की जी.आई.एस. मैपिंग।
- आई.टी. हस्तक्षेप।

(ख) वाणिज्यिक उपाय

- मीटरिंग एवं बिलिंग में सुधार।
- राजस्व संग्रहण में सुधार।

(ग) प्रबंधन उपाय

- ऊर्जा एकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग अपनाना
- भावी विस्तार के लिए समुचित नेटवर्क आयोजना
- संबद्ध पारेषण प्रणाली समेत वितरण प्रणालियों के चरणबद्ध सुदृढ़ीकरण एवं सुधार के लिए नियमित आधार पर दीर्घकालिक योजनाओं की तैयारी।
- कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

(II) विद्युत चोरी के कारगर नियंत्रण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में विशेष अदालतों तथा पुलिस स्टेशनों की स्थापना के द्वारा विद्युत चोरी का पता लगाने, चोरी से जुड़े अपराधों की शीघ्र सुनवाई तथा चोरी की गई बिजली के शुल्कों की वसूली करने हेतु भी विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं। राज्यों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर केंद्र सरकार ने विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 को लागू करके अधिनियम में विद्युत चोरी से जुड़े पावधानों को और कठोर बनाया है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा विद्युत चोरी को स्पष्टतः संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। वितरण लाइसेंसधारकों को चोरी के पकड़े जाने पर बिजली आपूर्ति बंद करने की शक्ति प्रदान की गई है। बड़े उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की बार-बार चोरी करने पर भी दंड में वृद्धि की गई है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के लिए कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में अनुमानित की गई ऊर्जा खपत का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/यू.टी./क्षेत्र	कृषि	उद्योग (एच.टी +एल.टी.)	घरेलू
1	2	3	4
दिल्ली	72	3258	8982
हरियाणा	7692	4923	3922

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	50	3569	944
जम्मू-कश्मीर	182	1072	2179
पंजाब	10468	11311	7268
राजस्थान	7232	7298	5336
उत्तर प्रदेश	6346	8957	14633
उत्तरांचल	615	1246	1438
चंडीगढ़	3	302	488
उप जोड़ (उ.क्षे.)	**32658**	**41935**	**45191**
गोवा	22	1505	586
गुजरात	13652	19605	7165
छत्तीसगढ़	1519	6321	2181
मध्य प्रदेश	7236	6368	6200
महाराष्ट्र	12721	28244	16276
दादर व नगर हेवली	8	2573	47
दमन व दीव	4	1423	53
उप जोड़ (प.क्षे.)	**35161**	**66040**	**32508**
आंध्र प्रदेश	18603	14058	10628
कर्नाटक	11506	8632	5526
केरल	273	3937	5327
तमिलनाडु	11326	16539	15436
लक्षद्वीप	0	1	17
पांडिचेरी	129	1744	377
उप जोड़ (द.क्षे.)	**41837**	**44909**	**37294**
बिहार	1443	1124	3329
झारखंड	89	8792	1821
उड़ीसा	326	5198	4224

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	949	11141	7740
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	6	97
सिक्किम	0	22	60
उप जोड़ (पूर्व क्षेत्र)	**2807**	**26277**	**17174**
असम	61	944	1553
मणिपुर	3	48	177
मेघालय	1	587	328
नागालैंड	0	87	147
त्रिपुरा	97	65	257
अरुणाचल प्रदेश	0	7	80
मिजोरम	3	5	141
उप जोड़ (उ.पू. क्षेत्र)	**164**	**1743**	**2683**
द्वीप समूह			
अंडमान व निकोबार	0	6	97
लक्षद्वीप	0	1	17
कुल (अखिल भारत)	112626	180912	134962

स्रोत - 17वें ई.पी.एस. की रिपोर्ट

छठा वेतन आयोग

*135. **श्री एम. शिवन्ना:**

श्री मोहन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छठे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप से तैयार करने हेतु अब तक संपूर्ण आधारभूत कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु के प्रश्न को विशिष्ट सिफारिश हेतु आयोग को सौंप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) छठा केन्द्रीय वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगा हुआ है, जो कि उम्मीद है कि 04 अप्रैल, 2008 तक, अर्थात आयोग के गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर, सरकार को उपलब्ध हो जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु का विशिष्ट मुद्दा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल नहीं है। तथापि, इस संबंध में प्राप्त होने वाले संदर्भों को

समय-समय पर जांच के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दिया जाता है। सरकार ने सेवानिवृत्ति आयु के प्रश्न को किसी खास सिफारिश के लिए आयोग को संदर्भित नहीं किया है।

नई पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति

*136. श्री मनोरंजन भक्त: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति को स्वीकृति दे दी है।;

(ख) यदि हां, तो इस नीति में प्रमुख महत्व के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विस्थापित किसानों हेतु विशेष उपबंध हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में संशोधन करके उक्त नीति को सांविधिक दर्जा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। इस विभाग द्वारा तैयार की गई संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 को मंत्रिमंडल द्वारा 11 अक्तूबर, 2007 को अनुमोदित किया गया है और इसे भारत के राजपत्र में 31 अक्तूबर, 2007 को प्रकाशित किया गया है। संशोधित नीति को ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट (एचटीटीपी://रूरल. एनआईसीइन.) तथा भूमि संसाधन विभाग की वेबसाइट (एचटीटीपी://डीओएलआर. एनआईसी.इन) पर सार्वजनिक जानकारी के लिए रखा गया है। संशोधित नीति की कुछेक विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- नीति में अनैच्छिक विस्थापन के सभी मामले शामिल किए गए हैं;
- मैदानी/जनजातीय, पहाड़ी, अनुसूचित क्षेत्रों आदि में 400/200 या इससे अधिक परिवारों के विस्थापन हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) को लागू किया गया है;
- 200 और इससे अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों के विस्थापन के मामले में जनजातीय विकास योजना लागू करना;
- ग्राम सभाओं के साथ परामर्श अथवा जन-सुनवाइयों को अनिवार्य बनाया गया है;
- विस्थापन से पूर्व पुनर्वास का सिद्धांत;
- यदि संभव हो, तो प्रतिकर के रूप में भूमि के बदले भूमि;
- दक्षता विकास सहायता तथा परियोजना कार्यों में रोजगार में प्राथमिकता (प्रति एकल परिवार एक व्यक्ति);
- भूमि/रोजगार कार्य के बदले में पुनर्वास अनुदान;
- प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहीं कम्पनियों में शेयरों का विकल्प;
- भूमिहीनों सहित सभी प्रभावित परिवारों को आवास का लाभ;
- अभावग्रस्त व्यक्तियों जैसे विकलांगों, नि:सहाय, अनाथों, विधवाओं, अविवाहित लड़कियों आदि के लिए मासिक पेंशन;
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संयोजित मौद्रिक लाभ; तथा आवधिक अंतरालों पर इन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित करना;
- पुनर्स्थापन क्षेत्रों में अनिवार्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उन्मुक्तियां उपलब्ध कराना;
- परियोजना प्राधिकारियों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के क्षेत्रों का विकास;
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक की अध्यक्षता में प्रत्येक परियोजना के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति;
- शिकायत निवारण हेतु ऑमबड्समैन;
- बाह्य निगरानी हेतु राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग।

(ग) और (घ) जी, हां। संशोधित नीति में ऐसी सभी परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिनसे लोगों का अनैच्छिक विस्थापन होता है और इसके पैरा 7.21 में अनुसूचित

नजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष उपबंधों ी परिकल्पना की गई है, जिनकी मुख्य विशेषताएं नीचे दी ई हैं:-

- अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान की अनुसूची-V के अंतर्गत तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार संबंधित ग्राम सभा या पंचायतों के साथ उपयुक्त स्तर पर परामर्श करना।

- यदि पुनर्स्थापन क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो भूमि के बदले भूमि के आबंटन में पहले अनुसूचित जनजाति तत्पश्चात् अनुसूचित जाति के प्रत्येक प्रभावित परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

- यदि भूमि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से अर्जित की जा रही है तो प्रतिकर की राशि का कम से कम एक तिहाई भाग प्रारंभ में ही प्रथम किस्त के रूप में अदा किया जाएगा और शेष राशि भूमि का कब्जा लेने के समय पर अदा की जाएगी।

- परम्परागत अधिकारों अथवा वन उत्पादों के उपयोग की क्षति के लिए पांच सौ दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता।

- अनुसूचित जातियां सामुदायिक और धार्मिक सभाओं के लिए समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की गई सीमा तक बिना लागत की भूमि प्राप्त करेंगी।

- जिले से बाहर पुनर्स्थापित किए गए अनुसूचित जनजाति के प्रभावित परिवार मौद्रिक रूप में पच्चीस प्रतिशत अधिक लाभ प्राप्त करेंगे।

- अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के प्रभावित परिवारों को सिंचाई अथवा जल विद्युत परियोजनाओं के जलाशयों वाले क्षेत्रों में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा।

- अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के वे प्रभावित परिवार जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में आरक्षण का लाभ प्राप्त था, पुनर्स्थापन क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ङ) और (च) उक्त नीति को सांविधिक दर्जा देने तथा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक, 2007 तथा भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 को अनुमोदित कर दिया है।

भूमि सुधार संबंधी समिति

*137. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'राज्य कृषि संबंध एवं भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य' के संबंध में समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भूमि सुधारों को लागू करने हेतु राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति बनाने तथा राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य के संबंध में एक समिति" तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद" गठित करने का निर्णय लिया है। समिति और परिषद के संघटन, विचारार्थ विषयों आदि को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

शहरों के विकास हेतु वित्तीय अनुदान

*138. **श्री अनंत गुढ़े:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नगर निगमों और नगरपालिकाओं की कम आय के कारण शहरों के विकास में अनेक बाधाएं आ रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने नगर निगमों और नगरपालिकाओं को वित्तीय अनुदान देने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) नगर पालिका राज्यों का विषय है। नगरपालिकाओं की कम आमदनी, शहरों के विकास की अनेक बाधाओं में से एक है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू. आर.एम.) शुरू किया है ताकि 63 चुनिंदा शहरों में शहरी अवस्थापना और सेवाओं के एकीकृत विकास तथा छोटे और मझौले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी.) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) पर ध्यान दिया जा सके जिसमें नगर निकायों को सुधार आधारित वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। 7 वर्षों की मिशन अवधि (2005-06 से 2011-12) के दौरान उपर्युक्त घटकों के तहत 50,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। शहरी अवस्थापना के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता जनसंख्या आकार और अवस्थिति के आधार पर 35% से लेकर 90% तक है। 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहर अनुमोदित परियोजना लागत का 35% केन्द्रीय सहायता के पात्र है जबकि 10 लाख से 40 लाख तक और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर क्रमशः 50% और 80% केन्द्रीय सहायता के पात्र हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू तथा कश्मीर के शहर अनुमोदित परियोजना लागत का 90% केन्द्रीय सहायता के पात्र हैं।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता 80% तक की है। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के मामले में शहर अनुमोदित परियोजना लागत का 90% केन्द्रीय सहायता के पात्र हैं।

[अनुवाद]

रुपए का मजबूत होना

*139. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपया मजबूत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रुपए की मजबूती के कारण अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल रूप से प्रभावित कुछ क्षेत्रों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) मुख्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर का मूल्यह्रास और अधिक पूंजी अंतर्वाहों ने अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में वृद्धि की है। अनावश्यक अस्थिरता कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस सीमा तक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया, उसी सीमा तक यह मूल्यवृद्धि कम हो गई। यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन जैसी अन्य मुख्य मुद्राओं की तुलना में, रुपये के मूल्य में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है। मुख्य मुद्राओं की तुलना में, रुपये की मूल्यवृद्धि की सीमा नीचे दर्शायी गई है:

मुख्य मुद्राओं की तुलना में रुपये की मूल्यवृद्धि(+)/मूल्यह्रास (-)

(प्रतिशत)

	अमरीकी डालर	यूरो	पाउंड स्टर्लिंग	जापानी येन
अप्रैल, 2007 की तुलना में अक्तूबर 2007	6.67	1.32	3.83	3.95

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से संकलित

(ग) चूंकि रुपये के मूल्य में हुई वृद्धि से निर्यात-वृद्धि पर संभावित अंतर के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर बहुत चिंता जताई जा रही थी, इसलिए सरकार ने सतत आधार पर राहत उपायों की घोषणा की थी। इनमें, अन्य बातों के साथ

ये भी शामिल हैं: प्रभावित हुए नौ निर्यात क्षेत्रों (कपड़ा जिनमें हथकरघा, तैयार परिधान शामिल हैं, चमड़े के उत्पाद, हस्तशिल्प, इंजीनियरी उत्पाद, प्रसंस्करित किए गए कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, खेलकूद सामग्री और खिलौने) के संबंध में शुल्क पात्रता पासबुक दरों में 3 प्रतिशत और अन्य निर्यात क्षेत्रों के लिए इसमें 2 प्रतिशत की वृद्धि; निर्यात ऋण और गारंटी निगम प्रीमियम में मौजूदा प्रीमियम दरों के 10 प्रतिशत की कमी; अनेक मदों के लिए शुल्क वापसी की दरों में 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की वृद्धि; चुनिंदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए लदान-पूर्व एवं लदान-पश्च ऋण पर ब्याज-सहायता; निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खातों में बकाया शेष राशियों पर प्रति निर्यातक 1 मिलियन अमरीकी डालर तक ब्याज की 31-10-2008 तक अदायगी किए जाने का प्रावधान; और सेवा कर की वापसी/छूट के लिए पात्र सेवाओं की संख्या में वृद्धि।

[हिन्दी]

एकाधिकार तथा आवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले

*140. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एम.आर.टी.पी.सी.) द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ग) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को अपनी जिम्मेदारियों के संतोषजनक निर्वहन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (घ) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एम.आर.टी.पी.सी.) ने एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अंतर्गत इसे सुपुर्द उत्तरदायित्वों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन किया है। दिनांक 1-1-2004 से एम.आर.टी.पी.सी. के समक्ष पंजीकृत/लंबित मामलों की विभिन्न प्रकारों से संबंधित स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	जांच	वर्ष के आरंभ में लंबित मामले	वर्ष के दौरान पंजीकृत/आरंभ किए गए मामले	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अंत में लंबित मामले
1	2	3	4	5	6
2004	आर.टी.पी.ई.*	375	23	31	367
01-01-2004 से	यू.टी.पी.ई.*	533	86	51	568
31-12-2004	एम.टी.पी.ई.*	7	0	2	5
	सी.ए.*	1191	89	116	1164
2005	आर.टी.पी.ई.	367	35	64	338
01-01-2005 से	यू.टी.पी.ई.	568	112	74	606
31-12-2005	एम.टी.पी.ई.	5	0	0	5
	सी.ए.	1164	127	144	1147

1	2	3	4	5	6
2006	आर.टी.पी.ई.	338	73	104	307
01-01-2006 से	यू.टी.पी.ई.	606	149	172	583
31-12-2006	एम.टी.पी.ई.	5	0	0	5
	सी.ए.	1147	176	213	1110
2007	आर.टी.पी.ई.	307	32	52	287
01-01-2007 से	यू.टी.पी.ई.	583	168	111	640
31-10-2007	एम.टी.पी.ई.	5	0	2	3
	सी.ए.	1110	86	74	1122

*आर.टी.पी.ई. : प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार जांच

*यू.टी.पी.ई. : अनुचित व्यपार व्यवहार जांच

*एम.टी.पी.ई. : एकाधिकार व्यापार व्यवहार जांच

*सी.ए. : क्षतिपूर्ति आवेदन

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

959. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार कर्नाटक में सरकारी बैंकों, सहकारी बैंकों तथा निजी बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋणों के संवितरण के संबंध में उपर्युक्त बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या उपर्युक्त बैंकों द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरकारी व निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लक्ष्य और संवितरित ऋण का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	लक्ष्य (लाभार्थियों की संख्या)	प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत संवितरित ऋण	
		उन खातों की संख्या जिनमें ऋण संवितरित किया गया	राशि (रुपए लाख में)
1	2	3	4
2002-03	10500	10026	6328.81

1	2	3	4
2003-04	10800	11929	7166.13
2004-05	12000	13931	8866.82
2005-06	11046	19246	11756.60
2006-07	11387	18512	10986.46

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लिए कार्यान्वयन बैंकों के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं करता है। भारत सरकार सभी राज्य/संघ राज्य प्रदेशों को वर्षवार लक्ष्य (प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या) आबंटित करता है। जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत जिन खातों में ऋण संवितरित किया गया था, उनकी संख्या कर्नाटक राज्य में लक्ष्य (लाभार्थियों की संख्या) से ज्यादा थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेश में भारतीय बैंकों की शाखाएं

960. श्री नवीन जिन्दल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेश में विशेष रूप से अमेरिका तथा पाकिस्तान में भारतीय बैंक की और शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मामले को संबद्ध देशों के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) विदेश में शाखा/कार्यालय खोलने का निर्णय बैंकों द्वारा अपनी व्यावसायिक योजनाओं के अनुसार लिया जाता है। भारतीय बैंकों द्वारा विदेश में अपनी शाखाएं/कार्यालय खोलने के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार लागू कानूनों, विनियमों, मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार विचार करती है।

जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) में भारतीय बैंकों की शाखाएं खोले जाने का संबंध है, यू.एस.ए. के फेडेरल रिजर्व बोर्ड ने यू.एस.ए. में शाखा लाइसेंस हेतु तीन भारतीय बैंकों के आवेदन पत्रों में से आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के अपने प्रतिनिधि कार्यालय का बैंक शाखा में उन्नयन करने का प्रस्ताव हाल ही में अनुमोदित कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बी.ओ.बी.) के यू.एस.ए. में अतिरिक्त शाखाएं खोलने के अन्य दो प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित नहीं किए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा यू.एस.ए. में अतिरिक्त शाखाओं हेतु लाइसेंस मिलने में विलंब का मामला सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यू.एस.ए. में अपने प्रतिस्थानी प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

जहां तक पाकिस्तान में भारतीय बैंकों की उपस्थिति का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एस.बी.पी.) के बीच परस्पर सहमति के आधार पर एक दूसरे के देश में भारत और पाकिस्तान के बैंकों की दो शाखाएं खोलने की अनुमति देने पर समझौता हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी संबंधित विनियामक नीतियों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर परस्पर सहमति से उन विशिष्ट बैंकों के संबंध में निर्णय लेंगे, जिन्हें शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाएगी।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

961. प्रो. एम. रामदास:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए भी धनराशि प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति की निगरानी सरकार द्वारा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या हाल में कुछ गैर-सरकारी संगठनों को जालसाजी करते पाया गया;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) विगत तीन वर्षों (2004-05, 2005-06 तथा 2006-07) के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न आबंटन आधारित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत निधियों/केन्द्रीय आबंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं को चलाने के लिए सीधे धनराशि प्रदान नहीं करता है।

(घ) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार केन्द्रीय आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	70556.79	89840.20	73767.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	12389.24	17392.82	18147.55
3.	असम	76768.88	101348.07	90219.58
4.	बिहार	132065.40	190476.34	163214.62
5.	छत्तीसगढ़	30989.39	51538.73	41995.75
6.	गोवा	1197.28	1365.92	1422.03
7.	गुजरात	30169.71	45589.26	43798.87
8.	हरियाणा	13739.86	16089.22	17878.20
9.	हिमाचल प्रदेश	15425.64	23039.00	21798.64
10.	जम्मू-कश्मीर	19654.49	32273.52	35282.37
11.	झारखण्ड	65525.82	72373.73	39771.65
12.	कर्नाटक	53146.87	63439.54	61620.33

1	2	3	4	5
13.	केरल	21983.33	24911.37	24951.49
14.	मध्य प्रदेश	75855.86	107692.40	93488.77
15.	महाराष्ट्र	89478.06	107096.70	97682.92
16.	मणिपुर	7996.36	10102.29	10183.35
17.	मेघालय	10411.23	12721.13	12113.92
18.	मिजोरम	4959.93	6588.73	6692.97
19.	नागालैण्ड	6917.61	8798.86	8798.65
20.	उड़ीसा	72811.28	92446.51	68591.05
21.	पंजाब	13734.48	17137.40	16869.68
22.	राजस्थान	64724.33	93122.72	87866.25
23.	सिक्किम	3752.59	4695.34	4603.31
24.	तमिलनाडु	50683.93	60667.24	56211.99
25.	त्रिपुरा	11484.12	14311.82	13767.13
26.	उत्तर प्रदेश	176791.75	209188.73	178876.66
27.	उत्तराखण्ड	19168.09	24569.35	24394.83
28.	पश्चिम बंगाल	78567.50	97858.66	80891.87
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	557.67	690.95	742.42
30.	दादर व नगर हेवली	332.68	298.29	306.98
31.	दमन व दीव	186.70	173.74	191.33
32.	लक्षद्वीप	182.91	218.60	227.79
33.	पाण्डिचेरी	489.46	578.20	630.93
	कुल	1232702.05	1598640.07	1397007.13

कार्यक्रम में शामिल हैं :
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.),
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.),
इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.),
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन, (डी.आर.डी.ए. प्रशासन),
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.),
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.),

[हिन्दी]

किसानों को विद्युत पर राजसहायता

962. श्री कीरेन रिजीजू:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारेख समिति ने देश में किसानों को विद्युत पर दी जा रही राजसहायता को समाप्त करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) सदस्य, योजना आयोग, श्री किरीट एस. पारिख की अध्यक्षता में गठित "एकीकृत ऊर्जा नीति" संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ

963. श्री एल. राजगोपाल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और साथ ही पूर्ण न्यायालय ने निरंतर देश के अन्य भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों को स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। तथापि, अभिलेख अधिवक्ता या याची स्वयं इंटरनेट के माध्यम से भारत के उच्चतम न्यायालय में मामले फाइल कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्पिंग

964. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों में कानूनी दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को प्रारम्भ में पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकारों द्वारा इलेक्ट्रानिक स्टांपिंग प्रणाली को आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय अभिलेखापाल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया है। परियोजना में भाग लेने के लिए इच्छुक संबंधित राज्य सरकारों को यह आवश्यकत आधारित अवसंरचना, हार्डवेयर और साफ्टवेयर, प्रशिक्षण आदि मुहैया कराती है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मानदंडों में छूट

965. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित मानदंड प्रत्येक राज्य के अनुकूल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्यों से योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित मानदंडों में संशोधन/छूट का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी. एस.वाई.) में सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा इससे अधिक की आबादी और पहाड़ी, मरूभूमि तथा जनजाति क्षेत्रों में २५० तथा इससे अधिक की आबादी वाली सभी संपर्क विहीन बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़कर सड़क संपर्कता

मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों ने अपने-अपने राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष भू-भौगोलिक स्थितियों के कारण बिखरी हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानदंडों को संशोधित करने/उनमें रियायत देने तथा भूमि की चौड़ाई, ढलान इत्यादि से संबंधित ज्यामितीय मानकों के मानदंडों में भी रियायत देने का सुझाव दिया है।

(ङ) चूंकि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पात्र बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया कराने के मूल उद्देश्य को अभी हासिल नहीं किया गया है इसलिए आबादी मानदंडों में रियायत देने पर विचार नहीं किया गया है। तकनीकी पहलुओं की रियायत पर ग्रामीण सड़कों के मानकों, विनिर्देशनों तथा डिजाइन का पूरा ब्यौरा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

दृष्टिहीन व्यक्तियों के अनुकूल सिक्कों की ढलाई

968. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई शृंखला के सभी सिक्के गोल हैं तथा दृष्टिहीन व्यक्तियों के अनुकूल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दृष्टिहीन व्यक्तियों के अनुकूल सिक्कों की ढलाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) तथ्य यह है कि नई शृंखला के सभी सिक्के आकार में गोल हैं। तथापि, ये सिक्के दृष्टिहीन व्यक्तियों की जरूरतों के अनुकूल हैं क्योंकि इनके वजन और व्यास भिन्न-भिन्न हैं। 5 रुपए के सिक्कों में सुरक्षा किनारा भी दिया गया है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण तथा पुनर्वास हेतु प्रौद्योगिकी

967. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग' के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना को अभियान के तौर पर क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता की प्रकृति क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वैज्ञानिक निकायों को समुचित टिकाऊ उपस्कर विकसित करने हेतु अनुसंधान एवं विकास के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान परियोजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक और कौशल विकास के माध्यम से (i) रोजगार (ii) आसान जीवन एवं गतिशीलता (iii) संचार (iv) मनोरंजन और (v) सामाजिक एकीकरण के लिए विकलांग लोगों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त उच्च गुणवत्ता और किफायती यंत्रों और उपकरणों का अभिकल्पन/विकास करना है।

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत आवश्यक अवसंरचना युक्त तथा उत्पाद विकास में सक्षम संगठनों को अनुदान के रूप में शत प्रतिशत वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) विगत 3 वर्षों के दौरान जारी निधियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रु. में)
2004-05	36.50
2005-06	40.47
2006-07	50.00

(ङ) इस योजना के अंतर्गत अभिकल्पित/विकसित यंत्रों एवं उपकरणों का उपयोग बड़ी संख्या में विकलांग लोगों द्वारा किया जाता है परंतु उनकी संख्या बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

भूमि के पुन: सर्वेक्षण हेतु लंबित प्रस्ताव

968. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी भूमि के पुन: सर्वेक्षण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मामला अब भी सरकार के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ङ) जी, हां। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण के लिए तथा इस प्रयोजन के लिए आधुनिक उपस्कर खरीदने के लिए निधियां जारी करने हेतु समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा इनकी औचित्यता और भारत सरकार के पास बजट प्रावधान की उपलब्धता के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। चालू वर्ष के दौरान भी, राज्यों से सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, अभी तक किसी भी राज्य को निधियां जारी नहीं की गई हैं।

[हिन्दी]

भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड के विस्थापित

969. प्रो. प्रेमकुमार धूमल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़ द्वारा विस्थापित लोगों हेतु किए गए कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा अपने क्षेत्राधिकार विशेषरूप से हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन से कल्याणकारी उपाय किए हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक वर्ष कितनी राशि जारी की गई?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) भाखड़ा बांध परियोजना के निर्माण के दौरान पंजाब सरकार ने अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार विस्थापित लोगों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक कार्रवाई की थी और इसे भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के गठन के पूर्व ही पूरा कर लिया गया था। पोंग बांध के विस्थापितों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत सरकार द्वारा सचिव, जल संसाधन मंत्रालय के नेतृत्व में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति के निर्देश में संबंधित राज्य सरकारों (राजस्थान और हिमाचल प्रदेश) द्वारा विस्थापितों के व्यवस्थापन पर कार्रवाई की जा रही है, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राजस्व सचिव भी इस समिति के सदस्य हैं।

विगत तीन वर्षों में बी.पी.एम.बी. द्वारा हिमाचल प्रदेश समेत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में शुरू किए गए सामाजिक कल्याण कार्यों में मुक्त चिकित्सा शिविर, बेंच, चटाई तथा सीलिंग पंखों का सरकारी स्कूलों को दान में वितरण, स्कूलों में बच्चों के पार्कों का विकास, तालाबों को गाद रहित करना, सरकारी स्कूलों को खेल एवं मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करना तथा पेय जल का प्रबंध आदि। विगत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य से जारी धनराशि निम्नानुसार है:

वर्ष	जारी राशि
2004-05	8.27 लाख रुपये
2005-06	45.88 लाख रुपये
2006-07	43.16 लाख रुपये

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिकायतें

970. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों से सरकारी बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत करने तथा ऋण की मंजूरी तथा संवितरण में विलंब किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार विशेष रूप से कर्नाटक से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(घ) इस संबंध में प्रमुख चूककर्ता बैंक कौन-कौन हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकार द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन पत्रों की अस्वीकृति, मंजूरी और ऋण संवितरण में देरी, आदि के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त की जाती हैं।

(ख) से (घ) प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार और बैंक-वार विवरण सरकार द्वारा नहीं रखा जाता।

(ङ) आवेदनों की अस्वीकृति, मंजूरी और ऋण के संवितरण में देरी को कम करने हेतु कदम उठाए गए हैं, इनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन निपटाने, उपयुक्त परियोजनाओं और लाभार्थियों के चयन व अनुशंसा के लिए जिला चयन समितियों को जिम्मेदार बनाने और जिला उद्योग केन्द्र को ऋण मंजूरी पत्र की एक प्रति पृष्ठांकित करने, ताकि केन्द्र संवितरण पूर्व औपचारिकताओं को समय पर सही तरीके से पूरा करने में लाभार्थियों की मदद कर सके, के लिए बैंकों को अनुदेश जारी करना शामिल है।

शहरी क्षेत्रों के लिए आवास सुविधाएं

971. श्री प्रहलाद जोशी: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन शहरी निर्धनों के लिए जो अपने आप को प्राकृतिक जलवायु परिस्थितियों से बचाने के लिए फुटपाथ तथा अन्य खुले स्थलों पर रहते हैं आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी की गई धनराशि सहित ऐसी योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार से आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत निधियों के भेदभावपूर्ण आबंटन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी हां, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली आबादी और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.यू.एस.) के लिए मकानों की व्यवस्था करने हेतु वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना दिसम्बर, 2001 में लागू की गई थी।

स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों के लिए आवास तथा बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) शुरू किया था। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी गरीबों को बुनियादी सेवा नामक घटक (बी.एस.यू.पी.) के अधीन 63 चुनिंदा नगरों की सहायता शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण तथा बुनियादी सेवा प्रावधान परियोजनाओं के माध्यम से की जाती है जिनमें किफायती कीमत पर टेन्योर की सुरक्षा, बेहतर आवास, जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था तथा पहले से मौजूद शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सेवाओं की सर्वसुलभता का सुनिश्चय करना भी शामिल है। शेष अन्य नगरों/कस्बों को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) नामक घटक के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। नगर/कस्बे की श्रेणी के आधार पर बी.एस.यू.पी. के अधीन परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक और आई.एच.एस.डी.पी. के अधीन परियोजना लागत के 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की कार्यावधि वर्ष 2005-06 से 7 वर्ष तक है। वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना को एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) में मिला दिया गया है।

वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बी.एस.यू.पी.) तथा एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई धनराशियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण I, II, III के रूप में संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वाम्बे स्कीम के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जारी राशियों का ब्यौरा (31-10-07 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश :	2004-05 में जारी कुल सब्सिडी (करोड़ रु. में)	2005-06 में जारी कुल सब्सिडी (करोड़ रु. में)	2006-07 में जारी कुल सब्सिडी (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	34.92	71.27	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	2.73	0.00
3.	बिहार	0.00	0.04	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	11.24	1.21
5.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	4.51	1. 27	0.18
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
8.	जम्मू-कश्मीर	0.64	0.79	0.00
9.	झारखण्ड	7.19	6.96	0.00
10.	कर्नाटक	4.06	17.74	0.00
11.	केरल	2.00	13.37	6.22
12.	मध्य प्रदेश	3.16	0.50	0.00
13.	महाराष्ट्र	132.45	16.23	0.00
14.	मणिपुर	0.00	0.88	0.00
15.	नागालैण्ड	0.06	1.14	0.00
16.	उड़ीसा	0.16	0.00	0.00
17.	पांडिचेरी	1.24	0.00	0.00
18.	राजस्थान	6.50	0.17	0.00
19.	तमिलनाडु	47.06	17.54	3.08
20.	त्रिपुरा	0.00	0.48	0.00

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश	19.92	0.00	0.00
22.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
23.	पश्चिम बंगाल	4.70	1. 67	0.00
24.	हडको/मंत्रालय	0.05	0.00	0.00
	कुल	268.81	164.02	10.69

विवरण-II

जे.एन.एन.यू.आर.एम.

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (उप मिशन II)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
		वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश		62.89	81.85
2.	अरुणाचल प्रदेश		0.00	0.00
3.	बिहार		0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़		0.00	78.05
5.	चण्डीगढ़		0.00	0.00
6.	दिल्ली		0.00	0.00
7.	गुजरात		0.00	98.68
8.	हरियाणा		0.00	4.58
9.	हिमाचल प्रदेश		0.00	1.76
10.	कर्नाटक		0.00	27.71

1	2	3	4	5
11.	केरल	कोई राशि जारी नहीं की गई थी क्योंकि शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) 3 दिसंबर, 2005 को शुरू किया गया था।	0.00	11.84
12.	मध्य प्रदेश		9.25	39.54
13.	महाराष्ट्र		0.00	287.58
14.	मेघालय		0.00	0.00
15.	नागालैण्ड		0.00	15.51
16.	उड़ीसा		0.00	0.00
17.	पांडिचेरी		0.00	0.00
18.	पंजाब		0.00	0.00
19.	राजस्थान		0.00	24.85
20.	तमिलनाडु		0.00	83.00
21.	त्रिपुरा		0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश		0.00	9.64
23.	पश्चिम बंगाल		0.00	137.17
	कुल		72.14	901.76

विवरण-III

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2004-05	2005-05	2006-07
		वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश		0.00	83.33
2.	अरुणाचल प्रदेश		0.00	0.00

1	2	3	4	5
3.	असम		0.00	5.09
4.	बिहार		0.00	8.96
5.	छत्तीसगढ़		0.00	31.26
6.	गोवा		0.00	0.00
7.	गुजरात		0.00	18.00
8.	हरियाणा		0.00	49.61
9.	हिमाचल प्रदेश		0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर		0.00	0.00
11.	झारखण्ड		0.00	0.00
12.	कर्नाटक		0.00	14.93
13.	केरल		0.00	21.46
14.	मध्य प्रदेश	कोई राशि जारी नहीं की गई थी क्योंकि एकीकृत आवास स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) 3 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था।	0.00	45.77
15.	महाराष्ट्र		0.00	55.80
16.	मणिपुर		0.00	0.00
17.	मेघालय		0.00	0.00
18.	मिजोरम		0.00	0.00
19.	नागालैण्ड		0.00	9.63
20.	उड़ीसा		0.00	0.00
21.	पंजाब		0.00	0.00
22.	राजस्थान		0.00	39.26
23.	सिक्किम		0.00	0.00
24.	तमिलनाडु		0.00	43.37
25.	त्रिपुरा		0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश		0.00	11.05
27.	उत्तरांचल		0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल		0.00	55.08

1	2	3	4	5
29.	दिल्ली		0.00	0.00
30.	पाण्डिचेरी		0.00	0.00
31.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		0.00	0.00
32.	चंडीगढ़		0.00	0.00
33.	दादरा व नगर हवेली		0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप		0.00	0.00
35.	दमन व दीव		0.00	0.00

राष्ट्रीय निवेश कोष

972. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय निवेश कोष (एन.आई.एफ.) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपयोगिता सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोष के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर एन.आई.एफ. को परामर्श देने के लिए किसी परामर्शदात्री बोर्ड का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी हां, राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना 6 अक्तूबर, 2007 को की गई थी;

(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त अर्थागम को राष्ट्रीय निवेश कोष (एन.आई.एफ.) में जमा कराया जाएगा। राष्ट्रीय निवेश कोष का संग्रह स्थायी प्रकृति का होगा। संग्रह को कम किए बिना, सरकार को स्थायी आय प्रदान करने के लिए कोष की प्रबंध व्यवस्था व्यावसायिक तौर पर की जाएगी। राष्ट्रीय निवेश कोष से होने वाली वार्षिक आय के 75 प्रतिशत हिस्से का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिन्दा योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा दें। राष्ट्रीय निवेश कोष की शेष 25 प्रतिशत वार्षिक आय का उपयोग लाभप्रद तथा पुनरुद्धार योग्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित अंशकालिक सदस्यों वाले सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था:

(i) श्री एस.बी. माथुर, भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व अध्यक्ष;

(ii) श्री बी.डी. नारंग, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष; और

(iii) श्री डी.एच. पानन्दीकर, आर.पी.जी. फाउण्डेशन के अध्यक्ष और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष।

विदेशी धन आवक

973. श्री उदय सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विदेशी ऋण स्थिति रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने अब ऐसे ऋण के स्तर को सीमित करने, उनके अन्तिम उपयोग को सीमित करने तथा अल्पावधि ऋणों की निगरानी करने का भी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी धन आवक से अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर सीधे प्रभावित हो रही है तथा सरकार द्वारा इसे उचित ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो बढ़ते विदेशी धन आयक को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) विदेशी ऋण के संबंध में सरकार की नीति यह है कि उसे नियंत्रणीय सीमाओं में रखा जाए। इसमें अन्य बातों के अलावा, रियायती शर्तों पर दीर्घावधिक परिपक्वता वाले सरकारी ऋण जुटाना, उच्च लागत वाले ऋणों की समय-पूर्व अदायगी करना, अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाना, विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ई.सी.बी.) के अंतिम प्रयोग को सीमित करना, अल्पावधिक ऋण की मानीटरिंग करना तथा ऋण सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाहों को प्रोत्साहित करना शामिल है।

(ग) और (घ) चूंकि निवल पूंजी प्रवाहों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप घरेलू नकदी पर अनुवर्ती प्रभाव के साथ भंडार में वृद्धि हो सकती है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक नकदी को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मौद्रिक लिखतों का प्रयोग करता है। पोर्टफोलियो प्रवाहों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट (पी.एन.) के माध्यम से किए जाने वाले निवेश के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निश्चित किए हैं। विदेशी वाणिज्यिक उधारों हेतु ऐसे मुद्दों, जिनमें अंतिम प्रयोग को तर्कसंगत बनाना, समय पूर्व अदायगी तथा बहिर्वाहों को प्रोत्साहित करना शामिल है, के समाधान के लिए दिशानिर्देशों को समय-समय पर उपयुक्त तरीके से संशोधित किया गया है। अनिवासी भारतीय जमाराशियों के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकतानुसार ब्याज दरों को निर्धारित करता है। अल्पावधिक ऋण सामान्य शर्तों के अंतर्गत केवल व्यापार से संबंधित प्रयोजनों के लिए ही जुटाए जाने की अनुमति है। सरकारी ऋण के संदर्भ में रियायती शर्तों पर ऋण जुटाने पर जोर दिया जाता है।

डिकरनॉग नदी के कारण असम में आई बाढ़ का नियंत्रण

974. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने नीपको द्वारा रंगनाडी बेसिन से अतिरिक्त जल को छोड़े जाने के कारण डिकरनॉग नदी की अवधारा में बाढ़ नियंत्रण हेतु किसी योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीपको द्वारा इस संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) बाढ़ के संकट जो कि एक नियमित घटना है को दूर करने के लिए अलग-अलग जगह पर एंटी-इरोजन कार्यों सहित डिक्रोंग नदी के दोनों किनारों पर बांध बनाने और सुदृढ़ करने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग, असम सरकार द्वारा 835.85 लाख रुपये का अनुमान प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त अनुमान के प्राप्त होने पर, नीपको ने रंगानदी जल विद्युत परियोजना के हौज विद्युत घर से 160 क्यूमेक की अधिकतम निकासी होने पर, बन्दरदेवा से सेसापत्थर तक के जल स्तरों में वृद्धि के अनुरूप सुरक्षा उपाय प्रदान करने के निहितार्थ 88.61 लाख रुपये तक की राशि की वित्तीय हिस्सेदारी की सहमति प्रकट की थी।

हालांकि, असम सरकार बाढ़ नियंत्रण विभाग ने दिनांक 9-2-98 को नीपको को सूचित किया था कि राज्य बाढ़ नियंत्रण विभाग प्रचलित निधि संकट के कारण उपरोक्त कार्यों को शुरू करने की स्थिति में नहीं है। मामले की अंतिम समीक्षा की गई और 4777.84 लाख की एक प्रस्तावित योजना असम सरकार द्वारा दिसम्बर, 2006 को अपनी तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखी गई है।

(ग) और (घ) नीपको ने रंगानदी बेसिन से अतिरेक जल के दिशा परिवर्तन के कारण डिक्रांग नदी में विशेष रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना के संबंध में किसी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी, पार जल विद्युत परियोजना के व्यापक पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.), रंगानदी जल विद्युत परियोजना (स्टेज I) की डिक्रांग नदी स्थापित डाऊनस्ट्रीम के पास (110 मेगावाट) (पूर्व डिक्रांग जल विद्युत परियोजना), विद्युत घर से संबंधित अध्ययन, नीपको द्वारा किए गए थे और ई.आई.ए. और ई.एम.पी. की अध्ययन रिपोर्ट स्वीकृति हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्टों में रंगानदी जल विद्युत परियोजना स्टेज-I (405 मेगावाट) विद्युत घर की टेल रेस की निकासी को, विभिन्न अध्ययन करने के लिए सम्यक रूप से ध्यान में रखा गया था। इन रिपोर्टों के आधार पर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने डिक्रांग नदी पर पारे जल विद्युत परियोजना (110 मेगावाट) को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की थी।

रुग्ण लघु उद्योगों का पुनरुद्धार

975. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में रुग्ण लघु उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु कोई वित्तीय पैकेज और प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना

976. श्री एस. अजय कुमार: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने नए ऊर्जा प्रबंधन संस्थान के उपयोग हेतु भवन, फर्नीचर, उपकरण तथा अन्य सामग्री सौंपने के लिए महा निदेशक, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान को निर्देश देने के लिए विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया था तथा बी.ई.ई. के निर्देशन के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु ऊर्जा प्रबंधन संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बी.ई.ई.) से समर्थन भी मांगा था। इसके अतिरिक्त ई.एम.सी. केरल द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से 1.5 करोड़ रुपये भी मांगे गए थे।

(ग) जी, नहीं, प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

[हिन्दी]

शौचालय सुविधाओं हेतु जागरूकता अभियान

977. श्री बापू हरी चौरे:

श्री संजय धोत्रे:

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हाल की रिपोर्ट की जानकारी है जिसके अनुसार देश में लगभग 55 प्रतिशत परिवार के पास शौचालय सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर में शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक नए व्यापक जागरुकता अभियान की शुरूआत करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय सुविधा से युक्त घरों की कुल प्रतिशतता 22% थी जिसे अक्तूबर, 2007 के अंत तक बढ़ाकर 48.51% कर दिया गया है। भारत में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज की गति में तेजी लाने के लिए वर्ष 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) नामक एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया गया था। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को वर्ष 1999 में पुनर्गठित करके संपूर्ण स्वच्छता अभियान तैयार किया गया जिसमें प्रभावी सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान के माध्यम से मांग सृजित करने पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में जिले को एक इकाई मानकर किया जा रहा है। देश के 578 ग्रामीण जिलों में परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप अक्तूबर, 2007 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय सुविधा से युक्त घरों की कुल प्रतिशतता बढ़कर 48.51% हो गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता

कवरेज को बढ़ाने के लिए अनेक पहलकदमियां शुरू की हैं जिसमें संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) का विस्तार, प्रोत्साहन सह पुरस्कार योजना पंचायती राज संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार तथा जागरुकता सृजन गतिविधियां शुरू करना और विभिन्न पणधारियों के क्षमता विकास शामिल हैं। आई.एच.एच.एल. की प्रति इकाई लागत को 625 रु. तथा 1000 रु. से बढ़ाकर क्रमशः 1500 रु. तथा 2000 रु. कर दिया गया है। सहायता की आवश्यकता वाले ए.पी.एल. परिवारों को शौचालय के निर्माण के लिए "परिक्रामी निधि" प्रणाली के माध्यम से आसान ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। स्कूलों और आंगनवाड़ियों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने में तेजी लाने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण के लिए सामुदायिक अंशदान की जरूरत को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (एन.आर.एच.एम.) तथा सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों और बच्चों के बीच जागरुकता सृजन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शौचालय पात्रों (पैन) की सामयिक आपूर्ति तथा प्रशिक्षित राजगीरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण स्वच्छता बाजार उत्पादन केन्द्रों की शृंखला स्थापित की गई है।

[अनुवाद]

ब्याज की विभेदक दर

978. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "लॉक-इन" योजनाओं का विकल्प चयन करने वाले जमाकर्ताओं हेतु बैंक भिन्न-भिन्न ब्याज दर दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में सभी बैंकों को ब्याज के भेदभाव के विरुद्ध कोई चेतावनी जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी चेतावनी का उल्लंघन करने वाले बैंकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 अक्तूबर, 1997 से वाणिज्यिक बैंकों को अपने-अपने निदेशक बोर्ड/आस्ति दायित्व प्रबंधन समिति के पूर्व अनुमोदन से विभिन्न परिपक्वताओं की घरेलू आवधिक जमाओं पर ब्याज दर निर्धारित करने की छूट दे दी है। इस प्रकार बैंकों द्वारा स्वयं जमाओं पर ब्याज दर तय की जाती है।

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है, उसके ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ बैंक लॉक-इन अवधि, विभेदक ब्याज दरें आदि जैसी खास विशेषताओं सहित नियमित आवधिक जमाओं के अलावा, ग्राहकों को विशेष आवधिक जमा सेवाओं का प्रस्ताव दे रहे हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 25 अक्तूबर, 2007 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि परिपत्र में उल्लिखित कुछ बैंकों द्वारा पेश की जा रही लॉक-इन अवधि और अन्य विशेषताएं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसी जमा योजनाओं की पेशकश करने वाले बैंकों को तत्काल ऐसी योजनाएं बंद करने और अनुपालन की सूचना देने की सलाह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा अनुदेशों के अनुपालन की निगरानी कर रहा है। परिपत्र की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।

स्टॉक बाजार में उछाल

979. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान स्टॉक बाजार में हाल में आए उछाल की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे उछाल का उच्च उत्पादन तथा वास्तविक आर्थिक विकास के साथ कोई सह संबंध है; और

(च) यदि नहीं, तो निवेशकों की सुरक्षा और शेयर

बाजार में पारदर्शिता के लिए इसे औचित्यपूर्ण बनाए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सेबी ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में (15 नवम्बर, 2007 तक) बेंचमार्क सूचकांकों, नामतः सेंसेक्स और निफ्टी में क्रमशः 58.85% और 62.71% तक की वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ) सेबी द्वारा एक्सचेंजों को प्रतिकूल पैटर्न या धोखेधड़ीपूर्ण सान्द्रता का पता लगाने के लिए बाजार में बहुत अधिक उतार या चढ़ाव का विश्लेषण करने का सुझाव दिया गया है। अक्तूबर 2007 के लिए प्रारंभिक विश्लेषण से ऐसे निष्कर्षों का पता नहीं चलता है।

(ङ) स्टॉक बाजार में उतार-चढ़ाव घरेलू तथा विदेशी, खुदरा तथा संस्थागत निवेशकों की अर्थव्यवस्था, क्षेत्र तथा कंपनी के बारे में धारणाओं का परिणाम होती है। यह धारणा अनेक कारकों से प्रभावित होती है जिनमें वृहद-आर्थिक माहौल, अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता, कारपोरेट निष्पादन, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तथा बाजार संबंधी मनोभाव शामिल हैं।

(च) सेबी और एक्सचेंजों ने सुरक्षित, पारदर्शी और सक्षम बाजार का संवर्धन करने और बाजार की अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रणालियां और प्रवृतियां लागू की हैं। इन प्रणालियों में, विकसित जोखिम प्रबंधन प्रक्रम शामिल हैं जिसमें ऑन लाइन मानीटरिंग और निगरानी और स्थितियों पर विभिन्न सीमाएं, मार्जिन अपेक्षाएं, सर्किट फिल्टर आदि शामिल हैं, जो बाजार में अत्यधिक अस्थिरता की गुंजायश को कम करते हैं। सेबी बाजार सूचकांक के स्तरों को ध्यान में रखे बिना बाजार पर सतत् निगरानी रखता है तथा किसी असामान्यता की स्थिति में संबंधित निकायों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करता है। इसने स्टॉक एक्सचेंजों को निगरानी उपायों को तीव्र करने और शीघ्रता से यथावश्यक निश्चयात्मक कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशकों के हितों की संरक्षा हो और स्टॉक बाजार सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम हो।

[हिन्दी]

पारेषण व वितरण नुकसान

980. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत की पारेषण व वितरण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित समिति ने विद्युत के पारेषण व वितरण नुकसान को कम करने के लिए कतिपय सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को उनके राज्यों में पारेषण व वितरण नुकसान को रोकने के लिये किसी धनराशि का आबंटन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) सरकार ने वर्ष 2002-03 में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार योजना (ए.पी.डी.आर.पी.) आरम्भ की थी जिसका उद्देश्य कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एण्ड सी.) हानि में सुधार व कमी को प्रोत्साहित करना, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना और उपभोक्ता संतुष्टि से सुधार करना है। ए.टी. एण्ड सी. हानियों में कमी का लक्ष्य पांच वर्षों में 15% तक था जिसे आरम्भ में शहरी और अधिक ऊर्जा खपत वाले क्षेत्रों में शुरू किया जाना था। विद्युत मंत्रालय ने पूर्व सचिव, भारत सरकार श्री पी. अब्राहम की अध्यक्षता में एक कृतक बल का गठन किया था जिसे वर्तमान प्रयासों और विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिये गए सुझावों का मूल्यांकन और विश्लेषण करना था तथा ए.पी.डी.आर.पी. के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की पुनर्संरचना को सुझाना था। कृतक बल की मुख्य सिफारिशें निम्नवत थीः-

- ए.पी.डी.आर.पी. के तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी निवेश एवं प्रोत्साहन घटक जारी रखना।
- राज्यों से सुधार कार्य कराने के लिये पात्रता मानदण्ड को और अधिक कठोर बनाया जाए।
- कार्यक्रम के तहत सहायता मुख्यतः ऐसे कार्यकलापों के लिये दी जानी चाहिए जिससे ए.टी. एण्ड सी. हानि में तुरंत कमी करने तथा ग्राहक सेवाओं में

सुधार करने में सहायता मिलेगी। ए.टी. एण्ड सी. हानि में कमी के लक्ष्य प्रत्येक यूटिलिटी के वर्तमान स्तर के आधार पर वास्तविक होने चाहिए।

- कार्यक्रम के अंतर्गत जोर निम्नलिखित गतिविधियों पर दिया जाना चाहिए:-
  - o जी.आई.एस. आधारित उपभोक्ता सूचकांक की सहायता वाली आई.टी. आधारित ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण
  - o तत्काल बिलिंग, कम्प्यूटरीकृत बिलिंग एवं राजस्व संकलन
  - o तकनीकी हानि कम करने के लिए ग्राहक सेवा केन्द्र स्कीम
  - o चोरी व दुरुपयोग में कमी
  - o नेटवर्क का बेहतर प्रचालन एवं मानीटरिंग
- सत्यापन योग्य आंकड़ों के आधार पर गुणवत्तापरक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए। यूटीलिटियों के साथ परामर्श करके सलाहकार-सह-परामर्शकों द्वारा निविदा दस्तावेजों व विशिष्टिताओं को मानकीकृत किया जाना चाहिए
- प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक वितरण कम्पनी (डिस्काम) पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए। अच्छे कार्य निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय अन्य उपाय तैयार कर सकता है। केवल विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए प्रोत्साहन का उपयोग किया जाना चाहिए।

ए.पी.डी.आर.पी. के क्रियान्वयन पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सिफारिशों/सुझावों के मद्देनजर कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संशोधित शर्त व निबंधनों के आधार पर जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने ए.पी.डी.आर.पी. के निवेश घटक के अंतर्गत राज्यों को 17033.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 571 परियोजनाएं स्वीकृत की थी और 1959.70 करोड़ रुपये की धनराशि निवेश घटक के तहत नौ राज्यों को जारी कर दी गई है।

किशोर अपराध

981. श्री पंकज चौधरी: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में और किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने का है ताकि किशोर अपराध के मामलों को बड़ी संख्या में शीघ्र निपटाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब तक किए जाने की संभाना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 4(1) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचना में उल्लिखित जिला अथवा जिलों के समूह के लिए अधिनियम के अंतर्गत कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामले में किशोर न्याय बोर्डों को सौंपी गई शक्तियों के उपयोग तथा कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए एक या एक से अधिक बोर्डों का गठन कर सकती है। अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, अधिनियम लागू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकारों को सभी जिलों में बोर्डों का गठन करना होगा।

[अनुवाद]

नकदी आरक्षण अनुपात में बढ़ोतरी

982. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नकदी आरक्षण अनुपात (सी.आर.आर.) को 0.5 प्रतिशत अथवा 50 आधार बिन्दु बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सी.आर.आर. में बढ़ोतरी का बैंकिंग क्षेत्र तथा आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति की अपनी मध्यावधि समीक्षा में नकदी की वर्तमान स्थिति और प्रचलित समष्टि-आर्थिक एवं मौद्रिक स्थितियों की समीक्षा करने पर 10 नवम्बर, 2007 से शुरू होने वाले

पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि (सी.आर.आर.) को बैंकों की निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के 7.00% से 50 आधार अंक बढ़ाकर 7.50% कर दिया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोक्त मध्यावधि समीक्षा में संकेत दिया है कि जब कभी आवश्यक होगा वह अपनी निपटान क्षमता पर सभी नीतिगत लिखतों का प्रयोग करके बाजार स्थिरीकरण योजना (एम.एस.एस.) और चलनिधि समायोजन निधि (एल.ए.एफ.) सहित सी.आर.आर. निर्धारण तथा खुला बाजार परिचालनों (ओ.एम.ओ.) के उपयुक्त प्रोयग के जरिए नकदी के सक्रिय मांग प्रबंधन की अपनी नीति को जारी रखेगा। बढ़े हुए सी.आर.आर. से भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिक आरक्षित नकदी निधि हो जाएगी और बैंकिंग व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम नकदी रहेगी। संक्षेप में, सी.आर.आर. में हाल में की गई वृद्धि सहित मौद्रिक नीति का समग्र उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निर्यात एवं निवेश मांग को बढ़ावा देने वाले मौद्रिक एवं ब्याज-दर वातावरण सुनिश्चित करते समय कीमत स्थिरता एवं सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर पुनः जोर देना है, ताकि वृद्धि की गति को जारी रखा जा सके।

फेरा उल्लंघन

983. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय (डी.आर.आई.), प्रवर्तन निदेशालय (डी.ओ.ई.) और भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) जेट एयरवेज के विरुद्ध कथित वैधता, स्वामित्व अधिकार की स्थिति, वित्तपोषण के स्रोत तथा फेरा उल्लंघन के संबंध में जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त विभागों द्वारा की जा रही जांच का पूर्ण ब्योरा क्या है;

(ग) क्या आयकर विभाग द्वारा की गयी जांच से पता चला है कि जेट एयरवेज द्वारा प्राप्त प्रेषण आर.बी.आई. द्वारा स्वीकृत बैंकिंग माध्यम से नहीं मिला है; और

(घ) यदि हां, तो अवैध रूप से प्राप्त प्रेषण का पूर्ण ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा जेट एयरवेज के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.पलानीमनिक्कम): (क) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत निदेशालय जांच कर रहा है।

(ख) जांच क्योंकि चल रही है, ब्यौरा का उद्घाटन जांच को उचित रूप से पूरा करने में रुकावट डालेगा।

(ग) जेट एयरवेज द्वारा बैंकिंग चैनलों के माध्यम के अतिरिक्त किसी प्रेषण को प्राप्त करने का पता आयकर विभाग द्वारा की गई जांच में नहीं चला है।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एस.बी.आई.आर.आई.

984. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए "स्माल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च इनिसिएटिव" (एस.बी.आई.आर.आई.) नामक योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा व मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा कम अनुदान के कारण कुछ संस्थानों द्वारा फसल किस्मों पर किए गए अनुसंधान और विकास को नुकसान पहुंच रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन संस्थानों को कम अनुदान प्रदान करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास हेतु निजी संस्थानों को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त अनुदान स्वीकृत करने पर विचार करेगी;

(च) यदि हां, तो कब तक, और

(छ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार "लघु व्यवसाय नवोन्मेषी अनुसंधान पहल (एस.बी.आई.आर.आई.)" जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास कार्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी के संवर्धन के लिए एक योजना का परिचालन कर रही है। योजना दो चरणों में परिचालित होती है। चरण-I, के अंतर्गत, उच्च जोखिम, प्रवर्तन, पूर्व स्थिति, एकाग्रता संकेंद्रण अनुसंधान का पूर्व सांख्यांकन और प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। चरण

II के अंतर्गत, विलंबित विकास और अनुसंधान सूत्रपात क्षमता अग्रताओं के वाणिज्यकरण के लिए वित्त पोषण किया जाता है। योजना के विवरण विभाग की वेबसाईट (www.dbtindia.org) पर प्रदर्शित किए गए हैं और योजना का व्यापक स्तरीय प्रचार किया गया है। स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) गुण अपेक्षित प्रस्तावों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए वित्त पोषण की कोई बाधा नहीं है। फसल विविधताओं के अनुसंधान एवं विकास पर परियोजनाओं को योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है।

(ङ) से (छ) जी, हां, सरकार विद्यमान कार्यविधि के अनुसार निजी संस्थाओं से प्राप्त विभाग में जैसे भी और जब भी अनुकूल प्रस्तावों को प्रोत्साहित करेगी। एस.बी.आई. आर.आई. योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवर्तन प्रौद्योगिकियों/उद्यमशीलताओं को प्रोत्साहन और परामर्श प्रदान करना है और प्रशिक्षण अकादमियों तथा सरकार के साथ विनियोजित संपर्कों को गढ़ना है। प्रस्तावों के गुण पर आधारित, निजी और सार्वजनिक संस्थाओं को जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास किए जाने और सार्वजनिक निजी भागीदारी को सुदृढ़ किए जाने और प्रोत्साहित किए जाने के लिए अनुदान प्रदान किए जाएंगे।

एन.टी.पी.सी. परियोजनाओं को स्वीकृति

985. श्री अबु अयीश मंडल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगमों की जल-विद्युत उत्पादन और कोयला खनन संबंधी महत्वकांक्षी योजना में पर्यावरण संबंधी तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों के कारण देरी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड ने तीन हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (एच.ई.पी.पी.) अर्थात कोलडैम (एच.ई.पी.पी.) (4 x 200 मेगावाट) और तपोवन विष्णुगाड एच.ई.पी.पी. (4 x 130 मेगावाट) और लोहारीनाग पाला एच.ई.पी.पी. (4 x 150 मेगावाट) के कार्यान्वयन को शुरू किया है जिनकी 11वीं योजना अवधि के दौरान शुरू होने की सम्भावना है। उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय स्वीकृति एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई मामला नहीं है।

जहां तक एन.टी.पी.सी. लिमिटेड की कोयला खनन परियोजनाओं का संबंध है, सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड को छह कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया है, जो कि विकास के विभिन्न चरणों में है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रक्रिया तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया काफी समय लगाने वाली है, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड उन्हें तीव्र करने के लिए प्रयास कर रही है ताकि कोयला मंत्रालय के मानदण्डों के अनुसार खनन को शुरू किया जा सके। झारखंड राज्य में पाकरी-बखाडीह ब्लाक से संबंधित वन स्वीकृति एवं भूमि अधिग्रहण के संबंध में मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने वन स्वीकृति के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण के लिए दरों के निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए 'अनापति प्रमाणपत्र' (एन.ओ.सी.) देने की कार्रवाई त्वरित करने के लिए झारखण्ड सरकार से अनुरोध किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड

986. श्री ब्रजेश पाठक:

श्री मो. ताहिर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के क्रेडिट कार्डों की वर्तमान क्रेडिट सीमा को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्रेडिट सीमा का संबंध किसानों की भूमि धारिता से है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को इन क्रेडिट कार्डों को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) नाबार्ड द्वारा वर्ष 1998-99 में बनाई गई किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना के तहत ऋण सीमा परिचालनगत जोत, फसल पद्धति तथा जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डी.एल.टी.सी.)/राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस.एल.टी.सी.) द्वारा अनुशंसित वित्त-मान के आधार पर तय की

जाती है। नाबार्ड ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कोई ऋण सीमा निर्धारित नहीं की है।

(ङ) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कंपनी अधिनियम, 1956

987. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत कई कंपनियों का कंपनी दर्जा निरस्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समान परिस्थितियों के बावजूद कई कंपनियों के कंपनी दर्जे को अभी निरस्त नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2003 तथा 2005 में दो सरल निकासी योजना (एस.ई.एस.) प्रारंभ की थी जिससे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत चूककर्ता कंपनियों के नाम शीघ्रता से हटाये जा सके। इन योजनाओं के अनुसरण में एस.ई.एस. 2003 के तहत 29069 कंपनियों के तथा एस.ई.एस. 2005 के तहत 22885 कंपनियों के नाम हटा दिए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2005 तक की ऐसी कंपनियों की समीक्षा भी प्रारंभ की जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने तुलनपत्र तथा वार्षिक विवरणियां दर्ज नहीं की जिससे कि इन कंपनियों के नाम हटाने की कार्रवाई की जा सके जो दोषी पाई गई तथा जिनके नाम हटाए जाने थे। ऐसी कार्रवाई के तहत अब तक 45,470 कंपनियों के नाम हटा दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। रजिस्ट्रार द्वारा कंपनियों के नाम हटाए जाने के आदेश सिर्फ सांविधिक प्रक्रिया पर आधारित जांच के आधार पर तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता

988. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम के चाय जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) असम में चाय जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के विनिर्देशन से संबंधित आदेशों में समावेशन, निष्कासन और अन्य संशोधनों के दावों के निर्धारण के लिए दिनांक 15-06-1999 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली

989. श्री काशीराम राणा:
श्री बी.के. दुम्मर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) में कितनी राशि रुकी हुई है और उसकी वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) ऐसी कौन-कौन सी कम्पनियां हैं जिनके विरुद्ध दस करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया है;

(ग) क्या सरकार ने इन कम्पनियों की संपत्ति जब्त कर ली है और ऐसी कम्पनियों के निदेशक मंडल के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल अनुपयोज्य आस्तियां

31 मार्च 2005, 31 मार्च, 2006 और 31 मार्च, 2007 को 48,399 करोड रुपए, 42,106 करोड़ रुपए तथा 38,973 करोड़ रुपए थी जो उनके कुल अग्रिमों का क्रमशः 5.5%, 3.7% और 2.7% था। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुपयोज्य परिसंपत्तियों की व्यवस्था और वर्गीकरण निर्धारित करना, ह्रास रोकने के लिए दिशानिर्देश, कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र, एकबारगी निपटान योजनाएं, (i) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, (ii) ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 तथा (iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 आदि लागू करना शामिल है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा अपेक्षित तरीके से आंकड़े नहीं रखे जाते। वर्तमान में, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उनके गोपनीय प्रयोग के लिए छमाही आधार पर (31 मार्च व 30 सितम्बर) 1 करोड़ या उससे ऊपर के "संदिग्ध" और "हानि" उधार गैर-वाद दाखिल किए गए खातों की सूची प्रदान करता है। 25 लाख या उससे ऊपर के जानबूझकर ऋण की चूक के गैर-वाद दाखिल खातों की सूची बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को उनके गोपनीय प्रयोग के लिए तिमाही आधार पर प्रदान करता है। इसके अलावा, ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड 1 करोड़ और उससे ज्यादा के तथा 25 लाख और उससे ज्यादा के (जानबूझकर ऋण की चूक करने वाले) गैर-वाद दाखिल खातों का एक आंकड़ा आधार का रखरखाव कर रहा है। सूचना ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड की वेबसाइट www.cibil.com से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) से (ङ) बैंक अपनी वसूली नीतियों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी देय राशि की वसूली के लिए समुचित कदम उठाते हैं जिनमें ऋण का पुनर्गठन, देय राशि का एकबारगी निपटान, न्यायालयों/ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में मामले दाखिल करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई शामिल है।

[अनुवाद]

स्थानीय शासन में शहरी सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करना

990. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कई विद्यमान एजेंसियों में से एक प्रमुख एजेंसी बनाने का है जो वित्त के बेहतर प्रबंध और स्थानीय सरकार हेतु सेवाओं की आपूर्ति में सुधार के लिए शहरों में योजना के विभिन्न पहलुओं का काम देखें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धनराशि जुटाना

991. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने किसान विकास पत्र की तर्ज पर बांड लाने का विचार बनाया है ताकि 2007-12 की योजनावधि के दौरान परिकल्पित परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु 50,000 करोड़ रुपये जुटाये जा सकें जैसाकि दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' अखबार में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र की फर्मों में इक्विटी की बिक्री से प्राप्त प्राप्तियों को लगाकर 23000 करोड़ रुपये जुटाकर एक विद्युत कोष बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) विद्युत क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर 28 मई, 2007 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, वित्तीय मामलों को देखने के लिए विद्युत

मंत्रियों के एक स्थायी समूह की उप समिति का गठन किया गया है, जिसमें पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का उत्थान भी शामिल है। उप समिति के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र विशेष रूप से जल विद्युत परियोजनाओं की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लम्बी अवधि में वित्त को गतिशील बनाने हेतु व्यापक नीतिगत उपायों तथा सामग्रियों से संबंधित उपयुक्त सिफारिशें करना भी शामिल है। उप समिति ने अपनी सिफारिशें अभी प्रस्तुत करनी हैं।

[अनुवाद]

मास रैपिड ट्रांसपोर्ट में सरकारी-निजी भागीदारी

992. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बड़े शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं में सरकारी-निजी भागीदारी में खर्च के अपने हिस्से में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की छोटे शहरों के लिए रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणाली हेतु कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह प्रणाली किन-किन शहरों में शुरू किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय की 'अवस्थापना में सरकारी निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) को वित्तीय सहायता देने की मौजूदा स्कीम' के अंतर्गत पी.पी.पी. मोड में निष्पादित की जा रही परियोजना की 20% लागत वित्त मंत्रालय से व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण (वी.जी.एफ.) के रूप में परियोजना निर्माण के स्तर पर पूंजीगत अनुदान के रूप में अनुमेदय है तथा शेष वी.जी.एफ., जोकि परियोजना लागत का 20% है, परियोजना से संबंधित प्रायोजक मंत्रालय/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा उसके अपने बजट से उपलब्ध कराया जा सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे 20% के अलावा जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त 10% व्यवहार्यता अंतराल सहायता मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव पर अंत:मंत्रालय स्तर पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस.) क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न शहरों में द्रुतगामी बस परिवहन प्रणाली (बी.आर.टी.एस.) परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ङ) अहमदाबाद, राजकोट, भोपाल, इंदौर, जयपुर, पुणे, विजयवाडा, विशाखापट्टनम।

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण विकास परियोजना का कार्यान्वयन

993. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का विचार ग्रामीण अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 4,000 करोड़ रुपए जुटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नाबार्ड द्वारा उनमें से वित्तपोषित की जाने वाली दीर्घकालीन और अल्पकालीन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) माननीयय वित्त मंत्री ने वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट में, राज्य सरकारों को ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु नाबार्ड के पास स्थापित ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत 12000 करोड़ रुपए के आबंटन की घोषणा की, इसके अतिरिक्त भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के वित्तपोषण हेतु 4000 करोड़ रुपए का आबंटन भी किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), जब भी अपेक्षित हो, राज्य सरकारों के वित्तपोषण हेतु अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों से निधियां जुटाएगा।

(ग) दिनांक 20-11-2007 की स्थिति के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजनाएं, जिनमें 4537.39 करोड़ रुपए का आर.आई.डी.एफ. ऋण अंतर्ग्रस्त है, मंजूर कर दी गई है। राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य	आर.आई.डी.एफ. ऋण राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	274.87
2.	बिहार	233.47
3.	छत्तीसगढ़	32.64
4.	गुजरात	278.64
5.	हरियाणा	141.68
6.	हिमाचल प्रदेश	120.17
7.	जम्मू-कश्मीर	292.01
8.	झारखण्ड	167.19
9.	कर्नाटक	547.25
10.	केरल	102.42
11.	मध्य प्रदेश	273.39
12.	मेघालय	7.19
13.	उड़ीसा	309.19
14.	पंजाब	122.03
15.	राजस्थान	777.93
16.	सिक्किम	23.73
17.	तमिलनाडु	544.03
18.	त्रिपुरा	153.69
19.	उत्तर प्रदेश	37.67
20.	पश्चिम बंगाल	98.20
	कुल	4537.39

भारतीय तटों पर ग्लोबल वार्मिंग

994. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तटों पर ग्लोबल वार्मिंग की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल (आई.पी.सी.सी.) ने हाल ही में अपनी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने वर्तमान शताब्दी के अंत तक वैश्विक औसत समुद्र स्तर के 0.18-0.59 मीटर तक बढ़ने का उल्लेख किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय ज्वार मापी आंकड़ों से विभिन्न स्थानों पर स्थानीय समुद्र स्तर के बढ़ने का अध्ययन किया है जिनसे बीती शताब्दी के दौरान देखे गए रुझानों का पता चलता है यह रुझान इस प्रकार हैं:-

(1) कोचीन (1939-1991)=1.2 मिमी प्रतिवर्ष

(2) विशाखापटनम (1937-1991)=0.9 मिमी प्रतिवर्ष

(3) मुंबई (1870-1990)=0.8 मिमी प्रतिवर्ष

अभी हाल ही की अवधि में केवल सुन्दरबन के लिए किए गए अन्य अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र में समुद्र स्तर के बढ़ने की दर कुछ अधिक है।

(4) सुन्दरबन (1985-2000)=3.14 मिमी प्रतिवर्ष

(ग) तूफान महोर्मियों और ज्वार भाटा के उतार चढ़ाव की पृष्ठभूमि में समुद्र स्तर का अत्यंत स्पष्ट रूप से बढ़ना अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया है। अतः इन प्रभावों अर्थात तटीय कटाव को कम करने तथा तटीय क्षेत्र प्रबंधन (भूमि तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र सहित) जिनके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने जल संसाधन मंत्रालय (राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना-एन.सी.पी.पी.) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (तटीय क्षेत्र प्रबंधन) तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन-इकमाम निदेशालय) के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

लोक अदालतें

995. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगाई गई लोक अदालतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन लोक अदालतों में राज्य-वार और वर्ष-वार कितने मामले निपटाए गए;

(ग) सरकार द्वारा लोक अदालतों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली में कितनी लोक अदालतें लगाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अधीन, देश के सभी जिलों में अब पदाभिहित स्थानों पर, जो न्यायालय काम्पलेक्सों से दूर भी स्थित हैं, नियमित रूप से लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे मामलों पर, जिनका समाधान नहीं हो पाता है, अगली लोक अदालतों में कार्यवाही की जाती है। इन लोक अदालतों द्वारा मामलों का समाधान पक्षकारों के बीच सुलह और मध्यकता की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

(घ) लोक अदालतों का आयोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और लोक अदालतें आयोजित करने के प्रयोजनों की प्रकृति से ही यह प्रतीत होता है कि वे आवश्यकता आधारित हैं।

[अनुवाद]

स्वापक पदार्थों की तस्करी

996. श्री अधीर चौधरी:
श्री उदय सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह पता चला है कि भारत विश्व में नशीली दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, जैसा कि दिनांक 19 सितम्बर, 2007 के समाचारपत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश के कई भागों में अफीम की अवैध खेती का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अफीम के उत्पादन को हतोत्साहित करने और उसकी तस्करी को रोकने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी नहीं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के ब्यूरो आफ इण्टरनेशनल नार्कोटिक्स एंड ला एन्फोर्समेण्ट अफेयर्स द्वारा मार्च, 2007 में जारी इण्टरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल स्ट्रैटजी रिपोर्ट, 2007 में भारत को अवैध औषधि उत्पादक और/या औषधियों का आवागमन करने देने वाले बड़े देशों की सूची में शामिल किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है:-

(i) देश की प्रवर्त्तन एजेन्सियां अफीम की फसल की अवैध खेती का पता लगाती हैं और उनको नष्ट करती हैं।

(ii) अफीम की अवैध फसलों का पता लगाने और उनको नष्ट करने के लिये पुरस्कार दिये जाते हैं।

(iii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो राज्यों को अपनी एण्टी नाकोटिक्स शक्तियों को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(iv) केन्द्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे अवैध फसलों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए नियमित तौर पर सर्वेक्षण किया करें।

(v) औषधि के ज्ञात मार्गों में निरोधात्मक और निषेधात्मक प्रयासों को और सख्त बनाना।

(vi) विधि प्रवर्त्तन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे है जिससे उनकी कुशलता को अद्यतन किया जा सके।

नाफ्था की आपूर्ति

997. डा. बाबू राव मिडियम:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाफ्था के मूल्य में काफी वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में विद्युत इकाइयों को नाफ्था की कम आपूर्ति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या नाफ्था के मूल्य में वृद्धि के कारण नाफ्था आधारित इकाइयों में विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में नाफ्था आधारित विद्युत इकाइयों के सामने आ रहे वर्तमान संकट को टालने के लिए नाफ्था को उत्पाद शुल्क मुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन विद्युत उत्पादन इकाइयों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रास्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) अंतर राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले नाफ्था के मूल्य में, काफी वृद्धि होने के परिणाम-स्वरूप, आंध्र प्रदेश सहित देश में नाफ्था को ईंधन के रूप में प्रयोग करके होने वाले विद्युत उत्पादन की परिवर्तनीय लागत में वृद्धि हुई है जिसके कारण उत्पादन में कमी हुई। आंध्र प्रदेश विद्युत समन्वयन समिति (ए.पी.सी.सी.) ने रिपोर्ट दी है कि नवंबर 2007 में नाफ्था का मूल्य रु. 49,034.77 प्रति मीट्रिक टन (एम.टी.) है तथा उत्पादन लागत रु. 8.947 प्रति किलो वाट घंटा (के.डब्लू.एच.) की है जबकि मई 2007 में नाफ्था का मूल्य रु. 39,387.21 प्रति मीट्रिक टन था और उत्पादन लागत रु. 8.187/के.डब्लू.एच. थी। आंध्र प्रदेश में स्थित कुल 1555.4 मेगावाट क्षमता के गैस आधारित विद्युत केन्द्रों में गैस की आपूर्ति में कमी होने के दौरान, नाफ्था को विकल्प के तौर पर प्रयोग करने का प्रावधान है। हालांकि नाफ्था की कोई कमी नहीं है, फिर भी मूल्य में काफी वृद्धि होने के कारण ईंधन के तौर पर इसके प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

जब नाफ्था के घेरलू आंतरिक मूल्य में तेज वृद्धि होती है तब नाफ्था पर आधारित विद्युत उत्पादक इकाइयों के पास री-गैसीफाइड लिक्विफाइड नैचुरल गैस (आर.एल.एन.सी.) प्रयोग करने का विकल्प होता है ताकि इन इकाईयों की ईंधन लागत को न्यूनतम किया जा सके।

(घ) और (ङ) एन.टी.पी.सी. ने 2008-09 के केन्द्रीय बजट में, बजट निष्पादन के भाग के रूप में सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए नाफ्था पर सीमा शुल्क/उत्पादन शुल्क के पूर्णतया अधित्याग का प्रस्ताव किया है जो इस मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

आर.डी.बी. एक्ट, 1993 के अंतर्गत ऋण वसूली

998. श्री विजय कृष्ण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया है कि सहकारी बैंक आर.डी.बी. एक्ट, 1993 के अंतर्गत ऋण वसूली का आश्रय नहीं ले सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत सहकारी बैंकों को शामिल करने हेतु इसका संशोधन करेगी;

(ग) यदि हां, तो यह संशोधन कब किए जाएंगे;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सहकारी बैंकों में दोहरे नियंत्रण को हटाने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का है; और

(च) यदि हां, तो यह विधेयक कब पुर:स्थापित किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। मुम्बई और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों के समक्ष आने वाले अलग-अलग मामलों में उनके द्वारा यह माना गया था कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के तहत गठित अधिकरण के पास किसी सहकारी बैंक को देय ऋणों की वसूली के लिए ऐसे बैंक से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने और निर्णय लेने का विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा, यह भी माना गया था कि राज्य सहकारी समिति अधिनियम और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत न्यायालयों और अधिकरणों को सहकारी बैंकों की देय राशियों की वसूली के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए

गए आवेदनों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। उपर्युक्त निर्णय से पीड़ित होकर, भारत के उच्चतम न्यायालय में कई अपीलें/विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र के राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किए गए सहकारी बैंकों पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के लागू होने से संबंधित मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंप दिया गया था।

उच्च न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए, उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंध सहकारी संस्थाओं द्वारा उनके सदस्यों से देय राशियों की वसूली के संबंध में लागू नहीं हैं। तथापि, राज्य सहकारी समिति अधिनियम और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के उपबंध सहकारी बैंकों द्वारा उन्हें देय राशियों की वसूली के लिए लागू रहेंगे। चूंकि, उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणियां याचिका देने वाले सहकारी बैंकों द्वारा उनकी अपीलें याचिकाओं में किए गए अनुरोध के अनुरूप हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय के इस आदेश से सहकारी बैंक अपनी देय राशियों की वसूली के प्रयोजन के लिए किसी प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं होंगे।

सहकारी बैंक अपनी देय राशियों की वसूली के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों का आश्रय भी ले सकते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी निधि

999. डा. एम. जगन्नाथ: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण देने हेतु बैंकरों में विश्वास पैदा करने के लिए क्रेडिट गारंटी निधि की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और यह महसूस किया गया कि बैंकों के लिए शिक्षा ऋण संबंधी आवेदन-पत्रों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करना और बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की चुकौती की समय सारणी के अनुसार वसूली करना उपयुक्त होगा। इससे शिक्षा के लिए ऋण लेने के इच्छुक छात्रों में ऋण संबंधी संस्कृति का विकास होगा और इससे भविष्य में एक स्वस्थ परम्परा बनेगी।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य बीमा में अनियमितताएं

1000. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी अस्पताल न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्यों की मेडिक्लेम पॉलिसी की वजह से बाजार में जोड़-तोड़ कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान प्रणाली मे अनियमितताएं मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) अस्पतालों द्वारा बीमित न किए गए मरीजो की तुलना में मेडीक्लेम पालिसीधारको से अधिक राशि प्रभारित किए जाने के दृष्टांत सामने आए है। यह मुख्यत: अस्पतालो की आधिकारिक मान्यता की कमी और मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाओं के मानकीकरण की कमी के कारण है। अधिक राशि प्रभारित किए जाने की इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, बीमाकर्ता स्वास्थ्य सुविधाओं के मानकीकरण को लागू करने के लिए तृतीय पक्ष प्रशासकों (टी.पी.ए.) और अन्य पणधारकों के सहयोग से आवश्यक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कमरे के किराया, गहन चिकित्सा कक्ष शुल्क, जांच शुल्क, शल्य चिकित्सकों का शुल्क इत्यादि के लिए सह-भुगतान/अतिरिक्त खंड उप सीमा जैसे उपाय पहले ही आरंभ किए हैं।

बीमाकर्ताओं को मेडीक्लेम पालिसीधारकों से शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि तृतीय पक्ष प्रशासकों ने अपने दावों में

कमी कर दी है। ऐसी शिकायतों को निपटाने के लिए कंपनियों के पास एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र है। बीमित जनता से सीधे प्राप्त होने वाली शिकायतों को निपटाने के लिए बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के पास भी शिकायत निवारण तंत्र है। यदि, शिकायत निवारण तंत्र से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता बीमा लोकपाल/उपभोक्ता मंच/सिविल न्यायालयों से संपर्क कर सकते हैं।

[अनुवाद]

निजी बीमा कंपनियां

1001. श्री एम. अप्पादुरई:
श्री सुभाष महरिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र हेतु खोलने के पश्चात् निजी बीमा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी काफी बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने सुविधाओं और लाभों के संबंध में निजी बीमा कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु कोई रणनीति अपनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में बीमा क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की प्रतिशत में बाजार हिस्सेदारी कितनी-कितनी है; और

(च) सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बाजार में और अधिक हिस्सेदारी हासिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र हेतु खोलने के पश्चात् निजी बीमा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में वर्ष 2006-07 में जीवन बीमा के लिए 18.08% और गैर-जीवन बीमा के लिए 34.72% की वृद्धि हुई है।

(ग) से (च) वर्ष 2006-07 के दौरान सरकारी क्षेत्र की जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी क्रमश: 81.92% और 65.28% थी। यद्यपि, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में कमी आई है किन्तु, उन्होंने मात्रा के संबंध में अच्छी प्रगति दर्शायी है। जीवन बीमा के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने प्रथम वर्ष प्रीमियम में वर्ष 2000-01 में 9,700.95 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2006-07 में 56,223.56 करोड़ रु. की वृद्धि की है। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र की चारों गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम हामीदारी में वर्ष 2000-01 में 9799.81 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2006-07 में 16258.90 करोड़ रु. की वृद्धि की है।

सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने अपने परिचालनों को पुन: उर्ध्वगामी बनाने के लिए रणनीतियां अपनायी हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) जिन खंडों में कारोबार की हामीदारी की गई है उनका पुनर्गठन;

(ii) नवोत्पादों की शुरुआत;

(iii) हामीदारी प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण;

(iv) अपने कारोबार विकास की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए अनुकूल सहयोग और तालमेल; और

(v) सूचना तकनीक नेटवर्क का उन्नयन और ऑन लाइन सेवा प्रदान करने के लिए कोर बीमा समाधान की शुरुआत।

उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र

1002. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय स्तर पर विद्युत क्षेत्र हेतु कोई उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान इसकी समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ताओं की किन महत्वपूर्ण शिकायतों का निवारण किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की दारा 173 में प्रावधान है कि अधिनियम में निहित कोई भी प्रावधान या इसके अंतर्गत निर्मित कोई भी नियम या विनियम तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक वे

उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्य प्रावधानों के अनुरूप नहीं हों। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत् राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद सुनवाई आयोग (एस.सी.डी.आर.सी.), अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत से संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाले विद्युत बोर्डों अथवा विद्युत से संबंधित सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के विरुद्ध माल में कमी होने का अथवा प्रदान की गई सेवा में कमी होने का (जिसमें अपनाई गई कोई अनुचित/प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया शामिल है) कोई आरोप लगने पर, अपकृत उपभोक्ताओं द्वारा दाखिल की गई शिकायतों पर अधिनिर्णय करता है। एन.सी.डी.आर.सी. के समक्ष अब तक (1988 के वर्ष से प्रारंभ) मूल याचिका, प्रथम अपील (राज्य आयोगों के आदेश के विरुद्ध) तथा संशोधन याचिका के रूप में 1358 ऐसे मामले दायर किए जा चुके हैं जिनमें से 1077 मामले निपटाए जा चुके हैं।

उपयोग प्रमाण-पत्र

1003. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के बारे में 10-08-2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर में उल्लिखित वर्ष 2004-05 और 2005-06 हेतु नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की संख्या और पैराग्राफ क्या है;

(ख) पूर्व अनुदानों का उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बगैर अनुदान जारी करने के क्या कारण हैं जबकि जी.एफ.आर. 2005 के नियम 212 (i) के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित है;

(ग) क्या यह अनुदान पाने वाले प्रत्येक प्राप्तकर्त्ता के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अनुदान पाने वाली काली सूची में डाली गई कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें अनुदान जारी करने के क्या कारण है;

(च) क्या अनुदान जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 2004-05 के लिए, 2006 की रिपोर्ट सं. 3 का पैराग्राफ सं. 1.4; और वर्ष 2005-06 के लिए, 2007 की रिपोर्ट सं. 3 का पैराग्राफ सं. 1.3;

(ख) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी बैंकों का परिसमापन

1004. श्री सुकदेव पासवान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त सूचना अब तक एकत्रित की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं

1005. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि जारी की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) के अंतर्गत श्रीनगर और जम्मू शहरों के संबंध में जम्मू एवं कश्मीर के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जम्मू एवं कश्मीर के लिए शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	शहर का नाम	परियोजना का नाम	प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)	कुल परियोजनाएं	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कुल केन्द्रीय अंश (करोड़ रु. में)	कुल राज्य अंश (करोड़ रु. में)	कुल आवासों की सं.	जारी की गई कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)
1.	जम्मू	बी.एस.यू.पी. जम्मू शहर के अंतर्गत राजीव नगर के स्लम वासियों का पुनर्वास	1	1	14.24	11.53	2.72	608	0
2.	श्रीनगर	डल और नागिन लेक श्रीनगर (रेव) के स्लम वासियों का पुनर्वास और पुनःस्थापन	1	1	90.92	73.36	17.57	4600	0

[हिन्दी]

स्वजलधारा योजना में अनियमितताएं

1006. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान स्वजलधारा योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं, स्वजलधारा योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की विशिष्ट अनियमितता की शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) लागू नहीं।

लघु उद्योग इकाइयों को भूमि का आवंटन

1007. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण बंद पड़ी इकाइयों में भूमि आवंटन हेतु लघु उद्योग परिसंघ से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इन इकाइयों को भूमि कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भूमि आवंटन के लिए उन्हें लघु उद्योग परिसंघ से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन हमारे रिकार्ड में नहीं पाया गया।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सीपत विद्युत परियोजना का निर्माण

1008. श्री गुहाराम अजगल्ले: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीपत विद्युत परियोजना हेतु भूमि का अर्जन करने के परिणामस्वरूप कितने भूस्वामियों को विस्थापित होना पड़ा है;

(ख) इनमें से कितने लोगों को नियमित रोजगार मुहैया कराया गया है;

(ग) क्या सरकार ने यह घोषणा की है कि सीपत विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई की 500 मेगावाट विद्युत में से 300 मेगावाट विद्युत छत्तीसगढ़ को दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एम.टी.पी.पी.) के लिए एन.टी.पी.सी. द्वारा अधिग्रहीत भूमि में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी एंड पी) की कुल संख्या 3106 है। किंतु परियोजना में कोई बेघर, भू-बेदखल नहीं है।

(ख) अब तक, 43 परियोजना प्रभावित परिवारों को एन.टी.पी.सी. लि. की सीपत एस.टी.पी.पी. में नियमित रोजगार प्रदान किया गया है और अतिरिक्त रोजगार हेतु भर्ती प्रक्रिया जारी है।

(ग) और (घ) दिनांक 20-1-2007 को एन.टी.पी.सी. सीपत में 765 के.वी. पारेषण प्रणाली के उद्घाटन के दौरान, प्रथम यूनिट के शुरू होने से एक वर्ष तक की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को सीपत एस.टी.पी.पी. से 300 मेगावाट विद्युत के आवंटन के पक्ष में विचार किया गया था। छत्तीसगढ़ को आबंटन हेतु केंद्रीय फार्मूले के आधार पर सीपत एस.टी.पी.पी. के स्टेज-II (2x500 मेगावाट) से 158 मेगावाट का आबंटन किया गया है। छत्तीसगढ़ को क्षेत्र में अन्य राज्यों/संघ शासित राज्यों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में विद्युत की कमी को ध्यान में रखते हुए सीपत एस.टी.पी.पी. के स्टेज-II के प्रथम यूनिट के व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से पश्चिमी क्षेत्र में केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की अनाबंटित विद्युत के पूल से लगभग 75 मेगावाट की अतिरिक्त अनाबंटित विद्युत भी आबंटित की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ को सीपत एस.टी.पी.पी. के स्टेज-I (3x660 मेगावाट) में से 313 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई है। छत्तीसगढ़ के सीपत एस.टी.पी.पी. स्टेज-1 के अनाबंटित कोटे से भी आबंटन प्राप्त होगा।

[अनुवाद]

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ई.एन.ई.एम.

1009. श्री निखिल कुमार: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक मामलों को सुलझाने हेतु 'अर्ली न्यूट्रल इवैल्युएशन मेथड' (ई.एन.ई.एम.) के माध्यम से विधि प्रबंधन का अमरीकी तरीका अपनाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय न्यायपालिका को लंबित मामलों को निपटाने हेतु विदेशी न्यायिक प्रणाली अपनाने की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित मामलों को नियत समयावधि के अंतर्गत निपटाने हेतु सरकार द्वारा भारतीय न्यायपालिका को निर्देश देने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) मात्र एक मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने तारीख 6 अगस्त, 2007 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के अनुसरण में बातचीत के माध्यम से समाधान के उद्देश्य से दो निष्पक्ष मूल्यांककों/मध्यकों के एक पैनल द्वारा शीघ्र निष्पक्ष मूल्यांकन पद्धति की प्रक्रिया को अपनाया जाए तथा उसका परिणाम माननीय न्यायालय को संसूचित किया जाए।

(घ) न्यायपालिका की उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनके अंतर्गत न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति की आवधिक मानीटरी, विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को समूहबद्ध करना, विशेषीकृत न्यायपीठों का गठन करना, न्यायाधीशों की रिक्तियों को समय पर भरा जाना, न्यायाधीश पद संख्या में वृद्धि करना, नियमित अंतरालों पर लोक अदालतों का आयोजन करना, बातचीत, मध्यकता और मध्यस्थम् जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को बढ़ावा देना और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपील अधिकरण जैसे विशेष अधिकरणों, कुटुंब न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, त्वरित निपटान न्यायालयों आदि की स्थापना करना है।

गांवों का विद्युतीकरण

1010. श्री रनेन बर्मन: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान गैर-विद्युतीकृत गांवों मे पवन, सौर और हाइब्रिड प्रणाली लगाने और इसके प्रचार हेतु पश्चिम बंगाल से निधियां जारी करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त निधियों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ङ) अविद्युतीकृत गांवों में पवन, सौर और हाइब्रिड प्रणालियों के लिए पश्चिम बंगाल से चालू वर्ष के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि पवन, सौर, बायोमास, हाइब्रिड प्रणालियों आदि जैसी अक्षय ऊर्जा के प्रयोग से 1177 अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण हेतु विगत में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इन परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए राज्य को लगभग 53 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर का विलय

1011. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर का विलय भारतीय स्टेट बैंक के साथ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कदम के विरुद्ध अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने कोई आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकार को स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एस.बी.टी.) के भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) में विलय करने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर कर्मचारी संघ एवं स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर सहयोगी बैंक अधिकारी संघ यूनिट भारतीय स्टेट बैंक के साथ इसके सहयोगी बैंकों के प्रत्याशित विलय के विरोध में दिनांक 27-9-2007 एवं 31-10-2007 को हड़ताल पर गए थे। विलय का ऐसा कोई प्रस्ताव, यदि प्राप्त होता है, पर विचार करते समय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बैंकों के विलयित कर्मचारियों सहित सभी पणधारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें।

आर.आर.बी. जमाओं पर ब्याज दर

1012. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रायोजक बैंकों द्वारा आर.आर.बी. को पुनर्वित्त के रूप में कुल कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख) प्रत्येक प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने प्रायोजित आर.आर.बी. को पुनर्वित्त करते समय किस दर से ब्याज लिया गया; और

(ग) प्रत्येक प्रायोजक बैंक द्वारा अपने प्रायोजित आर.आर.बी. को एस.एल.आर. तथा गैर-एस.एल.आर. जमाओं के लिए कितनी ब्याज दर की पेशकश की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) प्रयोजिक बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) को विगत तीन वर्षों के दौरान दी गई पुनर्वित्त की कुल राशि निम्नानुसार है:-

करोड़ रुपये में

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
1	2
2004-05	449.53
2005-06	959.14
2006-07	1,898.69

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना

1013. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है जैसा कि दिनांक 21 अक्तूबर, 2007 के 'द इकॉनोमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) इसके रास्ते में क्या रुकावटें आ रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद ने "ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण" अनुमोदित करते हुए अपेक्षाकृत तीव्र और अधिक समावेशी विकास का समर्थन किया है। इस व्यापक परिकल्पना में परस्पर जुड़े छ: संघटक शामिल किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, ऐसे तीव्र विकास को शामिल किया गया है जिसमें गरीबी कम करने के लिए रोजगार अवसरों का सृजन; आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता: समान अवसर और शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार गारंटी, अन्य हकदारियों के माध्यम से अधिकारिता; पर्यावरणीय संपोषणीयता; लिंग संतुलन और उत्तम अभिशासन शामिल हैं। इन क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों से भारत की स्थिति में सुधार आएगा।

ऊर्जा सहयोग संबंधी शिखर सम्मेलन

1014. श्री रेवती रमन सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आयोजित ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले 10 सदस्यीय आसियान देशों ने ऊर्जा सहयोग को सुदृढ़ करने तथा बढ़ावा देने पर अपनी सहमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे आर्थिक विकास पर तेल के उच्च मूल्यों के

नाकारात्मक प्रभाव को निष्प्रभावी करने तथा देश के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) सीबू, फिलीपिंस में दिनांक 15 जनवरी, 2007 को आयोजित दूसरे ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन (ई.ए.एस.) में क्षेत्र के विकास हेतु वहनीय ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित करने के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणतंत्र और न्यूजीलैंड समेत आसियान के सदस्य देशों के राज्य/सरकारों के 16 प्रमुखों के बीच विचार-विमर्श में ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा के नवीकरण व वैकल्पिक स्रोतों, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया।

छः आधारभूत क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि

1015. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के छः आधारभूत क्षेत्रों में जुलाई, 2007 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की 11% वृद्धि की तुलना में मात्र 6.3% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में मंदी के क्या कारण हैं;

(ग) अगस्त तथा सितम्बर, 2007 में उक्त आधारभूत क्षेत्रों की वृद्धि दर तथा 2006 में इसी अवधि के दौरान तदनुरूप वृद्धि कितनी थी; और

(घ) इन क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ाने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) अवसंरचना पर प्रभाव डालने वाले छः प्रमुख उद्योगों की वर्षानुवर्ष वृद्धि नीचे सारणी में दर्शाई गई है:

अवसंरचना पर प्रभाव डालने वाले छः उद्योगों का निष्पादन
(वर्षानुवर्ष वृद्धि प्रतिशत में)

उद्योग	2006-07			2007-08		
	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
बिजली	8.9	4.1	11.5	7.5	9.2	4.3
कोयला *	9.1	0.6	-0.8	1.1	8.7	6.2
परिष्कृत इस्पात	15.0	9.5	10.6	9.6	8.5	10.3
कच्चा पेट्रोलियम	4.1	12.0	9.4	0.9	6.5	-0.7
शोधनशाला उत्पाद	12.6	12.1	13.4	4.7	8.2	6.9
सीमेंट	14.0	2.9	16.5	9.0	16.2	5.0
समग्र	10.9	6.6	10.6	6.8	9.2	6.0

इन उद्योगों में उत्पादन को उपलब्ध क्षमता और समग्र मांग तथा आपूर्ति की स्थिति से नियंत्रित किया जाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भौतिक अवसंरचना के निर्माण को दी गई प्राथमिकता से इन क्षेत्रों में उत्पादन को काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

न्यायालयों में कर्मचारियों की कमी

1016. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट

में यह इंगित किया गया है कि कर्मचारियों की कमी मामलों में बैकलॉग के लिए उत्तरदायी है तथा यह उजागर करती है कि उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों दोनों में रिक्तियों का मामलों के लंबित रहने पर सीधा प्रभाव पड़ता है जिनमें जनवरी-मार्च तथा अप्रैल-जुलाई 2007 तिमाहियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार न्यायालयों में कब तक पदों की संख्या में वृद्धि या कम से कम वर्तमान में रिक्त पदों को भरने जा रही है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) उच्चतम न्यायालय ने सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत के विधि आयोग ने 1987 में प्रस्तुत अपनी 120वीं रिपोर्ट में न्यायाधीश पद संख्या के प्रश्न की समीक्षा की थी और यह सुझाव दिया था कि न्यायाधीश पद संख्या को, जो उस समय 10.5 न्यायाधीश प्रति 10 लाख जनसंख्या थी, 5 वर्ष की अवधि के भीतर बढ़ाकर 50 न्यायाधीश प्रति 10 लाख जनसंख्या किया जाए। संसद् की स्थायी समिति ने फरवरी, 2002 में प्रस्तुत अपनी 85वीं रिपोर्ट में विधि आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुपात का समर्थन किया था। इस मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में हुए मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में भी विचार-विमर्श किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 1989 की रिट याचिका (सिविल) सं. 1022 में तारीख 21 मार्च, 2002 के अपने निर्णय में यह निदेश दिया था कि न्यायाधीश पदसंख्या को एक चरणबद्ध रीति में बढ़ाकर 50 न्यायाधीश प्रति 10 लाख जनसंख्या किया जाए। जहां तक उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या का संबंध है, सरकार इस विषय का त्रैवार्षिक पुनर्विलोकन करती है और ऐसे अंतिम पुनर्विलोकन के पश्चात्, सरकार ने हाल ही में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या में 152 पदों की वृद्धि की है, जिससे 21 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की अनुमोदित पदसंख्या 944 हो गई है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा चलाया जाता है। उच्च न्यायालयों तक न्याय प्रशासन का विषय राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों की परिधि के अंतर्गत आता है और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों में वृद्धि करने और अपने-अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के विषयों के संबंध में विनिश्चय करना संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम

1017. श्री संतोष गंगवार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीमा धारकों द्वारा बीमाकृत राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम की कितनी पॉलिसियां रद्द की गई हैं; और

(ख) ऐसी पॉलिसियों में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में पालिसीधारकों द्वारा प्रीमियम की अदायगी न किए जाने के कारण व्यपगत हुई पालिसियों की कुल संख्या 77,73,718 थी।

(ख) वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यपगत पालिसियों में अंतर्ग्रस्त कुल वार्षिक प्रीमियम 3334.82 करोड़ रु. था।

[अनुवाद]

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1018. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में एक और अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी कुल अनुमानित लागत एवं विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं (यू.एम.पी.पी.) स्थापित करने की

पहल की है। प्रत्येक परियोजना लगभग 4000 मेगावाट क्षमता वाली एवं लगभग 16,000 करोड़ रुपये के संभावित निवेश वाली है। इस पहल के तहत् केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तटीय स्थान पर यू.एम.पी.पी. (आयातित कोयले पर आधारित) स्थापित करने के लिए तमिलनाडु में चेय्यूर को चिन्हित किया है। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा अभी इस स्थान के लिए अपेक्षित मंजूरियां दी जानी हैं, तथापि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को हाल ही में, स्थल को बदलने तथा राज्य में अतिरिक्त यू.एम.पी.पी. स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण ब्याज दर में कमी

1019. **श्री जी.एम. सिद्धीश्वर:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत स्वसहायता समूहों (एस.एच.जी.) को बैंकों द्वारा ऋण की मनाही के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संदर्भ में स्वरोजगारियों की समस्या का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्वसहायता समूहों के लिए ब्याज दर में कमी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत तीन वर्षों के दौरान की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	लक्ष्य		कुल संवितरित ऋण	
	राशि	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	राशि	उपलब्धि का प्रतिशत
2004	1363.12	962396	816.11	59.87
2005	1518.76	1055335	927.30	61.05
2006	1597.06	1177366	1095.15	68.57

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, संवितरण बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दर्शा रहा है।

सभी बैंकों में, स्वर्णजयंती रोजगार योजना के अंतर्गत स्वसहायता समूहों को बैंकों द्वारा ऋण अस्वीकृति सहित सभी ग्राहक शिकायतों पर ध्यान देने के लिए एक मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र है। इस संबंध में समय-समय पर बैंकों को विभिन्न अनुदेश जारी किए गए हैं। किसी भी ग्राहक की इसमें योजना के अंतर्गत ऋण की अस्वीकृति भी शामिल हो सकती है कि शिकायत जायज है तो संबंधित बैंक द्वारा उस पर ध्यान दिया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक शाखा स्तर पर आवेदनों की विचाराधीनता के कारण पता लगाने के लिए स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का एक त्वरित अध्ययन किया गया था। अध्ययन में, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदनों में नीचे लिखे कारण/बाधाएं दर्शायी गयीं।

- बैंकों को अव्यवहार्य और अविनियोजनीय प्रस्तावों का अग्रेषण।
- अधिकतम आवेदन एक ही प्रकार के कार्य से संबंधित थे, जिससे कार्य की बहुलता हो गयी।
- सरकारी एजेंसियों और बैंक अधिकारियों की बीच समन्वय का अभाव।
- प्रायोजन एजेंसियों द्वारा आवेदनों को इकट्ठा करना तथा वर्ष के अंत में आवेदनों की प्रस्तुति।

भारत सरकार द्वारा अपनी नौवीं बैठक में गठित केन्द्रीय स्तर की समन्वय समिति ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण आवेदनों की विचाराधीनता व अस्वीकृति के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति की नौवीं बैठक के विचार-विमर्श के अनुपालन के स्वरूप, ऋण आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए एक तंत्र विकसित करने हेतु वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को अनुदेश जारी किए गए हैं तथा राज्य सरकार जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के माध्यम से ऋण आवेदनों का समय पर प्रयोजन सुनिश्चित करेगी।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्यानों में अतिक्रमण

1020. **श्री रशीद मसूद:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने उद्यानों में अतिक्रमण किया गया है;

(ख) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऐसे उद्यानों की संख्या कितनी है जिनमें मंदिर या मस्जिदों का निर्माण कर दिया गया है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्यानों से अतिक्रमण कब तक हटा दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि 98 पार्कों में अतिक्रमण हुआ है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि 55 पार्कों में मंदिरों या मस्जिदों का निर्माण किया गया है।

(ग) पार्कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। तथापि, डी.डी.ए. इन पार्कों को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयास कर रहा है, जिसमें इस प्रयोजनार्थ गठित समिति को धार्मिक आधार पर अतिक्रमण के मामलों का भेजना शामिल है।

[अनुवाद]

किराये की कोख को विनियमित करने के लिए कानून

1021. **श्री सुरेश अंगड़ि:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोख को किराये पर देने के मामलों में वृद्धि हो रही है जैसा कि दिनांक 15 अक्तूबर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में किराये की कोख को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितना समय लग जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) देश में कोख किराए पर लिए जाने के मामलों में वृद्धि की प्रवृत्ति के संबंध में सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

(ख) और (ग) देश में कोख किराए पर लिए जाने की पद्धति को विनियमित करने के संबंध में कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा नवम्बर, 2005 में निरूपित "भारतीय

क्लिनिकों में सहायता-प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण तथा विनियमन हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश" अनुमोदित किए हैं तथा राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रचालित किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध इन दिशा-निर्देशों में कोख को किराए पर देने वाली माताओं की जरूरतों तथा कोख को किराए पर देने के लिए सामान्य परिस्थितियों, विभिन्न सहायता-प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जन्मे बच्चे के अधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान हैं।

शहरी स्थानीय निकाय

1022. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शहरी स्थानीय निकायों की कमजोर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर सरकार ने उनमें सुधार करने के लिए 21-सूत्री एजेंडा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन शहरी स्थानीय निकायों में कुछ सेवाएं प्रदान करने तथा उनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र को शामिल करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने तथा उन्हें सहारा देने के लिए एक 21-सूत्री एजेंडा तैयार किया है ताकि उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां डाली जा सके। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को एजेंडा परिचालित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) शहरी स्थानीय निकायों को, सेवाओं का आवश्यकतानुसार विकेन्द्रीकरण करके कुछेक शहरी बुनियादी सेवाएं मुहैया और प्रबंधन करने में निजी क्षेत्र को शामिल करने का भी परामर्श दिया गया है।

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण

1023. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों से कदाचार में शामिल उनके एजेंटों के नाम सार्वजनिक करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन बीमा कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक ऐसे एजेंटों की पहचान कर ली है और उनके नाम सार्वजनिक कर दिए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सूचित किया है कि उसने अपने दिनांक 15-10-2007 के परिपत्र के तहत सभी बीमा कंपनियों से ऐसे एजेंटों जो किसी भी प्रकार के कदाचार में संलिप्त हैं, के ब्यौरे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। आई.आर.डी.ए. ने आगे यह सूचित किया है चूंकि परिपत्र अभी हाल ही में जारी किया गया है, अत: ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

फ्लाई एश ईंटों को बढ़ावा देना

1024. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "फ्लाई एश" से बनी ईंटों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में "फ्लाई एश" से बनी ईंटों का उपयोग करने की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे भवनों के टिकाऊपन के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 14-9-1999 की सरकारी अधिसूचना सं. 563 जिसे बाद में दिनांक 27-8-2003 की अधिसूचना सं. 773 द्वारा संशोधित किया गया, में कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित ताप ऊर्जा संयंत्रों से 100 कि.मी. के दायरे के भीतर सरकारी भवनों

समेत सभी निर्माण कार्यकलापों में प्रयुक्त होने वाली ईंटों में "फ्लाई एश" का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है।

(घ) और (ङ) फ्लाई एश ईंटों से निर्मित भवन की मजबूती की जांच के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, इस प्रकार की ईंटों से बनी संरचनाओं में किसी खराबी की भी कोई सूचना नहीं है। टेक्नॉलाजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल (टी.आई.एफ. ए.सी.) के तहत फ्लाई एश मिशन (जो अब फ्लाई एश यूटिलाइजेशन प्रोग्राम है) द्वारा भी देश की चार प्रयोगशालाओं में अध्ययन कराया गया था। इस अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार निर्मित फ्लाई एश ईंटें भी मिट्टी की ईंटों के बराबर ही मजबूत हैं।

[अनुवाद]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

1025. **श्री टेकलाल महतो:**

श्री एन.एस.वी. चित्तन:

श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री राजनरायन बुधौलिया:

श्री हितेन बर्मन:

श्री तथागत सत्पथी:

श्री एल. राजगोपाल:

श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में वर्ष-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई तथा प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) सौंपी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या के वर्षवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को इस उद्देश्य हेतु जारी की गई निधियों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। 570 जिलों के लिए रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन द्वारा 611 परियोजनाएं प्राप्त की गई हैं। राज्यवार प्राप्त की गई परियोजनाएं तथा सरकार द्वारा उन पर की गई कार्यवाही विवरण-III में दी गई है। सरकार ने 10वीं योजना के लिए कैपीटल सब्सिडी के रूप में 5000 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय को ध्यान में रखते हुए योजना के चरण-I में कार्यान्वयन हेतु 235 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। शेष परियोजनाएं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् 11वीं योजना में शुरू की जानी प्रस्तावित हैं।

विवरण-I

गांवों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या, जहां कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य किए जाने की सूचना

क्र. सं.	राज्य	2005-06 के दौरान			2006-07 के दौरान			2007-08 के दौरान (9-11-2007 के अनुसार)			संचयी (16-11-2007 के अनुसार)		
		विद्युतीकृत (संख्या)	अविद्युतीकृत (संख्या)	कुल	विद्युतीकृत (संख्या)	अविद्युतीकृत (संख्या)	कुल	विद्युतीकृत (संख्या)	अविद्युतीकृत (संख्या)	कुल	विद्युतीकृत (संख्या)	अविद्युतीकृत (संख्या)	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	5614	0	5614	5,614	0	5,614
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
4.	बिहार	0	1600	1600	0	8415	8415	0	1,542	1542	0	11557	11,557
5.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	31	31
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
7.	गुजरात	0	0	0	625	0	625	31	0	31	656	0	656
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
11.	कर्नाटक	350	47	397	8000	0	8000	4,087	0	4087	12437	47	12,484
12.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	50	15	65	50	15	65

14. छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	266	29	295	266	29	295
15. महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
16. मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
17. मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
18. मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
19. नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
20. उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
21. पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
22. राजस्थान	0	230	230	570	765	1335	0	366	366	570	1361	1,931
23. सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. उत्तर प्रदेश	0	7503	7503	0	16620	16620	0	2,152	2152	0	26275	26,275
27. उत्तरांचल	0	87	87	2332	798	3130	0	219	219	2332	1,104	3287
28. पश्चिम बंगाल	0	352	352	0	2108	2108	0	808	808	0	3268	3,268
29. दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल जोड़	350	9819	10169	11527	28706	40233	10063	5,162	15225	21,940	43,687	65627

विवरण-II

12-11-2007 के अनुसार आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत राज्यवार तथा वर्ष वार वितरित राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत संवितरित राशि				कुल
		2004-05 के दौरान	2005-06 के दौरान	2006-07 के दौरान	2007-08 के दौरान (12-11-2007 तक)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश			94.35	191.36	285.71
2.	असम			39.22		39.22
3.	बिहार	200.24	181.74	470.14	398.97	1251.09
4.	छत्तीसगढ़		*6.50	36.18	12.34	55.02
5.	गुजरात			13.36	12.15	25.52
6.	हरियाणा			12.33	12.34	24.67
7.	हिमाचल प्रदेश			7.48		7.48
8.	झारखण्ड		*3.50	*285.24	136.47	425.21
9.	जम्मू-कश्मीर			19.59		19.59
10.	कर्नाटक		72.59	87.36	92.58	252.53
11.	केरल			5.13		5.13
12.	मध्य प्रदेश			104.66	60.08	164.74
13.	महाराष्ट्र			10.02		10.02
14.	मणिपुर			13.53		13.53
15.	मेघालय				12.73	12.73
16.	नागालैण्ड			4.23	0.26	4.49
17.	उड़ीसा		*3.50	63.67	52.17	119.34
18.	राजस्थान	9.33	47.20	87.19	86.56	230.28

1	2	3	4	5	6	7
19.	उत्तर प्रदेश	639.96	172.64	1544.41	95.02	2452.03
20.	उत्तराखण्ड		59.44	278.28	17.89	355.61
21.	पश्चिम बंगाल	114.49	0.93	204.76	26.33	346.51
	कुल	964.02	548.04	3381.13	1207.25	#6155.90

*सी.पी.एस.यू. को अग्रिम अदायगी

बी.पी.एल. घरों के विद्युतीकरण के लिए जारी 55.46 करोड़ रुपये शामिल हैं।

वर्ष 2004-05 के दौरान वितरित राशि को आर.जी.जी.वी.वाई. के मुकाबले समायोजित कर लिया गया है क्योंकि वर्ष 2004-05 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम को आर.जी.जी.वी.वाई. के साथ मर्ज किया गया है।

विवरण-III

राज्यवार रूप से स्वीकृत, सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित तथा जांचाधीन आर.जी.जी.वी.वाई. डी.पी.आर. की संख्या

12-11-07 के अनुसार

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत एवं क्रियान्वयनाधीन (संख्या)	स्वीकृत किंतु अभी रुकी हुई हैं (संख्या)	सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित	जांचाधीन	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	17	–	5	4	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	–	14	0	16
3.	असम	3	4	8	8	23
4.	बिहार	26	3	9	6	44
5.	छत्तीसगढ़	3	2	–	11	16
6.	गुजरात	3	6	16	0	25
7.	हरियाणा	4	2	12	0	18
8.	हिमाचल प्रदेश	1	–	3	8	12
9.	जम्मू-कश्मीर	3	1	6	4	14
10.	झारखण्ड	13	–	5	4	22

1	2	3	4	5	6	7
11.	कर्नाटक	17	9	–	1	27
12.	केरल	1	6	7	0	14
13.	मध्य प्रदेश	8	8	5	27	48
14.	महाराष्ट्र	4	13	–	17	34
15.	मणिपुर	2	1	1	0	4
16.	मेघालय	2	1	–	4	7
17.	मिजोरम	2	6	–	0	8
18.	नागालैण्ड	2	1	2	6	11
19.	उड़ीसा	4	2	3	22	31
20.	पंजाब	–	1	16	0	17
21.	राजस्थान	25	2	12	2	41
22.	सिक्किम	2	2	–	0	4
23.	तमिलनाडु	–	16	13	0	29
24.	त्रिपुरा	1	–	1	2	4
25.	उत्तर प्रदेश	64	–	2	5	71
26.	उत्तरांचल	13	–	–	0	13
27.	पश्चिम बंगाल	13	–	–	19	32
	कुल	235	86	140	150	611

स्रोत-आर.ई.सी.

महिलाओं के कल्याण के लिए धनराशि

1028. **श्री मो. ताहिर:**

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं के कल्याण के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को जारी की गई धनराशि का वे दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का योजना-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाल दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों के लिए और कठोर नियम बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग की शिकायतें कभी-कभी इस मंत्रालय को प्राप्त होती हैं।

(ख) जिन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन संगठनों का स्कीमवार एवं राज्यवार ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) काली सूची में डाले गये संगठनों की सूची मंत्रालय की वेब साइट http://www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों/राज्य समाज कल्याण बोर्डों से कहा गया है कि वे इन शिकायतों की जांच करके अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय/केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को भेजें। जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब इन शिकायतों की जांच करके जारी की गई निधियों की वसूली करने/सरकारी निधि का दुरुपयोग करने वाले संगठन को काली सूची में डालने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन तथा मॉनीटरन का तंत्र इस स्कीम में अन्तर्निहित है। आवधिक रिपोर्टों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों द्वारा इन कार्यक्रमों का नियमित रूप से मॉनीटरन किया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का मध्यावधि मूल्यांकन स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से कराया जाता है। संगठनों के प्रस्तावों की जांच के लिए राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति इन प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात् ही केन्द्र सरकार को इन प्रस्तावों की सिफारिश करती है। संस्वीकृति के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार करने से पहले उस प्रस्ताव का संस्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन भी किया जाता है।

विवरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	गैर सरकारी संगठनों/संगठन के नाम
1	2	3
		2004-05
1.	अल्पावास गृह	अध्यक्ष, उदयश्री महिला समाज, नैनपट्ट, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश
2.	प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायत्व	ग्रामोत्थान औद्योगिक समिति, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश"
		2005-06
3.	परिवार परामर्श केन्द्र तथा अल्पावास गृह	पीपल एक्शन फॉर सोशल सर्विस, चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश
4.	–तदैव–	रैगबोरटूक क्लब लाइब्रेरी, डाकघर असलकांडी, जिला करीमगंज, असम
5.	शिशुगृह	एम.एच.आई.पी. वैवकवन ब्रांच, आईजौल, मिजोरम
6.	परिवार परामर्श केन्द्र	सहारा परिवार परामर्श केन्द्र, उड़ीसा

1	2	3
7.	शिशुगृह	राजस्थान नवचेतना समिति, कोटपुतली, जयपुर
8.	संक्षिप्त पाठ्यक्रम	महिला कल्याण समिति, अल्गापुर, धर्मनगर, पुलिस थाना व जिला उत्तरी त्रिपुरा
9.	अल्पावास गृह	श्रीमती शांति ठाकुर, कार्यपालक, जनजाति महिला कल्याण एवं बालोत्थान समिति, उत्तरकाशी
		2006-07
10.	शिशुगृह	रूरल आर्गनाइजेशन फॉर पावर्टी इरैडिकेशन, उड़ीसा
11.	शिशुगृह, जागरूकता विकास कार्यक्रम	आधार, मयूरभंज, उड़ीसा

*भारत सरकार ने इस अभिकरण को काली सूची में डाल दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार से है कि इस मंत्रालय की स्टेप स्कीम के अन्तर्गत अब तक जारी की गई कुल राशि तथा उस पर दांडिक ब्याज की वसूली करने के लिए कहा गया है। तत्पश्चात्, इस संगठन ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में इस वसूली आदेश पर रोक की याचिका दायर की। अब यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रतिस्पर्धा आयोग

[हिन्दी]

1027. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इसकी मुख्य विशेषताएं तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में इसकी क्या भूमिका है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकने के लिए, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और इसे बनाए रखने के लिए, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए तथा भारत के बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा व्यापार-कार्य करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तथा इनसे संबंधित या इनके परिणामस्वरूप उठे मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

1028. श्री अनंत गुढ़े: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पवन ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मोथा में और अधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी हां। सरकार को मोथा, जिला अमरावती को 'पवन संभाव्यता वाले स्थलों की सूची' में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जहां 50 मीटर की ऊंचाई पर 200 वाट/वर्ग मी. अथवा इससे अधिक का न्यूनतम पवन विद्युत घनत्व मौजूद है।

(ग) पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी.वैट), चैन्नई और महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (मेडा), पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रस्ताव की विस्तृत जांच की गई। इसके आधार

पर मेडा को यह सुझाव दिया गया कि मोथा और इसके आस-पास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 1040 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले स्थान को ग्रीड-सम्बद्ध पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है जो विकासकर्त्ताओं द्वारा तैयार की गई माइक्रो-साइटिंग रिपोर्ट पर आधारित होंगे।

[अनुवाद]

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑशन टेक्नॉलजी, चेन्नई

1029. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑशन टेक्नॉलाजी, चेन्नै ने विभिन्न प्रौद्योगिकी विकास संबंधी क्रियाकलाप किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑशन टेक्नॉलाजी ने पोली मेटलिक नोड्यूल संबंधी प्रौद्योगिकी अनुसंधान कार्यक्रम भी आरंभ किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.), चेन्नई ने अन्य के साथ-साथ निम्न तापमान वाला ताप विलवणीकरण, गैस हाइड्रेट्स, बहुधात्विक पिंडिकाओं की खोज करने और यंत्रीकरण जैसी प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित अनेक क्रियाकलाप शुरू किए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक प्रोटोटाइप उथली संस्तर खनन प्रणाली का डिजाइन तैयार कर विकसित किया है तथा सफलतापूर्वक उसका प्रदर्शन किया है जो 500 मी. की गहराई के कार्य कर सकता है, 517 मी. गहरे जल में कार्य करने वाली एक कृत्रिम पिंडिका बिछाने वाली प्रणाली विकसित की है तथा 5200 मीटर गहरे जल में मृदा की शक्ति क्षमता मापने के लिए स्व:स्थाने मृदा का नमूना लेने वाला यंत्र तैयार किया है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन

1030. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री काशीराम राणा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्युत अधिनियम जिसे कि विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए बनाया गया था, के गलत क्रियान्वयन के कारण निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां इसका अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर रही हैं और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण अथवा आकलन कराया है;

(ग) क्या सरकार ने निजी विद्युत वितरण कंपनियों के जन-विरोधी कार्य के बारे में राज्य-सरकारों से विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) विद्युत एक समवर्ती विषय है। वितरण राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। तदनुसार, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा शासित होती हैं। अधिनियम में व्यवस्था है कि प्रत्येक वितरण लाइसेंसी, एस.ई.आर.सी. द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपभोक्ता शिकायत निवारक मंच की व्यवस्था करेगा। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि एस.ई.आर.सी. लोकपाल की नियुक्ति करेगा, जो मंच द्वारा शिकायत का समाधान न होने के कारण पीड़ित उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करेगा।

इसके अलावा, अधिनियम में अधिनियम अथवा नियम के या उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों अथवा उपयुक्त विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किसी प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए किसी व्यक्ति (कंपनी अथवा निगमित निकाय समेत) पर विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दंड आरोपित करने का भी प्रावधान है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 के संदर्भ में डिस्कॉम समेत किसी भी व्यक्ति पर विद्युत अधिनियम/राज्य अधिनियमों, विनियमों/लाइसेंस शर्तों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन

1031. श्री बापू हरी चौरे:

श्री संजय धोत्रे:

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने की योजना को मंजूरी दी है, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी वित्तीय प्रभाव क्या है; और

(ग) सरकार उक्त पेंशन योजना को कब तक क्रियान्वित करेगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। प्रति वर्ष 3772.56 करोड़ रु. का वित्तीय प्रभाव पड़ता है।

(ग) योजना 19-11-2007 को लागू की गई थी।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बड़ी संख्या में आम लोगों का आगमन

1032. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) संबंधी विशेषज्ञों की समिति ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आम लोगों की संख्या में भारी वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने द्वीपसमूह में बड़ी संख्या में आम लोगों के आगमन को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने की भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में जनसंख्या में हुई चौंकाने वाली वृद्धि और द्वीपसमूह के आदिम जनजातीय समूहों पर इसके प्रभाव के मुद्दों पर चर्चा की। समिति ने यह नोट किया कि अंडमान की जनजातियों द्वारा जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या का सामना किया जा रहा है वह जनसंख्या विस्फोट की समस्या है, जो अंडमान और निकोबार के वनों के लिए खतरा बन गई है और स्वच्छ जल दुर्लभ हो गया है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय ने अंडमान व निकोबार प्रशासन को पहले ही यह निर्देश दे दिए हैं कि वह द्वीपसमूह में जनसंख्या की वृद्धि का मूल्यांकन करे ताकि गृह मंत्रालय उपयुक्त उपाय कर सके।

[हिन्दी]

बैंकों में धोखाधड़ी

1033. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या वित्त मंत्री 1 अगस्त, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 04 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सी.बी.आई. अथवा पुलिस को सौंपे गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामलों में कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई;

(घ) क्या धोखाधड़ी के उपरोक्त मामलों में अंतर्ग्रस्त धनराशि की वसूली कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान धोखाधड़ी के कारण संबंधित पक्ष द्वारा प्राप्त न की गई धनराशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 2004, 2005, 2006 और 2007 (जून तक) में धोखाधड़ी की संख्या, उसमें शामिल राशि का बैंकवार ब्यौरा, जैसा बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) को सूचित किया गया है, संबंधी ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एक करोड़ रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ी की सूचना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और एक करोड़ रुपए से कम राशि की धोखाधड़ी की सूचना स्थानीय पुलिस को देना आवश्यक है। आर.बी.आई. ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच करें। दोषी कर्मचारियों, जो धोखाधड़ी के मामलों में शामिल होते हैं, के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	दोषी ठहराए गए कर्मचारियों की संख्या	बड़े/छोटे दंड लगाए गए कर्मचारियों की संख्या	कॉलम II में से बर्खास्त/ सेवामुक्त/ निकाले गए कर्मचारियों की संख्या	दोषमुक्त कर्मचारियों की संख्या	उन कर्मचारियों की सं. जिनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन लंबित है	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित है
2004	1.27	1590	461	69	635	1429
2005	120	1506	451	33	658	1404
2006	43	1416	437	48	596	1340
2007 (जून तक)	66	732	183	34	575	1235

(घ) और (ङ) वर्ष 2004, 2005, 2006 और 2007 (जून तक) के दौरान बैंक धोखाधड़ी के मामलों में वसूली गयी राशि निम्नलिखित है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

	2004	2005	2006	2007 (जून तक)
सरकारी क्षेत्र के बैंक	138.35	127.78	231.81	236.09

(च) बैंकवार राशियों, जो धोखाधड़ी के कारण संबंधित पक्ष द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकीं, का ब्यौरा आर.बी.आई. के पास नहीं है।

विवरण

वर्ष 2004 से 2006 तक और जून 2007 तक के लिए कैलेन्डर वर्ष वार आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2004		2005		2006		2007 (जून तक)	
		धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि
1.	भारतीय स्टेट बैंक	350	32.84	437	136.48	469	72.03	257	57.17
	एस.बी.आई. (विदेशी शाखाएं)	1	0.03	2	0.21	1	0.22	0	0.00
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	27	2.45	24	1.73	41	20.96	30	13.08
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	66	13.32	43	2.23	51	5.16	21	2.05
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	25	2.91	35	39.83	64	5.26	37	3.43
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	7	1.37	27	17.53	17	8.02	16	23.66
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	49	9.59	62	26.14	42	3.68	15	1.81
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	16	2.90	15	33.68	10	3.34	11	4.97
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	19	6.07	16	2.91	34	2.90	29	3.81
9.	इलाहाबाद बैंक	30	2.40	54	34.45	44	8.20	11	15.39
10.	आन्ध्रा बैंक	65	12.26	42	4.36	49	32.70	21	1.55
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	232	40.07	230	40.67	145	13.91	87	15.92
	बी.ओ.बी. (विदेशी शाखाएं)	8	0.31	3	0.29	3	0.04	6	0.06
12.	बैंक ऑफ इंडिया	130	17.31	163	83.69	138	29.33	94	27.67
	बी.ओ.आई. (विदेशी शाखाएं)	1	0.05	3	2.32	1	0.24	0	0.00

13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9	0.87	14	4.87	19	14.11	25	3.77
14.	केनरा बैंक	184	41.87	213	40.51	166	117.15	92	58.68
15.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	140	52.88	143	56.03	153	53.92	71	21.84
16.	कारपोरेशन बैंक	252	13.97	115	43.35	69	17.05	37	7.80
17.	देना बैंक	38	4.30	31	29.27	53	48.74	31	12.48
18.	आई.डी.बी.आई. लि.			60	28.73	80	28.17	23	3.03
19.	इंडियन बैंक	134	23.91	107	51.60	110	22.38	34	1.19
	विदेशी शाखाएं			2	1.72	0	0.00	0	0.00
20.	इंडियन ओवरसीज बैंक	85	10.51	76	57.25	115	56.37	91	22.72
	विदेशी शाखाएं			2	0.01	0	0.00	1	0.12
21.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	40	17.98	59	121.45	24	16.89	14	2.25
22.	पंजाब नैशनल बैंक	222	41.98	197	65.27	181	25.67	83	15.84
23.	पंजाब एंड सिंध बैंक	24	3.87	36	5.24	20	9.26	9	1.87
24.	सिंडिकेट बैंक	148	13.07	119	21.42	96	25.58	48	12.58
	विदेशी शाखाएं	1	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	71	34.43	94	40.23	114	56.03	41	9.54
26.	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	23	28.16	26	17.30	52	62.47	47	9.37
27.	यूको बैंक	72	12.50	110	75.19	91	43.11	49	19.63
28.	विजया बैंक	51	6.43	98	48.43	116	41.87	54	23.58
	कुल	2520	451.04	2658	1134.39	2568	844.76	1385	396.86

[अनुवाद]

अलमाटी बांध से विद्युत उत्पादन

1034. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अलमाटी बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) ने अलमाटी बांध से छोड़े जाने वाले अतिरिक्त जल प्रवाह का, कृष्णा नदी के नारायणपुर जलाशय के माध्यम से अपर कृष्णा कासकेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (2x35+2x65 + 2x35=270 मेगावाट) में उपयोग के लिए सितंबर, 2003 में संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की है। तथापि, कर्नाटक सरकार द्वारा, नारायणपुर बांध से नीचे की ओर विद्युत उत्पादन के लिए, नियंत्रित जल की मात्रा का कोई वायदा न किए जाने से तथा परियोजना के आर्थिक रूप से व्यवहार्य न होने के कारण, एन.एच.पी.सी. ने परियोजना बंद करने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

नोटरियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार

1035. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में केन्द्रीय नोटरी पब्लिक की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितने उम्मीदवारों ने नोटरी पब्लिक के लिए आवेदन किया तथा कितनों की नियुक्ति की गई;

(ङ) क्या कुछ राज्यों में नोटरियों की संख्या अपर्याप्त है; और

(च) यदि हां, तो देश में नोटरियों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों तथा नियुक्त किए गए नोटेरी पब्लिकों की संख्या (राज्यवार) दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) निम्नलिखित राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों पर तथा साथ ही वाणिज्यिक क्रियाकलापों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भी उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम नोटेरियों की संख्या में, नोटेरी नियम, 1956 की अनुसूची का संशोधन करके वृद्धि की गई है:-

आन्ध्र प्रदेश

गुजरात

केरल

मध्य प्रदेश

तमिलनाडु

महाराष्ट्र

कर्नाटक

राजस्थान

उत्तर प्रदेश

गोवा

छत्तीसगढ़।

पंजाब और हरियाणा राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों की अधिकतम संख्या में भी वृद्धि की गई है।

विवरण

पिछले एकवर्ष के दौरान राज्यवार (अर्थात् 1-11-2006 से 31-10-2007 तक) प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के ब्यौरे/नियुक्त किए गए नोटेरियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/ प्रशासन का नाम	एक वर्ष के दौरान प्राप्त हुए अभ्यावेदनों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन	एक वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए नोटेरियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	105	38
2.	असम	01	00
3.	बिहार	18	07
4.	गुजरात	302	110
5.	केरल	143	101
6.	मध्य प्रदेश	29	04
7.	तमिलनाडु	244	57
8.	महाराष्ट्र	711	267
9.	कर्नाटक	176	70
10.	उड़ीसा	05	01
11.	पंजाब	144	103
12.	राजस्थान	131	55
13.	उत्तर प्रदेश	568	190
14.	पश्चिमी बंगाल	23	03
15.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य
16.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य
17.	हरियाणा	199	120
18.	हिमाचल प्रदेश	03	01
19.	मणिपुर	शून्य	शून्य
20.	त्रिपुरा	01	शून्य

1	2	3	4
21.	मेघालय	शून्य	शून्य
22.	सिक्किम	शून्य	शून्य
23.	मिजोरम	शून्य	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
25.	गोवा	05	शून्य
26.	उत्तरांचल	04	01
27.	छत्तीसगढ़	10	01
28.	झारखण्ड	11	01
29.	दिल्ली	42	34
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
32.	दादरा और नागर हवेली	शून्य	शून्य
33.	दमन और दीव	शून्य	शून्य
34.	पांडिचेरी	18	03
35.	चंडीगढ़	26	20

[अनुवाद]

ग्रामीण वित्त प्रणाली हेतु विश्व बैंक की सहायता

1036. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने ग्रामीण वित्त प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए ऋण संस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋण हेतु निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व बैंक की इस सहायता से किन-किन राज्यों को लाभ हुआ है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बैंक सहायता

1037. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

श्री पन्नियन रविन्द्रन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक अवसंरचना विकास शहरी परिवहन, स्वास्थ्य आदि के लिए ऋणों का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने किस्तों तथा उनके ब्याज के पुनः भुगतान में चूक की है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विश्व बैंक की सहायता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी राज्य सरकारें कौन-कौन सी हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मानक शर्तों और निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक को पुनः भुगतान किया गया है। अतः, राज्य सरकारों द्वारा चूक होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार ने कभी भी चूक नहीं की है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों के अनुरोध पर विश्व बैंक विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सहायता देता है; अतः विश्व बैंक की सहायता के प्रस्ताव को रद्द करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(राशि मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	हस्ताक्षर की तारीख	आईबीआरडी की वचनबद्धता	आईडीए की वचनबद्धता	वचनबद्धता (आईबीआरडी (+ आईडीए)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश समुदाय-आधारित तालाब प्रबंधन परियोजना	आंध्र प्रदेश	8-6-07	94.5	94.5	189
2.	तृतीय आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार ऋण/ उधार	आंध्र प्रदेश	8-2-07	150	75	225
3.	असम कृषिगत प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	असम	14-1-05	0	154	154
4.	बिहार ग्रामीण जीवनयापन परियोजना	बिहार	9-8-07	0	63	63
5.	हिमाचल प्रदेश विकास नीति ऋण	हिमाचल प्रदेश	19-11-07	135	65	200
6.	हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	हिमाचल प्रदेश	7-08-07	220	0	220
7.	हिमाचल प्रदेश मध्य-हिमालच जलसंभर विकास परियोजना	हिमाचल प्रदेश	19-01-06	0	60	60
8.	कर्नाटक समुदाय आधारित तालाब प्रबंधन परियोजना (पूरक)*	कर्नाटक	2-11-07	32	32	64
9.	कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली विकास और सुधार	कर्नाटक	16-10-06	0	141.83	141.83
10.	कर्नाटक पंचायत सुदृढीकरण परियोजना	कर्नाटक	24-7-06	0	120	120
11.	कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना	कर्नाटक	2-5-06	216	0	216

1	2	3	4	5	6	7
12.	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना	कर्नाटक	18-2-05	39.5	0	39.5
13.	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना	महाराष्ट्र	19-8-05	325	0	325
14.	उड़ीसा समाजिक-आर्थिक विकास ऋण-II	उड़ीसा	28-8-06	150	75	225
15.	पंजाब ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	पंजाब	26-2-07	0	154	154
16.	पंजाब राज्य सड़क परियोजना	पंजाब	26-2-07	250	0	250
17.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	राजस्थान	3-6-04	0	89	89
18.	तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जलाशय पुनरुद्धार और प्रबंधन परियोजना	तमिलनाडु	12-2-07	335	150	485
19.	तमिलनाडु अधिकारिता और निर्धनता उन्मूलन	तमिलनाडु	14-9-05	0	120	120
20.	तृतीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना (टी.एन.यू.डी.पी.-III)	तमिलनाडु	14-9-05	300	0	300
21.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	तमिलनाडु	5-1-05	0	110.83	110.83
22.	उत्तराखंड ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	उत्तराखंड	16-10-06	0	120	120
23.	उत्तराखंड विकेन्द्रीकृत जलसंभर विकास परियोजना	उत्तराखंड	30-7-04	0	69.62	69.62

[हिन्दी]

अल्पावधि जमा पर ब्याज दर

1038. श्री पंकज चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बैंकों में अल्पावधि जमा पर ब्याज दरें कम कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में अल्पावधि जमा पर ब्याज बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 22 अक्तूबर, 1997 से वाणिज्यिक बैंकों को उनके संबंधित निदेशक मंडल/आस्ति दायित्व प्रबंधन समिति की पूर्व मंजूरी से विभिन्न परिपक्वता वाली घरेलू मीयादी जमा पर अपनी स्वयं की ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी है। इसी प्रकार

बैंकों द्वारा जमा राशि पर ब्याज दर स्वयं निर्धारित की जाती है।

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अप्रैल, 2007 से अक्तूबर, 2007 की अवधि में एक वर्ष की परिपक्वता के लिए अपनी जमा दर की ऊपरी सीमा 2.75-9.00 प्रतिशत से 2.75-8.50 प्रतिशत तक घटाई है। इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों की, समान परिपक्वता के लिए जमा दरें 3.00-10.00 प्रतिशत से घटकर 2.50-9.25 प्रतिशत हो गयी हैं। इसी प्रकार विदेशी बैंकों की जमा दरें भी 3.00-9.50 प्रतिशत से घटकर 2.00-9.00 प्रतिशत हो गई।

(ग) और (घ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वरोजगार योजना

1039. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को ऋण देने हेतु कई स्व-रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये योजनाएं स्थानीय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता तथा इन संसाधनों पर आधारित रोजगार के अनुरूप हैं;

(घ) क्या इन योजनाओं को जारी रखने हेतु इनकी प्रभावोत्पादकता का आकलन करने के लिए आवधिक मूल्यांकन किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो स्व-रोजगार हेतु दिए गए ऋण के संदर्भ में उपलब्धियां क्या रहीं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्व-रोजगार के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाता है:

(i) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.), जो बेरोजगार या अल्प नियोजित शहरी गरीबों को स्व-रोजगार उद्यमों या मजदूरी पर रोजगार के जरिए लाभप्रद रोजगार प्रदान करती है।

(ii) स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), जो ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करती है।

(iii) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.), जो शिक्षित बेरोजगार युवकों को लाभप्रद स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करती है।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार की एजेंसियों और बैंकों की सहायता से स्थानीय रूप से अर्थक्षम परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी होती है।

(घ) और (ङ) योजनाओं के कार्य निष्पादन का संबंधित सरकारी विभागों के माध्यम से आवधिक रूप से मूल्यांकन/समीक्षा की जाती है। इन योजनाओं की खंड स्तरीय बैंकर समिति (बी.एल.बी.सी.), जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डी.एल.सी.सी.)/जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डी.एल.आर.सी.) और राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एस.एल.बी.सी.) की बैठकों में आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और उचित कार्यान्वयन के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। उपर्युक्त योजनाओं के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित ऋण नीचे दिया गया है:

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	एस.जे.एस.आर.वाई.	एस.जी.एस.वाई.	पी.एम.आर.वाई.
2004-05	14524	92730	148329
2005-06	17965	109515	162399
2006-07	19431	111740	153812*

टिप्पणी: *अनन्तिम

भारत और जर्मनी के बीच वैज्ञानिक सहयोग संबंधी समझौता

1040. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी और भारत ने हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) अगले पांच वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। 30 अक्तूबर, 2007 को जर्मनी के चांसलर की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने 1974 में हस्ताक्षरित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय विकास के क्षेत्र में सहयोग पर अन्तर-सरकारी करार के अंतर्गत भारत में भारत-जर्मन विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केन्द्र (आई.जी.एस.टी.सी.) की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) समझौता ज्ञापन के ब्यौरे और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) केन्द्र का नाम "भारत-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र" (आई.जी.एस.टी.सी.) होगा और नई दिल्ली में स्थापित किया जायेगा। आई.जी.एस.टी.सी. को नई दिल्ली में समितियां पंजीकरण अधिनियम (1860 का xxiवां अधिनियम, पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) जो दिल्ली के लिए भी लागू है, के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जायेगा।

(ii) आई.जी.एस.टी.सी. के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में उद्योग की सहभागिता को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाना,
- औद्योगिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए संसाधन मुहैया करने/जुटाने में सहायता प्रदान करना,
- इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का प्रोन्नयन और द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग में समयानुकूल अवसरों पर सूचना का प्रसार। केन्द्र प्रत्येक देश से एक-एक उच्च शिक्षित वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की सहायता से अभिरूचि वाले विषयों पर नवीनतम रिपोर्टों को भी तैयार/संकलित करेगा,
- भारत-जर्मन सहयोग की संभावनाओं पर दोनों देशों से संस्थानों और उद्योगों को पृथक-पृथक सलाह मुहैया करना और उपयुक्त सहभागियों की पहचान करने में मदद करना,
- सरकार, शिक्षण संस्थानों और उद्योग में पर्याप्त सहक्रिया के माध्यम से मौलिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोगों को सुविधाजनक बनाना और प्रोन्नत करना,
- नवोन्मेष और अनुप्रयोग के तत्वों/कारकों के पोषण हेतु सार्वजनिक-निजी सहभागिताओं (पी.पी.पी.) को प्रोत्साहित करना और विज्ञान तथा उद्योग के मध्य सहयोग की संस्कृति का पोषण करना,
- आपसी विश्वास, नेतृत्व और उद्यमवृत्ति की भावना को विकसित करने के लिए युवा और प्रौढ़ वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के मध्य सम्पर्क विकसित करना,
- दोनों देशों के वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक संस्थानों की पहचान के माध्यम से सहयोग विकसित करना,
- आपसी हित के प्रसंगों पर कार्यशालाएं, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य प्रकार के अवसरों का आयोजन करना, और
- आपसी रूप से सहमत कोई अन्य भविष्य की

गतिविधियों को सहायता प्रदान करना अथवा संचालित करना।

(ग) भारत और जर्मनी केन्द्र को चलाने और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अगले 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 2 मिलियन यूरो आवंटन करेंगे।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों का डिजाइन

1041. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे आवासों का डिजाइन बनाने का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है;

(ख) क्या विभिन्न जलवायु तथा पर्यावरणीय स्थितियों के मद्देनजर ही इन मकानों का डिजाइन तैयार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली आवासीय इकाइयों हेतु और अधिक डिजाइनों के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ङ) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अन्तर्गत निर्मित किए जा रहे मकानों के डिजाइन तैयार करने का कार्य किसी एजेंसी को नहीं सौंपा गया है। इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) दिशा-निर्देशों में आई.ए.वाई. आवासीय इकाइयों के लिए कोई डिजाइन निर्धारित नहीं किया गया है, केवल यह प्रावधान किया गया है कि मकानों का कुर्सी क्षेत्र 20 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तथापि, राज्य सरकारें पर्यावरण अनुकूल किफायती प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों, डिजाइनों आदि के संबंध में जिला/ब्लॉक स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भी व्यवस्था कर सकती हैं। यह जानकारी केवल मार्गदर्शन के लिए होनी चाहिए और लाभार्थियों द्वारा कोई अन्य उपयुक्त स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी अपनाई जा सकती है।

[अनुवाद]

लघु इकाइयों को ऋण

1042. श्रीमती निवेदिता माने:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने लघु इकाइयों के लिए लक्ष्य से कम ऋण मंजूर किया है;

(ख) क्या सरकार ने लघु इकाइयों के लिए पर्याप्त बैंक ऋण सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे एस.एम.ई. क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में न्यूनतम 20% की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि हासिल करें। यह हासिल की जा चुकी है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 में एस.एम.ई. क्षेत्र को प्रदत्त बकाया ऋण में 25.81% की वार्षिक वृद्धि दर्शाई है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, यथा बैंकों द्वारा एस.एम.ई. क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए स्व-लक्ष्यों का निर्धारण, एस.एम.ई. क्षेत्र में औपचारिक ऋण की पहुंच बढ़ाने के उपाय, एस.एम.ई. क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए समूह-आधारित नीति, एस.एम.ई. क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों की लागत को युक्तिसंगत बनाने के उपाय, एस.एम.ई. वित्तपोषण तथा ऋण पुर्ननिर्धारण में प्रगति की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारिता प्राप्त समितियों का गठन, एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए एकबारगी निपटान योजना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम, 2006 बनाना।

फसल संबंधी रायल टाइम डाटा का संग्रह

1043. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का विचार शीघ्र ही खड़ी फसल हेतु हेल्थ स्ट्रेस स्टेट्स संबंधी रीयल टाइम डाटा के संग्रह और राज्य सरकारों तथा अन्य हिस्सेदारों के लिए कोई तंत्र तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने क्षमताएं विकसित की हैं जिसके द्वारा बायोमास इंडेक्स के प्रयोग से फसल की कमी या नुकसान होने की संभावना वाले क्षेत्रों का निर्धारण साप्ताहिक आधार पर करते हुए फसलों का मानिटरन संभव हुआ है। इस प्रणाली से बहु-उपग्रह आंकड़ों का नियमित आधार पर प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच लक्षणों की मानिटरिंग की जा सकती है:-

(i) जिला और गांव स्तर पर विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल;

(ii) गांव स्तर पर फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन;

(iii) फसलों की स्थिति और बीमारियों अथवा स्ट्रेस द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान;

(iv) मृदा आर्द्रता, वर्षा और भूतल तापमान, कृषि हेतु महत्वपूर्ण पैरामीटर्स; एवं

(v) कठिन परिस्थितियों जैसे सूखा, ओला वृष्टि आदि का प्रभाव।

कृषि मौसम के दौरान फसलों की स्थिति का आकलन करने के लिए उपरोक्त (iii) से (v) वाले पैरामीटर सीधे ही संबंधित हैं। इस पद्धति का हरियाणा राज्य में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इसे वैधीकृत किया गया है तथा इसमें सामान्य वृद्धि करते हुए इसे समस्त भारत में विस्तारित किया जा रहा है। इन पैरामीटरों के आंकड़े हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को मुहैया कराये जा रहे हैं। उपरोक्त राज्य सरकारों के परामर्श से यह कार्यक्रम विभिन्न फसली बीमारियों की बारीकी से जांच करने के लिए पैरामीटर्स भी विकसित कर रहा है। इस समय उपलब्ध की जा रही सूचना का उपयोग आयात नीतियों, बीमा स्कीमों, सिंचाई कार्यक्रमों और ऋण उपलब्धता आदि जैसे अनेक सामयिक उपायों के लिए किया जा सकता है।

नवीकरणीय ऊर्जा का विकास

1044. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के लिए अपनी दस प्रतिशत ऊर्जा मांग की पूर्ति अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों से करने को आवश्यक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि की स्थिति के अनुसार अपरम्परागत ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने हेतु गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के मद्देनजर बायोगैस के उत्पादन में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 30-9-2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत संचयी उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कुकिंग ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एन.बी.एम.एम.पी.) कार्यान्वयनाधीन है जिसके अंतर्गत पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का संवर्धन किया जाता है। दिनांक 31-10-2007 की स्थिति के अनुसार, देश में लगभग 39.70 लाख पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2007-08 के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 1,01,860 पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

विवरण

दिनांक 30-09-2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत संचयी उपलब्धियों के राज्यवार विवरण

क. ग्रिड सम्बद्ध अक्षय विद्युत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पनबिजली	पवन विद्युत	बायो-विद्युत		सौर विद्युत	कुल क्षमता
		(मेगावाट में)	(मेगावाट में)	बायोमास विद्युत (मेगावाट में)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेगावाट में)	(मेगावाट में)	(मेगावाट में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	179.10	122.40	334.25	32.00	0.10	667.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.24				0.02	45.26
3.	असम	2.11					2.11
4.	बिहार	5040					50.40
5.	छत्तीसगढ़	18.05		130.80			148.85
6.	गोवा	0.05					0.05
7.	गुजरात	7.00	806.00	0.50	0.50		814.00
8.	हरियाणा	62.70		6.00			68.70
9.	हिमाचल प्रदेश	141.61					141.61
10.	जम्मू-कश्मीर	111.83					111.83
11.	झारखण्ड	4.05					4.05
12.	कर्नाटक	442.00	853.20	262.28	1.00		1558.48
13.	केरल	98.12	2.00			0.02	100.14
14.	मध्य प्रदेश	51.16	57.30	1.00	2.75	0.10	112.31
15.	महाराष्ट्र	209.33	1622.20	95.50	1.00		1928.03

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	5.45					5.45
17.	मेघालय	31.03					31.03
18.	मिजोरम	17.47					17.47
19.	नागालैण्ड	28.67					28.67
20.	उड़ीसा	7.30	3.20				10.50
21.	पंजाब	123.90		28.00	9.25	0.32	161.47
22.	राजस्थान	23.85	493.90	23.30		0.15	541.20
23.	सिक्किम	39.11					39.11
24.	तमिनलाडु	89.70	3698.90	227.50	4.25	0.05	4020.40
25.	त्रिपुरा	16.01					16.01
26.	उत्तर प्रदेश	25.10		143.50	5.00	0.38	173.98
27.	उत्तरांचल	80.67				0.05	80.72
28.	पश्चिम बंगाल	98.40	1.10			0.05	99.55
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.25				0.10	5.35
30.	चंडीगढ़						
31.	दादर एवं नगर हवेली						
32.	दमन और द्वीप						
33.	दिल्ली						
34.	लक्षद्वीप					0.76	0.76
35.	पांडिचेरी					0.02	0.02
	कुल (मेगावाट)	2014.66	7660.20	1252.63	55.75	2.12	10985.36

ख. ऑफ ग्रिड/विकेन्द्रित अक्षय ऊर्जा प्रणालियां/युक्तियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस संयंत्र	बायोमास गैसीफायर	अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां				एस.पी.वी. पंप	जल पंपन पनव चक्कियां	एरोजनरेटर/ हाइब्रिड प्रणालियां	सौर कुकर	दूरस्थ विद्युती-करण गांव/ बस्तियां
					एस.एल.एस.	एच.एल.एस.	एस.एल.	पी.पी.					
		(सं.)	(मेवा.)	मेवा.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	के.डब्लू.पी.	(सं.)	(सं.)	(किवा.)	(सं.)	(सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	421385	15.88	4.70	4044	1642	32982	26.16	613	6	16.00	13182	
2.	अरुणाचल प्रदेश	2345	1.98		921	2330	9937	7.90	1			530	222
3.	असम	59942	0.12		98	5420	541	9.00	45	3	6.00	80	55
4.	बिहार	125306	0.02		955	2771	44649	0.00	139	45		475	
5.	छत्तीसगढ़	23399	0.51		535	4573	848	0.00	61			37114	325
6.	गोवा	3807	0.02		313	273	443	1.72	15		39.20	1500	
7.	गुजरात	384251	15.21	2.95	2004	5918	31603	29.90	85	715	10.00	128719	38
8.	हरियाणा	50393	1.40		3091	22649	32727	224.20	469			26782	45
9.	हिमाचल प्रदेश	45046	0.01		2919	16848	20697	1.50	6			28837	1
10.	जम्मू-कश्मीर	2212	0.52		389	18849	20963	175.60	39			368	117
11	झारखण्ड	2543	018		485	3933	0	0.00				280	348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कर्नाटक	394099	6.42		2694	23174	7334	29.41	456	25	9.95	254	16
13.	केरल	114183	0.73		815	8689	40681	44.70	810	79	8.00	236	558
14.	मध्य प्रदेश	259943	6.50		6054	1307	8564	22.40	87			141618	33
15.	महाराष्ट्र	739824	5.97	1.76	4166	1381	8680	6.44	228	26	457.62	58044	120
16.	मणिपुर	2128			490	3500	4787	11.00	12			365	134
17.	मेघालय	4586	0.25		693	4740	24875	42.00	19			1165	25
18.	मिजोरम	3570	0.20		315	3045	5812	109.00	37			110	20
19.	नागालैण्ड	2892	0.78		271	143	95	6.00					3
20.	उड़ीसा	228295	0.27	0.03	5820	4234	7823	36.52	8			3437	18
21.	पंजाब	83881	0.70	1.58	2937	4270	14495	71.00	1821			22050	
22.	राजस्थान	66990	1.07		6554	50551	4716	25.80	283	222	4.00	36683	218
23.	सिक्किम	6034	0.00		162	1805	720	16.70			10.00	20	13
24.	तमिलनाडु	211564	6.46	2.98	2672	471	16086	30.05	829	56	24.50	1537	
25.	त्रिपुरा	2549	1.10		760	2800	17805	24.57	25			80	236
26.	उत्तर प्रदेश	410682	5.35	5.73	856	57138	52815	129.20	751			50134	20
27.	उत्तरांचल	7491			964	48265	56523	80.03	26			8534	430
28.	पश्चिम बंगाल	279007	13.55		2111	37541	3662	675.00	48		18.00	7959	1173
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	137	0.17		358	405	6296	167.00	5	2		60	

30.	चण्डीगढ़	97			0	275	1675	0.00	12			1529	
31.	दादर एवं नगर हवेली	169			0	0	0	0.00				80	
32.	दमन और द्वीव				0	0	0	0.00					
33.	दिल्ली	677	0.07		301	0	4753	34.00	89			27990	
34.	लक्षद्वीप				0	0	0	85.00					
35.	पांडिचेरी	573	0.60		87	13	1637	0.00	21		5.00	90	
36.	अन्य*		0.50	0.48	6487	4446	79707	58.00				16750	
	कुल	3940000	86.53	20.21	61321	363399	564931	2179.80	7068	1180	608.27	616592	4168

एस.एल.एस.=सड़क रोशनी प्रणाली;

एच.एल.एस.=घरेलू रोशनी प्रणाली;

एस.एल.=सौर लालटेन;

एस.पी.वी.=सौर प्रकाशवोल्टीय;

मेवा.=मेगावाट;

के.डब्ल्यू.पी.=किलोवाटपीक

*विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों/इरेडा के माध्यम से संस्थापित

निर्धनों हेतु कोष की स्थापना

1045. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार निर्धनों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 500-500 करोड़ रुपए के दो कोषों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कोष से ऋण लेने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इन कोषों से धनराशि कब से जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने, 2007-08 की अपनी बजट घोषणा में, दो निधियों नामत: वित्तीय अंतर्वेशन निधि (एफ.आई.एफ.) और वित्तीय अंतर्वेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफ.आई.टी.एफ.) जिनमें प्रत्येक का 500 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा, के गठन की घोषणा की थी।

वित्तीय अंतर्वेशन संबंधी समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने दो सिफारिशों को तुरंत कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। पहली सिफारिश है विकासात्मक और प्रायोजक हस्तक्षेपों की लागत को पूरा करने के लिए नाबार्ड में एक वित्तीय अंतर्वेशन निधि स्थापित करना। दूसरी सिफारिश है प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की लागत को पूरा करने के लिए एक वित्तीय अंतर्वेशन प्रौद्योगिकी निधि स्थापित करना। निधि में केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा अंशदान किया जाएगा।

उक्त दोनों निधियों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

बैंकों में डकैतियां

1046. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक देश के प्रत्येक राज्य में विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितताओं, अपराधों के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन मामलों को हल करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक राज्य में भविष्य में प्रत्येक बैंक और वित्तीय संस्थाओं में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) प्रत्येक राज्य में, वर्ष 2005, 2006 और 2007 (जून तक) में धोखाधड़ी की संख्या और उसमें शामिल राशि, जैसा बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) को सूचित किया गया है, संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक की बेली रोड, पटना शाखा ने चेक के आदाता जो आई.सी.आई.सी.आई बैंक के ग्राहक हैं के विरुद्ध और आई.सी.आई.सी.आई. पटना के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज करवायी है। दिनांक 17-10-2007 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, पटना शाखा द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, सेवा शाखा, पटना को समाशोधन हेतु 2.10 लाख रुपए का एक जाली चेक दिया था। उस बैंक ने क्षेत्र की सभी शाखाओं को चेक के भुगतान से संबंधित चेतावनी अनुदेश जारी किए थे और सतर्क कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के इस प्रयास को विफल कर दिया गया।

(घ) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आर.बी.आई. ने विभिन्न धोखाधड़ी निरोधी उपाय किए हैं। अपनी पर्यवेक्षी जिम्मेदारी के भाग के रूप में आर.बी.आई. समय-समय पर बैंकों को बैंक में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए सामान्य धोखाधड़ी प्रवृत्त क्षेत्रों और उनके द्वारा लिए जाने वाले उपायों पर सलाह देता रहता है। चेतावनी स्वरूप सलाह जिसमें अनैतिक उधारकर्ताओं और संबंधित पक्षों जिन्होंने बैंकों में धोखाधड़ी की है, का ब्यौरा शामिल है, आर.बी.आई., बैंकों को जारी करता है, ताकि उन्हें ऋण सुविधा देते समय, बैंक

सावधानी बरतें। धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बैंकों द्वारा उठाए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

- शाखाओं के न्यूनतम 50 प्रतिशत कारोबार (अग्रिम सहित जमा) की समवर्ती लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत करना।
- बैंकों में आंतरिक निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा तंत्र की निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा।
- विशेष रूप से 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए नदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन।
- स्टाफ की जवाबदेही की जांच करना तथा धोखाधड़ी में शामिल स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।
- मित्रा समिति द्वारा बैंक धोखाधड़ी के विधिक पहलुओं के बारे में अपनी रिपोर्ट के भाग-I में की गई अनुशंसा के आधार पर बैंकों को विभिन्न निरोधी कदम जैसे सबसे अच्छा आचरण संहिता (बी.पी.सी.), बी.पी.सी. का आंतरिकरण प्रक्रिया, आंतरिक रोकथाम और आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना और विधिक अनुपालनात्मक लेखा परीक्षा शुरू करने की सलाह दी गयी है।

विवरण

वर्षवार और राज्यवार धोखाधड़ी की कुल संख्या और उसमें शामिल राशि
(1 लाख और उससे ऊपर की राशि)

(लाख रुपये में)

राज्य	2005		2006		2007 (जून तक)	
	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियो की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	228	6324.12	191	4946.97	108	5527.28
अरुणाचल प्रदेश	0	0	3	17.97	1	9.3
असम	14	398.42	10	1085.99	18	3206.88
बिहार	29	253.28	25	392.98	18	462.34
चंडीगढ़	10	159.14	13	87.44	4	58.77
छत्तीसगढ़	15	136.84	22	226.5	9	124.47
दमन एवं दीव	0	0	1	1.67	0	0
दिल्ली	241	26053.84	235	17970.05	119	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	8	99.42	9	168.73	5	40.72
गुजरात	123	14349.23	104	3590.16	67	1362.12
हरियाणा	44	652.56	44	500.36	35	336.15
हिमाचल प्रदेश	7	403.59	4	92.99	3	147.54
जम्मू-कश्मीर	5	41.36	11	764.71	4	102.04
झारखण्ड	22	6275.61	28	359.62	9	455.84
कर्नाटक	150	4963.18	206	21525.1	157	5758.21
केरल	52	2671.67	74	1641.89	38	1625.62
लक्षद्वीप	1	1	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	95	1712.28	126	3756.75	58	800.37
महाराष्ट्र	687	41065.7	914	33655.75	566	11178.9
मणिपुर	0	0	3	25.48	1	32.74
मेघालय	4	19.57	4	37.25	4	218.62
मिजोरम	1	1.83	2	5.06	0	0
नागालैण्ड	2	32.48	0	0	3	14.36
उड़ीसा	23	263.13	42	1891.66	20	1288.73
पांडिचेरी	3	1109.92	2	6.45	1	1.48
पंजाब	107	3003.49	65	957.21	43	380.61
राजस्थान	45	401.11	64	917.61	30	149.98
सिक्किम	0	0	1	1.01	0	0
तमिलनाडु	249	14275.8	281	10669.26	156	5642.97
त्रिपुरा	1	2.7	1	281.5	1	13.36
उत्तर प्रदेश	245	5602.5	221	6192.45	137	2506.58
उत्तरांचल	9	186.46	19	168.74	1	82.67

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	131	7811.47	166	10378.68	118	4856.14
कुल	2551	138271.7	2891	122317.99	1737	55593.94

*कई मामलों में, जांच के बाद हानि की राशि के कारण बैंकों द्वारा सूचित नवीनतम आंकड़ों से आगामी तिथियों में धोखाधड़ी की राशि परिवर्तित हो जाती है। ऊपर दर्शायी गयी राशि नवीनतम सूचित तिथि से संबंधित है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय न्यायिक परिषद्

1047. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से टिप्पणियां मांगी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परिषद् द्वारा कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (घ) न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 को 19-12-2006 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ, राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् के गठन के लिए उपबंध किया गया था। विधेयक को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया था, जिसने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है। स्थायी समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का आबंटन

1048. श्री महावीर भगोरा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की शिकायतें मिली हैं कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों को जरूरतमंद लोगों को आबंटित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत मकान स्वयं लाभार्थियों द्वारा सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि से बनाए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों के गलत चयन के संबंध में प्राप्त शिकायतो और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत लाभार्थियों के गलत चयन के संबंध में प्राप्त शिकायतें

1. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में श्री सीता राम यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) से दिनांक 12-04-2006 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके साथ ग्राम पंचायत युजार मध्य, प्रखण्ड-कटरा, जिला-मुजफ्फरपुर के ग्रामीणो की शिकायतें संलग्न हैं। अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि अपात्र व्यक्तियों को निधियां आबंटित की गई।

की गई कार्रवाई

राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता द्वारा मामले की जांच की गई और इसमें कतिपय अनियमितताएं पाई गईं। बिहार सरकार से मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया था।

2 मेरठ, उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 05-03-2006 को ग्राम कुड़ी कमलपुर, जिला-मेरठ, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक कैप्टेन जगमल सिंह से शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के साथ प्राप्त प्रेस में प्रकाशित समाचार-पत्रों की कतरन में यह आरोप लगाया गया है कि अधिकांश मकान गांव के बाहर रहने वाले लाभार्थियों, सरपंच के परिवार के सदस्यों अथवा एक ही परिवार के उन व्यक्तियों, जिन्हें इंदिरा आवास योजना आदि के अंतर्गत पहले ही मकान आबंटित कर दिए गए हैं, को आबंटित किए गए हैं।

की गई कार्रवाई

राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा मामले की जांच की गई और इसमें कतिपय अनियमितताएं पाई गईं। दिनांक 30-03-2006 के पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को मामले की जांच करने का निदेश दिया गया था।

स्टॉक एक्सचेंजों संबंधी डाटा

1049. **श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी जगहों पर स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं;

(ख) इनमें एक्सचेंज-वार कितने शेयर सूचीबद्ध हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन एक्सचेंजों में हुए व्यापार का एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में अनुमानत: कितने शेयरधारक हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सोलह राज्यों में उन्नीस पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं	स्टॉक एक्सचेंज का नाम	31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की सं.	एक्सचेंजों के नकद खंडों में कुल कारोबार (करोड़ रुपए)		
			2005-06	2006-07	2007-08 (अक्तूबर 2007 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि.	4,867	8,16,074	9,58,185	8,11,772
2.	दि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि.	2,913	शून्य	शून्य	शून्य
3.	दि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि.	2,875	2,800	694	275
4.	अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज लि.	2,463	शून्य	शून्य	शून्य
5.	मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लि.	1,350	शून्य	शून्य	शून्य
6.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	1,334	15,69,558	19,45,287	17,41,540
7.	जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लि.	772	शून्य	शून्य	शून्य
8.	दि उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज.एसोसिएशन लि	685	1,486	799	329
9.	वड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज लि.	484	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
10.	दि बंगलौर स्टॉक एक्सचेंज लि.	357	शून्य	शून्य	शून्य
11.	दि लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि.	338	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लि.	325	शून्य	शून्य	शून्य
13.	दि पुणे स्टॉक एक्सचेंज लि.	248	शून्य	शून्य	शून्य
14.	दि गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज लि.	243	शून्य	शून्य	शून्य
15.	दि कोचीन स्टॉक एक्सचेंज लि.	192	शून्य	शून्य	शून्य
16.	कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज लि.	174	शून्य	शून्य	शून्य
17.	ओ.टी.सी. एक्सचेंज ऑफ इंडिया	83	0.01	शून्य	शून्य
18.	भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लि.	66	शून्य	शून्य	शून्य
19.	इंटर-कनेक्टिड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	12	शून्य	शून्य	शून्य

(घ) देश में निवेशकों की संख्या का कोई पुष्ट अनुमान नहीं है। तथापि, 31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार, निक्षेपागारों के पास 112,19,087 लाभानुभोगी खाते थे।

[अनुवाद]

इनवैस्ट इंडिया सेविंग्स एंड इनकम सर्वे

1050. डा. एम. जगन्नाथ: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जून, 2007 में "इन्वेस्ट इंडिया सेविंग्स एंड इनकम सर्वे" नामक सर्वेक्षण की जानकारी है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि ग्रामीण भारत में साहूकारों के 35 प्रतिशत हिस्से की तुलना में संस्थागत बैंकिंग का हिस्सा मात्र 19 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) इन्वेस्ट इंडिया इकोनॉमिक फाउंडेशन जिसने आय और बचत सर्वेक्षण, 2007 किया था, ने भारत सरकार को यह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, ग्रामीण भारत खासकर कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने का निरन्तर प्रयास किया जाता है। संस्थागत ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन संबंधी समिति की अंतरिम रिपोर्ट की दो सिफारिशों जनशा. विकासात्मक और संवर्धनात्मक दखल-कार्रवाइयों की लागत वहन करने के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन निधि का गठन; और प्रौद्योगिकी अभिग्रहण की लागत वहन करने के लिए वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि के गठन को तत्काल कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

शहरी परिवहन

1051. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी अवसंरचना विशेषकर शहरी परिवहन के विकास के लिए सितम्बर में नई दिल्ली का दौरा करने वाले अमरीका के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो सहयोग ज्ञापन के तहत अपेक्षित अमरीकी सहायता और सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। समानता, पारस्परिकता तथा परस्पर लाभ के आधार पर सार्वजनिक परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार तथा अमेरिकी सरकार के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए है। सहभागिता तथा सहयोग के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन, अंत मॉडल परिवहन, सुरक्षा परिवहन, विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवहन, सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली (आई.टी.एस.), यातायात सूचना केन्द्र तथा सार्वजनिक परिवहन में क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण शामिल है।

(ग) कार्य सूची पर आगे कार्रवाई हेतु एक संयुक्त कार्य दल गठित करने की पहल की गयी है।

[हिन्दी]

राज्य सरकार पर बकाया राशि

1052. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ राज्य सरकारों पर धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बैंक सीधे राज्य सरकारों को उधार नहीं देते। तथापि, वे राज्य सरकार की प्रतिभूतियों एवं राज्य सरकार की कंपनियों द्वारा जारी किए गए राज्य सरकार के गारंटीकृत बांडों में निवेश करते हैं, और राज्य सरकारों की गारंटी के साथ और इसके बिना सार्वजनिक उपक्रमों/कार्पोरेट निकायों/स्वायत्त कंपनियों को उधार देते हैं। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुछ राज्य सरकार की कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) द्वारा जारी किए गए बांडों के संबंध में मूलधन एवं/अथवा ब्याज का भुगतान करने में चूक की सूचना दी है।

(ग) बैंकों ने अपनी वसूली नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों की चूककर्ता कंपनियों से अपनी देयराशियों की वसूली करने हेतु कदम उठाए हैं जिसमें ऋणों का पुनर्निर्धारण, देयराशियों का एकबारगी निपटान, न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों में मामले दायर करना, आदि की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक, ब्याज एवं/अथवा मूलधन का भुगतान न करने और इसके साथ-साथ, राज्य सरकार की कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बांड आदि के निबन्धन एवं शर्तों का एकतरफा पुनर्निर्धारण करने से संबंधित मामलों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उनका ध्यान उनके बाजार उधार कार्यक्रम की विश्वसनीयता के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों के प्रतिकूल प्रभाव की ओर आकर्षित करके उठा रहा है। सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि सरकार द्वारा गारंटीकृत बांडों का उनसे संबंधित उपक्रमों द्वारा भुगतान किया जाए।

[अनुवाद]

अशोध्य ऋण का संग्रहण

1053. श्री उदय सिंह:

श्री मो. ताहिर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बैंकिंग संघ ने सभी बैंकों को अशोध्य ऋण के संग्रहण के संबंध में उद्योग आचार संहिता का पालन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों द्वारा अपनाए जा रहे गलत तौर-तरीकों के कारण बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपभोक्ता मंचों और न्यायालयों ने अशोध्य ऋण की वसूली के लिए गलत तौर-तरीकों का प्रयोग करने वाले बैंकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि

भारतीय बैंक संघ ने "देयराशियों की वसूली और जमानत राशि के कब्जे की मॉडल संहिता" तथा "क्रेडिट कार्ड प्रचालन की उपयुक्त व्यवहार संहिता" भी तैयार की है जिसे बैंक को अंगीकरण और क्रियान्वयन के लिए संस्तुत कर दिया गया है। मॉडल संहिता के अनुसार, बैंक अपनी ऋण वसूली नीति में ग्राहकों की गरिमा व सम्मान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होने चाहिए और उन्हें ऐसी नीतियां नहीं अपनानी हैं जो देयराशियों की वसूली के मामले में जोर-जबरदस्ती वाली हों। क्रेडिट कार्ड प्रचालन की उपयुक्त व्यवहार संहिता में यह उपबंध शामिल है कि बैंक की देयराशि वसूली नीति शिष्टाचार, सही बर्ताव और अनुनय पर आधारित होनी चाहिए।

(ग) और (घ) वार्षिक नीति विवरण की मध्यावधि समीक्षा (दिनांक 30 अक्तूबर, 2007 में), भारतीय रिजर्व बैंक ने गौर किया है कि हाल ही में वसूली एजेंटों की नियुक्ति के मामले में, बैंकों के विरुद्ध बढ़ती मुकदमों की संख्या के मद्देनजर प्रतिकूल प्रचार से, कुल मिलाकर बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से आग्रह किया है कि वे वसूली एजेंट नियुक्त करते समय निर्धारित विशेष विचाराधीन बिन्दुओं का पालन करें और उसने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक के वसूली एजेंटों द्वारा अपनाए गए गलत तरीकों के बारे में प्राप्त शिकायतों से गंभीर पर्यवेक्षण नाराजगी पैदा होगी। भारतीय रिजर्व बैंक उन बैंकों पर अस्थायी प्रतिबंध (अथवा निरंतर गलत तरीकों के मामले में स्थायी प्रतिबंध भी) लगा सकता है जिन पर उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय ने वसूली एजेंटों द्वारा अपनाए गए गलत तरीकों के संबंध में उनके निदेशकों/अधिकारियों की निन्दा की है/जुर्माना लगाया है।

(ङ) और (च) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 की अपील (अपराधिक) 267 (आई.सी.आई.सी.आई. बैंक बनाम प्रकाश कौर एवं अन्य) में यह मत दिया है कि बैंकों को वाहन कब्जे में लेने के लिए बल प्रयोग करने के तरीकों की बजाय कानून द्वारा मान्य प्रक्रियाओं का सहारा लेना चाहिए। न्यायालय ने वसूली एजेंटों के रूप में बाहुबलियों को काम पर रखने की प्रथा की भी निंदा की।

कुछ समाचारपत्रों ने हाल ही में यह जानकारी दी है कि दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने जबरन तरीके से वाहन ऋण वसूल करने की कोशिश के लिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

आर्थिक वृद्धि दर

1054. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आर्थिक वृद्धि को निर्धारित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं;

(ख) क्या सरकार देश में दस प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के अवसर का सदुपयोग करने के लिए तैयार है, जैसाकि दिनांक 01 अगस्त, 2007 के "द हिंदू" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और सरकार इस वृद्धि को किस प्रकार हासिल करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 'ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण' अनुमोदित करते हुए अपेक्षाकृत तीव्र और अधिक समावेशी विकास का समर्थन किया है। इस व्यापक परिकल्पना में परस्पर जुड़े छः संघटक शामिल किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, ऐसे तीव्र विकास को शामिल किया गया है जिसमें गरीबी कम करने के लिए रोजगार अवसरों का सृजन; आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता; समान अवसर और शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार गारंटी, अन्य हकदारियों के माध्यम से अधिकारिता; पर्यावरणीय संपोषणीयता, लिंग संतुलन और उत्तम अभिशासन शामिल हैं। अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का सतत उच्च स्तर, कृषि पुनरुद्धार, श्रम प्रधान उद्योगों की वृद्धि; कौशल विकास; और उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचे का सृजन प्रतिस्पर्धी विश्व में उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर में छूट

1055. श्री रेवती रमन सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्याज से आय, जो कि विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनधारकों के लिए निश्चित आय का एकमात्र स्रोत है, आयकर से मुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन श्रेणियों के लिए कटौती सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) किसी अन्य पुरुष करदाता के मामले में 1,10,000/- रुपए एवं किसी अन्य महिला करदाता के मामले में 1,45,000/- रुपए की सामान्य सीमा की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों की आय पर 1,95,000/- रुपए (ब्याज आय सहित) की सीमा तक कर छूट प्राप्त है।

(ग) मौजूदा छूट में कोई परिवर्तन करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) (ग) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

स्व-सहायता समूह को राजसहायता

1056. श्री एल. राजगोपाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्व-सहायता समूहों को वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी राजसहायता राशि प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार देश में स्व-सहायता समूहों को दी जाने वाली राजसहायता राशि को बंद करने पर गंभीरता से विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002-03 से 2006-07 और चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2007-08 (अक्तूबर, 2007 तक) के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत स्व-सहायता समूह को जारी की गई सब्सिडी को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है।

(ख) और (ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को दी जाने वाली सब्सिडी को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

2002-03 से 2007-08 (अक्तूबर, 2007 तक) के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-08 (अक्तूबर, 07 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3738.02	3942.42	5305.97	5263.37	5885.67	4490.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	78.06	139.6	278.92	183.89	125.36	170.3
3.	असम	2802.61	5313	6595.62	6601.52	7217.03	6475.66
4.	बिहार	3493.34	5488.81	9619.84	11079.65	11613.93	262.78
5.	छत्तीसगढ़	1968.76	2025.44	2676.11	2633.11	3093.97	2985.82
6.	गोवा	17.65	25	27.82	29.36	50	37.51
7.	गुजरात	1403.27	1508	1948.4	1996.08	2208.34	1690.14

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	827.79	932.06	1175.08	1147.48	1304.92	1115.68
9.	हिमाचल प्रदेश	348.62	304.77	487.42	448.75	517.66	507.62
10.	जम्मू-कश्मीर	350.44	427.45	436.74	419.78	591.21	491.89
11.	झारखण्ड	1801.02	2817.41	4180.61	3498.87	4736.81	4065.5
12.	कर्नाटक	2686.99	2777.12	3735.03	3579.36	4185.34	3390.66
13.	केरल	1266.55	1435.18	1783.56	1797.82	1985.02	1521.38
14.	मध्य प्रदेश	4232.53	4397.14	5516.04	5722.89	6566.78	5994.44
15.	महाराष्ट्र	5579.85	5712.39	7409.42	7443.34	8740.865	6702.52
16.	मणिपुर	0	56.75	91.05	116.82	184.35	69.29
17.	मेघालय	27.51	117.12	190.84	281.43	308.92	386.5
18.	मिजोरम	86.06	99.96	146.76	123.21	125.138	112.54
19.	नागालैण्ड	83.15	157.8	203.94	135.9	234.97	260.78
20.	उड़ीसा	4181.99	4553.07	5866.19	6065.95	6724.76	5135.74
21.	पंजाब	391.58	444.25	442.81	562.17	633.02	503.27
22.	राजस्थान	2143.41	2261.24	2941.56	2662.12	3222.55	2639.33
23.	सिक्किम	95.33	110.76	179.99	138.45	141.22	124.61
24.	तमिलनाडु	3290.35	3690.7	4676.06	4691.65	5204.41	3970.25
25.	त्रिपुरा	599.65	696.74	1102.28	869.92	1137.37	783.84
26.	उत्तर प्रदेश	7126.87	11756.85	17293.83	17018.11	19901.38	15767.3
27.	उत्तरांचल	667.95	686.02	954.59	943.75	1061.01	1001.07
28.	पश्चिम बंगाल	1121.19	2617.59	4608.31	5465.5	6201.87	5916.41
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	25	6.25	0	0
30.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
31.	दादर एवं नगर हवेली	0	0	12.5	0	12.5	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0
33.	पांडिचेरी	53.64	25	100	100	100	75
	कुल	50464.18	64519.64	90010.29	91026.5	104016.37	76647.91

शीर्षस्थ मुख्य आयुक्तों और सीमा शुल्क अधिकारियों की बैठक

1057. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग के मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों की एक बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चुनिंदा क्षेत्रों की "गहन लेखा परीक्षा" (हाई इम्पैक्ट ऑडिट) शुरू करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों का सम्मेलन 24-25 जुलाई, 2007 को हुआ था। इसमें अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण, बकायों की वसूली, स्वचालित पहल करना, कर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिये कदम, लेखा परीक्षा/कर अपवंचन/ तस्करी रोधी कार्य संरचनाओं की क्षमता में सुधार लाने आदि जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) और (घ) "हाई इम्पैक्ट आडिट" से अभिप्राय सहायक आयुक्त या उप आयुक्त की सीधी निगरानी में चुनिंदा निर्धारितियों की लेखा-परीक्षा के किये जाने से है। इस उद्देश्य के लिये निर्धारितियों की पहचान कतिपय मानदंडों, जैसे कि उनके द्वारा विनिर्मित की जाने वाली वस्तुओं से राजस्व के संग्रहण के रुख, सैनवैट क्रेडिट के उपयोग का रुख; बिक्री का प्रतिमान आदि के आधार पर की जाती है जिन्हें समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

चावल मिलों में बायोमास

1058. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में चावल मिलों में बायोमास गैसीफायर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी हां। "उद्योग में बायोमास ऊर्जा एवं सहउत्पादन" कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी कैप्टिव ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन और/अथवा तापीय अनुप्रयोगों हेतु 2.00-2.50 लाख रु./100 किवा. गैसीफायर प्रणाली की दर पर पूंजीगत सब्सिडी के रूप में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

देश के विभिन्न भागों में चावल मिलों में काफी संख्या में बायोमास गैसीफायर संस्थापित किए गए हैं। विशेषकर पश्चिम बंगाल में, 64 चावल मिलों में पहले से ही ऐसी प्रणालियां संस्थापित की गई हैं जो सफलतापूर्वक चल रही हैं।

बगलिहार विद्युत परियोजना

1059. श्री रशीद मसूद: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में स्थापित की जा रही भारतीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में कोई आपत्ति उठाई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारतीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक जम्मू और

कश्मीर में बगलिहार विद्युत परियोजना पर कितने आतंकवादी हमले हुए हैं; और

(घ) इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी, हां। पाकिस्तान ने जम्मू व कश्मीर में स्थापित की जा रही भारतीय विद्युत परियोजनाओं पर आपत्ति प्रकट की है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु नदी समझौता, 1960 के प्रावधानों के तहत् भारत को अपनी नई रन-ऑफ-रिवर परियोजनाओं (लघु संयंत्रों समेत) तथा पश्चिमी नदियों (झेलम, चेनाब और सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों) पर स्टोरेज परियोजनाओं के संबंध में जानकारी देनी होगी। इन परियोजनाओं की जानकारी पाकिस्तान को भेज दी गई है। पाकिस्तान ने इन दोनों परियोजनाओं पर आपत्ति प्रकट की है। भारत की राय में प्रत्येक परियोजना की डिजाइन समझौते के प्रावधानों का अनुपालन करती है। इसके बावजूद पाकिस्तान द्वारा प्रकट आपत्ति के मद्देनजर भारत इनकी जांच कर रहा है तथा समझौते के क्षेत्राधिकार के भीतर पत्राचार एवं स्थायी सिंधु आयोग की बैठकों तथा दोनों सरकारों के निर्णय के मुताबिक सचिव स्तरीय बातचीत के जरिए भी इनका समाधान करने की कोशिश कर रहा है।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सूचना दी है कि अब तक बगलीहार परियोजना पर कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है।

(घ) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना की अनुमानित लागत जुलाई-अगस्त, 2005 में आई बाढ़ से हुई क्षति के कारण 4000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5000 करोड़ रुपये हो गई है और कार्य पूरा करने में निर्धारित समय से अधिक समय लग रहा है।

नगरों में पेयजल की कमी

1060. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नगरों में पेयजल की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जल की कमी को पूरा करने के लिए नगरों में पीने योग्य पानी के प्रयोजनार्थ गंदे जल को साफ करने की भी योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) शहरी जल आपूर्ति राज्य का विषय है। अत:, जल आपूर्ति योजना की आयोजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, परिचालन एवं अनुरक्षण तथा मानीटरिंग का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों का है। उपलब्ध सूचना के आधार पर अधिकांश कस्बों की प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति 70 एल.पी.सी.डी. से अधिक है। तथापि, शहरों के कुछ भागों में जल आपूर्ति समान नहीं है।

(ख) आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को कम करने तथा सारे शहर में समान वितरण के लिए मंत्रालय ने दिसम्बर, 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) तथा छोटे एवं मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास की योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) शुरू की जिसका उद्देश्य देश के सभी शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाओं सहित अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था हेतु सुधारों से जुड़ी सहायता मुहैया कराना है।

(ग) से (ङ) शोधित गंदे पानी का पीने के लिए प्रयोग करना वास्तव में स्वीकार्य नहीं है। तथापि, कुछ शहरी स्थानीय निकायों ने गंदे पानी का तीन स्तरों पर शोधन करके इसका प्रयोग पीने को छोड़कर अन्य प्रयोजनों जैसे उद्यानकृषि, एयर कंडीशनिंग, एक्विफर रीचार्ज करने आदि के लिए करना शुरू कर दिया है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के संबंध में भवन निर्माण उपनियमों को संशोधित करते हुए जुलाई 2001 में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। संशोधित उप नियमों में अन्य के साथ-साथ यह प्रावधान है कि वे सभी भवन जिनसे 10000 लीटर प्रति दिन या इससे अधिक गंदा पानी निकलता है, गंदे पानी के शोधन की प्रणाली लगाएंगे। शोधित पानी का प्रयोग उद्यान प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

मुद्रा विनिमय समझौता

1061. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जापान मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर करने को राजी हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त समझौते को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भुगतान संतुलन के संकट के दौरान अल्पावधिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था शुरू करने हेतु भारत और जापान के बीच बातचीत चल रही है। प्रस्तावित विनिमय व्यवस्था तत्वत:, भारत और जापान के बीच, दोनों में से किसी भी देश द्वारा, अस्थायी भुगतान संतुलन संकट की समस्याओं का सामना करने हेतु संबंधित घरेलू मुद्रा के लिए "अधिकतम" 3 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के विनिमय हेतु एक द्विपक्षीय करार है। यह विनिमय लिबोर + 150 बी.पी.एस. पर 90 दिनों की आरंभिक अवधि के लिए और तत्पश्चात नवीकरणों द्वारा 630 दिनों तक की अधिकतम अवधि के लिए होगा।

(ग) यह करार, भारत सरकार से प्राधिकार प्राप्त होने के पश्चात प्रवृत्त होगा जब इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा सैंट्रल बैंक ऑफ जापान के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

परतीभूमि का विकास

1062. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बंजर भूमि, शुष्क भूमि/आर्द्र भूमि का राज्य-वार कुल क्षेत्र कितना है;

(ख) इन परती भूमि का उर्वर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनजातीय लोगों अथवा गरीब भूमिहीन लोगों को जीविका प्रदान करने के उद्देश्य से उनके बीच इस प्रकार की भूमि का वितरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी के सहयोग से प्रकाशित किए गए भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2005 (वेस्टलैण्ड एटलस ऑफ इंडिया, 2005) के अनुसार देश में उपलब्ध कुल बंजरभूमि 55.27 मिलियन हैक्टेयर है, जिसमें जलाक्रांत, लवणीय रेतीली, ऊसर, चट्टानी आदि, भूमि शामिल है। बंजरभूमि के राज्य-वार क्षेत्र को दिखाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग प्राकृतिक संसाधन आधार को पुन: उपयोग योग्य बनाकर बंजरभूमि को विकसित करने, सूखा प्रभावित क्षेत्र को सूखे से मुक्त करने तथा मरूस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) और (घ) सरकारी बंजरभूमि का वितरण भूमि सुधार संबंधी कार्यनीतियों में से एक नीति रही है। यह स्वीकार्य नीति रही है कि सरकार के स्वामित्व वाली बंजरभूमि को पात्र ग्रामीण गरीबों को वितरित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से बंजरभूमि पात्र ग्रामीण गरीबो को वितरित करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है। बंजरभूमि के राज्य-वार वितरण को दिखाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भूमि संसाधन विभाग

बंजरभूमि के राज्य-वार क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्र: मिलियन हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	कुल बंजरभूमि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.53

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.82
3.	असम	1.40
4.	बिहार	0.54
5.	छत्तीसगढ़	0.76
6.	गोवा	0.05
7.	गुजरात	2.04
8.	हरियाणा	0.33
9.	हिमाचल प्रदेश	2.83
10.	जम्मू-कश्मीर	7.02
11.	झारखण्ड	1.12
12.	कर्नाटक	1.35
13.	केरल	0.18
14.	मध्य प्रदेश	5.71
15.	महाराष्ट्र	4.93
16.	मणिपुर	1.32
17.	मेघालय	0.34
18.	मिजोरम	0.45
19.	नागालैण्ड	0.37
20.	उड़ीसा	1.90
21.	पंजाब	0.12
22.	राजस्थान	10.15
23.	सिक्किम	0.38
24.	त्रिपुरा	0.13
25.	तमिलनाडु	1.73
26.	उत्तराखण्ड	1.61
27.	उत्तर प्रदेश	1.69
28.	पश्चिम बंगाल	0.44
29.	संघ राज्य क्षेत्र	0.03
	योग	55.27

विवरण-II

सरकारी बंजरभूमि का वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वितरित किया गया क्षेत्र (लाख एकड़ में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	43.93
2.	असम	5.89
3.	बिहार	13.21
4.	छत्तीसगढ़	2.10
5.	गुजरात	13.81
6.	हरियाणा	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.17
8.	झारखण्ड	0.65
9.	कर्नाटक	13.72
10.	केरल	4.57
11.	मध्य प्रदेश	0.79
12.	महाराष्ट्र	10.23
13.	मणिपुर	0.32

1	2	3
14.	पंजाब	1.10
15.	उड़ीसा	7.34
16.	तमिलनाडु	2.89
17.	त्रिपुरा	1.32
18.	उत्तर प्रदेश @	24.89
19.	पश्चिम बंगाल	4.32
20.	गोवा	0.05
21.	मिजोरम	0.74
22.	राजस्थान	1.12
23.	दिल्ली	0.06
24.	दादर एवं नगर हवेली	कोई बंजरभूमि नहीं है
	योग	153.22
	हैक्टेयर	62.03

@ उत्तराखण्ड सहित

दामोदर वैली कार्पोरेशन में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

1063. श्री टेक लाल महतो: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006 और 2007 के दौरान दामोदर वैली कार्पोरेशन में अनुकंपा आधार पर कितनी नियुक्तियां की गई;

(ख) कितने युवाओं के नियुक्ति के लिए आवेदन लंबित है और उन्हें कब तक रोजगार दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य में तेजी लाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) ने सूचना दी है कि वर्ष 2006 और 2007 के दौरान डी.वी.सी. में अनुकंपा आधार पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है।

(ख) डी.वी.सी. में अनुकंपा नियुक्ति रिक्त पदों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। वर्तमान में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए लगभग 1000 मामले लंबित हैं, इस कारण ये नियुक्तियां कब तक की जाएंगी, यह बताना संभव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

बच्चों को गोद लेने संबंधी नीति

1064. श्री मो. ताहिर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बच्चों को गोद लिए जाने की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गोद लेने के प्रयोजन के लिए बच्चों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बच्चों को गोद लिए जाने से पहले उन बच्चों का एच.आई.वी. टेस्ट अनिवार्य रूप से कराने का उपबन्ध है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की वेबसाइट www.adoptionindia.nic.in. पर उपलब्ध है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा संरक्षण संहिता

1065. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का आई.सी.एस.आई. तथा आई.सी.ए.आई. जैसे अन्य व्यावसायिक निकायों की तरह ऊर्जा लेखा परीक्षकों का एक स्वतंत्र/स्वायत्त निकाय स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां।

(ग) ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता दिनांक 27-05-07 को आरंभ की गई थी। 11वीं योजनावधि में ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता (ई.सी.वी.सी.) को कार्यान्वित करने की एक स्कीम अनुमोदित की गई है। स्कीम की अनुमोदित लागत 13.99 करोड़ रुपये है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. जांच

1066. श्री जीवाभाई ए. पटेल:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री हरिकेवल प्रसाद:

श्री वी.के. दुग्मर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न जांच प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार के लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है तथा ये किन तारीखों से लम्बित हैं;

(ख) क्या अप्रैल, 1999 से इन्लैण्ड क्लीरेन्स डिपो (आई.सी.डी.) जैसे स्थानों पर भ्रष्टाचार के मामलों के अभ्यारोपित और दोषारोपित कुछ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में उनके हाथ होने के बावजूद लाभदायक स्थानों पर नियुक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अप्रैल 1999 से ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें महत्वपर्ण नियुक्ति देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सी.बी.ई.सी. तथा सी.बी.डी.टी. के उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई दंड संबंधी कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण

1067. श्री असादुद्दीन ओवेसी:

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी जनजातीय अधिवास क्षेत्रो को

समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण व्यापक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) प्रत्येक बस्ती में कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्र प्रदान करने का अधिदेश सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल है। इस प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए समेकित बाल विकास सेवा स्कीम का वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में दो बार विस्तार करके आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः 6284, 10.53 लाख एवं 36829 कर दी गई है। देश भर में आई.सी.डी.एस. स्कीम से अब तक लाभान्वित न हो पाई सभी बस्तियों, जनजातीय बस्तियों सहित, को इस स्कीम से लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म स्तरीय सर्वेक्षण करवाकर अतिरिक्त परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की सुस्पष्ट आवश्यकता बताएं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को आई.सी.डी.एस. स्कीम के विस्तार के तीसरे चरण के प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

31-3-2007 तक जनजातीय क्षेत्रों में संस्वीकृत आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों, आयु वर्गों, पुरुषों एवं महिलाओं तथा सामाजिक वर्गों में कुपोषण के स्तर में व्यापक अंतर है तथा सघन जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों, ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातीय जन समुदाय में कुपोषण तुलनात्मक रूप से अधिक है।

(घ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, वर्ष 1998-99 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 की तुलना में वर्ष 2005-06 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 में तीन वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों की संख्या में कुल मिलाकर एक प्रतिशत की कमी आई है। महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश जैसे जिन कुछ राज्यों में जनजातीय जन समुदाय का प्रतिशत ज्यादा है, उन राज्यों में कुपोषण के स्तरों में कमी दर्ज की गई है।

चूंकि कुपोषण एक बहुआयामी और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली समस्या है, इसलिए खाद्य सुरक्षा, साफ-सफाई और सुरक्षित पेयजल, पोषण, परिवार कल्याण तथा गरीबी उपशमन के क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जा रहे समन्वित प्रयासों के माध्यम से इस समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है।

जहां तक समेकित बाल विकास सेवा स्कीम का संबंध है, कुपोषण की रोकथाम करने के लिए हाल ही में किए गए कुछ उपाय, जिनके अंतर्गत देश के जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं, इस प्रकार हैं:

- पूरक पोषण हेतु वित्तीय मानकों को दोगुना किया जाना।
- पूरक पोषण की लागत में राज्यों के साथ 50% की भागीदारी।
- राज्यों में निरंतर कहा जाता रहा है कि वे:
  - स्कीम के मानकों के अनुसार, पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें;
  - विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की जा रही स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं सुरक्षित पेयजल सेवाओं के बीच कारगर संकेन्द्रण सुनिश्चित करें।

विवरण

31-3-2007 तक की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत जनजातीय आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं तथा जनजातीय आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या #

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत जनजातीय आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की कुल संख्या				भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत जनजातीय आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या			
		31-3-05 तक	2005-06 के दौरान	2006-07 के दौरान	कुल	31-3-05 तक	2005-06 के दौरान	2006-07 के दौरान	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	29	0	0	29	3636	547	438	4621
2.	अरुणाचल प्रदेश		21	0	68	2154	678	1125	3957
3.	असम		2	1	27	3248	856	1098	5202
4.	बिहार	1	0	0	1	169	0	0	169
5.	छत्तीसगढ़	58	0	1	59	7943	4134	3753	15830
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	35	6	0	41	6588	1316	100	8004
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	8	0	0	8	485	153	0	638
10.	जम्मू-कश्मीर	3	0	0	3	312	0	0	312
11.	झारखण्ड	115	0	0	115	16143	3443	663	20249
12.	कर्नाटक	7	0	0	7	2561	198	39	2798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	1	0	0	1	115	33	0	148
14.	मध्य प्रदेश	71	0	0	71	11960	1265	4744	17969
15.	महाराष्ट्र	50	9	7	66	8866	3433	2227	14526
16.	मणिपुर	20	0	4	24	2212	0	1695	3907
17.	मेघालय	31	0	0	31	2154	0	19	2173
18.	मिजोरम	19	2	0	21	1180	205	78	1463
19.	नागालैण्ड	52	2	0	54	2364	265	159	2788
20.	उड़ीसा	126	0	0	126	12699	1108	1401	15208
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	30	0	0	30	4304	1645	0	5949
23.	सिक्किम	0	1	0	1	0	48	0	48
24.	तमिलनाडु	2	0	0	2	180	1	2	183
25.	त्रिपुरा	8	0	0	8	709	498	234	1441
26.	उत्तर प्रदेश	4	0	0	4	500	0	0	500
27.	उत्तरांचल	6	0	0	6	457	222	142	821
28.	पश्चिम बंगाल	46	2	0	48	7424	1844	6461	15729
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2	0	0	2	160	32	0	192

30. चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
31. दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
32. दादर व नगर हवेली	1	1	0	2	138	77	4	219
33. दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
34. लक्षद्वीप	1	0	0	1	74	0	13	87
35. पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
अखिल भारत	797	46	13	856	98735	22001	24395	145131

नोट: वर्ष 2006-07 के दौरान भारत सरकार ने जनजातीय परियोजनाओं में 6069 अतिरिक्त लघु आंगनवाड़ी केन्द्र संस्वीकृत किए हैं।

कुल संस्वीकृत परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में अधिकाधिक लाभार्थियों को शामिल करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सभी राज्यों को संस्वीकृत परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुन:आबंटित करने की अनुमति दी है।

जनजातीय परियोजनाएं - आंगनवाड़ी केन्द्र

देवदासी प्रथा को समाप्त करना

1068. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक तथा देश के अन्य भागों में देवदासी प्रथा के जारी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, इन राज्यों में देवदासी प्रथा प्रचलित है। इन राज्यों में देवदासी प्रथा के निषेध और समर्पण पर अधिनियम मौजूद हैं। ये राज्य देवदासियों के कल्याण और पुनर्वास के उपाय भी कर रहे हैं। जहां तक महिला एवं बाल विकास का संबंध है, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 तथा भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बच्चों सहित सभी मानवों का अवैध देह व्यापार निषिद्ध है और अवैध व्यापारियों के विरुद्ध इनमें सख्त सजा निर्धारित की गई है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में अब और संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि बच्चों सहित मानवों के अवैध व्यापार के लिए और ज्यादा कड़ी सजा निर्धारित की जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देवदासी प्रथा सहित वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ अवैध व्यापार के निवारण हेतु समर्थन, जागरूकता विकास और संचेतना कार्यक्रम आयोजित करता है।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, देवदासी प्रथा के खिलाफ 46 मामले दर्ज किए गए हैं और विभिन्न न्यायालयों में इनकी सुनवाई चल रही है।

होलिडे होम्स

1069. श्री के.एस. राव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आज की तिथि तक गोवा, पुरी, माऊंट आबू, दार्जीलिंग, गंगटोक, कोडाईकनाल, श्रीनगर, मदुरई, शिलांग, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी में कोई होलिडे होम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कब तक उपर्युक्त स्थानों पर ये सुविधाएं प्रदान की जायेंगी; और

(घ) क्या होलिडे होम्स के कमरे केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराए जाते हैं तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां। बताए गए शहरों/कस्बों में किसी विश्रामगृह का निर्माण अथवा परिचालन नहीं किया जा रहा है।

(ख) इन शहरों/कस्बों में उपयुक्त भूमि तथा बजट सहायता उपलब्ध न होने के कारण विश्रामगृहों का निर्माण नहीं किया गया है।

(ग) इन शहरों/पर्वतीय स्थानों पर विश्रामगृहों के निर्माण के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है।

(घ) विश्रामगृहों के कमरों सेवानिवृत्त केन्द्र सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं बशर्ते कि सेवारत केन्द्र सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी जरूरत न हो।

विद्युत अनुवीक्षण पैनल की स्थापना

1070. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक विद्युत परियोजना अनुवीक्षण पैनल/बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पैनल/बोर्ड के विचारार्थ विषय क्या है; और

(ग) उक्त पैनल/बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक भेजे जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय ने विद्युत परियोजना मानीटरिंग पेनल की स्थापना करने का निर्णय लिया है। पैनल का प्राथमिक कार्य ग्यारहवीं योजना अवधि में लाभ हेतु प्रस्तावित ताप एवं जल-विद्युत परियोजनाओं और उनकी सम्बद्ध पारेषण प्रणाली की प्रगति को मानीटर करना होगा। कठिनाईयों की पहचान किये जाने

को सुविधाजनक बनाने और परियोजना को समय से चालू करने के उपचारी उपाय सुझाने की जिम्मेवारी भी पैनल की होगी। पैनल द्वारा मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

1071. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक नई केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत क्रीमी लेयर के छात्रों पर भी विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातीय छात्रों को किसी भी अभिज्ञात संस्थानों में पोस्ट डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु शैक्षिक वर्ष 2007-08 से अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। सरकारी एवं निजी, दोनों क्षेत्रों में प्रबंधन, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कानून एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कवर करते हुए इस योजना के अंतर्गत 127 संस्थानों का अनुमोदन किया है। प्रत्येक संस्था को अधिकतम 5 पुरस्कार आबंटित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष कुल अधिकतम 635 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। कोई भी प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति छात्र, जिसने 127 अभिज्ञात संस्थानों में से किसी में प्रवेश लिया है, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने का पात्र होगा बशर्ते वह शीर्ष पांच प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातीय छात्रों की परस्पर वरीयता-सूची में आता हो तथा सभी स्रोतों से उसकी कुल पारिवारिक आय 2.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

सरकारी/सरकार द्वारा निधिपोषित संस्थानों के संबंध में पूरा शिक्षा शुल्क एवं अन्य अप्रतिदेय देयों को शामिल करते हुए अनुसूचित जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। हालांकि, निजी क्षेत्र के संस्थानों हेतु यह अधिकतम सीमा 2.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष तथा निजी क्षेत्र के फ्लाइंग क्लबों हेतु व्यावसायिक विमानचालक प्रशिक्षण हेतु 3.72 लाख रुपए प्रतिवर्ष रखी गई है। इसके अतिरिक्त, (1) निर्वाह हेतु वास्तविक व्यय के अधीन प्रतिमाह प्रतिछात्र 2200/- रुपए; (2) पुस्तकों एवं लेखन सामग्री हेतु प्रतिछात्र प्रतिवर्ष 3000/- रुपए; और (3) पाठ्यक्रम के दौरान अद्यतन कंप्यूटर सिस्टम एवं इसके अन्य आनुषांगिक उपकरण आदि हेतु 45000/- रुपए तक सीमित एकमुश्त सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा

1072. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों ने विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अपनी हाल में हुई निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक में इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए चूककर्ता राज्यों को नए अनुस्मारक जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ङ) सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों को कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित करते हैं। दसवीं योजनावधि के दौरान, इस मंत्रालय की ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 76,774.00 करोड़ रुपए के केन्द्रीय आबंटन की तुलना में 114068.00 करोड़, रुपए रिलीज किए गए हैं जो आबंटन का 148 प्रतिशत है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय निधियों के उपयोग सहित व्यापक निगरानी तंत्र, आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारी योजना, राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं, जिला स्तरीय निगरानी और राज्य/जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों के जरिए इन कार्यक्रमों की भी निगरानी करता है। हाल ही में हुई निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की

जांच की गई। संबंधित राज्य सरकार और कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक सुधारात्मक उपाय करें।

शहरी गरीबी उपशमन योजनाएं

1073. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**

श्री एम. अप्पादुरई:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में गरीबी उपशमन हेतु कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शहरी गरीबों पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रभाव जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान शहरी गरीबी उपशमन के लिए आबंटित कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या गरीबी उपशमन के लिए संस्वीकृत धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी गरीबों की स्थिति को सुधारने और देश में शहरी गरीबी को कम करने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय 1-12-1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) नामक रोजगार परक शहरी गरीबी उपशमन स्कीम अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य शहरी बेरोजगार गरीबों को लघु उद्यम लगाने में सहायता के जरिए और उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम उपयोग द्वारा मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए भी उन्हें लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है। स्कीम का वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है।

(ख) और (ग) हाल ही में मैसर्स एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, नई दिल्ली द्वारा 9 प्रतिनिधि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों अर्थात तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, असम, केरल, गोवा, हरियाणा और दिल्ली में एस.जे.एस.आर.वाई. स्कीम का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। अध्ययन नवंबर 2006 में शुरू हुआ और मार्च, 2007 तक पूरा हुआ। एस.जे.एस.आर.वाई. के मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- स्कीम में मुख्य ध्यान शहरी स्वरोजगार में सहायता पर होना चाहिए।
- शहरी गरीबों द्वारा व्यक्तिगत रूप से और समूहों में और अधिक लघु उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करना।
- लाभार्थियों को विपणन और क्रेडिट लिंकेज मुहैया कराया जाए।
- सेवा क्षेत्र और छोटे व्यापारिक कार्यकलाप ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्वरोजगार अवसरों की ज्यादा संभावनाएं हैं।
- लघु उद्यमों और अन्य उद्यमों को लगाने के निर्णय से पूर्व लघु उद्यमियों के लिए उचित बाजार आकलन करने की जरूरत।
- शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देने से पूर्व कौशल आवश्यकता आकलन किया जाए।
- रोजगार सृजन और आय सृजन कार्यक्रमों की सफलता के लिए कम्यूनिटी मोबिलाइजेसन महत्वपूर्ण है।
- गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के साथ गरीबों की सामाजिक सुरक्षा पहलू की जरूरत को पुरा किया जाए।
- गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)/समुदाय आधारित संगठन (सी.बी.ओ.) को शामिल करते हुए समुदाय आधारित क्रेडिट कार्यक्रमों को डिजाइन किया जाए।
- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) की सफलता के लिए शहरी स्थानीय निकायों और अन्य हितबद्धों का क्षमता विकास आवश्यक है।

(घ) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना स्कीम के लिए वर्षवार आबंटित केन्द्रीय राशि और उपयोग की गई राशि इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07
नियतन	123.00	160.00	250.00
उपयोग	123.00	160.00	250.00

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि आवंटित की गई केन्द्रीय धनराशियों का एस.जे.एस.आर.वाई. स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य एजेंसियों को जारी करके पूरा उपयोग किया गया है।

आम आदमी बीमा योजना

1074. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शामिल करने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर एक नई आम आदमी बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लाभ के लिए "आम आदमी बीमा योजना" नामक एक नई योजना आरंभ की है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

पात्रता	ग्रामीण भूमिहीन परिवार
आयु समूह	18-59 वर्ष
प्रीमियम	प्रतिवर्ष प्रति सदस्य 200/- रु., जिसका केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा समान रूप से हिस्सा लिया जाएगा।
नोडल एजेंसी	राज्य सरकार
लाभ:	
प्राकृतिक मृत्यु	30,000/- रु.
दुर्घटना में मृत्यु	75,000/- रु.
पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता	75,000/- रु. (दुर्घटना में दोनों आंखों या दो अंगों की हानि या एक आंख और एक अंग की हानि)।
आंशिक रूप से स्थायी विकलांगता	37,500/- रु. (दुर्घटना में एक आंख अथवा एक अंग की हानि)।
छात्रवृत्तियां	लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच पढ़ने वाले दो बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को प्रति छमाही 600/- रु. प्राप्त होंगे।

(ग) सरकार ने प्रीमियम अदायगी और छात्रवृत्तियों के संबंध में व्यय के दायित्व को पूरा करने के लिए क्रमश: 1000 करोड़ रु. और 500 करोड़ रु. की निधियों के सृजन का अनुमोदन किया है। इस समय 14 राज्य/संघ राज्य इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हैं।

एन.सी.आर. में सम्पत्ति के मूल्यों में वृद्धि

1075. श्री रेवती रमन सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

(एन.सी.आर.) में सम्पत्ति के मूल्यों का बढ़ना और नई ऊंचाई छूना जारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस रुझान तथा समुदाय के कमजोर वर्गों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या सरकार रिअल इस्टेट क्षेत्र में एक मूल्य विनियामक प्रणाली तथा प्राधिकरण बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) केन्द्र सरकार दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/अन्य क्षेत्रों में भूमि की कीमतों को विनियमित/नियंत्रित नहीं करती है। संपत्तियों की कीमतें आमतौर पर बाजार ताकतों द्वारा तय होती है। यह बताया गया है कि अर्थव्यवस्था में प्रगति, मांग की तुलना में आपूर्ति की कमी, गृह ऋण की आसानी से उपलब्धता, आवास परियोजनाओं का आसान वित्तपोषण, लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन, अवस्थापना सुधार आदि जैसे विभिन्न कारणों से पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/अन्य क्षेत्रों में भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई है।

गरीबों के लिए आवास व्यवस्था के भाग के रूप में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में निम्नलिखित व्यवस्था है:- निजी क्षेत्र भागीदारी के लिए भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग सहित स्लमों का स्वस्थाने पुनर्वास, सभी ग्रुप आवास समितियों में प्लाट पर अनुमत्य एफ.ए.आर. के 15% अथवा 35% रिहायशी एककों तक, इनमें से जो भी अधिक हो, ई.डब्ल्यू.एस. आवास/स्लम पुनर्वास का अनिवार्य प्रावधान, कुल आवास में से 50 से 55 प्रतिशत तक शहरी गरीबों के लिए आवास, आवास श्रेणियों का पुनःवर्गीकरण विकास नियंत्रण मानक तथा अलग-अलग आबादी घनत्व ताकि ई.डब्ल्यू.एस./ एल.आई.जी. व्यवस्था को व्यवहार्य और किफायती बनाया जा सके, आदि। रोहिणी आवासीय स्कीम के अंतर्गत डी.डी.ए. में पंजीकृत व्यक्तियों को तथा वैकल्पिक प्लाटों के आबंटियों को एल.आई.जी./एम.आई.जी. तथा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणियों के अधीन प्लाटों का आबंटन पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है जिन पर नीलामी के जरिए दरों में हुई वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(घ) और (ङ) दिल्ली में स्थावर संपदा के विनियमन हेतु कानून बनाने की प्रक्रिया अभी प्रारंभिक स्तर पर है।

हिमालयी हिमनदों पर अनुसंधान

1078. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमालयी हिमनदों में जलवायु परिवर्तन पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष हिमालयी हिमनदों पर अनुसंधान हेतु कितनी धनराशि आबंटित और उपयोग की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त प्रयोजनार्थ धनराशि आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां, भारतीय हिमालय क्षेत्र के विभिन्न भागों के कई हिमनदों के अध्ययन के मानीटरन के लिए सरकार की अनेक एजेन्सियों, जैसे कि वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान (डब्ल्यू.आई.एच.जी.) देहरादून, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.), बर्फ और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (एस.ए.एस.ई.), चंडीगढ़, आदि द्वारा अनेक हिमनदों का मॉनीटरन शुरू किया गया है।

(ख) हिमालय के हिमनदों पर किए गए अनुसंधान से पता चलता है कि अधिकांश भारतीय हिमनद पर्वतिकीय और जलवायुवीय भिन्नता के कारण धीरे-धीरे पिघल रहे हैं। हिमालय के हिमनद क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न ऊंचाईयों पर कई मौसम स्टेशन स्थापित किए गए हैं ताकि जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए वास्तविक समय के मौसम प्रेक्षण किए जा सकें।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमालय के ग्लेशियरों पर अनुसंधान कार्य पर खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

2004-2005	:	1,11,10,689/- रु.
2005-2006	:	74,48,000/- रु.
2006-2007	:	1,16,00,000/- रु.
2007-2008	:	2,21,40,000/- रु.

हिमाचल के ग्लेशियरों का अध्ययन करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक सतत् कार्यक्रम है। इन सतत् रूप से चलने वाली गतिविधियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालय हिमनद-विज्ञान अध्ययन केन्द्र और कुछ प्रादेशिक हिमालय हिमनद-विज्ञान अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के लिए कार्रवाई की जा रही है। तद्नुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमालय हिमनद-विज्ञान कार्यक्रम के लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित किया जाना

1077. श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री एस. अजय कुमार:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री के.एस. राव:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि करने हेतु कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है और शेष प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सभी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों/अभिचिन्हित राज्य नोडल एजेंसियों से निरंतर आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन स्कीमों/कार्यक्रमों के अनुसार पूर्ण प्रस्तावों पर बजट प्रावधानों के अध्यधीन शीघ्रता से विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

पैकेज्ड टूरों पर सेवा कर

1078. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में टूर आपरेटरों द्वारा पैकेज्ड टूरों पर वसूले जाने वाले सेवा कर को घटा दिया है जैसा कि दिनांक 24 अगस्त, 2007 को "द इकोनोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यात्रियों को ऐसे लाभ देने के लिए औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन औपचारिकताओं को कब तक अंतिम रूप दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) टूर से संबंधित टूर आपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर (जिसमें पैकेज्ड टूर भी शामिल है) सेवा कर लगता है [वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105)(ख) के अंतर्गत]। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो पैकेज्ड टूर मुहैय्या कराता है, के पास यह विकल्प है कि वह अधिसूचना सं. 1/2006-सेवाकर, दिनांक 1-03-2006 के अनुसार, ऐसे टूर पर भारित सकल राशि के 40% पर लागू दर, 60% की छूट प्राप्त करने के पश्चात, से सेवाकर का भुगतान कर सकता है बशर्ते कि सैनवैट क्रेडिट योजना के अंतर्गत भुगतान किये गये शुल्क पर क्रेडिट प्राप्त न किया गया हो। प्राप्त अभ्यावेदनों और सारवान तथ्यों के आधार पर, अधिसूचना सं. 38/2007-सेवाकर, दिनांक 23-8-2007 के माध्यम से छूट को 60% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है।

(ग) प्रदान की गई सेवा की कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें भुगतान किये जाने योग्य सेवाकर भी शामिल हैं और इसका निर्धारण बाजार के कारकों द्वारा होता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में सुधार

1079. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु कोई "रोडमैप" तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे विद्युत पारेषण और वितरण के घाटे में कितनी कमी आने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) भारत सरकार ने समयबद्ध रूप से सुधार एवं पुनर्गठन कार्य शुरू करने तथा पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत सरकार की सहायता हेतु सभी राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पन्न किया। समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

(i) राज्य सरकार का सुधार कार्यक्रम

- राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन
- गांवों एवं बस्तियों का 100% विद्युतीकरण
- सभी स्तरों पर ऊर्जा ऑडिट
- राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन
- टैरिफ का युक्तिकरण

(ii) भारत सरकार से सहायता

- जहां भी संभव हो, अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति
- पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार
- उप-पारेषण प्रणाली एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु सहायता।
- गांवों एवं बस्तियों के 100% विद्युतीकरण हेतु वित्तपोषण।
- वित्तीय पुनर्गठन योजना आदि के लिए पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन द्वारा रियायती वित्तपोषण।

(ग) केन्द्र सरकार ने सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम पर बल देने हेतु आम सहमति बनाई है। 28 मई, 2007 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन में एक आम संकल्प पारित किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा एकाउन्टिंग एवं ऑडिटिंग के लिए आवश्यक बेसलाइन डाटा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए केन्द्र से समुचित सहायता के साथ-साथ राज्यों की प्रतिबद्धता तथा विद्युत चोरी का उन्मूलन सुनिश्चित करना शामिल है। सम्मेलन में राज्यों ने अगले पांच वर्षों में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करने तथा त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम परियोजना वाले क्षेत्रों में इसे कम-से-कम 15% के स्तर पर लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

[अनुवाद]

विकास पर राजसहायता का प्रभाव

1080. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विकास की राह मे आड़े आ रही राजसहायताओं पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) हाल ही में 7-11-2007 को हुई योजना आयोग की पूर्ण बैठक में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर बढ़ती सब्सिडी की समस्या और विकास पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की गई।

(ग) सरकार ने गरीबों और छोटे व सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और शहरी गरीबों जैसे वास्तव में जरूरतमंद लोगों को लक्ष्य मानते हुए सब्सिडियां देने का प्रयास किया है और इस संबंध में समय-समय पर वांछित नीतिगत उपाय किए जाते हैं।

बच्चों में कुपोषण

1081. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुपोषण की रोकथाम करने हेतु गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को

नकद लाभ देने पर विचार करने के लिए पैनल गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

देश में ग्रामीण बैंक

1082. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री बी.के. तुम्मर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने ग्रामीण बैंक घाटा उठा रहे हैं;

(ख) इन बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दिए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2006-07 के दौरान 96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 301.25 करोड़ रुपये की हानि हुई है। राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने और उनकी हानियों को कम करने के लिए भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने कई उपाय किए हैं, जैसेकि:-

(1) कारबार के समेकन, विस्तार आदि के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन। बेहतर आधारभूत सुविधा, शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण, अनुभवी कर्मचारियों का समूह बनाने, सम्मिलित प्रचार और विपणन प्रयत्नों आदि के फलस्वरूप समामेलित ग्रामीण बैंक बेहतर सुविधा प्रदान करेंगे। वे बड़े परिचालन क्षेत्र बढ़ी हुई ऋण एक्सपोजर सीमाओं का लाभ भी प्राप्त करेंगे।

(2) सरकार ने वर्ष 2007-08 के बजट प्रस्ताव में घोषणा की है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के उपाय के रूप में नकारात्मक निवल सम्पत्ति वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पणधारकों द्वारा पुन:पूंजीकृत किया जाएगा।

(3) गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण में वृद्धि।

(4) गैर-निधि आधारित व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, पेंशन, वेतन आदि का संवितरण और सरकारी कारोबार करना ताकि आय में वृद्धि हो सके।

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूलियों में सुधार करने के लिए उन पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम लागू करना।

(6) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफ.सी.एन.आर.) जमा राशियां स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करना।

(7) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संघीय उधार की अनुमति प्रदान करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आशा की जाती है कि इस संबंध में किए गए उपायों से हानि उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन में सुधार होगा।

विवरण

हानि उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	1

1	2	3
2.	बिहार	2
3.	जम्मू-कश्मीर	2
4.	झारखंड	2
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	महाराष्ट्र	1
7.	मणिपुर	1
8.	नागालैण्ड	1
9.	उड़ीसा	1
10.	उत्तर प्रदेश	1
11.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	15

[अनुवाद]

आई.ए.वाई. के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा संबंधी उपबंधों का उल्लंघन

1083. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के लिए निधियों के उपयोग हेतु किए गए उपबंधों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) से (ग) प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित 5% आई.ए.वाई. निधि के प्रावधान का उल्लंघन करने की दिशा में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं - पहली श्री सीता कांत महापात्रा, विधायक, उड़ीसा से तथा दूसरी श्री जे.बी. पटनायक, विपक्ष के नेता, उड़ीसा विधान सभा से। ये शिकायतें उड़ीसा में महाचक्रवात तथा भारी बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए नियत निधियों के दुरुपयोग के संबंध में हैं। इन आपदाओं के लिए विशेष पैकेज मंजूर किया गया था। इस मामले की मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी तथा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई थी।

डीजल तथा पेट्रोल पर उपकर

1084. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक द्रुत परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस.) के लिए और ज्यादा धन जुटाने हेतु डीजल तथा पेट्रोल पर 30 पैसे प्रति लीटर पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लेवी द्वारा अर्जित राजस्व को 5,000 करोड़ रु. वाली नेशनल ट्रैंसपोर्ट रिवाल्विंग फंड में ले जाया जायेगा जो देश में अद्यतन सार्वजनिक द्रुत परिवहन प्रणाली को वित्त पोषित करेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) इस समय सरकार के पास सार्वजनिक द्रुत परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस.) के लिए और ज्यादा धन जुटाने हेतु डीजल और पेट्रोल पर 30 पैसे प्रति लीटर पर उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कम मूल्य वर्ग के नोटों की कमी

1085. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कम मूल्य वर्ग के नोटों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कम मूल्य वर्ग के नोटों का परिचालन अथवा इनका मुद्रण बन्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कम मूल्य वर्ग के नोटों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क), (ख) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कम मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों, अर्थात एक रुपया, दो रुपए और पांच रुपए का मुद्रण बंद कर दिया गया है और नोटों की कम परिचालन अवधि को ध्यान में रखते हुए इन मूल्यवर्ग के नोटों की सिक्कों के रूप में ढलाई की गई है। इन मूल्यवर्ग के सिक्कों की कोई कमी नहीं है।

(ग) और (घ) हालांकि 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया है फिर भी इन नोटों को परिचालन से हटाया नहीं गया है।

मुद्रास्फीति

1066. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री मोहन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के महीनों में मुद्रास्फीति की दर कम होने के बावजूद थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अधिक बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो 2007 के दौरान अब तक माह-वार मुद्रास्फीति के उतार-चढ़ाव सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विकसित और विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दर भारत से ज्यादा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आर.बी.आई. ने सी.पी.आई. और मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकने हेतु कतिपय उपाय किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार पेट्रोल और गैस की कीमतों में वृद्धि करने का है;

(ज) यदि हां, तो मुद्रास्फीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(झ) सी.पी.आई. और मुद्रास्फीति की दर में बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक कामगार (सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.) आधारित मुद्रास्फीति दर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) से अधिक रही है। खाद्य वस्तुओं का भारांश डब्ल्यू.पी.आई. (27 प्रतिशत) की तुलना में सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू. (46 प्रतिशत) में अधिक है। खाद्य समूह के अधिक महत्व के साथ ही खाद्य समूह में मुद्रास्फीति की अधिक दर के परिणामस्वरूप डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति की तुलना में सी.पी.आई. मुद्रास्फीति अधिक रही है। मासिक मुद्रास्फीति सारणी 1 में दिखाई गई है।

सारणी 1 : डब्ल्यू.पी.आई. और सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू. आधारित मुद्रास्फीति (%)

2007	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर
डब्ल्यू.पी.आई.	6.4	6.4	6.6	6.3	5.5	4.5	4.7	4.1	3.3	3.0
सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.	6.7	7.6	6.7	6.7	6.6	5.7	6.5	7.3	6.4	–

(ग) और (घ) विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत में सी.पी.आई. आधारित मुद्रास्फीति दर सारणी 2 में दर्शाई गई है।

सारणी 2 : विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत में सी.पी.आई.-आधारित मुद्रास्फीति (%)

वर्ष	भारत	विकसित देश	विकासशील देश
2001	3.9	2.1	6.5
2002	4.1	1.5	5.7
2003	4.0	1.8	5.7
2004	3.6	2.0	5.4
2005	4.3	2.3	5.2
2006	6.2	2.3	5.1
जुलाई-2007	6.5	1.9	5.6

(ङ) और (झ) सरकार का घरेलू पेट्रोलियम मूल्य बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोलियम मूल्यों के फरवरी 2007 के स्तर पर स्थिर हो जाने से शीर्ष मुद्रास्फीति के कम होने में मदद मिली है। हाल के महीनों में मुद्रास्फीति की दर में कमी गेहूं तथा चीनी जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार होने; रुपये के मजबूत होने, जिससे आयातित वस्तुओं के रुपये मूल्य में कमी हुई; भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा किए गए मौद्रिक तथा राजकोषीय उपायों; तथा सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से गेहूं तथा दालों जैसी वस्तुओं के आयात सहित कई प्रशासनिक उपायों के कारण हुई है।

जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ

1087. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री अनन्त नायक:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) ने अपने कार्यालय स्थापित किए हैं;

(ख) क्या कुछ कार्यालय काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस परिसंघ के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो सुधार हेतु सुझावों सहित तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, के निम्नांकित राज्यों में स्थित 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं:

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. छत्तीसगढ़
4. दिल्ली (क्षेत्रीय कार्यालय)
5. गुजरात
6. झारखंड
7. कर्नाटक
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. उड़ीसा
11. राजस्थान
12. सिक्किम
13. उत्तरांचल

(ख) जी, नहीं। ट्राइफेड के सभी कार्यालय प्रचालनात्मक हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। ट्राइफेड ने अपने संघटन के निष्पादन एवं कार्य प्रणाली में सुधार करने तथा संघटन की पुनः संरचना सहित डाइगनोस्टिक अध्ययन करने तथा प्रचालनात्मक योजना हेतु वर्ष, 2002 में एक निजी परामर्शदाता फर्म से कार्य लिया।

(ङ) संघ के निष्पादन के संबंध में किए गए अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- प्रापण पर सीमित ध्यान देने के कारण संघटनात्मक खामियां, बाजार आसूचना का अभाव, परियोजना निष्पादन में तदर्थ दृष्टिकोण एवं घटिया कार्य संस्कृति।
- आयोजना निगरानी कार्यविधि एवं क्रय तथा विक्रय प्रचालनों में तदर्थ प्रकृति की कमी के कारण प्रणालीगत विफलताएं।
- खराब भंडारण/पद्धतियों, उच्च इन्वेंटरी लागत, उच्च निर्धारित व्यय एवं अलाभकारी खरीददारी गतिविधियों के कारण प्रचालनात्मक कमियां।
- परामर्शदाताओं का निष्कर्ष था कि ट्राइफेड में आमूल-चूल परिवर्तन करना आवश्यक है।

परामर्शदाताओं ने यह भी सलाह दी है कि:

- ट्राइफेड को लघु वन उत्पादों के प्रापण तथा व्यापार के कार्य में एक एजेंसी की भूमिका को बदलकर अपने को विपणन विकास गतिविधियों में अपने को लगाना चाहिए (अर्थात् ट्राइफेड को विपणन विकासक एवं सेवा प्रदाता की भूमिका निभानी चाहिए न कि लघु वन उत्पादों एवं कृषि उत्पादों के व्यापार कार्य में एक प्रत्यक्ष व्यापारी के रूप में।
- ट्राइफेड को जनजातीय शिल्प की वस्तुओं के विपणन, जनजातीय संसाधन क्षमता इत्यादि के विकास का कार्य करना चाहिए।

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान की स्थापना

1088. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित संस्थान कारपोरेट कार्य मंत्रालय को नियमित आधार पर नीति अनुसंधान एवं ज्ञान प्रदान करेगा तथा यह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रगति में एक थिंक टैंक और की गई पहलों के लिए एक कार्यान्वय सहायक के रूप में कार्य करेगा। इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी गई है।

स्वास्थ्य बीमा योजना

1089. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री बलपत सिंह परस्ते:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जांच के लिए के.एस. शास्त्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सूचित किया है कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2007 के अंत तक उन्हें प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) सरकार/आई.आर.डी.ए. द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिकायतें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित से संबंधित है:

(i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा सुरक्षा की अनुपलब्धता/सीमित होना।

(ii) अत्यधिक प्रीमियम।

(iii) पहले से विद्यमान बीमारियों को शामिल न किया जाना।

(iv) नवीकरण न किया जाना।

(v) मनमाना प्रीमियम लागू करना।

(vi) बीमारियों की सीमित बीमा सुरक्षा।

(vii) पालिसी दस्तावेजों की प्राप्ति न होना/विलम्ब से प्राप्त होना।

(viii) प्रतिपूर्ति में अनावश्यक विलम्ब होना।

(ix) तृतीय पक्ष प्रशासकों द्वारा अस्पतालों के बारे में अपर्याप्त जानकारी प्रस्तुत करना।

एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के क्रियान्वयन में अनियमितताएं

1090. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को काम के बदले अनाज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (ए.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) के क्रियान्वयन में खामियों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को 2006-07 और 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों से एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी के रूप में खाद्यान्न और नकद राशि के दिए जाने में विलंब और अनियमितताएं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) नवंबर, 2004 में देश के 150 जिलों में शुरू किया गया था. इस कार्यक्रम को 02-02-2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) में मिला दिया गया। इस अधिनियम को तथा इसके कार्यान्वयन के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश बनाते समय पूर्ववर्ती सभी मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों की संरचनात्मक और प्रणालीगत विसंगतियों को ध्यान में रखा गया था।

(ग) और (घ) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान, अब तक एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान प्राप्त शिकायतों की सूची

राज्य	शिकायतकर्ता	लगाए गए आरोप	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
बिहार	श्री तारीक अनवर, संसद सदस्य (राज्यसभा)	कटिहार में एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत निधियों	जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को उसकी जानकारी देने

1	2	3	4
		का दुर्विनियोजन और अनियमितताएं	के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित
बिहार	श्री सुरेश राय, समन्वयक, मीनापुर, मुजफ्फरपुर, बिहार	मुजफ्फरपुर में एन.एफ.एफ. डब्ल्यू.पी. के कार्यान्वयन में अनियमितताएं और अनुचित कार्यान्वयन	जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को उसकी जानकारी देने के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित
उत्तर प्रदेश	श्री इलियास आजमी, संसद सदस्य (लोक सभा)	लखीमपुर खीरी में एन.एफ.एफ. डब्ल्यू.पी. के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार	जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को उसकी जानकारी देने के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित
उत्तर प्रदेश	श्री अशोक गहलोत, महासचिव, ए.आई.सी.सी.	उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं	जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को उसकी जानकारी देने के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित
उत्तर प्रदेश	महेन्द्र प्रसाद निषाद संसद सदस्य (लोक सभा)	उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत निधियों का दुरुपयोग	जांच, आवश्यक कार्रवाई करने तथा मंत्रालय को उसकी जानकारी देने के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित

जनजातियों का कल्याण

1091. श्री प्रकाश बी. जाधव: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के जनजातीय व्यक्तियों के कल्याणार्थ राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अपेक्षित धनराशि सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इस मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्तावों का प्राप्त होना और उन्हें स्वीकृत करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों, संबंधित योजना की पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करने, निधियों की उपलब्धता और विगत में निर्मुक्त निधियों के उपयोग के आधार पर मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत निधियां राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को निर्मुक्त की जाती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को किया गया वर्ष 2007-08 के लिए राज्यवार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष, 2007-08 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजना स्कीमों के लिए 1719.71 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में मंत्रालय ने 31-10-2007 तक संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 786.00 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए अनंतिम/सूचक आबंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जनजातियों की %	गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	जनजातीय अनुसंधान संस्थान योजना*	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	कुल (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.53	1.85	8.9	0.4218	32.16	18.7976	62.1294
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	2.25	0.3	–	–	2.6383	5.1883
3.	असम	4.3	1	–	0.2778	34.63	12.3789	48.2867
4.	बिहार	–	0.2	–	–	7.25	2.8374	10.2874
5.	छत्तीसगढ़	8.6	0.6	0.5	0.5555	52.66	24.7558	79.0713
6.	दिल्ली	–	0.2	–	–	–	–	0.2
7.	गोवा	–	–	–	–	1.33	0.6084	1.9384
8.	गुजरात	9.73	1.75	0.7	0.6279	46.94	27.9906	78.0085
9.	हिमाचल प्रदेश	0.32	0.75	–	0.075	9.82	1.2677	11.9127
10.	जम्मू-कश्मीर	–	1	0.3	–	12.02	4.138	17.458
11.	झारखण्ड	9.22	2.25	0.4	0.5949	67.71	26.5161	97.471
12.	कर्नाटक	4.5	2	1.2	0.2907	13.72	12.9604	30.1711
13.	केरल	0.47	1	–	0.075	3.05	1.3826	5.4876
14.	मध्य प्रदेश	15.91	1.76	2	1.027	97.36	45.7712	147.9182
15.	महाराष्ट्र	11.15	2.6	0.5	0.7215	42.93	32.0917	78.8432
16.	मणिपुर	0.96	1.7	–	0.075	8.79	2.773	13.338
17.	मेघालय	–	3.75	–	–	–	7.4562	11.2062
18.	मिजोरम	–	0.3	–	–	–	3.1403	3.4403

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	नागालैण्ड	–	0.5	0.3	–	–	6.6375	7.4375
20.	उड़ीसा	10.59	3	2.8	0.684	74	30.4746	110.9586
21.	राजस्थान	9.23	0.85	0.9	0.5955	46.54	26.5559	75.4414
22.	सिक्किम	–	0.45	–	–	2.43	0.7778	3.6578
23.	तमिलनाडु	0.85	0.35	–	0.075	3.61	2.4369	6.4719
24.	त्रिपुरा	1.29	0.35	0.3	0.0833	11.92	3.7169	16.3702
25.	उत्तर प्रदेश	0.14	0.2	–	0.075	4.96	4.47	9.705
26.	उत्तरांचल	–	0.75	–	–	1.1	0.9583	2.8083
27.	पश्चिम बंगाल	5.73	2.5	0.6	0.3701	25.07	16.4879	45.028
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.46	0.05	–	0.075	–	–	0.125
29.	दादरा व नगर हवेली	–	0.02	0.3	–	–	–	0.32
30.	लक्षद्वीप	–	0.02	–	–	–	–	0.02
	कुल	100	34	20	6.7	600	320	980.7

*अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के आकार के आधार पर और न्यूनतम 7.50 लाख रुपए की शर्त पर आवंटन किया गया।

**कुल 400 करोड़ रुपए के बजट अनुमान का 10% अर्थात् 40 करोड़ रुपए नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए निर्मुक्त करने के लिए रखे गए हैं। पत्र संख्या 14011/9/2001 दिनांक 2-7-2002 द्वारा ई.एम.आर.एस. के लिए 40 करोड़ रुपए आरक्षित रखे गए हैं।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में भारत-ईरान सहयोग

1092. **श्री महेश कनोडीया:**

श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए ईरान सरकार से ऊर्जा आपूर्ति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारतीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) एक सरकारी शिष्टमंडल के साथ भारत आए ईरान के ऊर्जा मंत्री श्री परवेज फताही दिनांक 15-2-2007 को विद्युत मंत्री से मिले थे। भारत और ईरान में विद्युत उत्पादन में भारत और ईरानी कंपनियों की भागीदारी पर विचार-विमर्श किया गया था। ईरान ने विचार-विमर्श के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ ईरान से भारत तक ग्रिड संबद्धता का भी प्रस्ताव किया था और यह सुझाव दिया था कि एक संयुक्त अध्ययन किया जाना चाहिए। किंतु, अब तक इससे संबंधित कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच ग्रिड संबद्धता के लिए ईरान की ओर में दिए गए सुझाव के उत्तर में, भारत ने कहा है कि पहली बार में ही द्विपक्षीय सहयोग को प्राथमिकता दी जाए।

इक्विटी शेयरों की बिक्री

1093. श्री संजय धोत्रे:
श्री बापू हरी चौरे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) से अपनी 4.75 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) सरकार ने फरवरी, 2004 में निवेश कार्यक्रम के लिए एन.टी.पी.सी. लिमिटेड के संसाधनों के संवर्धन हेतु एक या एक से अधिक चरणों/किश्तों में एन.टी.पी.सी. की पेड-अप पूंजी के 10 प्रतिशत से कम की सीमा तक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई.पी.ओ.) निकालने के लिए अनुमोदन दिया था। उस समय के शेयर बाजार को ध्यान में रखते हुए 10 प्रतिशत में से केवल 5.25 प्रतिशत आई.पी.ओ. के जरिए जारी किया गया और इसमें 4.75 प्रतिशत अभी भी शेष है। अनुकूल बाजार परिदृश्य के मद्देनजर एन.टी.पी.सी. ने शेष 4.75 प्रतिशत के फालो-ऑन-पब्लिक-ऑफर के लिए अनुमति हेतु विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया है।

उक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

झुग्गी और मलिन बस्तियों को हटाना

1094. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री नकुल दास राई:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में स्थान-वार झुग्गी/मलिन बस्तियों की सूची क्या है;

(ख) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी भूमि से अवैध झुग्गी/मलिन बस्तियों को निर्धारित समय सीमा में हटाने का आदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, इनको हटाने के लिए सरकार, एम.सी.डी., एन.डी.एम.सी. और सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली नगर निगम के स्लम और झुग्गी झोपड़ी विभाग ने यह सूचित किया है कि दिल्ली में झुग्गी बस्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, जनवरी, 1990 में, राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन हेतु खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया था तथा उस सर्वेक्षण के अनुसार, 929 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में लगभग 2.60 लाख झुग्गियां थीं। बाद में, स्लम और झुग्गी झोपड़ी विभाग ने वर्ष 1994 में आकलन किया जिसके अनुसार लगभग 1080 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में लगभग 4.80 लाख झोपड़ियां थीं।

(ख) और (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में एक समयबद्ध तरीके से सरकारी भूमि पर स्थित झुग्गी बस्तियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में झुग्गी वासियों को पुन: बसाने की मौजूदा नीति तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरे अध्यादेश, 2007 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

मानसून के दौरान वर्षा

1095. श्री भाईलाल: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में पिछले मानसून के दौरान कम वर्षा हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। 2007 की दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितम्बर) के दौरान नौ राज्यों में कम वर्षा हुई।

(ख) राज्यों में कम वर्षा होने के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	राज्य	वास्तविक (मि.मी.)	सामान्य (मि.मी.)	% प्रत्यंतर (सामान्य से)
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	1461.9	1834.9	-20

1	2	3	4	5
2.	मेघालय	4443.4	5585.7	-20
3.	नागालैण्ड	887.8	1344.1	-34
4.	मिजोरम	669.4	839.3	-20
5.	उत्तर प्रदेश	637.1	856.1	-26
6.	हरियाणा	303.9	462.4	-34
7.	चण्डीगढ़	644.7	846.6	-24
8.	पंजाब	355.4	501.8	-29
9.	हिमाचल प्रदेश	498.0	773.7	-36

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थानों के जमाकर्ता

1096. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार- बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कोई कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने केन्द्र सरकार की सहमति से अब तक ऐसे कानून बनाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उन सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों सहित) के जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की गई है जो बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत हैं। बीमाकृत बैंक, जिसका परिसमापन हो जाता है, का प्रत्येक जमाकर्ता, निगम से 1,00,000 रुपए (सिर्फ एक लाख रुपए) तक की राशि प्राप्त करने का पात्र है।

जहां तक गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं (एन.बी.एफ.आई.) का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विनियामक एवं पर्यवेक्षी ढांचा लागू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ख, III-ग तथा V में वर्ष 1997 में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा जमाराशियां स्वीकार करने वाली एन.बी.एफ.आई. पर प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को पर्याप्त शक्तियां दी गई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक का यह मत है कि जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु जहां भी विधायी शक्तियां बढ़ाने की आवश्यकता है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करके इसे शामिल किया जा सकता है। अतः जमाराशियां स्वीकार करने वाली एन.बी.एफ.आई. को विनियमित करने हेतु इस स्तर पर अलग से कानून बनाना जरूरी नहीं हो सकता।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने कुछ कानून बनाए हैं।

सरकारी बंगलों पर गैर-कानूनी कब्जा

1097. श्री अजीत जोगी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी बंगलों पर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में राज्य-वार गैर-कानूनी रूप से कब्जाए हुए बंगलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन बंगलों को खाली करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इन बंगलों को खाली करवाने के अनुदेश दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) सरकारी बंगलों पर उन संस्थाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है जिनकी हकदारी समाप्त हो चुकी है।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अनधिकृत कब्जों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ङ) और (च) माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकारी परिसरों के आबंटन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत कब्जे की घटनाओं पर संज्ञान लिया है और कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं।

विवरण

दिल्ली में सरकारी आवास के अनाधिकृत कब्जेदारों की सूची

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम (अनाधिकृत कब्जेदार)	क्वार्टरों का ब्यौरा	राज्य
1.	महासचिव, आई.एन.सी.	बी नं. 5, रायसिना रोड (टाइप-viii)	दिल्ली
2.	महासचिव, आई.एन.सी.	26, अकबर रोड (टाइप-v बंगला)	दिल्ली
3.	भारतीय जनता पार्टी	14, पं. पंत मार्ग (टी-vii)	दिल्ली
4.	जम्मू और कश्मीर सरकार	बी नं. 2, कोटला लेन (टाइप-vii)	दिल्ली
5.	राजस्थान सरकार	30, लोदी एस्टेटस (टाइप-vii)	दिल्ली
6.	श्रीमती राजमाता गायत्री देवी	बी नं. 91, लोदी एस्टेट (टाइप-vi बंगला)	दिल्ली
7.	श्री अशोक प्रधान	30, महादेव रोड (टी-v)	दिल्ली

[अनुवाद]

राजस्व घाटा और राजकोषीय देयता

1098. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्व घाटे में वृद्धि के कारण और कारक क्या हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार की राजकोषीय देयता की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के उपबंधों और इसके अंतर्गत बने नियमों के बावजूद इसमें वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) राजकोषीय देयता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) वर्ष 2007-08 के दौरान राजस्व और राजकोषीय घाटे को कम करके क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद के 2.0 प्रतिशत (संशोधित अनुमान 2006-07) से 1.5 प्रतिशत करने और 3.7 प्रतिशत (संशोधित अनुमान 2006-07) से 3.3 प्रतिशत करने का अनुमान लगाया गया है और ये संसद में प्रस्तुत किए गए मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण के तहत

यथा प्रतिबिम्बित एफ.आर.बी.एम. के रोडमैप के अनुरूप हैं। आयोजना-भिन्न व्यय जिसमें अनिवार्य स्वरूप की मदें जैसे कि रक्षा, ब्याज भुगतान, पेंशन, प्रमुख सब्सिडियां, राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को अंतरण और आन्तरिक सुरक्षा शामिल हैं, की सहज अपरिवर्तनीयता के बावजूद सरकार वर्ष 2008-09 तक एफ.आर.बी.एम. द्वारा अधिदेशित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

छोटे-आंगनवाड़ी केन्द्रों के कर्मचारियों को भुगतान

1099. **श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के आंगनवाड़ी कर्मचारियों और सहायकों के मानदेय के वर्तमान स्तर और अन्य संबंधित मुद्दों की जांच के लिए समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंगनवाड़ी और छोटे आंगनवाड़ी केन्द्रों के कर्मचारियों के संबंधित परिश्रमिक में असमानता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार छोटे आंगनवाड़ी केन्द्रों के दर्जे में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय के मौजूदा स्तर तथा उनसे संबंधित अन्य मुद्दों की जांच हेतु गठित समीक्षा समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) लघु आंगनवाड़ी केन्द्र नियमित आंगनवाड़ी केन्द्रों से इस रूप में भिन्न होते हैं कि ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों की 150-500 जनसंख्या वाली बस्तियों में तथा जनजातीय/तटीय/रेगिस्तानी, पर्वतीय तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में 150-300 जनसंख्या वाली बस्तियों में खोले जाते हैं। चूंकि लघु आंगनवाड़ी केन्द्र नियमित आंगनवाड़ी केन्द्र की तुलना में कम लाभार्थियों की सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए लघु आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को 500/-रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जबकि नियमित केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मामले में यह औसतन 1000/-रुपये प्रतिमाह है।

(ङ) और (च) वर्ष 2006 तक, लघु आंगनवाड़ियों के माध्यम से छह सेवाओं में से मात्र एक अर्थात् पूरक पोषण सेवा प्रदान की जा रही थी। तथापि, अब आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत लघु आंगनवाड़ियों द्वारा समस्त छह सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों के लिए स्व-वित्त आवास योजना

1100. **श्री गिरिधारी यादव:**
श्री एम. अंजन कुमार यादव:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्व-वित्त योजना के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए कोई आवास योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत स्थान-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) सरकार द्वारा स्व-वित्त पोषण प्रणाली के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए कोई विशिष्ट आवास योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, शहरी गरीबों को आवास देने हेतु वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान में ब्याज सब्सिडी स्कीम का प्रावधान किया गया है।

विनिवेश नीति

1101. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विनिवेश नीति की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सांध्य न्यायालयों को अनुदान

1102. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार को नवस्थापित 'सांध्य न्यायालयों' को अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) भारत सरकार को गुजरात सरकार से सांध्य न्यायालयों के लिए 5.00 करोड़ रुपए की विशेष निधियां उपलब्ध कराने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका था क्योंकि न्याय प्रशासन मुख्यत: राज्य सरकारों से संबंधित विषय है और ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अधीन सांध्य न्यायालयों के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

देश में बालवाड़ी केन्द्र

1103. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने बालवाड़ी केन्द्र मौजूद हैं तथा इनसे कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर केरल में और अधिक संख्या में बालवाड़ी केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) बालवाड़ी स्कीम बंद कर दी गई है। 1-1-2006 से एक नई स्कीम, नामत: कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम शुरू की गई है। इसका ब्यौरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वेबसाइट www.wcd.nic.in. पर उपलब्ध है। 31-3-2007 तक पूरे देश में 30902 शिशु गृह स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 7.72 लाख बच्चे लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) और (ग) मौजूदा वर्ष के दौरान केरल सहित पूरे देश में और अधिक शिशु गृह खोलने का प्रस्ताव है।

सुनामी और भूकंप पहचान केंद्र

1104. श्री नरहरि महतो:

प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में भूकंप पुर्वानुमान केंद्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन स्थानों पर ऐसे केंद्र स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इसके लिए अपेक्षित अवसंरचना सुविधा/उपकरण देश में मौजूद है;

(ङ) क्या उक्त केंद्रों को स्थापित करने हेतु विदेशी सहायता प्राप्त की जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में घटित प्राकृतिक आपदाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा देश में अचानक आयी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) जी नहीं। देश में 'भूकंप पूर्वानुमान केन्द्र' स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय विश्व में कहीं भी ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक/उपकरण उपलब्ध नहीं है जो भूकंप के आने के समय, स्थान और परिमाण का ठीक-ठीक पूर्वानुमान कर सके। तथापि, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भूकंप पूर्वगामी अध्ययनों पर एक कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया में है, जो संभावित भूकंप पूर्वगामियों की पहचान करने में सहायता करेगा।

(ङ) और (च) आइसलैंड और रूस के साथ, पूर्वगामी

अध्ययनों सहित, भूकंप अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग लेना शुरू किया गया है।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में दो बड़े भूकंपों के कारण जान व माल की काफी हानि हुई। इन भूकंपों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। 26 दिसंबर, 2004 को सुमात्रा में आए भयंकर भूकंप से भी बहुत बड़ी सुनामी लहरें उठीं, जिस कारण भारतीय तटों पर जान व माल की काफी क्षति हुई।

(1)	दिनांक	:	26-12-2004
	उद्गम समय	:	6 बजकर 28 मिनट 51.1 सेकंड (भारतीय समय के अनुसार)
	अक्षांश	:	3.34 डिग्री उत्तर
	देशान्तर	:	96.13 पूर्व
	क्षेत्र	:	सुमात्रा, इंडोनेशिया के पश्चिमी तट के निकट
	गहराई	:	16 किमी.
	परिमाण		9.3 मे.वा.
(2)	दिनांक	:	08-10-2005
	उद्गम समय	:	9 बजकर 20 मिनट 36.4 सेकंड (भारतीय समय के अनुसार)
	अक्षांश		34.49 डिग्री उत्तर
	देशान्तर		73.14 डिग्री पूर्व
	क्षेत्र	:	पाकिस्तान
	गहराई	:	10 किमी.
	परिमाण	:	7.6 एम.एस.

(ज) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना की है, जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद में चौबीसों घंटे सातों दिन के आधार पर कार्य कर रहा है। भारत मौसम-विज्ञान विभाग वास्तविक समय स्थान और परिमाण संसूचन क्षमता वाली एक भूकंप विज्ञान मॉनीटरन प्रणाली को स्थापित कर रहा है।

तेरहवां वित्त आयोग

1105. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) तेरहवें वित्त आयोग का गठन डा. विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में 13 नवम्बर, 2007 को किया गया है और इसमें निम्नलिखित चार अन्य सदस्य शामिल हैं:-

(i) श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग	–	सदस्य (अंशकालिक)
(ii) डा. इन्दिरा राजारमन, प्रोफेसर इमेरिट्स राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली	–	सदस्य

(iii) डा. अबुसालेह शरीफ, – सदस्य
मुख्य अर्थशास्त्री,
राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक
अनुसंधान संस्थान, नई
दिल्ली

(iv) प्रो. अतुल शर्मा, – सदस्य
भूतपूर्व उपकुलपति,
राजीव गांधी विश्वविद्यालय,
(भूतपूर्व अरुणाचल विश्वविद्यालय)

– श्री सुमित बोस आयोग के सचिव होंगे।

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 2009 तक उपलब्ध कराएगी।

ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि का अन्यत्र उपयोग

1106. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री रघुनाथ झा:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन से इतर प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का अन्यत्र उपयोग करने की जानकारी है जैसाकि दिनांक 17 अक्तूबर, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां। जैसाकि बताया गया है, यह मामला उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों से संबंधित है तथा इसे सरकार के ध्यान में लाया गया है।

(ख) और (ग) पर्यावरण एवं खाद्य सुरक्षा केंद्र (सी.ई.एफ.एस.) ने उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन का सर्वेक्षण कराया था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निधियों की अवैध निकासी की जानकारी दी है। इस मामले को उड़ीसा राज्य सरकार के साथ उठाया गया है तथा उन्होंने यह जानकारी दी है कि मामले को जांच के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद को भेज दिया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने आगे यह बताया है कि सी.ई.एफ.एस. के साथ मामले पर चर्चा करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तथ्य अन्वेषी समिति भी बनाई गई है। राज्य सरकार ने सी.ई.एफ.एस. को यह भी कहा है कि वे उनसे अपने सर्वेक्षण निष्कर्षों पर चर्चा करें। सी. एण्ड ए.जी. उड़ीसा में निष्पादन की लेखा परीक्षा कर रहा है जिसमें विशेष रूप से जिलों तथा सी.ई.एफ.एस. रिपोर्ट में उल्लिखित मुद्दों को शामिल किया गया है।

जहां तक छत्तीसगढ़ का संबंध है, कांकेर जिले में एन.आर.ई.जी.ए. निधियों से कीटनाशक तथा खाद की तथाकथित खरीद के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस मामले को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ उठाया गया था तथा रोजगार गारंटी आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने मामले की जांच की थी। राज्य सरकार से प्राप्त जांच रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कलेक्टर, कांकेर को हटा दिया गया है तथा संबंधित सी.ई.ओ., जिला पंचायत को निलंबित कर दिया गया है। ब्लॉक पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों जिनके क्षेत्रों में एन.आर.ई.जी.एस. निधियों से कीटनाशक तथा खाद खरीदी गई थी, उप निदेशक, कृषि जिन्होंने 'भूमि विकास' के अंतर्गत 'भूमि को उपजाऊ बनाने' को शामिल करके तकनीकी मंजूरी दी थी तथा जिला पंचायत के एक ए.पी.ओ. को भी निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि कांकेर में कीटनाशक और खाद की खरीद पर खर्च हुई राशि एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत शामिल नहीं की जाएगी तथा ऐसे खर्च को राज्य सरकार द्वारा चलाई गई अन्य कृषि योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने जिले में राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता (एन.एल.एम.) भी नियुक्त किया था ताकि मामले की जांच की जा सके। एन.एल.एम. ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसे राज्य सरकार को भेज दिया गया है। केन्द्र सरकार ने सी एण्ड एजी से भी जिले में लेखा परीक्षा कराने का आग्रह किया है।

[हिन्दी]

पावर ग्रिड स्टेशनों की स्थापना

1107. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये स्टेशन किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन स्टेशनों में से प्रत्येक पर कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(घ) ये स्टेशन कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) इन स्टेशनों को स्थापित करने के बाद विद्युत आपूर्ति की स्थिति में कितना सुधार होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (पी.जी.सी.आई.एल.) केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से सम्बद्ध पारेषण प्रणालियों, ग्रिड सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं और इस प्रकार की पारेषण परियोजनाओं से सम्बद्ध सब स्टेशनों समेत अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आइ.एस.टी.एस.) का कार्यान्वयन करता है।

(ख) और (ग) ग्यारहवीं योजना में अभी तक परिकल्पित नये सब स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। 400/220 केवी क्षमता के सब स्टेशन की लागत सामान्यत: 100-150 करोड़ रुपये के लगभग है और 765/400 केवी क्षमता वाले सब स्टेशन की 300-500 करोड़ रुपये के लगभग हैं।

(घ) सब स्टेशनों को ग्यारहवीं योजना (वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2011-12) के दौरान उत्तरोत्तर चालू करने की योजना बनाई जाती है।

(ङ) सब स्टेशनों की स्थापना करना विभिन्न पारेषण स्कीमों का एक भाग है जिससे विश्वसनीयता सुरक्षा और मितव्ययिता के साथ क्षेत्रों के भीतर एवं बाहर विद्युत अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए नेशनल ग्रिड की स्थापना की जा सकती है। यह परिकल्पना की गई है कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक देश में अन्तर क्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता लगभग 17000 मेगा वाट के वर्तमान स्तर से बढ़कर 37700 मेगा वाट से अधिक हो जाएगी।

विवरण

पी.जी.सी.आई.एल. के निर्माणाधीन/प्रस्तावित सब-स्टेशन

क्रम संख्या	सब-स्टेशन	वोल्टेज (केवी)	एम.वी.ए.
1	2	3	4
ए. उत्तर क्षेत्र			
1.	मुंडका	765/400	4500
2.	फतेहपुर	765/400	3000
3.	लखनऊ-765-न्यू	765/400	3000
4.	बरेली-765-न्यू	765/400	3000
5.	फतेहाबाद	400/220	630
6.	गुडगांव (जी.आई.एस.)	400/220	630
7.	सोनीपत	400/220	630
8.	पंचकुला	400/220	630

1	2	3	4
9.	कोटा	400/220	630
10.	कांकरोली	400/220	945
11.	भीनमल	400/220	630
12.	सीकर	400/220	630
13.	रूड़की	400/220	630
14.	पिथोरागढ़	220/132	200
15.	किच्छा	220/132	200
16.	पार्बती पूलिंग स्टेशन (जी.आई.एस.)	400	
17.	चमेरा पुलिंग प्वाईंट (जी.आई.एस.)	400/220	630
18.	लुधियाना	400/220	630
19.	टिहरी पुलिंग स्टेशन	765/400	4500
बी. पूर्वी क्षेत्र			
20.	रांची-न्यू	765/400	3000
21.	सासाराम	765/400	3000
22.	गया	765/400	4500
23.	तीस्ता-II जी.आई.एस.	400/220	630
24.	मंगन जी.आई.एस.	400/220	630
25.	मेल्ली जी.आई.एस.	400/220	945
26.	पश्चिम बंगाल/बिहार के उत्तरी क्षेत्र में न्यू सब-स्टेशन	400/220	630
27.	रांगपो जी.आई.एस.	स्वीचिंग स्टेशन	
28.	लाचून जी.आई.एस.	220/132	200
29.	गंगटोक	220/132	200
सी. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
30.	विश्वनाथ चरियाली	400/132	400

1	2	3	4
डी. पश्चिमी क्षेत्र			
31.	राजगढ़	400/220	630
32.	भट्टापारा	400/220	630
33.	रायगढ़	400/220	630
34.	दमोह	400/220	630
35.	पुणे	400/220	630
36.	सोलापुर	400/220	630
37.	पारली (एस.डब्लू)	स्वीचिंग स्टेशन	-
38.	वर्धा	400/220	630
39.	शुजालपुर	400/220	630
40.	नवी मुम्बई	400/220	630
41.	पिराना	400/220	630
42.	ग्वालियर	765/400	3000
43.	बीना (पी.जी.)	765/400	2000
44.	सतना	765/400	2000
45.	इंदौर (पी.जी.)	765/400	3000
46.	बछाऊ	400/220	630
47.	शिवलाखा	400/220	630
48.	एन. बम्बई	स्वीचिंग स्टेशन	-
49.	वर्धा	765/400	4500
50.	डब्लू.आर. पूलिंग	765/400	3000
51.	इंदौर (पी.जी.) - एस.डब्लू.	स्वीचिंग स्टेशन	-
ई. दक्षिणी क्षेत्र			
52.	वारंगल	400/220 के.वी.	630
53.	पांडिचेरी	400/220 के.वी.	630

1	2	3	4
54.	अरासुर	400/220 के.वी.	630
55.	पुगालूर	400/220 के.वी.	630
56.	कोजीकोड	400/220 के.वी.	630
57.	मालेकोट्टैयुर	400/220 के.वी.	630
58.	तिरूनावेली	400/220 के.वी.	630
59.	मुवत्थुपुजा	400/220 के.वी.	630
60.	हासन	400/220 के.वी.	630
61.	कराइकुडी	400/220 के.वी.	630
62.	बिदादी	400/220 के.वी.	1000
63.	रायचुर	765/400 के.वी.	3000
64.	कुर्नूल	765/400 के.वी.	3000

[अनुवाद]

बैंकों में अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की शिकायतें

1108. श्री परसुराम माझी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक को गत दो वर्षों के दौरान बैंकों में अ.जा./अ.ज.जा. की शिकायतों और भेदभाव के बारे में "अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.जा. और विकलांग संघ" की ओर से पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जनजातीय छात्रों को पुरस्कार

1109. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु प्रतिभा संवर्द्धन योजना के अंतर्गत नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के लिए कुल 172 पुरस्कारों की संस्थापना की गई है;

(ख) क्या उक्त पुरस्कारों की संख्या 172 से बढ़ाकर 1500 करने हेतु एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा उन्नयन की योजना का कार्यान्वयन करता है, जिसके अधीन मध्य प्रदेश राज्य सरकार को कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 172 पुरस्कार आबंटित किए गए हैं।

(ख) राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियं के विरुद्ध दंड

1110. **श्री बी.के. तुम्मर:**

श्री हरि सिंह चावड़ा:

क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनियों के विरुद्ध कोई अर्थदंड लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध एक करोड़ रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, नहीं। कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाली चूककर्ता कंपनियों पर उनके विरुद्ध अभियोजन आरंभ किए जाने पर न्यायालयों द्वारा आर्थिक दंड लगाए जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों में जमा धन

1111. **श्री ए.बी. बेल्लारमिन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां अपने जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी जालसाज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संपत्ति जब्त करने हेतु कोई विधान लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस संबंध में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी अनेक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं, जिन्होंने जमाराशि की चुकौती करने में चूक की है। भारतीय रिजर्व बैंक उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता रहा है, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों या उनके तहत बने निदेशों का अनुपालन नहीं किया है या वित्तीय स्थिति में कुछ गिरावट दिखाई है। ऐसी कार्रवाई में कंपनियों को गैर-बैंकिंग वित्तीय क्रियाकलाप चलाने, जमाराशि स्वीकार करने तथा आस्तियों के स्वावाधिकार अंतरण से रोकना शामिल है। जहां चूक लगातार हो रही हो, वहां भारतीय रिजर्व बैंक कंपनियों को बंद करने की कार्यवाही करता है और साथ ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक शिकायत भी दर्ज करता है अब तक भारतीय रिजर्व बैंक ने 84 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध बन्द किए जाने की याचिका दायर की है और 70 मामलों में दंडात्मक कार्यवाही की है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने एक व्यापक विनियामक एवं पर्यवेक्षी ढांचा बनाया है, जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। विभिन्न माध्यमों से जमाकर्ताओं को शिक्षा देने के लिए भी प्रयास किए गए हैं, क्योंकि एक जागरूक जमाकर्ता बेईमान कंपनियों से सर्वोत्तम रूप से अपना बचाव कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ख, III-ग तथा V में 1997 में संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को जमा राशि प्राप्त करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु काफी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत जारी निदेशों का कंपनियों द्वारा अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए एक व्यापक चहुंमुखी व्यवस्था की है। इसमें, (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का स्थल पर निरीक्षण, (ख) अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का प्रयोग करके आवधिक नियंत्रण विवरणियों के जरिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्थलेतर निगरानी, (ग) प्रभावी बाजार आसूचना नेटवर्क और (घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षकों

द्वारा स्वीकृति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक कंपनियों के कार्यसंचालन पर नजर रखने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, विशेष विवरणियों के जरिए या पर्यवेक्षक नियुक्त करके दोषी/चूककर्ता कंपनियों की सूक्ष्मता से निगरानी करता है।

जनजातियों का विस्थापन

1112. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में जनजातीय समुदायों का अपने पारंपरिक अधिवास से व्यापक स्तर पर विस्थापन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने तथा इन जनजातियों का पुनर्वास करने हेतु कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) सरकार को जनजातीय समुदायों के परंपरागत निवास-स्थानों से बड़े पैमाने पर उनके विस्थापन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, वन भूमि से जनजातीय समुदायों की बेदखली से संबंधित प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेज दिया गया है।

शहरी कचरे से विद्युत

1113. श्री रनेन बर्मन: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक्सीलेरेटेड प्रोग्राम ऑन एनर्जी रिकवरी फ्रॉम अर्बन वैस्ट्स के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई परियोजना शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2006-07 हेतु 2,000 मेगावाट विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा की प्राप्ति हेतु परियोजनाओं की संस्थापना को बढ़ावा देना; अपशिष्टों से ऊर्जा की प्राप्ति हेतु परियोजनाओं का विकास तथा प्रदर्शन के लिए राजकोषीय और वित्तीय व्यवस्था सहित अनुकूल स्थितियों एवं वातावरण का सृजन करना; और उपलब्ध संभाव्यता का दोहन करना है।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत, गुजरात में सूरत शहर हेतु तीन सीवेज उपचार संयंत्रों में उत्पन्न हो रहे बायोगैस से 3 मेगावाट विद्युत के उत्पादन की एक परियोजना की हाल ही में सहायता की गई है। शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति संबंधी परियोजनाएं पूर्व में अन्य राज्यों नामतः, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में अब तक कोई परियोजना प्रारंभ नहीं की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेंशन योजना पुनः लागू किया जाना

1114. श्री महेश कनोडीया:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना को पुनः लागू करने हेतु प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु सुनिश्चित लाभ वाली पेंशन योजना को पुनः लागू करने हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने 1-1-2004 को अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में भर्ती हुए नए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) लागू करने का निर्णय लिया है।

हडको द्वारा झारखंड को ऋण

1115. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हुडको ने झारखंड को ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे ऋण की निबन्धन एवं शर्तें क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी, हां। आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने झारखंड में आवास तथा शहरी अवस्थापना कार्यक्रमों के लिए ऋण मंजूर किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष (31-10-2007 तक) स्वीकृत ऋणों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

झारखंड में मंजूर (कुल) आवासीय स्कीमों का ब्यौरा

वर्ष	स्कीमों की संख्या	स्वीकृत ऋण (लाख रु. में)
2004-05	1	50000.00
2005-06	4	5300.00
2006-07	6	1825.00
2007-08 (31.10.2007 तक)	5	5585.00
	कुल	62710.00

झारखंड में मंजूर (कुल) शहरी अवस्थापना स्कीमों का ब्यौरा

वर्ष	स्कीमों की संख्या	स्वीकृत ऋण (लाख रु. में)
1	2	3
2004-05	2	10055.00
2005-06	2	628.92
2006-07	13	98648.00
2007-08 (31-10-2007 तक)	6	15660.00
	कुल	124991.92

स्कीमें स्वीकृति के समय उपलब्ध हडको दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत कर दी गई है।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्र का पुन: सर्वेक्षण

1116. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को निधियों के आबंटन के लिए जनजातीय क्षेत्रों के पुन: सर्वेक्षण के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्धिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एकसमान विद्युत दर नीति

1117. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूरे देश में एकसमान दर पर विद्युत की आपूर्ति के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय विद्युत दर नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत् विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए प्रशुल्क का निर्धारण संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाना होता है। अपने कार्यों के क्रियान्वयन में, आयोगों को अन्य बातों के साथ-साथ प्रशुल्क नीति के द्वारा मार्गदर्शन लेना होता है। जैसा कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत् अपेक्षित है, भारत सरकार ने राज्य सरकारों एवं अन्यों के साथ परामर्श करने के पश्चात् 06 जनवरी, 2006 को प्रशुल्क नीति को अधिसूचित कर दिया है।

प्रशुल्क नीति में, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण हेतु प्रशुल्क के निर्धारण के लिए दृष्टिकोण प्रकट कर दिए गए हैं। तथापि, पूरे देश में समरूप विद्युत प्रशुल्क पर विचार नहीं हुआ है।

चाइल्ड-सेक्स पर्यटन

1118. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में पर्यटन के नाम पर बड़े पैमाने पर चाइल्ड-सेक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बढ़ते चाइल्ड-सेक्स को रोकने के लिए कोई सख्त कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित अध्ययनों के अनुसार, भारत में तीर्थ पर्यटन, धरोहर पर्यटन तथा तटीय पर्यटन के नाम पर बाल यौन पर्यटन प्रचलित है। यह पर्यटन ज्यादातर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में प्रचलित है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 तथा भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बच्चों सहित सभी मानवों का अवैध देह व्यापार निषिद्ध है और अवैध व्यापारियों के विरुद्ध इनमें सख्त सजा निर्धारित की गई है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में अब और संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि बच्चों सहित मानवों के अवैध व्यापार के लिए और ज्यादा कड़ी सजा निर्धारित की जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के अवैध व्यापार के निवारण हेतु समर्थन, जागरूकता विकास और संचेतना कार्यक्रम आयोजित करता है। बाल वेश्यावृत्ति के निवारण हेतु सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति अवैध व्यापार और वेश्यावृत्ति की रोकथाम के लिए राज्यों द्वारा किये जा रहे उपायों की तिमाही आधार पर समीक्षा करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार आश्रय गृह भी चलाता है, जिनमें अवैध व्यापार की शिकार महिलाओं और बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े, भावनात्मक समर्थन, परामर्श, पुनर्वास तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नवीन प्रौद्योगिकी

1119. श्री सुभाष महरिया: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग को नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कर अवकाश तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए एक कायिक निधि की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) सरकार, राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दे रही है जिसमें पूंजी/ब्याज सब्सिडी, त्वरित अवमूल्यन, शून्य/रियायती उत्पाद एवं सीमा शुल्क शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि सभी नए आधारिक संरचना परियोजनाओं पर लागू होता है, अक्षय ऊर्जा की

बिक्री से प्राप्त लाभ परियोजना के संचालन के पहले 15 वर्षों में से कोई 10 वर्ष के लिए आय-कर से मुक्त है। इसके अतिरिक्त अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत हेतु अधिमान्य शुल्क दर दी जा रही है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि 11वीं योजना अवधि के दौरान नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान एवं विकास को सहायता देने के लिए 1100 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

बेसहारा महिलाओं के लिए योजना

1120. श्री प्रहलाद जोशी: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बेसहारा महिलाओं पर ध्यान देने के लिए कोई विशेष योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी निधि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार को इन योजनाओं के अकुशल क्रियान्वयन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने परित्यक्त महिलाओं को आश्रय-आधारित समग्र और समेकित सेवाएं प्रदान करने के लिए 'स्वाधार' स्कीम शुरू की है।

(ख) स्वाधार स्कीम का ब्यौरा और इस स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों/ राज्य सरकारों को निर्मुक्त राशि का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) स्वाधार स्कीम के अकुशल कार्यान्वयन के बारे में अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुनामी चेतावनी केंद्र

1121. श्री सनत कुमार मंडल:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इनफॉर्मेशन सर्विसेज (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.) हैदराबाद में प्रस्तावित अंतरिम भारतीय समुद्री सुनामी चेतावनी तंत्र स्थापित कर दिया गया तथा कार्यशील हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में कितने दाब रिकार्डर स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या पिछली बार आई सुनामी के बाद भारतीय प्रायद्वीप में लगभग 75 बार भूकंप आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। हिन्द महासागर के लिए सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इनकॉयस) हैदराबाद, में स्थापित की गई है और 15 अक्तूबर, 2007 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। जबकि 15 अक्तूबर, 2007 से पहले एक अंतरिम पूर्व चेतावनी तंत्र इनकॉयस हैदराबाद में चौबीसों घंटे सातों दिन के आधार पर प्रचालन में था। भूकंप का मॉनीटर करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली निकट वास्तविक समय के ऐसे भूकंपीय सिग्नल प्राप्त करती है, जिनसे सुनामी पैदा हो सकती है, समुद्र स्तर में वास्तविक समय में होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण करती है तथा सुनामी तरंगों के फैलाव जैसी किसी स्थिति के पैदा होने की पुष्टि करती है ताकि सुनामी के लिए सतर्क होने तथा चेतावनी संबंधी परामर्श सूचनाएं प्रदान की जा सकें।

(ग) इस समय चार तल दाब रिकार्डर (बी.पी.आर.) बंगाल की खाड़ी में तथा दो तल दाब रिकार्डर अरब सागर में स्थापित हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। दिसम्बर 2004 से भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र पर 8° से 24° उत्तरी अक्षांश तथा 68° से 90° पूर्वी देशान्तर को कवर करते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग के भूकंप लेखी नेटवर्क द्वारा 77 महत्वपूर्ण भूकंप

पाए गए। इनमें से तीन भूकंप 5 तथा इससे ऊपर के परिमाण के तथा 74 भूकंप 3.5 और 4.9 के बीच के परिमाण के थे।

सी.एस.आई.आर. पेंशनधारकों को सी.जी.एच.एस. सुविधाएं

1122. श्री अबु अयीश मंडल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) ने अपने पेंशन धारकों को किसी भी सी.जी.एच.एस. क्षेत्र से आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.एस.आई.आर. किसी उपचार या प्रक्रिया के लिए निजी गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों/क्लिनिकों के लिए पेंशन धारकों को सी.जी.एच.एस. दरों से कम दरों की स्वीकृति देती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सी.एस.आई.आर. में सी.जी.एच.एस. सुविधा केवल सी.एस.आई.आर. मुख्यालय और दिल्ली में स्थित प्रयोगशालाओं/संस्थानों के कर्मचारियों/पेंशनधारकों को दी जाती है। सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत नहीं आने वाले सी.एस.आई.आर. की दिल्ली से बाहर स्थित प्रयोगशालाओं/संस्थानों के कर्मचारियों/पेंशनधारकों को सी.एस.आई.आर. के औषधालयों और सी.जी.एच.एस. से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के माध्यम से उपचार करवाने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं।

(ख) जी नहीं, सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत आने वाले अथवा सी.एस.आई.आर. का चिकित्सा स्वास्थ्य कार्ड धारण करने वाले और सी.जी.एच.एस. से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों से उपचार करवाने वाले सी.एस.आई.आर. के पेंशनधारकों को उपचार की प्रतिपूर्ति सी.जी.एच.एस. की दरों अथवा वास्तविक दरों, जो भी कम हो, के अनुसार की जाती है। ऐसे मामलों में जहां आपातकालीन परिस्थिति में उपचार गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों से करवाया गया हो वहां प्रतिपूर्ति सी.एस. (एम.ए.) नियमावली, 1944 के अनुसार की जाती है।

(ग) विसंगति केवल ऐसे मामलों में होती है जहां कोई सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत नहीं आता है और उपचार आपातकालीन परिस्थिति में निजी गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल से करवाया गया हो। चूंकि सी.एस.आई.आर. एक स्वायत्त निकाय है अत: स्वास्थ्य मंत्रालय/डी.जी.एच.एस. ने सी.एस.आई.आर. की दिल्ली से बाहर स्थित प्रयोगशालाओं/संस्थानों के कर्मचारियों/पेंशनधारकों को सी.जी.एच.एस. के माध्यम से चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं दिया है, परिणामस्वरूप उन्हें चिकित्सा सुविधा का लाभ सी.एस.आई.आर. के औषधालयों के माध्यम से दिया जाता है और भुगतान सी.एस. (एम.ए.) नियमावली के अनुसार किया जाता है।

(घ) सी.एस.आई.आर. के कर्मचारियों के उपचार, जिसमें क्रेडिट सुविधा भी शामिल है, के मामले को सी.एस.आई.आर. द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय/डी.जी.एच.एस. के साथ उठाया गया है, यद्यपि, डी.जी.एच.एस./सी.जी.एच.एस. ने अब तक इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान नहीं की है।

बालिका जन्म के पंजीकरण तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना

1123. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पिछड़े जिलों में माता-पिता को उनकी पुत्री के जन्म का पंजीकरण कराने तथा उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजने एवं जैसे ही उनकी उम्र 18 वर्ष हो उनकी शादी न करने को बढ़ावा देने हेतु नकद तथा गैर नकद प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) बालिकाओं के लिए बीमा सुरक्षा सहित सशर्त नकदी हस्तांतरण स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में वार्षिक योजना 2007-08 में शामिल की गई है तथा बालिका के जन्म पंजीकरण, प्रतिरक्षण, स्कूली शिक्षा जारी रखने तथा अट्ठारह वर्ष की आयु होने के पश्चात् ही उसके विवाह की चार महत्वपूर्ण शर्तें पूरी होने पर उसके परिवार को इस स्कीम के अंतर्गत नकद राशि प्रदान की जाएगी।

अनधिकृति कॉलोनियों को नियमित किया जाना

1124. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री महेश कनोडिया:

श्री अधीर चौधरी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजधानी में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ बनाए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) सरकार वित्तीय आवश्यकता किस प्रकार से पूरा करेगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां।

(ख) इन दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) वर्ष 2002 के हवाई सर्वेक्षण के अनुसार मौजूद सभी अनधिकृत कॉलोनियां (उन कॉलोनियों को छोड़कर जिनमें समाज के सम्पन्न वर्ग के लोग रहते हैं) नियमितिकरण के लिए पात्र होंगी बशर्ते वे दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी करती हों। दिनांक 31-03-2002 की स्थिति के अनुसार मौजूद वे बस्तियां भी अनधिकृत कॉलोनियों की तरह ही नियमितिकरण की पात्र होंगी जो ग्रामीण आबादी के विस्तार के रूप में अस्तित्व में आयी हैं और ग्रामीण आबादी के लाल डोरा विस्तार के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

(ii) निम्नलिखित प्रकार की कॉलोनियों अथवा उनके हिस्सों के संबंध में नियमितिकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा:-

(क) अधिसूचित अथवा आरक्षित वन्य क्षेत्रों में आने वाली कॉलोनियां/कॉलोनियों के हिस्से।

(ख) कॉलोनियां/कॉलोनियों के हिस्से जो अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था में बाधक हों अथवा मौजूदा/प्रस्तावित रेलवे लाईनों, मास्टर प्लान सड़कों तथा मुख्य/ट्रंक जल आपूर्ति तथा सीवर लाईनों के आर.ओ.डब्ल्यू. क्षेत्र में आती हों।

(ग) कॉलोनियां जिनमें नियमितिकरण स्कीम की औपचारिक घोषणा की तारीख को 50 प्रतिशत प्लॉट अनिर्मित पड़े हों।

(घ) निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर बनी उन कॉलोनियों के उन हिस्सों को नियमित नहीं किया जाएगा यदि उनसे प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो।

(iii) नियमितिकरण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों के संबंध में संबंधित स्थानीय निकाय/दिल्ली विकास प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ सम्पर्क साधने हेतु प्रत्येक कॉलोनी में एक पंजीकृत आवासी सोसायटी होगी।

(iv) अविकसित सार्वजनिक भूमि की कीमत की वसूली के लिए कॉलोनियों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। भू-खण्ड धारकों को अविकसित सार्वजनिक भूमि के लिए अर्थ दण्ड के साथ-साथ कृषि भूमि के अधिग्रहण की प्रचलित लागत का भुगतान करना होगा। विकसित सार्वजनिक भूमि के बारे में भूमि दर अर्थ दण्ड सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दर होगी।

(v) विकास प्रभारों की वसूली और विकास कार्य करने के तौर-तरीकों का निर्धारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा।

(vi) प्रत्येक कॉलोनि, की सीमाओं को अंतिम रूप देने सहित उनके नियमितिकरण से संबंधित कार्य, संबंधित एजेंसियों द्वारा विकास कार्य की तैयारी और उसके कार्यान्वयन से संबंधित कार्य का समन्वय, मानिटरिंग तथा पर्यवेक्षण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) संशोधित दिशा-निर्देशों की एक प्रति तैयारी संबंधी आवश्यक कदम उठाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेज दी गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि उसने प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी करके निवासी एसोसिएशनों/निवासी सोसाइटियों से लेआउट प्लान एवं अन्य सूचना मांगी हैं। तथापि अनधिकृत कॉलोनियों का वास्तविक नियमितिकरण उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अध्यधीन है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि अनधिकृत कॉलोनियों में चरणबद्ध तरीके से बुनियादी सुविधाएं देने हेतु उसके पास पर्याप्त निधियां हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 11वीं योजना में 2800 करोड़ रुपये के परिव्यय से अनधिकृत कॉलोनी विकास विशेष कोष के सृजन का अनुमोदन कर दिया है ताकि (i) जल आपूर्ति, (ii) सीवर व्यवस्था, (iii) सड़कों, (iv) नालियों तथा सफाई सेवा, और (v) समुदाय तथा विविध सेवाओं के प्रावधान हेतु अनुमानित व्यय की पूर्ति हो सके।

विशेष केन्द्रीय सहायता

1125. श्री बाबू राव मीडियम:

डा. एम. जगन्नाथ:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आदिवासी उपयोजना (टी.एस.पी.) के अंतर्गत आबंटित धनराशि के उपयोग की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा अन्य प्रयोजनार्थ अन्यत्र उपयोग के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर किसी नोडल एजेंसियों को शामिल किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आबंटित निधियों के उपयोग की निगरानी योजना आयोग द्वारा की जाती है तथा वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2006-07 हेतु राज्यवार व्यय पर उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इस प्रकार का कोई मामला योजना आयोग अथवा जनजातीय कार्य मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) और (च) सभी जनजातीय उपयोजना राज्यों में, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित मामलों हेतु नोडल विभागों को चिन्हित किया गया है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय उपयोजना तैयार करना तथा क्रियान्वयन सम्मिलित है।

विवरण

जनजातीय उपयोजना राज्यों के अंतर्गत निधियों का निर्धारण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2003-04		2004-05		2006-07	
		राज्य योजना व्यय	जनजातीय उपयोजना को प्रवाह	राज्य योजना व्यय	जनजातीय उपयोजना को प्रवाह	राज्य योजना व्यय	जनजातीय उपयोजना को प्रवाह
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	7,111.90	662.10	9,996.30	822.30	20,000.00	1,168.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	1,457.00	141.00	1,794.70	160.00	3,507.00	31.60
3.	बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	8,250.00	74.30
4.	छत्तीसगढ़	1,656.80	581.40	33.80	11.80	5,378.10	2,084.60
5.	गुजरात	7,584.70	793.20	8,669.70	971.50	12,503.50	1,850.50
6.	हिमाचल प्रदेश	13.40	1.10	14.00	1.20	1,800.00	159.80
7.	जम्मू-कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	3,500.00	381.50
8.	झारखण्ड	1,739.10	787.80	3,146.70	1,536.90	6,500.00	3,811.30
9.	कर्नाटक	77.20	1.00	117.40	0.90	16,166.00	482.20
10.	केरल	3,554.70	49.70	3,736.90	89.60	6,210.00	120.10
11.	मध्य प्रदेश	5,076.00	839.00	6,610.40	1,176.40	9,020.00	1,857.70
12.	महाराष्ट्र	7,407.60	306.50	उपलब्ध नहीं	380.30	15,610.00	1,389.00
13.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	3,500.00	489.90
14.	उड़ीसा	2,436.90	817.10	2,738.70	729.20	3,500.00	1,000.00
15.	राजस्थान	6,044.40	363.60	6,590.60	417.40	8,501.40	1,066.30
16.	सिक्किम	4.50	1.40	4.90	2.30	550.00	64.90
17.	तमिलनाडु	7,088.30	85.00	8,001.00	83.70	12,500.00	27.50
18.	त्रिपुरा	566.80	172.10	579.10	213.90	950.00	347.00
19.	उत्तरांचल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	4,000.00	120.00
20.	उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	19,000.00	43.00
21.	पश्चिम बंगाल	2,529.50	72.90	4,690.10	147.30	8,024.00	595.30

वार्षिक योजना 2005-06 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

गैर मान्यता प्राप्त विधि महाविद्यालय

1126. श्री विजय कृष्ण: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि की शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे विधि महाविद्यालय हैं जिन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं मिली हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे महाविद्यालयों की संख्या कितनी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने यह सूचित किया है कि उसे देश में कार्यरत किसी ऐसे विधि महाविद्यालय के प्रति जानकारी नहीं है, जो उसके संबंधन के अनुमोदन के बिना कार्य कर रहा हो। सावधानीवश वह समय-समय पर राज्य विधिज्ञ परिषदों को अनुमोदित महाविद्यालयों की सूचियां भेज रही है और उसने उन्हें यह निदेश दिया है कि वे साधारण सूचना के लिए यह सूची देशी भाषा के किसी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करें। हाल ही में, हिसार (हरियाणा) में कार्यरत एक ऐसा विधि महाविद्यालय उसकी सूचना में लाया गया है, जो बिना उसके संबंधन के अनुमोदन के कार्य कर रहा था तथा यह मामला महाविद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए पुलिस को निर्दिष्ट किया गया है। ऐसी किसी दशा में, जब ऐसा कोई विधि महाविद्यालय उसकी सूचना में आता है तो विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

पूर्वोत्तर में शहरी बुनियादी संरचना परियोजना

1127. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार द्वारा प्राथमिकता सूची के अनुसार शहरी बुनियादी संरचना के विकास के लिए पूर्वोत्तर के लिए 10 प्रतिशत पूल निधि के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए सौंपी गई सभी परियोजनाओं को चालू वर्ष के दौरान क्रियान्वित किए जाने हेतु स्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय ने इस योजना के अन्तर्गत वास्तविक आबंटन तथा शहरी जनसंख्या के आधार पर असम राज्य के प्रति व्यक्ति पात्रता के बीच अंतर का आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मंत्रालय इस अन्तर को किस प्रकार से दूर करेगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) तथापि शहरी अवस्थापना के विकास हेतु पूर्वोत्तर के लिए 10 प्रतिशत पूल निधि का प्रावधान नहीं है। तथापि, शहरी विकास मंत्रालय के पास शहरी अवस्थापना के विकास के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थ 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता के एकमुश्त प्रावधान की एक स्कीम है।

(ग) और (घ) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए वचनबद्ध देनदारियों के कारण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नई परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए अब कोई निधि उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) जी नहीं. तथापि, सभी पूर्वोत्तर राज्यों के बीच समानता का सिद्धान्त अपनाकर धनराशियां जारी की जाती है।

वार्षिक सूचना विवरणी भरा जाना

1128. श्री रघुनाथ झा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिनियम की धारा 285 खक के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा 30 लाख या अधिक रुपयों की अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री किए जाने से संबंधित वार्षिक सूचना विवरणी भरा जाना पंजीकरों/उपपंजीकरों के लिए अनवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के लिए दिल्ली के पंजीकरों/उपपंजीकरों ने अपनी वार्षिक सूचना विवरणी भर दी है;

(ग) यदि हां, तो 30 लाख या अधिक रुपयों की अचल संपत्ति खरीदने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इनसे आयकर विभाग द्वारा कितना काला धन तथा बेनामी संपत्ति उजागर की गई;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे चूककर्ता पंजीकरों/उपपंजीकरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) 18-11-2007 की स्थिति के अनुसार दिल्ली के उप-पंजीयकों द्वारा दायर आयकर विवरणियों की संख्या निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष 2004-05	9
वित्तीय वर्ष 2005-06	8
वित्तीय वर्ष 2006-07	2

(ग) ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा जिन्होंने तीस लाख रुपए या इससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति (दिल्ली में) खरीदी है:-

वित्तीय वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
वित्तीय वर्ष 2004-05	2,616
वित्तीय वर्ष 2005-06	4,099
वित्तीय वर्ष 2006-07	2,258

तथापि, उपर्युक्त आंकड़ों में संयुक्त पार्टी लेनदेन शामिल नहीं है।

(घ) आयकर विवरणी के माध्यम से प्राप्त सूचना का प्रयोग मामलों के कंप्यूटर सहयातित चयन के लिए किया जाता है। जैसा कि अन्वेषण/आकलन की प्रक्रिया एक सतत गतिविधि है, इसलिए पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इससे आयकर विभाग द्वारा उजागर किए गए काले धन और बेनामी संपत्तियों की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं होगा।

(ङ) और (च) चूककर्ता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 च क के अंतर्गत अर्थदंड के पात्र हैं। जब चूक का मामला सरकार की जानकारी में आता है तब दंडात्मक प्रावधान लगाए जाते हैं।

[हिन्दी]

एन.आर.ई.जी.एस. के क्रियान्वयन में पंचायती राज्य संस्थाओं की भूमिका

1129. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए उत्तरदायित्वों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के क्रियान्वयन के भ्रष्टाचार में शामिल एजेंसियों/व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की है; और

(घ) यदि हां, तो पंचायती राज संस्थानों द्वारा सरकार के ध्यान में लाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) एन.आर.ई.जी. अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम स्तरीय पंचायतें इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के नियोजन तथा कार्यान्वयन के लिए प्रधान प्राधिकरण होंगी। जिला स्तर पर पंचायतों का कृत्य है योजना के अंतर्गत किसी कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई परियोजनाओं की ब्लॉक वार सूची को अंतिम रूप देना तथा अनुमोदित करना, ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर पर शुरू की गई परियोजनाओं का पर्यवेक्षण तथा निगरानी करना तथा अन्य ऐसे कृत्य करना जो समय-समय पर राज्य परिषद् द्वारा उन्हें दिए जाएं। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के कृत्य हैं अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को अग्रेषित करने के लिए ब्लॉक स्तर योजना अनुमोदित करना, ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और निगरानी करना तथा अन्य ऐसे कृत्य करना जो समय-समय पर परिषद द्वारा सौंपे जाएं। अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, ग्राम पंचायतों को कार्यान्वयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। वे कार्यों की योजना बनाने, परिवारों का पंजीकरण करने, जॉब कार्ड जारी करने, रोजगार का आबंटन करने, 50% कार्यों का निष्पादन लागत के आधार पर करने तथा ग्राम स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होंगी। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 17

के अनुसार ग्राम सभा को ग्राम सभा के भीतर कार्यों के निष्पादन की निगरानी तथा ग्राम पंचायत में शुरू की गई योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(ख) प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पंचायती राज संस्था के कर्मियों, प्रशासनिक तथा तकनीकी स्टाफ तथा सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्यों सहित विभिन्न पणधारियों के प्रशिक्षण को उच्च वरीयता दी है। वर्ष 2006 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई. आर.डी.), हैदराबाद द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) के दो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं के लिए मसूरी में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राज्य सरकारों को राज्य ग्रामीण विकास संस्थान अथवा राज्य के किसी अन्य संस्थान के जरिए अपने अधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध करने के लिए भी कहा गया है। ऐसे प्रशिक्षणों के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। अब तक, इस उद्देश्य के लिए केन्द्र द्वारा 6613.09 लाख रु. रिलीज किए गए हैं। अब तक 200000 पंचायती राज संस्था कार्मिकों, 58016 प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों तथा 28071 सतर्कता एवं निगरानी समिति सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

(क) जी, नहीं। एन.आर.ई.जी. अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के प्रत्यायोजन की कोई परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सोसाइटियों/सांस्कृतिक संघों को आबंटित भूमि

1130. श्री परशुराम माझी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सोसाइटियों/धार्मिक/सांस्कृतिक संघों को भूमि आबंटन के लिए निर्धारित पात्रता मानदण्डों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.)/भूमि तथा विकास कार्यालय (एल. एंड डी.ओ.) द्वारा किन-किन सोसाइटियों/धार्मिक/सांस्कृतिक संघों को इस प्रयोजनार्थ भूमि आबंटित की गई तथा इसकी दरें क्या थीं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) डी.डी.ए. द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के अंतर्गत सांस्थानिक भूमि का आबंटन किया जाता है।

भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की जांच समिति की सिफारिश पर सोसायटियों, धार्मिक व सांस्कृतिक संगठनों को भूमि आबंटित की जाती है। ऐसे आबंटनों के लिए पात्रता मानदंड संलग्न विवरण-I में हैं।

(ख) ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-II और संलग्न विवरण III में हैं।

विवरण-I

भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा भूमि के आबंटन के लिए आवेदनों की जांच करने हेतु दिशानिर्देश

जांच समिति विभिन्न संस्थानों/संगठनों से सरकारी भूमि के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करते समय निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेगी:-

(i) ले-आउट प्लान/जोनल प्लान/मास्टर प्लान के तहत अनुमोदित ले-आउट प्लान और भूखंड के निर्धारित भू उपयोग के अनुसार भूमि की उपलब्धता। किसी भूखंड का आबंटन करने पर केवल तभी विचार किया जाए जबकि ऐसे क्रियाकलापों, जिनके लिए आबंटन का अनुरोध किया गया है, के लिए भू उपयोग अनुमत्य हो।

(ii) वह भूखंड किसी भी तरह के अतिक्रमण/मुकदमेबाजी से मुक्त हो तथा अपेक्षित अवस्थापना, यथा विद्युत, जल आपूर्ति, जल निकासी सुविधाएं इत्यादि क्षेत्र में उपलब्ध हो।

(iii) भूमि का आबंटन चाहने वाला संगठन आवेदन के समय कम से कम 5 वर्षों के लिए पंजीकृत एक सोसायटी/ट्रस्ट हो। सोसायटी/ट्रस्ट में प्रबंधन समिति के पेशेवर और प्रतिनिधिक स्वरूप के व्यक्ति होने चाहिए, जिसमें पारिवारिक सदस्य नहीं होने चाहिए।

(iv) सोसायटी/ट्रस्ट आवेदन की तारीख से तत्काल पूर्व के 5 वर्षों के लेखा परीक्षित लेखा, बैलेंस शीट, संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(v) सोसायटी/ट्रस्ट आयकर अधिनियम की धारा 80जी

के अंतर्गत आयकर से छूट का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

(vi) भूमि के आबंटन के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय की सिफारिश पर विचार किया जाना चाहिए। आवेदक की निम्नलिखित विशिष्ट सूचना प्रशासनिक मंत्रालय से मांगी जानी चाहिए।

(क) सोसायटी की हैसियत, इसकी गतिविधि का स्वरूप और कार्य निष्पादन। मद में यह शामिल होगा कि क्या सोसाइटी धर्मार्थ हैं तथा आम व्यक्ति को अपनी गतिविधियों से क्या लाभ उपलब्ध कराती है।

(ख) पंजीकरण प्रमाणपत्र संगम ज्ञापन, बैलेंश शीट और लेखा परीक्षकों की पिछले पांच वर्षों की रिपोर्टों का विश्लेषण।

(ग) क्या संगठन दिल्ली में पहले से ही कार्य कर रहा है तथा यदि नहीं, तो उसे राष्ट्रीय राजधानी में कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता क्यों है।

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा, जो सोसाइटी भूमि की मांग करते समय कार्यान्वित करना चाहती है।

(vii) शैक्षिक संस्थाओं के मामले में, क्षेत्र और स्कूल, जिसके लिए भूमि के आबंटन की मांग की गई है, के मिडिल और उच्च स्तर के स्कूलों के संबंध में शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा नर्सरी/प्राथमिक स्कूलों के संबंध में संबंधित (एम.सी.डी./एन.डी.एम.सी.) से वैध प्रायोजन प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

(viii) सोसाइटी/ट्रस्ट का पूर्ववृत्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा यदि आवश्यक हो तो गृह मंत्रालय के माध्यम से जांच करवाई जानी चाहिए।

(ix) आयकर प्रयोजनों के लिए स्थायी लेखा संख्या (पैन) प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(x) इस आशय का आकलन किया जाना चाहिए कि क्या संगठन भूमि की लागत के साथ-साथ भवन के निर्माण की लागत का भुगतान करने की स्थिति में है। यह देखा जाना चाहिए कि क्या संस्था/संगठन की दिल्ली में पहले से ही अपनी भूमि है तथा यदि उसकी अपनी भूमि है तो किन गतिविधियों के लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा है, यह देखा जाना चाहिए। यदि एल. एण्ड डी.ओ./डी.डी.ए. द्वारा संगठन को पहले भूमि आबंटित की गई है तो यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या भूमि का उचित प्रकार से उपयोग किया जा रहा है तथा क्या संगठन को अपनी गतिविधियां चलाने के लिए और भूमि की आवश्यकता है। भूमि के आबंटन समय की सिफारिश करते यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या मांगी गई भूमि की वास्तविक मात्रा पर्याप्त अथवा अत्यधिक अथवा अपर्याप्त है।

(xi) आवेदक सोसायटी/ट्रस्ट को भूमि की लागत + 10% अधिक लागत का सावधि जमा/समान नकद निवेश होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए ताकि किसी विशेष वित्तीय प्रबन्ध की मांग किए बिना भूमि का भुगतान सुनिश्चित हो सके तथा उपर्युक्त निवेश के संबंध में "कोई ऋण नहीं प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना चाहिए।

(xii) यदि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्णतया स्वामित्व वाली अथवा सहायता प्राप्त किसी संस्था के लिए भूमि का आबंटन करने हेतु अनुरोध पर विचार किया जाता है तो लिखित के कारण बताते हुए उपरोक्त शर्तों में उपयुक्त छूट दी जा सकेगी/उन्हें हटाया जा सकेगा।

विवरण-II

पिछले पांच वर्षों के दौरान डी.डी.ए. द्वारा भूमि आबंटित की गई सोसाइटियों/सांस्कृतिक संघों के प्रयोजन तथा दर सहित उनके नाम (नवम्बर, 2002 से नवम्बर, 2007)

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	भूमि दर	अभ्युक्ति
1.	गुरुद्वारा सतसंग कमेटी, निजामुदीन ईस्ट	गुरुद्वारा	6 लाख रुपए प्रति एकड़	

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	भूमि दर	अभ्युक्ति
2.	श्री सनातम धर्म महावेद मन्दिर सभा	मन्दिर	50 लाख रुपए + 142% प्रति एकड़	कब्जा नहीं दिया गया।
3.	दियोसेन सोसाईटी नार्थ ऑफ इंडिया	गिरजाघर	80 लाख रुपए + 54% प्रति एकड़	
4.	गोपाल कृष्ण मन्दिर समिति	मन्दिर	50 लाख रुपए + 154% प्रति एकड़	
5.	तरवर सोसाईटी	मन्दिर	50 लाख रुपए + 154% प्रति एकड़	कब्जा नहीं दिया गया।
6.	नई दिल्ली चर्च आफ क्राइस्ट	गिरजाघर	80 लाख रुपए + 154% प्रति एकड़	
7.	मानव कल्याण आध्यात्मिक संस्थान	धार्मिक	80 लाख रुपए + 154% प्रति एकड़	
8.	सिन्धी पंचायत पश्चिम विहार	मन्दिर	80 लाख रुपए + 154% प्रति एकड़	
9.	देल्ली भजन समाज	मन्दिर	50 लाख रुपए + 154% प्रति एकड़	
10.	श्री जैन स्वेताम्बर तेरहपंथी सभा	मन्दिर	50 लाख रुपए + 154% प्रति एकड़	
11.	श्री एस.एस. जैन वर्मा सभा	मन्दिर	35 लाख रुपए + 154% प्रति एकड़	
12.	वसुंधरा एनकलेव सवर्स समाज	मन्दिर	35 लाख रुपए + 154% प्रति एकड़	
13.	श्री साई गुरु भगवान दास सोसाईटी	मन्दिर	50 लाख रुपए + 142% प्रति एकड़	
14.	गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा	मन्दिर	97.85 लाख रुपए प्रति एकड़	
15.	आर्य समाज मन्दिर, सफदरजंग एनकलेव	मन्दिर	223.65 लाख रुपए	अतिरिक्त भूमि
16.	श्री विष्णु धार्मिक सभा, केशव पुरम	मन्दिर	139.75 लाख प्रति एकड़	
17.	राजयोग एजूकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन	मन्दिर	97.85 लाख रुपए प्रति एकड़	
18.	दिल्ली मारथोमा चर्च सोसाईटी	गिरजाघर	447.30 लाख रुपए प्रति एकड़	

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	भूमि दर	अभ्युक्ति
19.	मैथोडिस चर्च इन इंडिया	गिरजाघर	279.50 लाख रुपए प्रति एकड़	
20.	संत निरंकारी मंडल	सत्संग भवन	698.90 लाख रुपए प्रति एकड़	
21.	आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन	कार्यालय भवन	50 लाख रुपए एकड़ + 142% वृद्धित	
22.	चौधरी देवी लाल मैमोरियल सोसाईटी	इंस्टीट्यूट/सेंटर फार एग्रीकल्चरल	80 लाख रुपए एकड़ + 142% वृद्धित	
23.	सोसाईटी फॉर कम्प्यूटर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट सोसाईटी	इंडियन कम्प्यूटर मैनेजमेंट स्टडीज	193.60 लाख रुपए एकड़	
24.	आल इंडिया मैडिकल एसोसिएशन	कार्यालय भवन	127.50 लाख रुपए एकड़	
25.	सर्वधर्म वेलफेयर एसोशिएशन	कम्युनिटी हाल	29,51,001 रुपए	रद्द कर दिया गया है।
26.	सेंट्रल गर्वनमेंट एम्प्लाइज वर्कर	कम्युनिटी हाल	1/- रु.	
27.	संस्कृति सोशयल सोसाईटी	कम्युनिटी हाल	29,53,333/- रु.	रद्द कर दिया गया है।
28.	डी.ए.वी. स्कूल	माध्यमिक विद्यालय	80 लाख रुपए + 142% बढ़ाया गया	
29.	रवि भारती शिक्षा समिति	माध्यमिक विद्यालय	41,85,817/- रु.	
30.	माता फूलनवंती एजूकेशन सोसईटी	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	50 लाख रुपए/एकड़ + 142% बढ़ाया गया	
31.	रैडियंट एजूकेशन सोसाईटी	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	50 लाख रुपए/एकड़ + 142% बढ़ाया गया	
32.	दिल्ली संचार भारती शिक्षा समिति	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	50 लाख रुपए/एकड़ + 142% बढ़ाया गया	
33.	ज्योतिका एजूकेशनल एंड वेलफेयर सोसाईटी	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	35 लाख रुपए/एकड़ + 142% बढ़ाया गया	
34.	डा. वालिया एजूकेशन ट्रस्ट	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	35 लाख रुपए/एकड़ + 154% बढ़ाया गया	
35.	लक्ष्मन दास सचदेवा मैमोरियल एजूकेशन सोसाईटी	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	1,86,09,845/-रु. (2 एकड़)	

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	भूमि दर	अभ्युक्ति
36.	नवजोति निकेतन एजूकेशन सोसाईटी	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	1,86,09,845/-रु. (2 एकड़)	
37.	फैरी एजूकेशन सोसाईटी	मिडिल	72,20,834/- रुपए (4830 वर्ग मी.)	
38.	सुभीत एजूकेशन सोसाईटी	मिडिल	1,42,28,533/- रुपए (5800 वर्ग मी.)	
39.	एम.डी. एजूकेशन सोसाईटी	मिडिल विद्यालय	50 लाख रुपए + 154% बढ़ाया गया	
40.	अशोका एजूकेशन एंड वेलफेयर सोसाईटी	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	1,95,31,502/- (2 एकड़)	
41.	कैलाश मैमोरियल (रजि.)	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	50 लाख रुपए/एकड़ + 120% बढ़ाया गया	
42.	मिलेनियम चाइल्ड एजुकेशन सोसाईटी	मिडिल	65,10,315/- रुपए (4000 वर्ग मी.)	
43.	वेद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाईटी	मिडिल	64,39,481/- रुपए (4000 वर्ग मी.)	
44.	मानव शिक्षा समिति	सीनियर सेकेण्डरी स्कूल	1,51,36,711/- रु.	
45.	दुर्गा पार्वती खेतान मेमोरियल सेंटर	सीनियर सेकेण्डरी स्कूल	1,93,13,400/- रुपए (8000 वर्ग मी.)	
46.	फ्लोरैंस नाईट एंजल एजुकेशन सोसाईटी	मिडिल	70,80,398/- रुपए	
47.	रीता नन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन	सीनियर सेकेण्डरी स्कूल	1,40,51,210/- रुपए	
48.	नानकशार ठाठ ईश्वर दरवार	मिडिल	6,27,89,680/- रुपए (2.74 एकड़)	
49.	बैटर फ्यूचर एजूकेशन सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 142%	
50.	श्री नारायणदास गोयल मेमोरियल एजुकेशनल सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 142%	
51.	आधुनिक विज्ञान एंड कला एजुकेशनल सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 142%	

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	भूमि दर	अभ्युक्ति
52.	न्यू कृष्णा एजुकेशन सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 142%	
53.	विहाता एजुकेशनल सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 142%	
54.	द मून लाईट एजुकेशन सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 142%	
55.	स्पष्ट एजुकेशन सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 142%	
56.	चाइल्ड वेलफेयर संगठन	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 142%	
57.	श्रीमती द्रोपती देवी मान एजुकेशन सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	80 लाख रु./एकड़ + 154%	
58.	शतिजनक सचदेवा एजुकेशनल सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	35 लाख रु./एकड़ + 154%	
59.	चिल्ड्रन मदर प्राईड एजुकेशनल सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	35 लाख रु./एकड़ + 154%	
60.	डा. अम्बेडकर सेवा मिशन	नर्सरी स्कूल	35 लाख रु./एकड़ + 154%	
61.	विकास दीप एजुकेशनल सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 154%	
62.	चाइल्ड एजुकेशन सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 154%	
63.	के.के. मेहरा एंड डा. राजीव मेहरा मेमोरियल एजुकेशन सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	35 लाख रु./एकड़ + 154%	
64.	लेट. श्री राममज वेदा आश्रम संस्थान	नर्सरी स्कूल	35 लाख रु./एकड़ + 154%	
65.	प्राईम एजुकेशनल सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	35 लाख रु./एकड़ + 154%	
66.	शिवा शिक्षा समिति	नर्सरी स्कूल	35 लाख रु./एकड़ + 154%	
67.	दुर्गा एजुकेशन सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 154%	

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	भूमि दर	अभ्युक्ति
68.	ओजस शिक्षा संस्थान	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 154%	
69.	श्री एच.डी. गर्ग मेमोरियल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 154%	
70.	प्रीटी एजुकेशन सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 154%	
71.	वेदना एजुकेशनल वेलफेयर सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 154%	
72.	मिहर एजुकेशन कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 154%	
73.	लॉर्ड गणेश एजुकेशनल सोसाईटी	नर्सरी स्कूल	50 लाख रु./एकड़ + 154%	
74.	टू विंग्स वेलफेयर सोसाईटी	कम्युनिटी हॉल	50 लाख रु./एकड़ + 142%	
75.	मिलांतर वेलफेयर सोसाईटी	कम्युनिटी हॉल	50 लाख रु./एकड़ + 142%	
76.	ओसवाल समाज	कम्युनिटी हॉल	50 लाख रु./एकड़ + 142%	
77.	तमेनजिंओन एरिया वीमेन्स एंड चिल्ड्रन बैक्वर्ड क्लास डेवेलपमेंट एसोसिएशन	वीमेन हॉस्टल	50 लाख रु./एकड़ + 154% बढ़ाया गया	

विवरण-III

पिछले पांच वर्षों के दौरान डी.डी.ए. द्वारा भूमि आबंटित की गई सोसाइटियों/सांस्कृतिक संघों के प्रयोजन तथा उनके दर सहित नाम (नवम्बर, 2002 से नवम्बर, 2007)

क्र. सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	भूमि दर	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	पायनियर	प्रेस	88 लाख रु. प्रति एकड़	आवंटन निरस्त
2.	बार एसोसिएशन	कार्यालय भवन	88 लाख रु. प्रति एकड़	

1	2	3	4	5
3.	स्वदेशी जागरण फाउंडेशन	सामाजिक/सांस्कृतिक	88 लाख रु. प्रति एकड़	आवंटन निरस्त मामला न्यायाधीन
4.	सम्सकार भारती	सामाजिक/सांस्कृतिक	88 लाख रु. प्रति एकड़	आवंटन निरस्त
5.	लघु उद्योग भारती	कार्यालय भवन	88 लाख रु. प्रति एकड़	
6.	आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस	कार्यालय भवन	88 लाख रु. प्रति एकड़	
7.	एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट	कार्यालय भवन	88 लाख रु. प्रति एकड़	आवंटन निरस्त
8.	भारतीय किसान संघ	कार्यालय भवन	88 लाख रु. प्रति एकड़	
9.	महाराजा रणजीत सिंह ट्रस्ट	कार्यालय भवन	88 लाख रु. प्रति एकड़	
10.	नाट्य तरंगिनी	नृत्य के लिए संस्था/ संगीत हॉल	88 लाख रु. प्रति एकड़	
11.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट (आई.आई.एल.एम.)	संस्था	88 लाख रु. प्रति एकड़	आवंटन निरस्त
12.	क्राई	नर्सरी/क्रेच/डे केयर सेंटर इत्यादि	1 लाख रु. प्रति एकड़	
13.	रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन फार इंटीग्रल ह्यूमैनिजम	कार्यालय भवन	88 लाख रु. प्रति एकड़	
14.	कांची कामाकोटि	सामाजिक/सांस्कृतिक	88 लाख रु. प्रति एकड़	
15.	धर्मयात्रा महासंघ	धार्मिक	88 लाख रु. प्रति एकड़	
16.	गुरु सिंह सभा, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	धार्मिक	88 लाख रु. प्रति एकड़	
17.	सनातन धर्म सभा (हरि मंदिर), तिमारपुर, दिल्ली	धार्मिक	88 लाख रु. प्रति एकड़	
18.	उत्तरादी मठ, एम.बी. रोड, नई दिल्ली	धार्मिक	88 लाख रु. प्रति एकड़	

1	2	3	4	5
19.	जगतगुरु सी. विरासिंहासना मठ, एम.बी. रोड, सेक्टर-6, नई दिल्ली	धार्मिक	88 लाख रु. प्रति एकड़	
20.	अयप्पा टेंपल समिति, एम.बी. रोड, नई दिल्ली	धार्मिक	88 लाख रु. प्रति एकड़	
21.	आर्य समाज मिंटो रोड, नई दिल्ली	धार्मिक	88 लाख रु. प्रति एकड़	
22.	समर्थ शिक्षा समिति शिवालिक, नई दिल्ली	शैक्षिक	88 लाख रु. प्रति एकड़	

एन.आर.ई.जी.एस. की सामाजिक लेखा-परीक्षा

1131. **श्री नवीन जिन्दल:**

श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक की गई सामाजिक लेखा-परीक्षा के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की सामाजिक लेखा-परीक्षा हेतु गैर-सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों की भागीदारी के संबंध में राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) एन.आर.ई.जी. अधिनियम की धारा 17(2) में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सभी परियोजनाओं की ग्राम सभा द्वारा नियमित रूप से सामाजिक लेखा-परीक्षा की जाएगी। राज्य सरकारों को सभी परियोजनाओं की सामाजिक लेखा-परीक्षा तीन मास में पूरी करने को कहा गया है। अब तक 39671 परियोजनाओं की सामाजिक लेखा-परीक्षा की गई है।

(ग) और (घ) प्राप्त जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दिया गया है:-

(i) महिलाओं की और अधिक भागीदारी।

(ii) मजदूरी दरों तथा मजदूरी के समय पर भुगतान की आवश्यकता के बारे में मजदूरी अर्जकों के बीच जागरूकता बढ़ाना।

(iii) ग्राम पंचायत स्तर पर अतिरिक्त स्टॉफ की व्यवस्था के माध्यम से रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए क्षमता संवर्धन की आवश्यकता।

(iv) मस्टर रोल तथा जॉब कार्डों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता।

(v) कार्यस्थल पर अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराना।

राज्यों को मंत्रालय ने आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। राज्य सरकारें सामाजिक लेखा-परीक्षा करने और यदि आवश्यक हो तो अपने स्तर पर गैर-सरकारी संस्थाओं को कार्य सौंपने के लिए सक्षम हैं। सरकार को किसी राज्य सरकार से परियोजनाओं की

सामाजिक लेखा-परीक्षा हेतु गैर-सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों को सहयोजित करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

आर.आर.बी. में भुगतान घटकों का संशोधन

1132. श्री वसुदेव आचार्य: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर.आर.बी. कर्मचारियों के "भुगतान घटकों" का संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार के, दिनांक 6 अक्तूबर, 2005 के, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों का वेतनमान, महंगाई भत्ता, मकान किराया (एच.आर.ए.) तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता (सी.सी.ए.), दिनांक 01-11-2002 से राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के प्रवर्गों के अनुरूप समान रूप से संशोधित कर दिया है।

अन्य भत्तों के संबंध में प्रायोजक बैंक अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से बातचीत करेंगे।

[हिन्दी]

राजस्थान में शहरी विकास योजनाएं

1133. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने राजस्थान में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शहरी विकास कार्य को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा योजनावार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंजर भूमि विकास हेतु प्रौद्योगिकी विकास विस्तार एवं प्रशिक्षण

1134. श्री सुभाष महरिया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंजर भूमि विकास हेतु प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी.) के अंतर्गत धनराशि प्रदान करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान टी.डी.ई.टी. के अंतर्गत राज्य-वार कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान टी.डी.ई.टी. के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार को टी.डी.ई.टी. के अंतर्गत नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी.) को अनुसंधान/संक्रिया अनुसंधान और विस्तार परियोजनाओं, जो देश में बंजरभूमि के विकास में योगदान करती हैं, को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं को सामान्यत: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा ऐसी कार्य अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित करने हेतु पर्याप्त संस्थागत ढांचा तथा संगठनात्मक अनुभव रखने वाली सरकारी संस्थाओं के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। टी.डी.ई.टी. परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु सामान्य मानदण्ड निम्नानुसार है:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, पंचायतों आदि के स्वामित्व वाली बंजरभूमि पर परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए 100% अनुदान स्वीकार्य है। ऐसी परियोजनाओं के मामले में जिनमें कुछेक ऐसे संघटक शामिल होते हैं जिनसे निजी किसानों/ निगमित निकायों की स्वामित्व वाली बंजरभूमि का विकास होता है, तो ऐसी निजी भूमि पर किए, जाने वाले व्यय का 40% भाग लाभभोगियों द्वारा बांटा जाना अपेक्षित है।

(ii) ऊपरी लागतें सामान्यत: परियोजना लागत के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिएं।

(iii) ईंटों और गारे वाले ढांचों (स्थाई ढांचों) तथा कीमती उपस्करों के लिए सहायता नहीं दी जाएगी।

(iv) परियोजना के अंतर्गत स्थाई कर्मचारियों की भर्ती करने की अनुमति नहीं है।

(v) परियोजना के जरिए प्रचारित की जा रही भूमि उपयोग प्रौद्योगिकियों को आसानी से अपनाए जाने हेतु परियोजना लाभार्थियों तथा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना परियोजना का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

(vi) परियोजना की अवधि सामान्यतः 3 से 5 वर्ष होगी।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से भिन्न टी.डी.ई.टी. एक मांग आधारित योजना है, जिसमें आवश्यकता के आधार पर समुचित अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड डी.) संस्थाओं से उपयुक्त प्रायोगिक परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं और/अथवा सक्षम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सीधे ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इन प्रस्तावों पर एक परियोजना स्वीकृति समिति (पी.एस.सी.) द्वारा विचार किया जाता है तथा इन्हें अनुमोदित किया जाता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान टी.डी.ई.टी. के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान टी.डी.ई.टी. के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 2007-08 के दौरान टी.डी.ई.टी. मार्गदर्शी सिद्धांतों के समनुरूप 15 नई परियोजनाएं, गुजरात (1), कर्नाटक (2), महाराष्ट्र (3), उत्तर प्रदेश (2), पश्चिम बंगाल (1) के राज्यों में और अन्य स्वायत्त संगठनों-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.)-दिल्ली, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.)-हैदराबाद तथा सोसाइटी फार प्रोमोशन आफ वेस्टलैण्ड डिवलेपमेन्ट-दिल्ली (6), स्वीकृत की गई हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	चल रही परियोजनाओं की संख्या		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	2	2
2.	छत्तीसगढ़	3	3	3
3.	गुजरात	8	9	10
4.	हरियाणा	6	6	6
5.	हिमाचल प्रदेश	10	10	10
6.	कर्नाटक	3	3	5
7.	महाराष्ट्र	9	9	12
8.	मध्य प्रदेश	1	1	1
9.	उड़ीसा	8	3	3
10.	पंजाब	3	3	3

1	2	3	4	5
11.	राजस्थान	12	12	12
12.	तमिलनाडु	3	3	3
13.	उत्तराखंड	9	10	10
14.	उत्तर प्रदेश	3	5	7
15.	पश्चिम बंगाल	1	1	2
	पूर्वोत्तर राज्य			
16.	अरुणाचल प्रदेश	6	9	9
17.	मणिपुर	1	1	1
18.	मेघालय	1	1	1
19.	मिजोरम	3	3	3
20.	नागालैण्ड	1	2	2
21.	सिक्किम	2	3	3
22.	त्रिपुरा	1	1	1
23.	आई.आई.टी., दिल्ली	1	2	3
24.	आई.आई.टी., मुम्बई	1	1	1
25.	आई.आई.टी., चेन्नई	1	1	1
26.	एस.पी.डब्ल्यू.डी., दिल्ली	–	–	1
27.	एन.आई.आर.डी./एन.आर.एस.ए., हैदराबाद	11	11	15

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)		
		2005-06	2006-07	2007-08 (आज तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16.39	–	–
2.	छत्तीसगढ़	–	4.66	–
3.	गुजरात	378.12	664.76	450.76

1	2	3	4	5
4.	हरियाणा	–	–	–
5.	हिमाचल प्रदेश	48.63	47.47	20.00
6.	कर्नाटक	–	–	121.53
7.	महाराष्ट्र	376.87	129.45	249.53
8.	मध्य प्रदेश	–	–	0.02
9.	उड़ीसा	22.90	25.42	–
10.	पंजाब	23.78	21.51	80.32
11.	राजस्थान	82.66	–	–
12.	तमिलनाडु	70.31	4.53	–
13.	उत्तराखण्ड	126.02	126.02	20.29
14.	उत्तर प्रदेश	32.99	99.68	418.31
15.	पश्चिम बंगाल	2.22	4.60	49.71
	पूर्वोत्तर राज्य			
16.	अरुणाचल प्रदेश	139.75	457.44	91.16
17.	मणिपुर*	–	–	–
18.	मेघालय	3.49	–	–
19.	मिजोरम	4.10	–	–
20.	नागालैण्ड	8.55	37.42	–
21.	सिक्किम	156.11	419.85	147.88
22.	त्रिपुरा	5.52	–	–
23.	आई.आई.टी., दिल्ली	53.95	5.4	152.11
24.	आई.आई.टी., मुम्बई	17.33	10.79	–
25.	आई.आई.टी., चेन्नई	–	7.01	–
26.	एन.आई.आर.डी./एन.आर.एस.ए., हैदराबाद	609.19	–	505.84

*परियोजना स्वीकृत की गई तथा प्रथम किस्त मार्च, 2003 में जारी की गई।

[अनुवाद]

छोटे किसानों को ऋण

1135. श्री जी. कल्याकर रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में कितने छोटे किसानों को ऋण दिए गए;

(ख) क्या इन किसानों को ऋण लेने में कठिनाई आ रही है; और

(ग) ऋण लेने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में कार्यरत छः आर.आर.बी. में अनुसूचित जाति (एस.सी.)/ अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के छोटे किसानों के बकाया खातों की संख्या 1,70,538 है और उनकी बकाया राशि 697.52 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) नाबार्ड ने जानकारी दी है कि उसे, कर्नाटक राज्य में ऋण प्रदान करने के संबंध में ऐसे किसानों द्वारा सामना की जा रही किसी भी दिक्कत के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। एस.सी./एस.टी. ऋणकर्ताओं के प्राप्त आवेदनों की पृथक रूप से बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों द्वारा निगरानी करना और ऋण स्वीकृत करने वाले आधिकारी के बजाय उच्चतर स्तर पर ऋण आवेदनों को अस्वीकार करना, ऐसे किसानों को ऋण प्रदान करने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिये बैंकों द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं।

[हिन्दी]

समेकित बाल विकास सेवा योजना

1136. श्री महावीर भगोरा: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के अंतर्गत राज्यों के चयन हेतु कतिपय मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम लक्षित वर्गों के बच्चों और महिलाओं की पोषाहारीय एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई। विभिन्न सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि इस स्कीम के परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु जैसी घटनाओं और कुपोषण के स्तर में कमी आई है। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के अनुसार, शिशु मृत्यु दर वर्ष 1981 में 110 प्रति एक हजार जीवित जन्म से कम हो कर वर्ष 2004 में 58 रह गई है। इसी प्रकार पांच वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर भी वर्ष 1983 में 161 प्रति हजार शिशु से कम होकर वर्ष 2003 में 77 रह गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार तीन वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों का प्रतिशत वर्ष 1992-93 में 53 से कम होकर वर्ष 2005-06 में 46 रह गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि दोनों ही दृष्टियों से इस स्कीम के कार्यान्वयन में काफी प्रगति हुई है। 31-3-2005 से तीन वर्ष की अवधि में संस्वीकृत परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या क्रमशः 5671 तथा 7.64 लाख से बढ़कर 30-6-2007 तक की स्थिति के अनुसार क्रमशः 6284 और 10.53 लाख हो गई है। इसी प्रकार, पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या 484.42 लाख से बढ़कर 736.80 लाख (52% की वृद्धि) तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों में जाने वाले 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या इसी अवधि के दौरान 218.41 लाख से बढ़कर 314.92 लाख (44% की वृद्धि) हो गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

30-6-2007 तक संस्वीकृत तथा प्रचालित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या					आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या				
		31-3-2005 तक संस्वीकृत $	वर्ष 2005-06 में संस्वीकृत	वर्ष 2006-07 में संस्वीकृत	31-3-2007 तक कुल संस्वीकृत	30-6-2007 तक प्रचालित	31-3-2005 तक संस्वीकृत	वर्ष 2005-06 में संस्वीकृत	वर्ष 2006-07 में संस्वीकृत	31-3-07 तक कुल संस्वीकृत	30-06-07 तक प्रचालित
1.	आन्ध्र प्रदेश	363	13	9	385	376	56539	9562	7843	73944	63203
2.	अरुणाचल प्रदेश	58	21	6	85	79	2359	678	1240	4277	3037
3.	असम	196	23	4	223	206	25416	6659	5007	37082	25329
4.	बिहार	394	144	7	545	394	60813	19715	560	81088	57767
5.	छत्तीसगढ़	152	6	5	163	158	20289	9148	5500	34937	28047
6.	गोवा	11	0	0	11	11	1012	0	100	1112	1012
7.	गुजरात	227	33	0	260	256	37961	3523	2695	44179	39005
8.	हरियाणा	116	12	9	137	128	13546	2813	833	17192	16684
9.	हिमाचल प्रदेश	72	4	0	76	76	7354	10894	0	18248	7686
10.	जम्मू-कश्मीर	140	0	0	140	129	18772	0	6711	25483	16409
11.	झारखण्ड	204	0	0	204	204	24171	6683	1243	32097	22304
12.	कर्नाटक	185	0	0	185	185	40301	11313	2646	54260	51352
13.	केरल	163	0	0	163	163	25393	3258	3464	32115	28169
14.	मध्य प्रदेश	336	31	0	367	364	49787	9537	9914	69238	58905
15.	महाराष्ट्र	372	44	35	451	416	62126	12864	9877	84867	74804
16.	मणिपुर	34	0	4	38	37	4501	0	3120	7621	4605

17.	मेघालय	32	7	2	41	39	2218	961	209	3388	3165
18.	मिजोरम	21	2	0	23	23	1361	231	90	1682	1592
19.	नागालैण्ड	54	2	0	56	54	2770	265	159	3194	3045
20.	उड़ीसा	326	0	0	326	326	34201	3279	4217	41697	37752
21.	पंजाब	142	6	0	148	143	14730	2691	2748	20169	16767
22.	राजस्थान	257	17	4	278	272	35821	11041	1510	48372	43307
23.	सिक्किम	5	6	0	11	11	500	488	0	988	904
24.	तमिलनाडु	434	0	0	434	434	42677	3049	1539	47265	45726
25.	त्रिपुरा	40	11	3	54	53	3874	2220	1257	7351	6131
26.	उत्तर प्रदेश	834	1	62	897	835	106059	31498	13170	150727	130024
27.	उत्तरांचल	99	0	0	99	99	6658	1134	1872	9664	7754
28.	पश्चिम बंगाल	358	58	0	416	363	57540	17100	17512	92152	62557
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5	0	0	5	5	527	94	51	672	672
30.	चण्डीगढ़	3	0	0	3	3	300	29	41	370	329
31.	दिल्ली	29	5	16	50	34	3902	526	1678	6106	4427
32.	दादर व नगर हवेली	1	1	0	2	1	138	77	4	219	138
33.	दमन व दीव	2	0	0	2	2	87	10	10	107	97
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	1	1	74	0	13	87	79
35.	पांडिचेरी	5	0	0	5	5	677	11	0	688	688
	अखिल भारत	5671	447	166	6284	5885	764454	181351	106833	1052638	863472

$ असम, बिहार, झारखंड, केरल, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के संबंध में भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों के राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलान के अध्यधीन।

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम के अन्तर्गत पूरक पोषण प्राप्त कर रहे बच्चों (6 माह-6 वर्ष) तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं और स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों (3-6 वर्ष) की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरक पोषण प्राप्त कर रहे बच्चों (6 माह-6 वर्ष) तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं की संख्या				स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों (3-6 वर्ष) की संख्या			
		31-3-2005	31-3-2006	31-3-2007	30-6-2007	31-3-2005	31-3-2006	31-3-2007	30-6-2007
1.	आंध्र प्रदेश	3064494	3112789	4103963	4324017	1564251	1528018	1830381	1865282
2.	अरुणाचल प्रदेश	73959	102123	169200	172629	29005	37961	60208	65870
3.	असम	1251169	1408189	1031104	1868012	781953	894811	850590	912960
4.	बिहार	2461115	4854780	4173942	4218255	1555177	2222702	1937398	1937398
5.	छत्तीसगढ़	1779971	1804331	2096058	2144814	607795	588000	731761	762225
6.	गोवा	49010	48838	54485	54485	19149	18608	19451	19451
7.	गुजरात	1921385	1846303	2042347	1999608	1429062	1404500	911982	1081342
8.	हरियाणा	1170178	1192543	1405833	1407567	441684	455452	525398	517564
9.	हिमाचल प्रदेश	391128	427372	426287	441173	110402	121738	111025	105849
10.	जम्मू-कश्मीर	222960	343648	522958	587246	107385	121325	203247	212596
11.	झारखण्ड	491405	1849937	2087674	1935123	427412	768959	837624	797334
12.	कर्नाटक	3036981	3041391	3752367	3745374	1293121	1265145	1504243	1500851
13.	केरल	1075062	1065433	1127254	1160889	540937	524205	523328	504225
14.	मध्य प्रदेश	3509448	3265317	4724630	4975664	1516173	1544066	1809546	2231158
15.	महाराष्ट्र	3822711	5577168	5909641	6367057	1796953	2705644	2847086	2868051

16.	मणिपुर	0	217609	314597	316124	111851	113922	114807	129212
17.	मेघालय	221523	225619	341873	346886	90331	96436	131635	133151
18.	मिजोरम	141021	141855	154963	147687	50021	50468	57617	51604
19.	नागालैण्ड	283735	307254	349376	301360	94459	105865	109768	109171
20.	उड़ीसा	4353962	4378920	4494394	4565899	942076	943705	965333	974204
21.	पंजाब	578169	756803	1118886	1194030	419668	441890	435608	476170
22.	राजस्थान	3320620	3164842	3252132	3300374	1334907	1264447	1212438	1252457
23.	सिक्किम	38654	36514	46182	6431	13765	10183	11400	12803
24.	तमिलनाडु	2386231	2222740	2384946	2379897	1130007	1063995	1193698	1179450
25.	त्रिपुरा	170293	170293	271947	282471	101052	101052	123695	125664
26.	उत्तर प्रदेश	7400400	9240377	19345747	20196371	3439464	4081381	8155442	8668188
27.	उत्तरांचल	457519	468457	658106	884149	178444	182138	192550	201469
28.	पश्चिम बंगाल	4153829	4343668	3532605	3706144	1502012	1641755	2469468	2590553
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	26063	28665	25645	25645	10066	9709	9912	10433
30.	चण्डीगढ़	39347	42981	40345	38883	13509	14557	13936	13731
31.	दिल्ली	480322	464740	515089	519131	168199	151554	163955	165167
32.	दादर व नगर हवेली	14704	13955	13955	13955	5019	4960	4960	4960
33.	दमन व दीव	8875	8886	8392	8392	4213	3587	3089	3089
34.	लक्षद्वीप	4863	4978	7516	6084	4024	4018	2540	1467
35.	पांडिचेरी	41007	38790	38980	38767	7744	5694	6307	6703
	अखिल भारत	48442113	56218108	70543419	73680593	21841290	24492450	30081426	31491802

लंबित प्रस्ताव

1137. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से महिला और बाल विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लम्बित प्रस्तावों का विवरण तथा की गई कार्रवाई
1.	समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.)	राज्य में 178 अतिरिक्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं, 31571 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 6362 नए लघु आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसे आई.सी.डी.एस. स्कीम के विस्तार के तीसरे चरण हेतु समेकित प्रस्ताव में शामिल किया गया है।
2.	स्वयंसिद्धा	89.47 लाख रुपयों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस मंत्रालय ने 88.84 लाख रुपये अनुमोदित कर दिए हैं तथा इसमें से राज्य सरकार को प्रथम किस्त के रूप में 57.63 लाख रुपये निर्मुक्त कर दिए गए हैं।
3.	स्वाधार	स्वाधार स्कीम के अंतर्गत 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। शिक्षा समिति, राहोड़, जंजगर चम्पा, छत्तीसगढ़ का एक प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है तथा ग्रामीण कृषक विकास संस्था, बिलासपुर का प्रस्ताव कुछ अपेक्षित दस्तावेजों की कमी के कारण लम्बित है।
4.	महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (स्टैप)	(i) महिला दक्षता समिति, रायपुर का बहु-क्रियाकलापों हेतु एक प्रस्ताव तथा (ii) डेयरी परियोजना के लिए पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ये दोनों ही प्रस्ताव अधूरे थे तथा ये स्कीम के मानकों को पूरा नहीं करते थे। इसलिए इन प्रस्तावों को राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है।

[अनुवाद]

आंगनबाड़ी योजना

1138. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु मांगें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को दी गई खाद्य वस्तुओं को घटिया पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 613 परियोजनाओं, 2.20 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 77360 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की मांग प्राप्त हुई है। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस मांग को मंत्रालय के समेकित प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है।

(ग) और (घ) आई.सी.डी.एस. स्कीम के कार्यान्वयन में इस प्रकार के मुद्दों के समाधान के लिए राज्यों में तंत्र मौजूद हैं।

जनजातीय भूमि अधिकार का उत्छेदन

1139. श्री अबु अयीश मंडल: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ सरकारी विभागों द्वारा जनजातीय भूमि अधिकारों के उत्छेदन की कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. खिन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय को (1) गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों के वन विभाग द्वारा जनजातियों एवं वन निवासियों को वन भूमि से, जहां वे 13-12-2005 के पहले से खेती करते थे, बेदखल किए जाने; (2) झारखंड के कुछ जिलों में वन विभाग द्वारा जनजातियों के कब्जे की भूमि का इस आशय से सर्वेक्षण किए जाने कि इस भूमि को जनजातियों को पट्टे पर दिए जाने की प्रक्रिया रोकी जा सके; (3) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधिनियम के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन क्षेत्रों में अपने निवास स्थानों से जनजातीय लोगों को हटाने; तथा (4) महाराष्ट्र सरकार द्वारा धुले जिले में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वन भूमि के विपथन के विषय में शिकायतें मिली हैं। चूंकि ये शिकायतें राज्य वन विभागों के कार्यों के विरुद्ध थीं इसलिए इन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत समतुल्य राशि

1140. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
डा. टोकचोम मैन्या:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छोटे और गरीब राज्यों को जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत समतुल्य राशि प्रदान करने में कठिनाइयां आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छोटे तथा आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने हेतु योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के साथ यह मामला उठाने का है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जच्चा-बच्चा देखभाल योजना

1141. श्री जसुभाई धानाभाई बारड: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई जच्चा-बच्चा देखभाल योजना लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बलात्कार पीड़ितों के संबंध में राहत और आकस्मिक कार्रवाई

1142. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बलात्कार पीड़ितों को धन संबंधी राहत प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू करने का है; जैसाकि दिनांक 6 नवम्बर, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को कब तक शुरू करने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार नैशनल लेवल क्रिमिनल इन्जूरीस कम्पनसेशन बोर्ड को भी शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार बलात्कारियों को ऐसे जघन्य अपराधों में लिप्त होने से रोकने के लिए कुछ और अधिक कठोर उपाय करने का भी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ङ) बलात्कार पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास के विभिन्न प्रावधानों वाली स्कीम के प्रारूप पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विचार कर रहा है। इस स्कीम को शुरू किए जाने की कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना इस समय संभव नहीं होगा।

(च) और (छ) बलात्कार से संबंधित कानूनी उपबंधों में संशोधन के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है। इस प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

1143. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्रीमती संगिता कुमारी सिंह देव:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं में सुधार लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों को पर्याप्त प्रबंधन स्वायत्तता प्रदान करने और त्वरित एवं सक्षमता से निर्णय लेने में सुगमता प्रदान करने के लिए दिनांक 22-02-2005 को सरकार ने इन बैंकों के लिए एक स्वायत्तता पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के अनुसार, बैंकों के बोर्ड समग्र व्यवसायिक कार्यनीति के भाग के रूप में नये व्यवसाय प्रारम्भ करने, कम्पनियों अथवा कारबारों का उचित अधिग्रहण करने, अलाभकारी शाखाओं को बंद/विलयित करने, विदेशों में कार्यालय खोलने, सहायक कम्पनियां स्थापित करने एवं कारबार से बाहर निकलने, आदि से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

(ख) और (ग) सामान्यत: भारत में बैंकिंग क्षेत्र की और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्थिति सुधारने और साथ ही इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा किए गए व्यापक उपायों के साथ-साथ जोखिम आधारित विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने, बासेल समिति मानदंडों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता मानदंड शुरू करने, आदि के लिए उपाय निर्धारित किए हैं। वर्ष 1990 के प्रारंभ में सुधारों की शुरुआत के बाद बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन में बहुत सुधार हुआ है। तुलन-पत्र एवं लाभप्रदता संकेतक अर्थात आस्तियों पर आय, शुद्ध ब्याज मार्जिन, अनुपयोज्य आस्ति (एन.पी.ए.) अनुपात, अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान करने संबंधी तथा वर्गीकरण मानदंड आदि से पता चलता है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों (बेंचमार्क) के अनुसार कार्य कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार

1144. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले लोगों

की पहचान हेतु किन मानदंडों और मापदंडों का पालन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार उक्त मानदंडों को निर्धारित करते समय आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि पर भी समुचित ध्यान देती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राज्यों में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में मतभेद है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौराक्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ज) योजना आयोग, 'गरीबों का अनुपात और संख्या का आकलन' के संबंध में 1989 गठित विशेषज्ञ समूह (लाकड़ावाला समिति) द्वारा अनुशंसित समान क्रियाविधि का अनुसरण करते हुए सभी राज्यों में गरीबी का आकलन करता है। गरीबी संबंधी ये आकलन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा परिवारों के उपभोक्ता व्यय के लिए किए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित होते हैं।

योजना आयोग ने न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमान के संबंध में 1977 में कार्यबल गठित किया था और इस कार्यबल ने 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कार्यबल ने गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय स्तर के रूप में परिभाषित किया जो न्यूनतम गैर-खाद्य व्यय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता को पूरा करता है। कार्यबल ने गुण और मूल्य दोनों रूपों में पारिवारिक उपभोग से संबंधित 28वें दौर (1973-74) के एन.एस.एस. आंकड़ों का उपयोग किया ताकि आर्थिक मूल्य की इन कैलोरी संबंधी मानदंडों, जो गरीबी रेखा के रूप में जाने जाते हैं, के बराबर गणना की जा सके। वर्ष 1973-74 में कार्यबल ने यह अनुमान लगाया कि औसतन 49.90 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह का उपभोक्ता व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2400 किलो कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 56.64 रुपये का उपभोक्ता व्यय प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

विशेषज्ञ दल की क्रियाविधि के अंतर्गत, कार्यबल द्वारा 1973-74 में निर्धारित 49.09 रुपए की राष्ट्रीय ग्रामीण गरीबी रेखा को अंतर-राज्यीय मूल्य विविधता द्वारा समायोजित कृषि श्रमिकों के लिए राज्य विशिष्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा के रूप में पृथक किया गया है। इसी तरह, वर्ष 1973-74 में निर्धारित 56.64 रुपए की राष्ट्रीय शहरी गरीबी रेखा को अंतर राज्यीय मूल्य विविधता के लिए समायोजित औद्योगिक कर्मियों के लिए राज्य विशिष्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा के रूप में पृथक किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इन राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं को क्रमशः कृषि श्रमिकों के लिए राज्य विशिष्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक कर्मियों के लिए राज्य विशिष्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अद्यतन किया जाता है।

हालांकि गरीबी का आकलन योजना आयोग द्वारा किया जाता है तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय बी.पी.एल. जनगणना के माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों के निर्धारण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है जिसका उद्देश्य अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उनकी सहायता करना है। वर्ष 1992 में इस तरह का पहला सर्वेक्षण किया गया था तथा वर्ष 1997 में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अगली बी.पी.एल. जनगणना की गई थी। आय तथा व्यय दृष्टिकोण पर आधारित क्रियाविधि का उपयोग करके ये दोनो बी.पी.एल. जनगणना की गई थीं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बी.पी.एल. जनगणना 2002 की जा रही है जिसमें ग्रामीण परिवारों का अंक आधारित श्रेणीकरण किया गया है और इसके लिए 13 सामाजिक-आर्थिक मानदंड भू-जोत का आकार, मकान का प्रकार, कपड़े की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, साक्षरता स्तर, पारिवारिक श्रम बल की स्थिति, आजीविका के साधन, ऋणग्रस्तता का प्रकार इत्यादि अपनाए गए थे। बी.पी.एल. जनगणना, 2002 करने के लिए मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में राज्यों को बी.पी.एल. परिवारों की संख्या का निर्धारण उसी आधार पर करने की सलाह दी गई थी जैसाकि योजना आयोग ने अस्थायी गरीब के मामले में 10

प्रतिशत की छूट देने की बात कही थी। कुछ राज्य सरकारों ने निर्धारित किए जाने वाले बी.पी.एल. परिवारों की कुल संख्या की अधिकतम सीमा को हटाने का अनुरोध किया था। बी.पी.एल. परिवारों की कुल संख्या की अधिकतम सीमा इस उद्देश्य से निर्धारित की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धनतम व्यक्ति को इस मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राथमिकता मिले। तथापि, राज्य क्षेत्र की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने के संबंध में राज्य सरकारों पर कोई रोक नहीं है।

लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद के अंतर्गत जनजातियों हेतु धनराशि का आबंटन

1145. श्री सुभाष सुरेशचंद्र-देशमुख: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कपार्ट) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति से संबंधित कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद के अंतर्गत आबंटित धनराशियों के दुर्विनियोजन के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्य है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वनग्राम

1146. डा. बाबू राव मिडियम: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने वनग्राम हैं;

(ख) क्या सरकार ने वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वन ग्रामों के विकास में नेशनल अफोरेस्टेशन एंड ईको डेवलपमेंट बोर्ड को शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) 12 से अधिक राज्यों में 2474 वनग्राम/निवास स्थान हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	वन ग्रामों की सं.
1.	असम	499
2.	छत्तीसगढ़	425
3.	गुजरात	199
4.	झारखंड	24
5.	मेघालय	23
6.	मध्य प्रदेश	893
7.	मिजोरम	85
8.	उड़ीसा	20
9.	त्रिपुरा	62
10.	उत्तराखंड	61
11.	उत्तर प्रदेश	13
12.	पश्चिम बंगाल	170

(ख) और (ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन वन ग्रामों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को निधियां आबंटित की गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 11 राज्यों में 2388 वन ग्रामों को शामिल करते हुए प्रस्तावों का अनुमोदन किया और आज की तारीख तक 45924.71

लाख रुपए भी निर्मुक्त किए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत, पहुंच मार्ग, स्वास्थ्य-परिचर्या, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, वर्षाजल संग्रहण, पेयजल, स्वच्छता, समुदाय भवन आदि से संबंधित अवसंरचनात्मक कार्य और आजीविका से संबंधित कार्यकलापों का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है।

(घ) और (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय के राष्ट्रीय वनरोपण और आर्थिक विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.) ने वन ग्रामों के विकास के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच में एन.ए.ई.बी. भी सम्बद्ध है।

[हिन्दी]

फुटपाथों पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास

1147. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के महानगरों और छोटे शहरों में बड़ी संख्या में फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के संबंद में "शहरी संरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के बारे में मानव पुनर्वास संबंधी विश्वव्यापी रिप्रोट" विषय पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की किसी रिपोर्ट की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। किंतु "इन्हांसिंग अर्बन सेफटी एण्ड सिक्यूरिटी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सैटलमेंट" विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट मुख्यत: (i) शहरी सुरक्षा एवं संरक्षा: अपराध एवं हिंसा; (ii) अवधि की सुरक्षा तथा जबरन बेदखली से संरक्षण; और (iii) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से संबंधित है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए विशेष रूप से 'निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम' नामक स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के लक्षियत लाभार्थी बच्चों में निराश्रित बच्चे, विशेषकर घर एवं परिवार के बंधनों के बिना जीवन यापन कर रहे बच्चे तथा यौन कर्मियों एवं फुटपाथ पर रहने वालों के बच्चों जैसे दुर्व्यवहार एवं शोषण के शिकार होने वाले बच्चे शामिल हैं।

मंत्रालय ने 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए "समेकित बाल संरक्षण स्कीम" नाम से एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हाल ही में तैयार की है, जिसके अंतर्गत शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में ऐसे बच्चों के लिए 'अस्थायी आश्रय गृह' स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इस स्कीम का उद्देश्य इन बच्चों को आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करना और दुर्व्यवहार एवं सड़कों पर उपेक्षित जीवन से उनका संरक्षण करना भी है।

मतदाता सूची

1148. श्री रामदास आठवले: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चुनाव आयोग का विचार पंजाब, असम और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, सभी राज्यों की मतदाता सूची में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी नहीं। निर्वाचन आयोग ने पंजाब, असम और जम्मू-कश्मीर सहित सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का 1-1-2008 की अर्हक तारीख के साथ पुनरीक्षण करने के आदेश दिए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि राज्यों में विनिर्दिष्ट कार्यभार पर निर्भर होते हुए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए भिन्न-भिन्न समय सूचियां विहित की गई हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 1-1-2008 के संबंध में पुनरीक्षण के पश्चात् जनवरी, 2008 में नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 1-1-2008 के संबंध में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन की चालू प्रक्रिया के समाप्त होने के पश्चात् आरंभ किया जाएगा। चूंकि, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों में 1-1-2008 के संबंध में पुनरीक्षित की जाने वाली निर्वाचक नामावलियों में निर्वाचकों का फोटो

लगा होगा (फोटो निर्वाचक नामावली), इसलिए अंतिम प्रकाशन के लिए अंतरिम रूप से मई, 2008 को नियत किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान संबंधी योजनाएं

1149. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की प्रावधान संबंधी योजना (पी.यू.आर.ए.) के तहत कार्यान्वित की गई प्रायोजिक परियोजनाओं का कलस्टरवार निष्पादन कैसा रहा;

(ख) क्या सरकार का विचार पूरे देश में पी.यू.आर.ए. योजना की पुनर्संरचना करने और इसे कार्यान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) योजना को वर्ष 2004-05 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था। प्रायोगिक चरण मार्च, 2007 में समाप्त हो गया है। इस योजना के लिए वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में प्रत्येक वर्ष के लिए बजटीय प्रावधान 10 करोड़ रुपए का था। समूहवार रिलीज की गई निधियां और खर्च की गई धनराशि निम्नानुसार है:-

(रुपये लाख में)

समूह	वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक रिलीज की गई धनराशि	30-9-2007 तक संचयी व्यय	खर्च का प्रतिशत
रायदुर्ग (आंध्र प्रदेश)	328.80	228.80	69.58
गोहपुर (असम)	386.00	288.10	74.63
मोतीपुर (बिहार)	384.00	223.75	58.26
बासमठ (महाराष्ट्र)	427.30	171.37	40.10
कुजंगा (उड़ीसा)	545.00	328.15	60.21
शाहपुरा (राजस्थान)	401.00	220.86	55.07
भरथाना (उत्तर प्रदेश)	527.90	428.97	81.25
कुल	3000.00	1890.00	63.00

प्रायोगिक चरण के अंतर्गत निधियां, सड़कों के निर्माण, बाजार तक पहुंच, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए आम सुविधा केंद्र जैसे क्रियाकलापों के लिए रिलीज की गई थी।

(ख) और (ग) जी, हां। इस संबंध में व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) के लिए प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है।

एन.आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत भूतल का निर्माण

1150. श्री एस. राजगोपाल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवासीय कार्यक्रमों के लिए भूतल के निर्माण कार्य की राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के अन्तर्गत अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को विभिन्न राज्यों में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी नहीं। एन.आर.ई.जी.ए. के मौजूदा प्रावधानों के अन्तर्गत मकान निर्माण संबंधी क्रियाकलापों की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से आंध्र प्रदेश में कमजोर वर्गों के लिए आवासीय कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि को समतल करने तथा बेसमेंट के निर्माण का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके लिए एन.आर.ई.जी.ए. का प्रयोग किया जायेगा।

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इस अधिनियम की अनुसूची-I के अंतर्गत बेसमेंट का निर्माण स्वीकृत नहीं है।

[हिन्दी]

अनाथ बच्चों की देखभाल

1151. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न अनाथालयों/बालागृहों और अन्य बाल केन्द्रों में रहने वाले बच्चों की देखभाल करने और मानव अधिकारों के संरक्षण/निगरानी के लिए कोई प्रणाली मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो इससे जुड़ी एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निगरानी एजेंसियों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संबंध में सर्वप्रमुख कानून है। इस अधिनियम में इन बच्चों के सर्वोत्तम हित में तथा इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इनके पूर्ण पुनर्वास के लिए इनके मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटान में इनके अनुकूल दृष्टिकोण अपना कर इनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, इनकी समुचित देखरेख, संरक्षण एवं उपचार के उपबंध किए गए हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत तैयार की गई मॉडल नियमावली में बाल गृहों, आश्रय गृहों इत्यादि की स्थापना का उपबंध किए गए हैं और इन गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए भौतिक अवसंरचना एवं सुविधाओं का ब्यौरा भी दिया गया है।

राज्य सरकारें इस मॉडल नियमावली के नियम 29 के अंतर्गत गठित राज्य, जिला या नगर स्तरीय निरीक्षण दलों के माध्यम से इन गृहों के दैनिक कामकाज की समीक्षा व मॉनीटरन करती हैं।

(ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह सूचना रखता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कार्यकलापों की आउट सोर्सिंग

1152. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य बैंकिंग कार्यकलापों को आउटसोर्स करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक वित्तीय अन्तर्वेशन एवं बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 25 जनवरी, 2006 को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनके द्वारा बैंकों को व्यवसाय सुविधा दाताओं एवं व्यवसाय सम्पर्कियों का प्रयोग करके वित्तीय एवं बैंकिंग

सेवाएं प्रदान करने में मध्यवर्तियों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों/स्व-सहायता समूहों (एन.जी.ओ./एस.एच.जी.), व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एम.एफ.आई.) तथा अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों (सी.एस.ओ.) की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

"व्यवसाय सुविधादाता" मॉडल के तहत, बैंक निम्नलिखित सुविधा सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यवर्तियों का प्रयोग कर सकते हैं:

(i) उधारकर्ताओं की पहचान तथा क्रियाकलापों की उपयुक्तता;

(ii) ऋण आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा उन पर प्रारंभिक कार्यवाही करना, जिनमें प्राथमिक जानकारी/आंकड़ों का सत्यापन करना शामिल है;

(iii) बचत एवं अन्य उत्पादों के बारे में जागरुकता पैदा करना तथा मुद्रा प्रबंधन की शिक्षा एवं सलाह देना और ऋण के संबंध में परामर्श देना;

(iv) आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करना तथा उन्हें बैंकों को भेजना;

(v) स्व-सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों (जे.एल.जी.) का संवर्धन एवं विकास करना;

(vi) मंजूरी-पश्चात निगरानी करना;

(vii) स्व-सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों/अन्यों की निगरानी तथा उनकी सहायता करना; और

(viii) वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।

व्यवसाय प्रदाता मॉडल के तहत सूचीबद्ध क्रियाकलापों के अतिरिक्त, "व्यवसाय सम्पर्की" मॉडल के तहत नियुक्त "सम्पर्की" निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं :-

(i) कम मूल्य के ऋणों का संवितरण;

(ii) मूलधन की वसूली/ब्याज की वसूली;

(iii) कम मूल्य की जमाराशि की प्राप्ति;

(iv) व्यष्टि बीमा/म्यूच्युअल फंड उत्पादों/तृतीय पक्ष की अन्य सेवाएं प्रदान करना; तथा

(v) कम मूल्य की प्रेषित राशि/अन्य भुगतान लिखतों की प्राप्ति एवं सुपुर्दगी।

[हिन्दी]

वन अधिकार अधिनियम

1153. श्री सुभाष महरिया: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जनजातीय लोगों के साथ वन भूमि को खाली कराए जाने के नाम पर अत्याचार किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय को गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों के वन-विभाग द्वारा जनजातियों एवं वन निवासियों को उस वन-भूमि से, जहां उनके द्वारा 13-12-2005 से पूर्व खेती की जा रही थी, बेदखल किए जाने की एक शिकायत प्राप्त हुई है। चूंकि शिकायत राज्य वन विभागों की कार्रवाई के विरुद्ध थी, इसलिए इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि उसने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जनजातियों को वन-भूमि से तब तक बेदखल न करें, जब तक उनके अधिकारों का सत्यापन न हो जाए। राजस्थान और गुजरात सरकार ने उत्तर दिया है कि वे जनजातियों को बेदखल नहीं कर रहे हैं और उनके विरुद्ध कोई अत्याचार भी नहीं कर रहे हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय को वन भूमि से बेदखली के नाम पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जनजातियों पर अत्याचार किए जाने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों का कोर नेटवर्क

1154. श्री रशीद मसूद:
श्री पी.सी. थामस:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत निर्माण की जा रही सड़कों की चौड़ाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत सड़कों का कोर नेटवर्क और प्राथमिकता क्रम तैयार करने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ऐसी सूची में अनेक ग्रामीण सड़कों को शामिल न किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत बनाई गई ग्रामीण सड़कों को आई.आर.सी. के ग्रामीण सड़क नियमावली (आई.आर.सी. : एस.पी. 20 : 2002) (आई.आर.सी.) और जहां आवश्यक हो, पर्वतीय सड़क नियमावली में दिए गए ज्यामितीय डिजाइन मानकों के अनुरूप होना चाहिए। आई.आर.सी. : एस.पी. 20 : 2002 के अनुसार ग्रामीण सड़कों (ओ.डी.आर. और वी.आर.) के लिए अनुशंसित सड़क चौड़ाई 3.75 मीटर है और जहां यातायात सघन है, इसे 3.0 मीटर तक सीमित रखा जा सकता है।

(ख) से (च) जी, हां। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में सड़कों का कोर नेटवर्क तथा वरीयता क्रम तैयार करने की व्यवस्था की गई है। अनुपालन की जाने वाली क्रियाविधि का परिचालन नियमावली में व्याख्या की गई है। दोनों दस्तावेज वेबसाइट www.Pmgsy.nic.in पर उपलब्ध हैं। कोर नेटवर्क तथा वरीयताक्रम दोनों को राज्यों द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जाता है जिसे जिला पंचायतों तथा राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों पर पंचायत से लेकर संसद तक जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने की व्यवस्था की गई है। किसी राज्य के कोर नेटवर्क में ग्रामीण सड़क को शामिल करने के लिए सुझाव संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाता है ताकि उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे अक्तूबर, 2004 और अक्तूबर, 2005 के दौरान ब्लॉक स्तरीय कोर नेटवर्क आंकड़े तैयार करें।

जाली प्रमाणपत्र से रोजगार पाना

1155. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि कुछ लोगों ने जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके बैंकों में रोजगार पाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या न्यायालय में भी ऐसे मामले लंबित हैं; और

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (छ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	बैंक का नाम	राज्य का नाम	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके जाति प्रमाण-पत्र जाली पाए गए	न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या	जाली जाति प्रमाण-पत्र के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	महाराष्ट्र एवं गुजरात	3	–	–

1	2	3	4	5	6
2.	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्र प्रदेश	34	3	31
		उड़ीसा	2	–	2
		बिहार	1	–	1
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	मध्य प्रदेश	01	–	–
		छत्तीसगढ़	01	–	–
		आन्ध्र प्रदेश	–	–	–
		तमिलनाडु	09	–	22
		मध्य प्रदेश	–	–	1
		कर्नाटक	–	–	2
4.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	15	15	–
5.	केनरा बैंक	कर्नाटक	10	3	40
		तमिलनाडु	22	09	8
		आन्ध्र प्रदेश	01	01	–
		केरल	02	02	1
		महाराष्ट्र	03	03	–
		पश्चिम बंगाल	–	–	02
		पंजाब एवं हरियाणा	–	–	01
6.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	आन्ध्र प्रदेश	–	01	–
		छत्तीसगढ़	–	01	–
		दिल्ली	–	01	–
		केरल	03	10	–
		मध्य प्रदेश	02	01	–
		महाराष्ट्र	24	25	–
		तमिलनाडु	04	15	–
7.	कार्पोरेशन बैंक	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
8.	देना बैंक	तमिलनाडु	4	2	1
		महाराष्ट्र	1	1	–
		कर्नाटक	1	–	1
		छत्तीसगढ़	1	1	1
9.	इंडियन बैंक	आन्ध्र प्रदेश	1	1	–
		कर्नाटक	1	–	–
		केरल	1	1	–
		तमिलनाडु	15	22	–
10.	इंडियन ओवरसीज बैंक	तमिलनाडु	120	16	1
		आन्ध्र प्रदेश	5	1	–
		केरल	3	2	1
		महाराष्ट्र	1	–	–
11.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	तमिलनाडु	1	–	1
		पांडिचेरी	1	–	–
		आन्ध्र प्रदेश	1	–	–
		महाराष्ट्र	1	1	–
		केरल	–	1	–
12.	पंजाब नैशनल बैंक	मध्य प्रदेश	1	–	1
		उत्तर प्रदेश	2	1	2
		केरल	1	1	–
		महाराष्ट्र	1	3	–
		दिल्ली	–	1	–
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	–	–	–	–
14.	सिंडिकेट बैंक	आन्ध्र प्रदेश	6	5	1
		कर्नाटक	3	3	–
		केरल	2	2	–

1	2	3	4	5	6
		महाराष्ट्र	26	26	–
15.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	तमिलनाडु	10	9	2
		केरल	2	2	–
		कर्नाटक	3	3	–
		महाराष्ट्र	7	7	2
		आन्ध्र प्रदेश	1	1	–
16.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	–	–	–	–
17.	यूको बैंक	तमिलनाडु	28	17	28
		झारखण्ड	1	–	1
18.	विजया बैंक	तमिलनाडु	1	1	1
19.	भारतीय स्टेट बैंक	पश्चिम बंगाल	1	1	1
		महाराष्ट्र	12	7	7
		तमिलनाडु	126	49	49
		मध्य प्रदेश	13	4	4
		उड़ीसा	2	–	–
		कर्नाटक	4	–	–
		केरल	4	4	4
		आन्ध्र प्रदेश	16	9	9
20.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	–	–	–	–
21.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	कर्नाटक	6	6	4
22.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	मध्य प्रदेश	2	2	–
23.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कर्नाटक	14	14	14
		आन्ध्र प्रदेश	1	1	1
		तमिलनाडु	1	1	1
24.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
25.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	केरल	9	8	–
		तमिलनाडु	5	5	–
26.	आई.डी.बी.आई.	महाराष्ट्र	2	2	1
27.	नाबार्ड	महाराष्ट्र	65	13	13
28.	एक्जिम बैंक	–	–	–	–
29.	एन.एच.बी.	–	–	–	–
30.	सिडबी	–	–	–	–
31.	भारतीय रिजर्व बैंक	कर्नाटक	12	–	–
		मध्य प्रदेश	4	4	–
		तमिलनाडु	13	4	–
		महाराष्ट्र	16	–	16
		केरल	2	–	–
32.	बैंक ऑफ इंडिया	महाराष्ट्र	24	4	3
		मध्य प्रदेश		2	–
		तमिलनाडु		1	–
		केरल		1	–
35	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	–	–	–	–
	सकल जोड़		744	363	282

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना

1158. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जनजातीय समुदाय में बंजारों और विमुक्त घुमंतु जनजातियों को शामिल किए जाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) अनुसूचित जनजाति की राज्य सूची में बंजारा समुदाय को शामिल किए जाने से संबंधित प्रस्ताव छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से प्राप्त हुए हैं। इन पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के विनिर्देशन से संबंधित समावेशन, निष्कासन

और अन्य संशोधन के दावों का निर्णय करने के लिए जून, 1999 में अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार कार्रवाई की गई है। अनुसूचित जनजातियों की सूची में स्वत: अनअधिसूचित खानाबदोश जनजातियों के समावेशन के लिए किसी राज्य से इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

1157. **श्री पून्नूलाल मोहले:**
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री प्रकाश बी. जाधव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का योजनावार/राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के दिशानिर्देशों में परिवर्तनों के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को राज्य सरकारों को पनधारा लक्ष्यों को स्थानीय स्थितियों के अनुसार जिला स्तर पर पुन:निर्धारित करने के लिए कोई अनुरोध मिला है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या इन परियोजनाओं का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी प्रणाली है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ज) भूमि संसाधन विभाग क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, अर्थात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को 'हरियाली' मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत नई परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों को प्रत्येक वर्ष मार्गदर्शी सिद्धांतों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। वाटरशेड प्रबंधन के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांतों का इस मंत्रालय द्वारा प्रारूप तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 के दौरान राज्यों से कोई नए प्रस्ताव नहीं मंगवाए हैं। मंत्रालय को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला स्तर पर वाटरशेड लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित करने के संबंध में राज्य सरकारों से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के कार्य निष्पादन की तिमाही रिपोर्टों, वेब आधारित ऑन लाइन निगरानी प्रणाली और नियमित कार्य निष्पादन समीक्षा समिति की समय-समय पर होने वाली बैठकों के जरिए नियमित आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यय परियोजना की वास्तविक उपलब्धियों के समनुरूप है, उपयोग प्रमाण-पत्र के प्रोफार्मा को भी संशोधित किया गया है।

निर्यातकों को कर संबंधी प्रोत्साहन

1158. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निर्यातकों को दिए गए कर संबंधी प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा कितना राजस्व घाटा उठाया गया;

(ग) क्या सरकार की निर्यातकों को और प्रोत्साहन/राहत देने की कोई योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जहां तक प्रत्यक्ष करों को संबंध है, आयकर अधिनियम के तहत निर्यातकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये जाते हैं:-

(i) आयकर अधिनियम की धारा 10 क के अंतर्गत प्रारंभिक

दस निर्धारण वर्षों के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनीकी पार्क अथवा साफ्टवेयर तकनीकी पार्क में नव-स्थापित उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न सामान, अथवा वस्तु अथवा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से मुनाफे पर 100% कर लाभ;

(ii) धारा 10 क क के तहत प्रारंभिक 15 निर्धारण वर्षों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नव-स्थापित उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न सामान अथवा सेवा के निर्यात से मुनाफे पर कर लाभ;

(iii) आयकर अधिनियम की धारा 10 ख के तहत प्रारंभिक दस निर्धारण वर्षों के लिए शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी नव स्थापित उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न सामान अथवा वस्तु अथवा कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से मुनाफे पर 100% कर लाभ; और

(iv) आयकर अधिनियम की धारा 10 ख क के तहत एक नव स्थापित उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न पात्र सामान अथवा वस्तुओं के निर्यात पर 100% कर लाभ।

पिछले तीन वर्षों में प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहनों के कारण सरकार को कॉरपोरेट कर दाताओं पर हुई राजस्व हानि की मात्रा का अनुमान इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	राजस्व हानि
2004-05	10,740 करोड़ रु.
2005-06	8,658 करोड़ रु.
2006-07	12,524 करोड़ रु.

जहां तक अप्रत्यक्ष कर का संबंध है, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत कर प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यातकों को अर्जित विदेशी मुद्रा अथवा निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के आधार पर शुल्क मुक्त स्क्रिपों के रूप में वास्तविक प्रोत्साहन/प्रतिफल प्रदान किये जाते हैं। ये योजनाएं शुल्क माफी एवं शुल्क छूट योजनाओं में परिकल्पित शुल्क तटस्थीकरण के अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। पिछले तीन वर्षों में पुरस्कार योजनाओं के तहत छोड़ा गया शुल्क निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना का नाम	2004-05 में छोड़ा गया कुल शुल्क	2005-06 में छोड़ा गया कुल शुल्क	2006-07 में छोड़ा गया कुल शुल्क
1.	टारगेट प्लस स्कीम	0.00	653.29*	2619.16*
2.	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	0.00	92.45*	547.98*
3.	सर्वड फ्राम इंडिया स्कीम	0.00	177.71*	443.54*
4.	डी.एफ.सी.ई.सी. स्कीम	184.92	645.92*	1416.00*
5.	फोकस मार्किट स्कीम	0.00	0.00	0.00
6.	फोकस प्रोडक्ट स्कीम	0.00	0.00	0.00

*आंकड़ों में नई दिल्ली (सी.एक्स.), रांची (सी.एक्स.) एवं विशाखापत्तनम (सी.एक्स.) के तीन क्षेत्रीय मुख्य आयुक्तालयों के विवरण शामिल नहीं हैं।

सरकार निर्यातोन्मुखी इकाइयों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) की योजनाओं का भी प्रशासन करती है जो कि ज्यादातर शुल्क निष्प्रभावी करने वाली योजनाएं हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों/निर्यातोन्मुखी इकाइयों में आयातित अथवा स्थानीय रूप से प्राप्त सामान पर सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क में छूट है। इनकी प्रकृति प्रोत्साहन योजनाओं के सामान नहीं है। पिछले तीन वर्षों में छोड़ा गया शुल्क निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

	निर्यातोन्मुखी इकाइयों/ई.एच.टी.पी./एस.टी.पी.		विशेष आर्थिक क्षेत्र	
	सीमा शुल्क	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सीमा शुल्क	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
2004-05	7402.23	2078.18	1057.12	20.19
2005-06	8192.14	1858.96	1631.99	31.09
2006-07	10930.54	3308.44	2015.91	177.59
कुल	26524.91	7245.58	4705.02	288.87

(ग) निर्यातकों को और प्रोत्साहन/राहत देने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पारेषण और वितरण संबंधी घाटा

1159. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में देश में विद्युत पारेषण और वितरण घाटे का प्रतिशत पड़ोसी देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो देश में विद्युत के पारेषण और वितरण घाटे के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) विद्युत घाटे के प्रतिशत को कम करने में क्या बाधाएं हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) पावर फाइनैन्स कॉरपोरेशन द्वारा तैयार रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य विद्युत यूटिलिटियों की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि 34.54% थी। पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय परिस्थितियों में अपरिहार्य तकनीकी हानि लगभग 10-15% है। कुछ पड़ोसी देशों में पारेषण एवं वितरण हानियां (जो वर्ष 2003 के लिए उपलब्ध है) नीचे बताई गई हैं:

क्र. सं.	देश का नाम	पारेषण एवं वितरण हानियां (%)
1.	पाकिस्तान	25
2.	बांग्लादेश	12
3.	चीन	6
4.	नेपाल	19

स्रोत: विश्व बैंक प्रकाशन, 2006 तक को विश्व विकास सूचक

(ग) हानियों के मुख्य कारणों में मौजूदा लाइनों तथा उप-केन्द्र उपस्करों की ओवरलोडिंग, पुराना एवं अप्रचलित नेटवर्क, एच.टी: एल.टी. का कम अनुपात, उपस्करों की खराब मरम्मत एवं अनुरक्षण, पर्याप्त कैपेसिटरों की संस्थापना नहीं होना, खराब, अकुशल एवं असंतोषजनक गुणवत्ता वाले वितरण ट्रांसफार्मर, उपभोक्ता के स्तर पर उपकरणों को अपर्याप्त विद्युत घटक जैसे तकनीकी कारण तथा खराब मीटर, चोरी एवं दुरूपयोग, मीटरों से छेड़छाड़, कर्मचारियों में दायित्वबोध का अभाव, असंतोषजनक मीटरिंग एवं बिलिंग, बकायों की वसूली नहीं होने जैसे वाणिज्यिक कारण शामिल हैं।

लिंग अनुपात में कमी

1160. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में लिंग अनुपात में हो रही कमी को रोकने हेतु प्रमुख नीतिगत पहल करने का है जैसाकि दिनांक 3 नवंबर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उपायों की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) बालिकाओं के लिए बीमा सुरक्षा सहित सशर्त नकदी हस्तांतरण स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में वार्षिक योजना 2007-08 में शामिल की गई है तथा बालिका के जन्म पंजीकरण, प्रतिरक्षण, स्कूली शिक्षा जारी रखने तथा अट्ठारह वर्ष की आयु होने के पश्चात् ही उसके विवाह की चार महत्वपूर्ण शर्तें पूरी होने पर उसके परिवार को इस स्कीम के अंतर्गत नकद राशि प्रदान की जाएगी। उक्त स्कीम के अनुमोदनार्थ क्रियाविधि संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत कुटीर ज्योति योजना

1161. श्री महावीर भगोरा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत राजस्थान में कुटीर ज्योति योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितने परिवारों को सम्मिलित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने शेष परिवारों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने में शिथिलता पाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सभी शेष परिवारों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस समय वे राज्य में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत कुटीर ज्योति योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जनजातीय कस्बे का विकास

1162. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने गत तीन वर्षों के दौरान शहरों विशेषकर जनजातीय कस्बों के समेकित विकास के संबंध में परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं को स्वीकार और अस्वीकार किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों से जनजातीय कस्बों के समेकित विकास के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार विदेशी विकास एजेंसियों के माध्यम से गुजरात के जनजातीय कस्बों के विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिलासपुर विद्युत परियोजना हेतु कंपोनेंट का आयात

1163. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिलासपुर में संयंत्र हेतु रूस से आयातित 1980 मेगावाट एन.टी.पी.सी. विद्युत परियोजना का 370 क्रिटिकल कंपोनेंट की खेप नई दिल्ली में फंसी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कंपोनेंट की खेप कितने समय से फंसी हुई है; और

(ग) इसके कारण परियोजना के कार्यान्वयन में कितना विलंब हुआ है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के निकट सीपत स्थित 1980 मेगावाट के सीपत चरण-1 सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को क्रियान्वित कर रहा है। इसके टरबाईन जेनरेटर तथा सहायक पैकेजों के कलपुर्जों को रूस से मंगाया जाता है। इस संयंत्र के लिए नई दिल्ली में कोई भी पैकेज नहीं रखा है। यद्यपि, परियोजना के यूनिट-1 के लिए जेनरेटर का स्टेटर, जिसका वजन लगभग 370 मैट्रिक टन है, वह मई, 2007 से महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास कसारा घाट में रखी हुई है। यह स्टेटर दिसंबर, 2007 के पहले सप्ताह तक वहां से हटा लिए जाने की आशा है।

(ग) एन.टी.पी.सी. ने अनुरोध किया है कि चूंकि जेनरेटर की आपूर्ति एवं परिवहन का कार्य शोचनीय हालत में नहीं है, इस कारण इससे परियोजना क्रियान्वयन में विलंब होने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

निठारी कांड

1164. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निठारी कांड के पश्चात राज्यों से लापता बच्चों के संबंध में सूचना मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके बाद क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) जी, हां। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, पंजाब, मेघालय, हरियाणा, तमिलनाडु, गोवा राज्यों और अण्डमान एवं निकोबार तथा दादर व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हुई है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए "समेकित बाल संरक्षण स्कीम" नाम से एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तैयार की है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कारणों से अपने घरों से भाग आए या गुम हुए बच्चों के विषय में 'गुमशुदा बच्चों संबंधी राष्ट्रीय वेबसाइट' स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इस स्कीम के कार्यान्वयन तंत्र का मुख्यालय राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान में होगा और यह मुख्यालय राज्य बाल संरक्षण इकाइयों एवं जिला बाल संरक्षण इकाइयों से संबद्ध होगा।

शहरी गरीबों हेतु आवास इकाइयां

1165. श्री रामदास आठवले: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शहरी गरीबों को सौंपी गई आवास इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शहरी गरीबों हेतु राज्य-वार कितनी आवास इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शहरी गरीबों के लिए निर्मित और उन्हें सौंपी गई आवास इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) आवास राज्यों का विषय है तथा राज्य सरकारें शहरी निर्धनों के लिए आवास संबंधी परियोजनाएं शुरू करती हैं। शहरी निर्धन लाभार्थियों के लिए मकानों के निर्माण और इन मकानों को उन्हें सौंपने से संबंधित सूचना राज्य सरकारों द्वारा रखी जाती है। तथापि भारत सरकार द्वारा 2001 में शुरू की गई वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकानों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाती थी। अब वाम्बे योजना को भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) में मिला

दिया गया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत 63 चयनित शहरों को शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा संबंधी उपमिशन (बी.एस.यू.पी.) के तहत तथा अन्य शहरों/कस्बों को एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के तहत शहरी निर्धनों के लिए मकानों के निर्माण व बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार वाम्बे के अंतर्गत निर्मित व पूरे किए गए मकानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत रिहायशी इकाइयों और इस प्रयोजनार्थ नियत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) - राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
		आवास पूर्ण	आवास पूर्ण	आवास पूर्ण	आवास पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	12545	8959	0	0
2.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	0	0		0
5.	बिहार	0	0	0	0
6.	चण्डीगढ़	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	3140	0	0
8.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और द्वीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	0	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0
12.	गुजरात	216	500	0	0
13.	हरियाणा	0	0	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
15.	जम्मू-कश्मीर	210	178	0	0
16.	झारखण्ड	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	0	1593	0	0
18.	केरल	1000	4221	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	400	200	0	0
21.	महाराष्ट्र	29323	6550	0	0
22.	मणिपुर	0	393	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0
25.	नागालैण्ड	0	505	0	0
26.	उड़ीसा	60	0	0	0
27	पांण्डिचेरी	555	0	0	0
28	पंजाब	0	0	0	0
29.	राजस्थान	200	44	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	34067	23128	10006	0
32.	त्रिपुरा	0	86	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	218	0	0	0
34.	उत्तरांचल	0	0	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	253	252	0	0
	कुल	79047	49749	10006	0

विवरण-II

जे.एन.एन.यू.आर.एस.

शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-II)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08		2005 से 2012 में
		अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	योजना आयोग द्वारा नियत एसीए (करोड़ रु. में)	योजना आयोग द्वारा नियत एसीए (करोड़ रु. (में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश		49000	30320	0	95.50	868.46
2.	अरुणाचल प्रदेश		0	0	100	0.28	2.57
3.	असम		0	0	0	12.31	111.94
4.	बिहार		0	0	5268	54.60	496.54
5.	छत्तीसगढ़		0	27976	0	4.88	44.36
6.	चण्डीगढ़		0	25728	0	10.47	95.20
7.	दिल्ली		0	0	27980	160.14	1456.28
8.	गोवा		0	0	–	0.16	1.43
9.	गुजरात		0	72368	11736	95.18	865.56
10.	हरियाणा		0	3248	0	3.55	32.31
11.	हिमाचल प्रदेश		0	252	0	2.34	21.29
12.	जम्मू-कश्मीर		0	0	0	10.55	95.96
13.	झारखण्ड		0	0	0	32.01	291.09
14.	कर्नाटक		0	14511	4184	39.84	362.28
15.	केरल	शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किया गया था	0	4748	0	23.64	215.00
16.	मध्य प्रदेश		5764	26205	1320	29.26	266.10
17.	महाराष्ट्र		0	100578	13250	359.86	3272.56
18.	मणिपुर		0	0	0	1.30	11.83

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	मेघालय		0	0	300	2.61	23.70
20.	मिजोरम		0	0	0	3.04	27.63
21.	नागालैण्ड		0	3504	0	0.65	5.89
22.	उड़ीसा		0	0	133	6.46	58.74
23.	पांडिचेरी		0	0	1136	8.05	73.20
24.	पंजाब		0	0	5152	43.38	394.46
25.	राजस्थान		0	17337	0	38.32	348.45
26.	सिक्किम		0	0	0	0.29	2.66
	तमिलनाडु		0	44021	0	113.57	1032.80
28.	त्रिपुरा		0	0	256	1.50	13.66
29.	उत्तर प्रदेश		0	4680	14896	110.54	1005.27
30.	उत्तरांचल		0	0	0	7.46	67.84
31.	पश्चिम बंगाल		0	60312	6668	229.27	2084.98
	कुल		54764	435788	92379	1501	13650

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2007-08	2005 से 2012 में
		अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	योजना आयोग द्वारा नियत एसीए (करोड़ रु. में)	योजना आयोग द्वारा नियत एसीए (करोड़ रु. (में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश			25170	4087	63.83	579.71
2.	अरुणाचल प्रदेश			0	0	0.50	4.52
3.	असम			613	4780	5.20	47.25

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार			4167	2333	15.42	140.06
5.	छत्तीसगढ़			14846	0	7.54	68.44
6.	गोवा			0	0	1.74	15.79
7.	गुजरात			6200	7943	23.51	213.54
8.	हरियाणा			14641	0	14.65	133.05
9.	हिमाचल प्रदेश		0	0	0	1.78	16.19
10.	जम्मू-कश्मीर		0	0	2654	8.83	80.22
11.	झारखण्ड		0	0	0	12.48	113.33
12.	कर्नाटक		0	4070	6224	15.12	137.34
13.	केरल		0	5985	3497	18.24	165.69
14.	मध्य प्रदेश	एकीकृत आवास एवं	0	14644	947	25.38	230.53
15.	महाराष्ट्र	स्लम विकास कार्यक्रम	0	13036	6703	53.39	484.82
16.	मणिपुर	(आई.एच.एस.डी.पी.)	0	0	0	1.36	12.35
17.	मेघालय	3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किया गया था	0	0	0	0.99	8.97
18.	मिजोरम		0	0	0	0.84	7.65
19.	नागालैण्ड		0	2496	0	0.75	6.79
20.	उड़ीसा		0	0	0	15.51	140.85
21.	पंजाब		0	0	1627	15.83	143.80
22.	राजस्थान		136	10759	1914	38.96	353.80
23.	सिक्किम		0	0	0	0.10	0.90
24.	तमिलनाडु		0	12934	5184	32.06	291.15
25.	त्रिपुरा		0	0	0	0.92	8.36
26.	उत्तर प्रदेश		0	2032	0	78.40	712.01
27.	उत्तरांचल		0	0	0	4.80	43.58
28.	पश्चिम बंगाल		0	12824	4372	29.90	271.51

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दिल्ली		0	0	0	0.00	0.00
30.	पांडिचेरी		0	0	0	0.77	6.95
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		0	0	0	0.80	7.29
32.	चंडीगढ़		0	0	0	0.00	0.00
33.	दादरा और नगर हवेली		0	0	0	0.06	0.56
34.	लक्षद्वीप		0	0	0	0.11	1.03
35.	दमन और द्वीव		0	0	0	0.22	1.98
	कुल		136	144417	52265	490	4450

[अनुवाद]

डी.डी.ए. में निदेशक की नियुक्ति

1166. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) में निदेशक के पद की नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में जी.एन.सी.टी.डी. में डी.डी.ए. में निदेशकों की भर्ती के लिए कोई अधिसूचना अधिसूचित की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या जी.एन.सी.टी.डी. का भूमि एवं भवन निर्माण विभाग इस संबंध में राजपत्रीय अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस संबंध में सरकार को किसी अनियमितता का पता चला है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2006 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह सलाह दी थी कि डी.डी.ए. में प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने वाले निदेशक के पद के लिए भर्ती नियम इस प्रकार तैयार किए जाएं:-

"केन्द्र/राज्य सरकार में सदृश पद वाले अधिकारी अथवा 10,000-15200/- रुपये के वेतनमान में 5 वर्षों की सेवा वाले अधिकारी"।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ). से (छ) डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया है कि उपर्युक्त (घ) में उल्लिखित अनियमितता नोट कर ली गई थी। शहरी विकास मंत्रालय ने भर्ती नियमों में संशोधन करने तथा उन्हें मंत्रालय को अनुमोदन हेतु भेजने के लिए डी.डी.ए. को वर्ष 2006 मे सलाह दी है।

विदेशी मुद्रा भंडार

1167. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य 264.7 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ख) और (ग) पछले तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मिलियन अमरीकी डालर) निम्न अवधि के अंत में

मद	2004-05	2005-06	2006-07
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	135,571	145,108	191,924
स्वर्ण	4,500	5,755	6,784
विशेष आहरण अधिकार	5	3	2
आई.एम.एफ. में आरक्षित ट्रांश स्थिति	1438	756	469
कुल	141,514	151,622	199,179

जेन्डर बजटिंग

.168. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों में "जेन्डर बजटिंग" के संदेश को आगे बढ़ाने हेतु प्रशिक्षकों के एक पूल को प्रशिक्षण देने के लिए एक जेन्डर बजटिंग मैन्यूअल का विकास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त मैन्यूअल को कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के जेण्डर बजटिंग प्रकोष्ठों के प्रयोग हेतु एक पुस्तिका तैयार की है, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जेण्डर बजटिंग को शामिल कर सकें। इसके आलावा, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों में जेण्डर बजटिंग के प्रशिक्षण के प्रयोजनों हेतु प्रशिक्षकों के लिए एक जेण्डर बजटिंग नियमावली भी तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

बैंकों में भ्रष्टाचार

1169. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी.वी.सी. द्वारा पता लगाए गए भ्रष्टाचार के मामलों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये मामले किस क्षेत्र से संबंधित हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि आयोग का अपना कोई जांच स्कन्ध नहीं है। यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सी.वी.ओ.) से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर सलाह देता है। जब भी यह पाया जाता है कि प्रणालीगत असफलताओं के कारण, बैंक कर्मचारियों की ओर से अनियमितताएं अथवा अनुचित कार्य हुआ है, आयोग ऐसी कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करता है। वर्ष 2005, 2006 तथा 2007 (अक्तूबर तक) के दौरान, आयोग ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के क्रमश: 189, 227 तथा

216 अधिकारियों के विरुद्ध बड़ा दण्ड लगाने संबंधी कार्यवाहियां शुरू करने की सलाह दी थी। इसी अवधि के दौरान आयोग ने क्रमशः 76, 108 तथा 122 अधिकारियों के विरुद्ध छोटा दण्ड लगाने संबंधी कार्यवाहियां शुरू करने की सिफारिश की थी। बैंकों द्वारा सूचित किए गए अधिकांश सतर्कता मामले ऋण एवं अग्रिम से संबंधित है।

(ग) प्रत्येक बैंक का एक सतर्कता विभाग होता है जिसका अध्यक्ष बैंक के बाहर से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है। संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई स्थापित आचरण और अनुशासन नियमावली के अनुसार की जाती है।

[अनुवाद]

बैंकों का विलय/बंद किया जाना

1170. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों का सम्मिश्रण करने/उन्हें बंद करने का कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का अपने साथ विलय करने का प्रस्ताव सरकार की मंजूरी हेतु भेजा है।

[हिन्दी]

अनाथ बच्चों की संख्या

1171. श्री रशीद मसूद: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में देश में अनाथों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अनाथ लड़कियों की संख्या अनाथ लड़कों से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अनाथों को गोद लेने को सुगम बनाने के लिए गोद लेने संबंधी कानूनों को सरल बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे कानूनों की कब तक पुनर्रचना करने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में अनाथ बच्चों की संख्या से संबंधित सूचना नहीं रखता है।

(ङ) और (च) देश के भीतर दत्तक-ग्रहण तथा देश के बाहर दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रक्रिया क्रमशः "देश के भीतर दत्तक ग्रहण हेतु दिशा-निर्देश, 2004" तथा "भारत से दत्तक ग्रहण हेतु दिशा-निर्देश, 2006" में दी गई है। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाने के लिए पहले वाले दिशा-निर्देशों के स्थान पर ये दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। तथापि, इन दिशा-निर्देशों को और अधिक कारगर तथा बालानुकूल बनाने के लिए इनकी नियमित समीक्षा की जाती है। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए मॉडल नियम, 2007 में भी बालानुकूल एवं सरल दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की अपेक्षा की गई है।

आदिम जनजातीय समूहों के कल्याण हेतु धनराशि

1172. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश की आदिम जनजातियों के कल्याण हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आदिम जनजातियों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनका वर्तमान जीवन स्तर कैसा है; और

(घ) उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. खिन्डिया): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही "आदिम जनजातीय समूहों का विकास" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

हेतु वर्ष 2007-08 के लिए आबंटित निधि 40.00 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) अन्य अनुसूचित जनजातियों की तुलना में आदिम जनजातीय समूहों का जीवन स्तर सामान्यतः निम्नतर होता है। उपर्युक्त आदिम जनजातीय समूहों का विकास योजना के अंतर्गत किए जाने वाले हस्तक्षेपों में गृह निर्माण, भूमि वितरण, आय सृजन, स्वास्थ्य परिचर्या, शिक्षा अवसंरचना, सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि जैसी गतिविधियां शामिल हैं। कस्बा तथा निवास स्थानों के विकास पर विशेष बल प्रदान करते हुए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आदिम जनजातीय समूहों के कारण और विकास से संबंधित व्यापक 5-वर्षीय संरक्षण-एवं-विकास योजनाएं मंत्रालय को ग्यारहवीं योजना के प्रारंभ में ही प्राप्त हो गई हैं।

[अनुवाद]

विधि प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

1173. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विधि प्रणाली को सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की देश के सभी न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र, सस्ता और सारवान् न्याय उपलब्ध कराने के लिए राज्य सभा में 15 मई, 2007 को ग्राम न्यायालय विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया गया है। उक्त विधेयक को, उसकी समीक्षा के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया था। उक्त समिति ने 6 सितंबर, 2007 को राज्य सभा में ग्राम न्यायालय विधेयक, 2007 संबंधी अपनी बाईसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा उसे 6 सितंबर, 2007 को लोक सभा के पटल पर भी रखा। उक्त स्थायी समिति ने ग्राम न्यायालय विधेयक, 2007 के विभिन्न उपबंधों पर अनेक सिफारिशें की। उक्त समिति की सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है। सरकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सभा में उक्त विधेयक के संबंध में आगे कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने देश के सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए तथा साथ ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) अवसंरचना की प्रोन्नति के लिए फरवरी, 2007 में 442 करोड़ रुपए की लागत वाली एक स्कीम का अनुमोदन किया है। इस स्कीम का उद्देश्य 2 वर्ष की अवधि में देश के सभी न्यायालयों में उचित आई.सी.टी. अवसंरचना उपलब्ध कराना है, जिससे कि सभी न्यायालय प्रचालनों के कंप्यूटरीकरण को समर्थ बनाया जा सके और देश के सभी न्यायालयों को परस्पर जोड़कर एक राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड को उपलब्ध कराया जा सके। इस स्कीम के अधीन, देश भर में 12155 न्यायिक अधिकारियों को पहले ही लैपटाप उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारिवृंदों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि निकट भविष्य में सभी न्यायिक अधिकारियों को लेजर प्रिंटर उपलब्ध कराए जाएं। न्यायिक अधिकारियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे विधिक संसाधनों तक पहुंच बनाने में समर्थ हो सकें। परियोजना के अन्य घटक, जैसे कि स्थल तैयार करना, उपयोजन साफ्टवेयर का विकास, तकनीकी जनशक्ति का प्रावधान आदि भी क्रियान्वयनाधीन हैं।

पार्टिसिपेटरी नोट के माध्यम से खरीदी गई इक्विटी का मूल्य

1174. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री राकेश सिंह:
श्री फ्रांसिस फैन्थम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय स्टाक बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट के माध्यम से खरीदी गई इक्विटी का वर्तमान मूल्य क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पार्टिसिपेटरी नोट की भूमिका को कम करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने पार्टिसिपेटरी नोट के माध्यम से देश में विदेशी धन आने की संभावित परिस्थितियों का मूल्यांकन किया है/करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) पार्टिसिपेटरी नोट जैसी लिखतों के माध्यम से विदेशी निवेशी निवेश को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि 30 सितम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार आधारिक राशियों के रूप में भारतीय इक्विटियों के साथ बकाया पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी.एन.) का कल्पित मूल्य 2,68,957 करोड़ रुपए था।

(ख) और (ग) भारतीय आधारिक प्रतिभूतियों के साथ पी.एन. को जारी करना विनियमित करने के लिए सेबी बोर्ड ने 25 अक्तूबर, 2007 को हुई बैठक में निम्नलिखित उपाय अनुमोदित किए हैं:-

1. एफ.आई.आई. और उनके उप-लेखे तत्काल प्रभाव से व्युत्पन्नों के रूप में आधारिक राशियों के साथ विदेशी व्युत्पन्न लिखतों को जारी/नवीकरण नहीं कर सकेंगे। उनसे अपेक्षित होगा कि वे वर्तमान स्थिति का 18 महीने के अन्दर समापन कर लें, इस अवधि के दौरान सेबी समय-समय पर स्थिति की पुनरीक्षा करेगा।

2. एफ.आई.आई. के उप-लेखों द्वारा विदेशी व्युत्पन्न लिखतों को पुनः जारी किया जाना तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा। उनसे अपेक्षा होगी कि वे 18 महीने की अवधि के दौरान वर्तमान स्थिति का समापन कर लें, उस अवधि के दौरान सेबी समय-समय पर स्थिति की पुनरीक्षा करेगी।

3. वे एफ.आई.आई. जो वर्तमान में भारत में 40% से कम अपनी अभिरक्षा के अन्तर्गत आस्तियों (ए.यू.सी.) के प्रतिशत के रूप में बकाया पी.एन. के कल्पित मूल्य के साथ विदेशी व्युत्पन्न लिखत जारी कर रहे हैं, उन्हें भारत में केवल अपने ए.यू.सी. के 5% की वृद्धिकारी दर पर ही और आगे विदेशी व्युत्पन्न लिखत जारी करने की अनुमति दी जाएगी।

4. वे विदेशी संस्थागत निवेशक जिनके पास भारत में 40% से अधिक उनके ए.यू.सी. के प्रतिशत के रूप में बकाया पार्टिसिपेटरी नोट्स (व्युत्पन्नों के अतिरिक्त) का कल्पित मूल्य है, कम से कम समतुल्य राशि के विद्यमान पी.एन. में से रद्द हुए/विमोचित/समाप्त हुए पी.एन. के बदले में ही पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करेंगे।

(घ) से (छ) विदेशी निवेश के प्रवाहों पर नीतियों की वर्तमान वृहद आर्थिक स्थिति, बदलती हुई बाजार की स्थितियों, विदेशी क्षेत्र प्रबंधन में अगुणप की जा रही चुनौतियों और नीति को प्रशासित करने में अब तक प्राप्त हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के साथ परामर्श करके आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है। तथापि, वर्तमान में, सरकार का पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से निवेशों को विनियमित करने के लिए आगे कोई कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन

1175. श्री महावीर भगोरा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन संबंधी कोई प्रतिवेदन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन से संबंधित कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के विनिर्देशन से संबंधित आदेशों में समावेशन/निष्कासन और अन्य संशोधन करने के दावों का निर्धारण करने के लिए दिनांक

15-06-1999 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उन्हें भेजे गए मामलों पर अपना मत देना अपेक्षित होता है।

'फेरा' और 'एम.आर.टी.पी.एफ.' से राजस्व

1176. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान 'फेरा' और 'एम.आर.टी.पी.' के प्रवर्तन के माध्यम से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 2005 से अक्तूबर, 2007 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) के प्रवर्तन के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित की गई शास्ति और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम (एम.आर.टी.पी.) से अर्जित किया गया राजस्व निम्नानुसार है:

वर्ष	फेरा (रुपए लाखों में)	एम.आर.टी.पी. (रुपए में)
2005	1942.26	7,846
2006	1141.56	7,843
2007 (31-10-2007 तक)	1849.90	16,269

(ख) और (ग) फेरा के मामले में अर्जित की गई शास्ति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। तथापि, एम.आर.टी.पी. अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित किए गए राजस्व की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): मैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा क्षमता ब्यूरो (सदस्यों की नियुक्ति, रिक्तियां भरने की रीति, शुल्क और भत्ते तथा उनके कृत्य निर्वहन की प्रक्रिया) नियम, 2007 जो 6 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 537(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7244/2007]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव करता हूं:

(1) मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत मंत्रियों के निवास (संशोधन) नियम, 2007 जो 7 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 137 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7245/2007]

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7246/2007]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश के बारे में श्वेत पत्र (31 जुलाई, 2007) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7247/2007]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा जनजाति कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 7248/2007]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 8, 4 और 2(च) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आ.सं. 193(अ) जो 8 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा गोवा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(दो) आ.सं. 190(अ) जो 8 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(तीन) आ.सं. 3(अ) जो 28 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा त्रिपुरा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(चार) आ.सं. 13(अ) जो 13 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा मिजोरम राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(पांच) आ.सं. 6(अ) जो 23 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा केरल राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(छह) आ.सं. 35(अ) जो 8 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(सात) आ.सं. 37(अ) जो 8 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(आठ) आ.सं. 61 (अ) जो 12 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(नौ) आ.सं. 63(अ) जो 12 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा पंजाब राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(दस) आ.सं. 24(अ) जो 28 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा महाराष्ट्र राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(ग्यारह) आ.सं. 42(अ) जो 29 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा सिक्किम राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(बारह) आ.सं. 5(अ) जो 27 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(तेरह) आ.सं. 38(अ) जो 19 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा गुजरात राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(चौदह) आ.सं. 19(अ) जो 17 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा उड़ीसा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(पन्द्रह) आ.सं. 62(अ) जो 28 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(सोलह) आ.सं. 78(अ) जो 4 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(सत्रह) आ.सं. 22(अ) जो 27 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(अठारह) आ.सं. 105(अ) जो 30 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा हरियाणा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(उन्नीस) आ.सं. 7(अ) जो 22 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(बीस) आ.सं. 4(अ) जो 19 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(इक्कीस) आ.सं. 28(अ) जो 12 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा मेघालय राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है तथा उसका शुद्धिपत्र जो 2 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या आ.सं. 89(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बाईस) आ.सं. 46(अ) जो 23 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(तेईस) आ.सं. 52(अ) जो 5 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा तमिलनाडु राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(चौबीस) आ.सं. 63(अ) जो 30 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा झारखण्ड

[श्री के. वेंकटपति]

राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

(पच्चीस) आ.सं. 79(अ) जो 11 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो परिसीमन आयोग द्वारा बिहार राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के अवधारण के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7249/2007]

(दो) परिसीमन आयोग 2002 की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आ.सं. 9(अ) जो 31 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें गोवा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(दो) आ.सं. 10(अ) जो 31 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(तीन) आ.सं. 18(अ) जो 12 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें त्रिपुरा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(चार) आ.सं. 27(अ) जो 27 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें मिजोरम राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं तथा उसका शुद्धिपत्र जो 11 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या आ.सं. 34(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) आ.सं. 29(अ) जो 31 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें केरल राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(छह) आ.सं. 4(अ) जो 25 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें राजस्थान राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(सात) आ.सं. 9(अ) जो 15 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(आठ) आ.सं. 52(अ) जो 2 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं तथा उसका शुद्धिपत्र जो 25 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या आ.सं. 71(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) आ.सं. 58(अ) जो 19 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें पंजाब राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(दस) आ.सं. 64(अ) जो 31 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें महाराष्ट्र राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(ग्यारह) आ.सं. 80(अ) जो 4 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें सिक्किम राज्य में, उसमें

उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(बारह) आ.सं. 85(अ) जो 20 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(तेरह) आ.सं. 121(अ) जो 12 दिसम्बर 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें गुजरात राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(चौदह) आ.सं. 122(अ) जो 15 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें उड़ीसा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(पन्द्रह) आ.सं. 123(अ) जो 18 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं तथा उसका शुद्धिपत्र जो 30 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या आ.सं. 50(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सोलह) आ.सं. 124(अ) जो 28 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें उत्तरांचल राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(सत्रह) आ.सं. 2(अ) जो 10 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(अठारह) आ.सं. 18(अ) जो 15 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें हरियाणा राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(उन्नीस) आ.सं. 78(अ) जो 31 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें आन्ध्र प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(बीस) आ.सं. 70(अ) जो 14 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें मध्य प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(इक्कीस) आ.सं. 91(अ) जो 2 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें मेघालय राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं तथा उसका शुद्धिपत्र जो 30 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या आ.सं. 104(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बाईस) आ.सं. 90(अ) जो 2 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें कर्नाटक राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(तेईस) आ.सं. 108(अ) जो 13 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें तमिलनाडु राज्य में, उसमें, उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

[श्री के. वेंकटपति]

(चौबीस) आ.सं. 110(अ) जो 17 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें झारखण्ड राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(पच्चीस) आ.सं. 111(अ) जो 17 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें बिहार राज्य में, उसमें उल्लिखित, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के नाम प्रकाशित किए गए हैं।

(तीन) उपर्युक्त (1 और 2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7250/2007]

(4) (एक) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7251/2007]

(5) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेंटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल सेंटर फार अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7252/2007]

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में भौगोलिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत सी कमियां हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को पुनर्विचार के लिए वापिस लिया जाए।

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): सभापति महोदय, मैं नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रिसैटलमेंट पोलिसी, 2007 जो 31 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पत्र सं. 26011/4/2007 - एल.आर.डी. में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7253/2007]

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव करता हूं-

(1) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम 1959 की धारा 29क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1693(अ) जो 3 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एक अध्यक्ष और चार सदस्यों वाले गुणवत्ता पुनरीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7254/2007]

(2) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2007 जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 588(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 611(अ) जो 21 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कंपनियों को निधि का दर्जा प्रदान किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7255/2007]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव करती हूं-

(1) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 548(अ) जो 14 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 31 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 450(अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7256/2007]

(2) (एक) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-01 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-01 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7257/2007]

(4) (एक) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7258/2007]

(6) (एक) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7259/2007]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): मैं हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव करती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7260/2007]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव करता हूं-

(1) 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन:-

(एक) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7261/2007]

(दो) कलिंग ग्राम्य बैंक, कटक

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7262/2007]

(तीन) लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीतापुर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7263/2007]

(चार) रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7264/2007]

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

(पांच) चिकमगलूर-कोडगु ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7265/2007]

(छह) चम्बल-ग्वालियर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्वालियर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7266/2007]

(सात) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7267/2007]

(आठ) का बैंक नोंगकिंगडोंग री खासी जैंतिया शिलांग

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7268/2007]

(नौ) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7269/2007]

(दस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7270/2007]

(ग्यारह) आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7271/2007]

(बारह) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7272/2007]

(तेरह) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7273/2007]

(चौदह) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7274/2007]

(पन्द्रह) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड़

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7275/2007]

(सोलह) बड़ौदा पश्चिम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बरेली

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7276/2007]

(सत्रह) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7277/2007]

(अठारह) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7278/2007]

(उन्नीस) त्रिवेनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जालौन

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7279/2007]

(बीस) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7280/2007]

(इक्कीस) कामराज ग्रामीण बैंक, सोपोर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7281/2007]

(बाईस) आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडप्पा

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7282/2007]

(तेइस) बांगिया ग्रामीण विकास बैंक, गोराबाजार

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7283/2007]

(चौबीस) पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7284/2007]

(पच्चीस) सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7285/2007]

(छब्बीस) उत्कल ग्राम्य बैंक, बोलनगीर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7286/2007]

(सत्ताईस) झारखण्ड ग्रामीण बैंक, रांची

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7287/2007]

(अठाईस) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7288/2007]

(2) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7289/2007]

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा.का.नि. 567(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और जापान में उद्भूत या वहां से निर्यातित पेरोक्सोसल्फेट्स के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 568(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 40/2007 सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 570(अ) जो 31 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ में उद्भूत या वहां से निर्यातित फिनॉल के आयात पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 12 अगस्त, 2008 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 571(अ) और सा.का.नि. 572(अ) जो 3 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पैरासिटामॉल के आयात पर अल्पकालिक समीक्षा जांचों के अंतिम निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 599(अ) जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डेक्टाईल लोहे के पाइपों के भारत में आयात पर अभिहित प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट दरों पर (अंतिम निष्कर्षों के आधार पर) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 600(अ) जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित फॉस्फोरिक एसिड के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 605(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका, कोरिया जनवादी गणराज्य, अथवा ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित फिनॉल के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 626(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 37/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 625(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या 66/2007-सी.शु. को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 627(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बुल्गारिया, चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, सिंगापुर तथा

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

दक्षिण कोरिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित प्री-सेंसीटाइज्ड पोजिटिव ऑफ सेट एल्युमिनियम प्लेट्स के भारत में आयात पर अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 651(अ) जो 9 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया जनवादी गणराज्य और जर्मनी से एक्रिलो नाईटराइल बूटाडाइन रबड़ के आयात पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अल्पकालिक समीक्षा जांचों के निष्कर्ष लंबित रहने तक प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7290/2007]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 583(अ) जो 11 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 8 मार्च, 2006 को हुई भारत-चिली अधिमान व्यापार करार के अंतर्गत भारत द्वारा सम्मत् विनिर्दिष्ट मदों पर सीमा शुल्क छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 598(अ) जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वैट/बिक्री कर के स्थान पर आयातों पर उद्ग्रहित 4% अतिरिक्त सीमा शुल्क को, अन्य बातों के साथ-साथ, इस शर्त के अध्यधीन कि पुनर्बिक्री पर ऐसी आयातित वस्तुओं पर समुचित वैट/बिक्री कर अदा किया गया हो, के रिफंड के लिए एक तंत्र विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7291/2007]

(5) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 601(अ) जो 17 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यातकों द्वारा प्राप्त उनमें उल्लिखित कर योग्य सेवाओं, जो "आदान सेवाओं" की प्रकृति में नहीं आती लेकिन जिन्हें निर्यात वस्तुओं से जोड़ा जा सकता है, उन पर उद्ग्रहणीय पूरे सेवा कर से कतिपय शर्तों के अध्यधीन, अदा किए गए सेवा कर को रिफंड करके छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 645(अ) जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यातकों द्वारा प्राप्त उनमें उल्लिखित कर योग्य सेवाओं, जो "आदान सेवाओं" की प्रकृति में नहीं आती लेकिन जिन्हें निर्यात वस्तुओं से जोड़ा जा सकता है, उन पर उद्ग्रहणीय पूरे सेवा कर से कतिपय शर्तों के अध्यधीन, अदा किए गए सेवा कर को रिफंड करके छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7292/2007]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेनवैट क्रेडिट (नौवां संशोधन) नियम, 2007 जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 596(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 2007 जो 14 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 597(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 610(अ) जो 20 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006 के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 652(अ) जो 9 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7293/2007]

(7) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2007 जो 30 जून, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 26 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बड़ौदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 2 जून, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 22 में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7294/2007]

(9) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क और 23घ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1485(अ) जो 31 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पुरी ग्राम्य बैंक और ढेंकानाल ग्राम्य बैंक के समामेलन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1564(अ) जो 18 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पुरी ग्राम्य बैंक और ढेंकानाल ग्राम्य बैंक के विघटन के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 7295/2007]

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उप-धारा (8) के अंतर्गत केनरा बैंक, बंगलौर और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 7296/2007]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त संदेश की सूचना देनी है।

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि सोमवार, 10 सितम्बर, 2009 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा में लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव स्वीकार किया:-

(1) कि यह सभा लोक सभा की सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा श्री पी.जी. नारायणन की सभा से सेवानिवृत्ति के उपरांत लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में हुई रिक्ति हेतु सभा से एक सदस्य चयनित करे और यह सभा एकल स्थानांतरण मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को रिक्त पद भरने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करे।

उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है, कि श्री एन. जोशी सदस्य, राज्य सभा को उक्त संयुक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 7297/2007]

अपराह्न 12.02¼ बजे

लोक लेखा समिति

अठावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हीन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(एक) "भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक में नियंत्रण प्रणालियां" संबंधि लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 28वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी 58वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(दो) "विलम्ब से क्रय तथा फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अंतर्गत अधिप्राप्त उपस्करों का नगण्य उपयोग" संबंधी लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 34वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02½ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गुरुदास कामत (मुम्बई उत्तर पूर्व): मैं विद्युत मंत्रालय से संबंधित "अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं" विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2007-08) का 22वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

*सभा सत्र में न होने के कारण माननीय अध्यक्ष को प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71(क) के अंतर्गत 15 अक्तूबर, 2007 को प्रस्तुत किया गया और माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दे दी।

अपराह्न 12.02¾ बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): मैं बैंककारी उद्योग की नीतियों में परिवर्तन के संबंध में श्री सी.एच. वेंकटाचलम महासचिव, ऑल इंडिया बैंक एम्पलायज एसोसिएशन और श्री आर.जे. श्रीधरन महासचिव, ऑल इंडिया बैंक अफिसर्स एसोसिएशन द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 7298/2007]

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति"

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): महोदय, माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निर्देशों के निर्देश 73ए का पालन करते हुए मैं माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निर्देश पर जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2006-07) पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2005-06) की 17वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) ने वर्ष 2006-07 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच की और इस विषय में दिनांक 18-12-2006 को अपना 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2006-07 पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निहित है।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 7299/2007

इस प्रतिवेदन में 22 सिफारिशें हैं। समिति द्वारा की गई सभी 22 सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुलग्नक में दर्शाई गई है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

अपराह्न 12.03¼ बजे

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 171वें, प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं यह वक्तव्य दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-II द्वारा जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश सं. 73ए के अनुसरण में दे रहा हूं ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के एक सौ इकहत्तरवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में सम्मानित सदन को अवगत करा सकूं। यह प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (जी.एस.आई.आर.) की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबंधित है। इस समिति ने संदर्भाधीन अवधि के दौरान डी.एस.आई.आर. द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की और अनुदान मांग (2007-08) पर विस्तारपूर्वक विचार किया।

इस समिति ने डी.एस.आई.आर. की कार्यप्रणाली की समीक्षा और विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते हुए इस विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में इन अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और तत्संबंधी एक सौ इकहत्तरवां प्रतिवेदन दिनांक 26 अप्रैल, 2007 को सदन में प्रस्तुत किया। विभाग ने इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई विषयक विस्तृत नोट समिति को मई, 2007 में भेज दिया है। इस प्रतिवेदन में पन्द्रह संस्तुतियां हैं जो सलाह एवं प्रशंसास्वरूप दोनों हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां मुख्यतः निम्नवत से संबंधित हैं:

- आवंटित निधियों को खर्च करने हेतु प्रयास करना तथा प्रस्ताव बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इन प्रस्तावों को विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित किया जा सके;
- नई प्रौद्योगिकियों का लोकप्रियकरण तथा प्रचार-प्रसार करना;
- व्यक्तिगत नवोन्मेषकों को वर्धित सहायता उपलब्ध कराते हुए प्रोत्साहित करना;
- कुटीर उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ऐसे ही अन्य उद्योगों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करना;
- शुरुआती कम्पनियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना तथा उनके विकास-पथों का अनुवीक्षण करना ताकि देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को बेहतर बनाया जा सके और इसे प्रोत्साहित किया जा सके;
- स्वेदशी प्रौद्योगिकियों तथा नवोन्मेषों के लिए बाजार के सृजनार्थ इनके वाणिज्यीकरण के संबंध में सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना;
- आवंटन हेतु मांग करने से पूर्व उचित आधारिक कार्य करना ताकि प्रारम्भ में ऐसी परियोजनाओं के लिए मांगे गए धन को खर्च न कर पाने जैसी उलझनपूर्ण स्थिति से बचा जा सके;
- सुपरा इन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट्स, नेटवर्क प्रोजेक्ट्स, इंटर एजेंसी प्रोजेक्ट्स तथा फैसिलिटीज नामक उप-प्रभागों के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को विभाजित करने के विभाग के निर्णय की विवेचना करना, जिससे महत्वपूर्ण क्षमताओं के विकास और व्यावसायिक फोकस में मदद मिलेगी;
- अनुसंधान के क्षेत्र में युवा प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करना;

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 7300/2007

[श्री कपिल सिब्बल]

- पूर्व-सक्रिय तथा योजनागत पेटेंटिंग के विचार की विवेचना करना;

- एन.एम.आई.टी.एल.आई. स्कीम से विभाग तथा औद्योगिक भागीदार दोनों को होने वाले लाभों पर समिति की संतुष्टि।

समिति की सभी पन्द्रह सिफारिशों पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में विचार किया गया है। इन पर की गई कार्रवाई की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक पर दिया गया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यदि सदन की अनुमति हो तो आइटम 20 - अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) - श्री लालू प्रसाद यादव को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

अपराह्न 12.04½ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2007-2008

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं वर्ष 2007-08 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये संख्या** एल.टी. 7303/2007]

अपराह्न 12.05 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि सोमवार 26 नवम्बर, 2007 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य की निम्नलिखित मदें होंगी:-

1. आज के आदेश पत्र से आगे ले जाये गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार करना।

2. कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 20 नवम्बर, 2007 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा।

3. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा।

   दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2007, पर विचार करना और पारित करना।

4. बोनस संदाय (संसोधन) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार तथा पारित करना।

(5) वर्ष 2007-2008 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान और संबंधित विनियोग विधेयकों का पुर:स्थापन, विचार तथा पारित करना।

   (क) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 2007-08

   (ख) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 2007-08

   (ग) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2005-06 और

6. राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2006 पर विचार तथा पारित करना।

7. भारतीय बायलर (संशोधन) विधेयक, 1994 राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् विचार करना तथा पारित करना।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: 26 नवम्बर से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए माननीय सदस्यों के कुछ सबमिशन्स हैं, मैं उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाई (बालासोर): सभापति महोदय, आपने आज जिस ढंग से क्वैश्चन आवर चलाया, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं।...*

सभापति महोदय: मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि स्पीकर की तरह आपने मेरे ऊपर हमला नहीं किया।

श्री खारवेल स्वाई: मैं कभी नहीं करता हूं।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, निम्नांकित मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

1. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए खादी और हथकरघों से बुने वस्त्रों के सरकार और सरकारी क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा तथा स्कूल यूनिफॉर्म के रूप में प्रयोग करने के लिये सहमति बनाने की आवश्यकता।

2. अलपुजा तट के सौन्दर्य तथा भूकटाव से राजमार्ग की होने वाली हानि से बचाने के लिए दो सड़क ऊपरि पुलों के स्थान पर 30 अलपुजा बाई पास पर फ्लाई ओवर तथा बीच में सड़क बनाने की आवश्यकता।

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज (इदुक्की): महोदय, निम्नांकित विषयों को अगले माह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

1. इंडो-एशियान मुक्त व्यापार समझौता और देश में अत्यधिक संवेदनशील कृषि उत्पादों जैसे नारियल, काली मिर्च, चाय और कॉफी पर इसका संभावित प्रभाव और साफ्ता समझौते से निकाले गए उत्पादों की नेगेटिव सूची की प्रस्तावित समीक्षा।

2. देश में नदी कार्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा विशेषकर केरल राज्य में गलत तरीके से शुरू की गई पांवा नदी कार्य योजना।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, निम्नांकित मदों को अगले माह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए:

1. संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित करने संबंधी विधेयक।

2. संसद की अ.ज./अ.ज.ज. समितियों की रूग्रेखा पर अ.पि.व. के कल्याण की निगरानी और निरीक्षण के लिए एक संसदीय समिति के गठन की आवश्यकता पर चर्चा करना।

[हिन्दी]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): सभापति महोदय, संसद की आगामी सप्ताह की संसदीय कार्य सूची में निम्न विषय को शामिल किया जाए:

1. मराठवाड़ा के अधिक कपास वाले क्षेत्रों में कपास आधारित उद्योग की स्थापना का कार्य।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत दो सालों से कोई काम नहीं हो रहा है, उसका योजनाबद्ध ढंग से काम किए जाने का कार्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, संसद की आगामी सप्ताह की संसदीय कार्य सूची में निम्न विषय को शामिल किया जाए:

1. राजस्थान में रिफाइनरी को खोला जाए जिससे पश्चिमी राजस्थान में लोगों को रोजगार के अवसर मिलें।

2. जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महाराजा सवाई मानसिंह जी के नाम पर रखा जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करें:-

(एक) संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं हेतु सीटों के 33 प्रतिशत आरक्षण संबंधी विधेयक प्रस्तुत करना।

(दो) लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सं. 2145/2146 की बारम्बारता को सप्ताह में वर्तमान एक बार से बढ़ाकर तीन बार करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय सभापति महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो विषय सम्मिलित करें-

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. सत्यनारायण जटिया]

1. संविधान में सामाजिक-शैक्षिक असमानता के उपचार के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक आरक्षणों से संरक्षित करने के प्रावधान किए गए हैं किन्तु इन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के उपाय नहीं हैं। केंद्र सरकार इनको संरक्षित करने के समुचित उपाय सुनिश्चित करें।

2. केंद्र सरकार देश में प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले और उसकी आजीविका का प्रबन्ध सुनिश्चित कर आवास, शिक्षा, चिकित्सा के उपाय सुनिश्चित करें।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): माननीय सभापति महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय चर्चा हेतु ग्रहण करने की कृपा करें।

1. लोकसभा, विधान सभा तथा पंचायतों के चुनावों के लिए अलग-अलग मतदाता सूचियां प्रयोग में लाई जा रही हैं जिसके कारण मतदाता सूचियों के प्रकाशन में धांधली की शिकायत प्रकाश में आई है। अतः भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाणित एक मतदाता सूची के सहारे सभी चुनाव कराए जाने चाहिए।

2. हिन्दुस्तान के गन्ना किसानों की स्थिति खराब हो गई है तथा कई स्थानों पर किसानों की आत्महत्या की खबरें आई हैं अतः इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): माननीय सभापति महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित सुझाव शामिल किए जाएं।

1. होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता है।

2. होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र में रेलवे विस्तार करने की आवश्यकता है जिसमें नंगल से लेकर पटना साहब तक गाड़ी चलाई जाए व होशियारपुर से दसूआ और ऊना तक रेलवे लाईन बिछाई जाए और इन स्थानों को रेलवे से जोड़ा जाए।

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): माननीय सभापति महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित करने का कष्ट करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा में चिंताजनक पेयजल संकट को दूर करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वजलधारा की योजना को बढ़ाने का कार्य।

2. गुजरात के मेहसाणा जिले के जागूदान में मसाले अनुसंधान केन्द्र को अनुसंधान सम्बन्धी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कार्य एवं अनुसंधान सम्बन्धी सभी सुविधाएं मुहैया कराने का कार्य।

अपराह्न 12.13 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खराब गेहूं की आपूर्ति के कारण उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): मैं कृषि और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:-

"गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खराब गेहूं की आपूर्ति के कारण उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्री जी आप इसे ले कर दीजिए इससे समय बचेगा।

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 7302/2007

गेहूं का आवंटन किया जाता है। इन आवंटनों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गेहूं जारी करता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी गेहूं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के अधीन अपेक्षित सभी गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों को पूरा करता है। स्थायी अनुदेशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं जारी करने से पहले भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं के स्टाक का भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप निरीक्षण किया जाता है और नमूने लिए जाते हैं।

आयातित गेहूं को भारतीय पत्तनों पर पोत से डिस्चार्ज करने की अनुमति देने से पहले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों और पादप संगरोध प्राधिकारियों द्वारा इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। यदि आयातित गेहूं सभी विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाया जाता है तभी इसे पोत से डिस्चार्ज करने की अनुमति दी जाती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं का आवंटन करते समय आयातित और स्वदेशी गेहूं के बीच कोई भेद नहीं किया जाता है। तथापि, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें सूचित किया गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटित आयातित लाल गेहूं को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों द्वारा पसंद नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों से आयातित लाल गेहूं की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

इन शिकायतों के प्राप्त होने पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र क्षेत्रों से अक्तूबर, 2007 के दूसरे पखवाड़े के दौरान आयातित लाल गेहूं के नमूने संयुक्त रूप से लिए और गुणवत्ता के लिए इनका विश्लेषण करवाया। इस विश्लेषण में सभी नमूनों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के अधीन विहित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाया गया है। स्वदेशी गेहूं के गुणवत्ता पैरामीटरों के साथ विश्लेषणों के परिणामों की तुलना करने से यह भी पता चला है कि आयातित लाल गेहूं की गुणवत्ता स्वदेशी गेहूं के साथ तुलनीय है।

तथापि, जहां कहीं से गेहूं की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, वहां राज्य सरकारों को स्टॉक का परीक्षण कराने के निदेश दिए गए हैं और यदि ये स्टॉक मानक गुणवत्ता मानदण्डों के अनुरूप पाए जाते हैं, तभी इनका वितरण जारी रखा जाना होता है।

इसके अलावा सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप न पाया जाने वाला गेहूं और चावल लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपभोक्ताओं को जारी नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया है कि इनको कुछ कम्पलेंट्स मिली हैं और यहां से इनके साथ पत्र व्यवहार हुआ है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकार ने *[अनुवाद]* बताया है कि टी.पी.डी.एस. लाभार्थी इस स्कीम के तहत आबंटित आयातित लाल रंग का गेहूं लेना नहीं चाहते। और फिर यह कहा है कि-

> "महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारों से आयातित लाल गेहूं की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें मिली हैं।"

[हिन्दी]

परंतु मंत्री महोदय ने कहा है कि इनकी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, रेड व्हीट इम्पोर्टिड व्हीट है और इम्पोर्टिड व्हीट होने के कारण यहां बहुत से लोग इसे लेना नहीं चाहते हैं बल्कि हम यहां जो व्हीट लेते हैं उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। मंत्री महोदय का यह कथन मेरे विचार में उचित नहीं है क्योंकि जो रेड व्हीट आ रहा है, वह सड़ा गला है, उसे फफूंदी लगी हुई है। वह खाने के लायक नहीं है और सब राज्य सरकारें जब उसे बी.पी.एल. को देना चाहती हैं तो बी.पी.एल. के गरीब आदमी भी उसे लेने से इनकार कर देते हैं। वह जानवरों के खाने लायक भी नहीं होता है। उसके बाद आटा मिलों में उसका आटा बनाकर बेचा जाता है। बी.पी.एल. की यह शिकायत एक जगह से नहीं है, आठ-नौ राज्यों ने इन्हें लिखा है और बाकी राज्यों को भी इस संबंध में काफी कठिनाई हो रही है।

सभापति महोदय, यहां इसके साथ तीन-चार प्रश्न पैदा

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

होते हैं। पहला सवाल आयातित रैड व्हीट का है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो लाल रंग का गेहूं, जिसे भारत के अंदर कोई लेना नहीं चाहता, उसे क्यों इम्पोर्ट करते हैं? जब दुनिया में व्हाइट व्हीट अवेलेबल है तो उसे क्यों नहीं लिया जाता है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि व्हीट के इम्पोर्ट में जो एक भयंकर घोटाला हुआ है, हमारी सदन को भी उसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। मई, 2007 में एक टेंडर किया गया कि विदेशों से गेहूं मंगाया जाए और यह इसलिए मंगाया जाए कि हमारे यहां गेहूं की कुछ कमी है, हमें स्टाक को भरकर रखना है। वह टेंडर 263 डालर पर मीट्रिक टन के हिसाब से आया। लेकिन उसे यह कह कर रद्द किया गया कि इस टेंडर की कीमत बहुत ज्यादा है। हम अपने किसानों को ज्यादा पैसा नहीं दे रहे हैं, इसलिए किसान इसके बारे में आंदोलन करेंगे, इसलिए इसे रद्द किया जाए और दोबारा टेंडर किया जाए। उसके बाद जून में जो टेंडर किया जाता है तो वह 325 डालर पर मीट्रिक टन के हिसाब से किया जाता है और उसके बाद जब गेहूं लिया गया तो यह 390 डालर पर मीट्रिक टन के हिसाब से लिया गया। 263 डालर पर जब गेहूं मिल रहा था तो उसे कह दिया गया कि यह ठीक नहीं है, इसकी कीमत ज्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट को पता था कि हिन्दुस्तान इसे बाद में जरूर खरीदेगा और उसके लिए उन्होंने कीमतें चढ़ा दीं और 390 डालर पर मीट्रिक टन के हिसाब से उसे खरीदा गया। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इसकी सी.बी.आई. इंक्वायरी कराई जाए कि यह घोटाला क्यों हुआ, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये हिन्दुस्तान के हाथ से निकल गये और जो अनाज आया वह भी सड़ा-गला है और किसी तरह से भी गुणवत्ता के मुताबिक नहीं है।

मेरी पहली मांग यह है कि इस पूरे मामले की सी.बी.आई. इंक्वायरी कराई जाए कि घटिया व्हीट यहां क्यों आया? अगर हम अपने यहां के किसानों को शुरू में ही एक हजार रुपये के हिसाब से कीमत देते, जो कीमत अब आगे निर्धारित की है, यदि यह कीमत मार्च-अप्रैल के महीने के पहले दिन कर दी जाती तो जितना अनाज हमें बाहर से मंगाना पड़ा है, उससे कहीं कम अनाज हमें यहां से लेने की जरूरत पड़ती और हिन्दुस्तान में हर किसान का बढ़िया गेहूं, जिसकी कीमत हमने एक हजार रुपये रखी है, वह हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 11, 12 रुपये पर आ सकता था। परंतु यहां पर अब 18 रुपये के हिसाब से बाहर से गेहूं आया है और वह भी रैड व्हीट आया है, जो सड़ा-गला है और किसी भी तरह से गुणवत्ता पर पूरा नहीं ठहरता।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह तय किया कि हर स्टेट में जो बी.पी.एल. है, उसे हम सस्ते दामों पर अनाज देंगे। परंतु केन्द्र सरकार के मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, हमारे रूरल डवलपमैन्ट के मिनिस्टर भी यहां बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर हमारा प्लानिंग कमीशन कहता है कि हिन्दुस्तान में बी.पी.एल. 26-27 परसैन्ट हैं, ये इससे ज्यादा नहीं हैं। ये आंकड़े सरकार के अपने दिये हुए हैं, जो मैं आपके सामने पढ़ सकता हूं। इसमें कहा गया है कि अब बी.पी.एल. केवल 27 परसैन्ट हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि वर्ष 2000 में ये 36 परसैन्ट थे, जो अब कम होकर 27 परसैन्ट हो गये हैं। उस समय छः करोड़ 52 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे, जो अब पांच करोड़ सत्तर लाख रह गये हैं। परंतु राज्यों ने बी.पी.एल. के जो राशन काड्र्स इश्यु किये हैं, वे 11 करोड़ के करीब हैं। अगर 11 करोड़ राशन काड्र्स बी.पी.एल. में हैं तो यह अनुमान कैसे लगा कि हिन्दुस्तान में बी.पी.एल. के अंदर इस समय कुल 26 परसैन्ट लोग हैं। अगर 26 परसैन्ट बी.पी.एल. के लोग हैं और आप 26 परसैन्ट के हिसाब से अनाज देंगे तथा बी.पी.एल. के करीब 11 करोड़ राशन काड्र्स बनेंगे, जबकि कुछ राज्यों में 70 परसैन्ट, 75 परसैन्ट और 80 परसैन्ट तक बी.पी.एल. के राशन काड्र्स बने हुए हैं। यदि बी.पी.एल. के राशन काड्र्स 70 परसैन्ट हैं और उनके पास अनाज 26 परसैन्ट के हिसाब से पहुंचता है तो बाकी अनाज की पूर्ति कहां से होगी।

महोदय, ऑडिटर जनरल ने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है, उसमें पांच बातें कही हैं। एक तो यह कहा है कि-

[अनुवाद]

> "गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या के संबंध में योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान और राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए परिवारों की संख्या में काफी अंतर है जिससे परिवारों/जरूरतमंद को दिये जाने वाले राशन में कमी आई"

[हिन्दी]

नीडी फैमिलीज को राशन उसी हिसाब से मिलेगा,

एक तिहाई मिलेगा या नहीं मिलेगा और इसमें इतना हाहाकार मचा कि बी.पी.एल. के राशन कार्ड तो बना दिये गये लेकिन उनको अनाज नहीं मिलता है। इसलिए उन लोगों में हाहाकार मचता है। दूसरे उन्होंने कहा कि-

[अनुवाद]

"लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न राज्यों में वितरण हेतु खाद्यान्नों की बरबादी और बड़े पैमाने पर डाइवर्जन।"

[हिन्दी]

अनेक राज्यों में जो अनाज हम राशन के लिए देते हैं, वह अनाज खुले बाजार में चला जाता है, बंग्लादेश को चला जाता है और दूसरी जगह चला जाता है। मंत्री जी का जो वक्तव्य है, उसमें भी कहा गया है कि:

[अनुवाद]

"पी.डी.एस. का 69 प्रतिशत डाइवर्ट हो जाता है।"

[हिन्दी]

69 प्रतिशत गेहूं जो जाता है, वह डाइवर्ट ही हो जाता है, खुले बाजार में चला जाता है या बाहर भेज दिया जाता है। अगर 69 प्रतिशत डाइवर्ट हो गया और हमने एक तिहाई दिया यानी 33 प्रतिशत दिया तो फिर उन लोगों को अनाज कहां से मिलेगा? उनको सड़ा-गला अनाज नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? फिर यह कहा गया है कि:

[अनुवाद]

"विभिन्न राज्यों में टी.पी.डी.एस. के तहत खाद्यान्न/घटिया दर्जे के खाद्यान्नों की आपूर्ति।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप सवाल करिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, मैं सवाल ही करने लगा था। जो सप्लाई ऑफ सबस्टैंडर्ड क्वॉलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू पूअर्स हो रही है, यह ठीक नहीं है, ऐसा ऑडिटर जनरल का कहना है। लेकिन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कोई सबस्टैंडर्ड क्वॉलिटी नहीं है। उनकी गुणवत्ता पूरी वैसी ही है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट दी थी और उसमें कहा था कि सबस्टैंडर्ड क्वॉलिटी ऑफ फूडग्रेन्स की सप्लाई हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि:

[अनुवाद]

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भण्डारण और वितरण में कथित व्याप्त भ्रष्टाचार।"

[हिन्दी]

प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी करप्शन है। इसके अलावा मैंने तीन-चार चीजें और देखीं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एक तो जो गेहूं बाहर से आया है, उसकी इंक्वायरी सी.बी.आई. से करायी जानी चाहिए। कई सैकड़ों करोड़ रुपया हमारे देश का उसमें निकल गया। उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको सजा दी जानी चाहिए।

दूसरे, जितनी राज्यों की आवश्यकता है या तो आप उसका कोई मापदंड तय करिए कि यहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन कौन लोग होंगे। एक डैफिनिशन रूरल मिनिस्ट्री की है, एक डैफिनिशन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की है और तीसरी डैफिनिशन स्टेट की है। तीनों मिलकर अगर 70 प्रतिशत या 60 प्रतिशत बिलो पॉवर्टी लाइन के राशन-कार्ड बनें, तो या तो उन सब को दीजिए नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। दोनों बातें तो नहीं हो सकतीं कि 70 प्रतिशत राशन-कार्ड बन जाएं और राशन-कार्ड उनमें से केवल 26 प्रतिशत को ही मिलें। इसलिए आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं और इसे कैसे ठीक करेंगे? यह मैं जानना चाहता हूं।

तीसरे, यह जो सूचना आती है, कैसे इस बात की जांच की जाती है कि इसकी गुणवत्ता बराबर है? गुणवत्ता बराबर होगी तो उसके लिए केवल यह कह देना कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक उसके अंदर गुणवत्ता ठीक है। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट तो यह देखेगा कि गेहूं में कुछ और बाहरी चीज तो नहीं मिला दी गई है क्योंकि गेहूं खाने लायक नहीं है। गेहूं में उपली लगी है। यह गेहूं खराब है, यह बात फूड एडल्ट्रेशन एक्ट से कैसे साबित होगी? अगर इस बात को साबित करना है तो अपनी लैबोरेटरी से साबित किया जाए, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गेहूं यहां से बाहर चला जाता है, बिलो पॉवर्टी

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

लाइन के लोगों को, गरीब आदमी को दिया हुआ अनाज जो बहुत कम कीमत पर देना है, वह गेहूं भी अगर बाहर बाजार में खुले बाजार में चला जाए, उसे भी अगर बेच खाया जाए तो क्या यह गरीब आदमी के साथ मजाक नहीं है? उनके ऊपर क्या यह भीषण अत्याचार व अन्याय नहीं है? इसलिए मंत्री जी इस बात को देखें कि राज्य सरकारों को जो अनाज जा रहा है, वह अनाज ठीक होना चाहिए। सिर्फ उनको रैड व्हीट जो बाहर से गेहूं आया है, केवल वही गेहूं बी.पी.एल. को न भेजा जाए। अगर आपने बी.पी.एल. बनाई है तो फिर हिम्मत के साथ बी.पी.एल. वालों को पूरे राशन-कार्ड व अच्छा राशन मिलना चाहिए। उनके साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए सभापति जी, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय का जो वक्तव्य है, उसमें वह इन बातों का ध्यान रखें।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): माननीय सभापति जी, मैं मल्होत्रा जी का आभारी हूं कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ध्यानाकर्षण के द्वारा सदन में लाये हैं। पिछले कुछ महीनों से देश के अखबारों में कई ऐसी बातें आयी हैं, जिनके स्पष्टीकरण के लिये मुझे देशवासियों के सामने इस सदन के माध्यम से कहने का मौका मिला है। मैंने शुरू में निवेदन किया कि इसके इम्पोर्ट के लिये क्या सिस्टम है। शिकायतें आती हैं, गेहूं की जांच होती है। जो शिकायतें आईं, उनकी जांच हुई और उसके बाद क्या स्थिति थी, यह मैंने सदन के सामने रखने का प्रयास भी किया है।

पहली बात यह है कि हमें गेहूं इम्पोर्ट करने की नौबत क्यों आ रही है? यह समस्या कोई एक साल से नहीं पैदा हुई है बल्कि पिछले 5-7-8-10 सालों से इस देश में कृषि उत्पाद के बारे में देखा जाये तो ट्रैंड ऐसा था कि यह प्रौडक्ट्स दिन-ब-दिन नीचे जा रहा था, कम हो रहा था। खासकर, गेहूं, दालों और ऑयलसीड्स - इन तीनों आइटम्स के लिये जिस तरह देशवासियों की मांग है, उसे पूरा करने की ताकत प्रौडक्शन में नहीं थी। जब डिमांड और सप्लाई में काफी गैप होता है - चाहे पी.डी.एस. हो या आम लोगों के लिये अनाज की फूड सिक्यूरिटी हल करने की बात हो, किसी भी सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। यू.पी.ए. सरकार के पहले जो सरकार थी, उसने खासकर दालों और ऑयलसीड्स का इंम्पोर्ट किया था और आज भी समस्या है जिसके कारण इम्पोर्ट हो रही हैं। नई सरकार आने के बाद इस देश में जो किसान देश में अनाज की आवश्यकता के पूरा करने में कामयाब हुआ, यह देश कामयाब हुआ, हमारे लिये गर्व की बात है लेकिन अब उसमें बदलाव आ रहा है। इसके लिये हमें करैक्टिव मैजर्स लेने की आवश्यकता है। इस संबंध में नई नीति, नई प्रायरिटीज देने की आवश्यकता है। इस संबंध में भारत सरकार में सहमति हुई है।

सभापति महोदय, पिछले कई सालों से इस देश में एग्रीकल्चर सैक्टर में जो इनवैस्टमेंट होता था, वह दिन-ब-दिन कम हो रहा था और इसमें करैक्टिव मैजर्स लेने का काम पिछले 3-4 सालों से शुरू हुआ है। दूसरे, किसानों को उनकी पैदावार की कीमत हम किस तरह देंगे, यह उसकी उपज पर निर्भर रहता है। जहां तक गेहूं की बात है, मैं इस संबंध में कोई राजनीति नहीं लाना चाहता हूं मगर शायद सोच-समझकर यू.पी.ए. सरकार आने के पांच साल पहले किसानों को गेहूं की जो कीमत दी गई, वह केवल 50 रुपये वृद्धिमात्र होती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि गेहूं का उत्पादन दिन-ब-दिन कम होने लगा। मैं सदन के सामने वे आंकड़े दे सकता हूं कि किस तरह हर साल उसका उत्पादन कम हुआ है? जो उत्पादन कम हो रहा है, इसका असर कहीं न कहीं देश की सरकार के स्टाक पर भी होता था। इसमें कोई करैक्टिव मीजर्स लेने की आवश्यकता थी। यू.पी.ए. सरकार ने ऐसा सोचा और पिछले तीन सालों में 370 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा कीमत देने का काम इस सरकार ने गेहूं के संबंध में किया। पहले पांच सालों में पचास रुपये और तीन सालों में 370 रुपये तक ज्यादा कीमत इस सरकार ने दी और किसानों को इस क्षेत्र में जाने के लिए एक तरह का जो सपोर्ट करने की आवश्यकता है, वह सपोर्ट किया गया। इसका असर यह हुआ कि जो पिछला सीजन गेहूं का गया, इस देश में 74.76 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। फिर सवाल यह आ सकता है कि इतना उत्पादन होने के बाद सरकार के पास स्टाक क्यों कम है। सरकार के पास स्टाक कम है यह बात सच है। इसके दो तीन कारण हैं। यह बात सच है और यह बात इस सदन में भी बार बार पहले कही गई कि जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो देश के सभी भंडार भरे थे और देश के अनाज की स्थिति अच्छी थी। इसमें सच्चाई है। भंडार जरूर भरे थे, मगर जब नई हुकूमत आ गई, तब भंडारों की स्थिति देखने के बाद हमारे सामने एक बात आई कि ये भंडार खाली हो गए हैं या खाली हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पब्लिक

डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए दिया होगा तो वह जिम्मेदारी किस सरकार की थी, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मगर इस देश के किसानों को हमने जो कीमत दी, इससे भी कम कीमत पर देश के बाहर एक्सपोर्ट करने का काम पिछली हुकूमत ने किया जिसमें 16000 करोड़ रुपये की सब्सिडी ट्रेडर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए दी गई। मैं यह समझ सकता था कि सरकार की कोई आर्गनाइजेशन हो, चाहे एम.एम.टी.सी. हो या स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन हो, इन्होंने पूरी जिम्मेदारी एक्सपोर्ट करने की ली और शायद उनको कुछ नुकसान आया तो सरकार ने उनको कुछ मदद दी, तो मैं समझ सकता था। लेकिन इससे पहले जो राहत दी गई, वह ट्रेडर्स को दी गई। उनको एक्सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट किया गया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उत्तर सुन लें, फिर आपको मौका देंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इस हाउस की समिति ने यूनैनिमसली कहा था कि इसको समुद्र में फेंक दो, इतने भंडार भरे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी यील्ड नहीं कर रहे हैं। आप सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: इसलिए देश के भंडारों की स्थिति में बहुत बदलाव आया। जब हमारे पास स्टाक कम होता है तो उसका असर प्रोक्योरमैंट पर होता है। जब दुनिया को पता लगता है कि हमारे पास स्टाक क्या है तो यह समझकर फिर प्रोक्योरमैंट पर इसका असर होता है। वह असर होने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर दूसरा सवाल मुझे कोई भी पूछ सकते हैं कि मैंने यहां यह स्टेटमैंट दे दिया कि इस साल सबसे ज्यादा देश में गेहूं का उत्पादन हुआ। फिर स्टाक की पोजीशन आज भी क्यों खराब है और आज भी हम इंपोर्ट क्यो करते हैं। यह महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी यदि पूछता है तो उसका जवाब देने की जिम्मेदारी को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। पिछले दो-तीन सालों में देश में जो प्रोक्योरमैंट हुआ और देश की जो जरूरत थी, इस पर हमें ध्यान देना होगा। इस साल देश की जो आवश्यकता थी, वह 150 लाख टन के आस पास थी। इसमें कुछ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए होगा, कुछ वैलफेयर स्कीम्स के लिए होगा, बफर स्टाक में कोई समस्या आ गई, कुछ राज्यों में बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, ऐसी इमरजेन्सी के लिए कुछ स्टाक रखना पड़ता है। यह सब मिलाकर 150 लाख टन की जरूरत हमारी थी। मगर हम वास्तव में ज्यादा कीमत देने के बाद भी और ज्यादा उत्पादन होने के बाद भी 110 मिलियन टन ही प्रोक्योर कर सके जबकि हमारी जिम्मेदारी 150 मिलियन टन प्रोक्योर करने की थी। 40 लाख टन का गैप इससे आ गया। यह गैप क्यों आ गया और पिछले दो-तीन सालों से यह गैप क्यों आ रहा है, यह सवाल कोई भी पूछ सकता है।

सभापति महोदय, जो टोटल प्रक्योरमेंट हुआ, उसमें पंजाब का पिछले साल का उत्पादन वर्ष 2006-07 का 145 लाख टन था। उसमें से मार्केट में 78 लाख टन गेहूं आया और *[अनुवाद]* इसमें से, 67.57 लाख टन, जो 75 प्रतिशत से अधिक है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब से खरीदा गया है। *[हिन्दी]* दूसरा राज्य हरियाणा है। वहां 100.53 लाख टन टोटल प्रोडक्शन हुआ था। मार्केट अराइवल्स 37.10 लाख टन था। *[अनुवाद]* इसमें से हरियाणा से भारतीय खाद्य निगम 33.46 लाख टन खरीद सका है जो 80 प्रतिशत से अधिक है।

[हिन्दी]

महोदय, इस देश में गेहूं पैदा करने वाले चन्द राज्य हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। मैंने कई बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर, कैप्टेन अमरेन्द्र सिंह से बात की, उनके साथ मीटिंग की कि प्रक्योरमेंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इस बारे में डिटेल डिसकशन किया और जो कुछ समस्याएं थीं, उन्हें दूर करने की कोशिश की। आज मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, श्री भूपेन्द्र सिंह हूडा ने भारत सरकार को प्रक्योरमेंट हेतु बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया। इसीलिए देश में जो टोटल प्रक्योरमेंट हुआ वह 111 लाख टन हुआ। इसमें से 100 लाख टन के आसपास प्रक्योरमेंट सिर्फ दो राज्यों, पंजाब और हरियाणा से हुआ। बाकी गेहूं पैदा करने वाले जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं, जिनमे उत्तर प्रदेश है। *[अनुवाद]* उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादन 250 लाख टन है, बाजार में 13 लाख टन गेहूं आया जोकि सरकार और अभिकरणों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को 5 लाख टन किया गया।

गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों में दूसरा प्रमुख स्थान मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में गेहूं का कुल उत्पादन 71.5 लाख टन और इसने भारतीय खाद्य निगम को 57,000 टन गेहूं दिया।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में गेहूं का प्रक्योरमेंट बहुत लेट शुरू हुआ था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप बैठ जाईए। बिना चेयर की अनुमति के नहीं बोलिए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: तीसरा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में कुल उत्पादन 69.75 लाख टन हुआ और उसने भारतीय खाद्य निगम को 3,87,000 टन गेहूं दिया। *[हिन्दी]* सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रक्योरमेंट एजेंसी को राजस्थान से 3 लाख हजार टन माल मिला। अगर आप इसी प्रकार गुजरात को देखें, तो गुजरात में टोटल प्रोडक्शन 30 लाख टन हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को वहां से जीरो लाख टन गेहूं मिला, यानी बिलकुल नहीं मिला। इस प्रकार गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन अच्छा हुआ है। पूरे देश को गेहूं सप्लाई करने की जिम्मेदारी पंजाब और हरियाणा लेते हैं और वहां से हमें कितना गेहूं मिला, वह मैंने बताया। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह बात सच है कि वहां सबसे ज्यादा प्रक्योरमेंट होती है।

महोदय, दूसरा सवाल यह है कि इन पांच राज्यों में भारत सरकार की तरफ से अलाटमेंट कितना हुआ है। इन पांचों राज्यों में टोटल मिलाकर भारत सरकार को इन राज्यों को जो एलोकेशन करना पड़ा, वह आंकड़ा 60-70 लाख टन के आसपास है। यानी जहां पैदा होता है, वहां से भारत सरकार की एजेंसी को माल नहीं मिलता है और जहां भारत सरकार के गोदामों में माल है, उसमें से बड़ा हिस्सा इन राज्यों को देना पड़ता है। इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार को माल मिले या नहीं मिले, लेकिन हम देते हैं, जिससे वहां की आम जनता की समस्या दूर हो। फूड सिक्योरिटी की समस्या को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक बात अब मेरे सामने और आई है और वह यह है कि जब मैं पंजाब और हरियाणा में जाता हूं, तो वहां के किसान मुझसे पूछते हैं कि देश की फूड सिक्योरिटी की समस्या को दूर करने का ठेका क्या हमने ही लिया है? बाकी राज्यों में जहां गेहूं पैदा होता है, वहां से सहयोग नहीं मिलता और पूरा प्रक्योरमेंट यहीं से क्यों किया जाता है? हमें इसी क्रॉप पर क्यों निर्भर रहना चाहिए, हम ज्यादा पैसे देने वाली क्रॉप पर क्यों नहीं जा सकते? इस तरह की बात आज पंजाब में हो रही है, हरियाणा में हो रही है और जब यह बात फैलेगी, तो इसका देश की फूड सिक्योरिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस सदन के माध्यम से जहां-जहां गेहूं पैदा होता है, जहां-जहां चावल पैदा होता है, उन सभी राज्यों से मेरा अनुरोध है कि बाकी कुछ भी राजनीति करिए, मगर फूड सिक्योरिटी की समस्या को हल करने के लिए, भारत सरकार को सहयोग देने की आवश्यकता है।

इसलिए जिन राज्यों में गेहूं और चावल पैदा होता है, इस सदन के माध्यम से उनसे मेरा निवेदन है कि आप जिस किसी पर राजनीति कीजिए, लेकिन फूड सिक्योरिटी की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार को आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, तभी हम इस देश के गरीब लोगों की समस्या को हल कर सकते हैं। उस समय 150 लाख टन की आवश्यकता थी और 110 लाख टन की एवैलेबिलीटी थी। इस 40 लाख टन के गैप को पूरा करने के लिए हमारे सामने इम्पोर्ट करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। किसान होने के नाते से मैं इम्पोर्ट से बिलकुल खुश नहीं हूं। जब मुझे इम्पोर्ट करने का निर्णय लेना पड़ता है तो मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि एक गलत काम हम लोग करते हैं, इस तरह की भावना हम लोगों के मन में पैदा होती है। लेकिन गरीब लोगों की फूड सिक्योरिटी से हम कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, भले ही हमें वह पसंद हो या न हो। इसलिए गरीब लोगों के अनाज की समस्या को हल करने के लिए हमें यह करना पड़ा।

महोदय, यहां सवाल उठाए गए कि जब हम लोगों ने इम्पोर्ट किया तो यहां के किसानों को वह कीमत क्यों नहीं दी? दूसरा, हमने जो पहला टैंडर मंगाया था, उसे कैंसिल क्यों किया गया? और तीसरा, बाकी टैंडर को हमने ज्यादा भाव पर क्यों एक्सैप्ट किया?

महोदय, एक बात मुझे सदन के सामने कहनी है कि जब मिनीमम स्पोर्ट प्राइज पूरे देश के लिए कॉमन होता है और वह पूरे साल के लिए होता है। जब यू.पी.ए. सरकार ने 850 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के लिए तय किया तब अन्तरराष्ट्रीय मार्किट में मिनीमम स्पोर्ट प्राइज 740 रुपये प्रति क्विंटल था, यानी 110 रुपये प्रति क्विंटल भारत के किसानों को दुनिया के किसानों से ज्यादा यू.पी.ए. सरकार

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

लाइन के लोगों को, गरीब आदमी को दिया हुआ अनाज जो बहुत कम कीमत पर देना है, वह गेहूं भी अगर बाहर बाजार में खुले बाजार में चला जाए, उसे भी अगर बेच खाया जाए तो क्या यह गरीब आदमी के साथ मजाक नहीं है? उनके ऊपर क्या यह भीषण अत्याचार व अन्याय नहीं है? इसलिए मंत्री जी इस बात को देखें कि राज्य सरकारों को जो अनाज जा रहा है, वह अनाज ठीक होना चाहिए। सिर्फ उनको रैड व्हीट जो बाहर से गेहूं आया है, केवल वही गेहूं बी.पी.एल. को न भेजा जाए। अगर आपने बी.पी.एल. बनाई है तो फिर हिम्मत के साथ बी.पी.एल. वालों को पूरे राशन-कार्ड व अच्छा राशन मिलना चाहिए। उनके साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए सभापति जी, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय का जो वक्तव्य है, उसमें वह इन बातों का ध्यान रखें।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): माननीय सभापति जी, मैं मल्होत्रा जी का आभारी हूं कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ध्यानाकर्षण के द्वारा सदन में लाये हैं। पिछले कुछ महीनों से देश के अखबारों में कई ऐसी बातें आयी हैं, जिनके स्पष्टीकरण के लिये मुझे देशवासियों के सामने इस सदन के माध्यम से कहने का मौका मिला है। मैंने शुरू में निवेदन किया कि इसके इम्पोर्ट के लिये क्या सिस्टम है। शिकायतें आती हैं, गेहूं की जांच होती है। जो शिकायतें आईं, उनकी जांच हुई और उसके बाद क्या स्थिति थी, यह मैंने सदन के सामने रखने का प्रयास भी किया है।

पहली बात यह है कि हमें गेहूं इम्पोर्ट करने की नौबत क्यों आ रही है? यह समस्या कोई एक साल से नहीं पैदा हुई है बल्कि पिछले 5-7-8-10 सालों से इस देश में कृषि उत्पाद के बारे में देखा जाये तो ट्रैंड ऐसा था कि यह प्रौडक्ट्स दिन-ब-दिन नीचे जा रहा था, कम हो रहा था। खासकर, गेहूं, दालों और ऑयलसीड्स - इन तीनों आइटम्स के लिये जिस तरह देशवासियों की मांग है, उसे पूरा करने की ताकत प्रौडक्शन में नहीं थी। जब डिमांड और सप्लाई में काफी गैप होता है - चाहे पी.डी.एस. हो या आम लोगों के लिये अनाज की फूड सिक्यूरिटी हल करने की बात हो, किसी भी सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। यू.पी.ए. सरकार के पहले जो सरकार थी, उसने खासकर दालों और ऑयलसीड्स का इंम्पोर्ट किया था और आज भी समस्या है जिसके कारण इम्पोर्ट हो रही हैं। नई सरकार आने के बाद इस देश में जो किसान देश में अनाज की आवश्यकता के पूरा करने में कामयाब हुआ, यह देश कामयाब हुआ, हमारे लिये गर्व की बात है लेकिन अब उसमें बदलाव आ रहा है। इसके लिये हमें करैक्टिव मैजर्स लेने की आवश्यकता है। इस संबंध में नई नीति, नई प्रायरिटीज देने की आवश्यकता है। इस संबंध में भारत सरकार में सहमति हुई है।

सभापति महोदय, पिछले कई सालों से इस देश में एग्रीकल्चर सैक्टर में जो इनवैस्टमेंट होता था, वह दिन-ब-दिन कम हो रहा था और इसमें करैक्टिव मैजर्स लेने का काम पिछले 3-4 सालों से शुरू हुआ है। दूसरे, किसानों को उनकी पैदावार की कीमत हम किस तरह देंगे, यह उसकी उपज पर निर्भर रहता है। जहां तक गेहूं की बात है, मैं इस संबंध में कोई राजनीति नहीं लाना चाहता हूं मगर शायद सोच-समझकर यू.पी.ए. सरकार आने के पांच साल पहले किसानों को गेहूं की जो कीमत दी गई, वह केवल 50 रुपये वृद्धिमात्र होती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि गेहूं का उत्पादन दिन-ब-दिन कम होने लगा। मैं सदन के सामने वे आंकड़े दे सकता हूं कि किस तरह हर साल उसका उत्पादन कम हुआ है? जो उत्पादन कम हो रहा है, इसका असर कहीं न कहीं देश की सरकार के स्टाक पर भी होता था। इसमें कोई करैक्टिव मीजर्स लेने की आवश्यकता थी। यू.पी.ए. सरकार ने ऐसा सोचा और पिछले तीन सालों में 370 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा कीमत देने का काम इस सरकार ने गेहूं के संबंध में किया। पहले पांच सालों में पचास रुपये और तीन सालों में 370 रुपये तक ज्यादा कीमत इस सरकार ने दी और किसानों को इस क्षेत्र में जाने के लिए एक तरह का जो सपोर्ट करने की आवश्यकता है, वह सपोर्ट किया गया। इसका असर यह हुआ कि जो पिछला सीजन गेहूं का गया, इस देश में 74.76 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। फिर सवाल यह आ सकता है कि इतना उत्पादन होने के बाद सरकार के पास स्टाक क्यों कम है। सरकार के पास स्टाक कम है यह बात सच है। इसके दो तीन कारण हैं। यह बात सच है और यह बात इस सदन में भी बार बार पहले कही गई कि जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो देश के सभी भंडार भरे थे और देश के अनाज की स्थिति अच्छी थी। इसमें सच्चाई है। भंडार जरूर भरे थे, मगर जब नई हुकूमत आ गई, तब भंडारों की स्थिति देखने के बाद हमारे सामने एक बात आई कि ये भंडार खाली हो गए हैं या खाली हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पब्लिक

डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए दिया होगा तो वह जिम्मेदारी किस सरकार की थी, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मगर इस देश के किसानों को हमने जो कीमत दी, इससे भी कम कीमत पर देश के बाहर एक्सपोर्ट करने का काम पिछली हुकूमत ने किया जिसमें 16000 करोड़ रुपये की सब्सिडी ट्रेडर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए दी गई। मैं यह समझ सकता था कि सरकार की कोई आर्गनाइजेशन हो, चाहे एम.एम.टी.सी. हो या स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन हो, इन्होंने पूरी जिम्मेदारी एक्सपोर्ट करने की ली और शायद उनको कुछ नुकसान आया तो सरकार ने उनको कुछ मदद दी, तो मैं समझ सकता था। लेकिन इससे पहले जो राहत दी गई, वह ट्रेडर्स को दी गई। उनको एक्सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट किया गया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उत्तर सुन लें, फिर आपको मौका देंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इस हाउस की समिति ने यूनैनिमसली कहा था कि इसको समुद्र में फेंक दो, इतने भंडार भरे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी यील्ड नहीं कर रहे हैं। आप सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: इसलिए देश के भंडारों की स्थिति में बहुत बदलाव आया। जब हमारे पास स्टाक कम होता है तो उसका असर प्रोक्योरमैंट पर होता है। जब दुनिया को पता लगता है कि हमारे पास स्टाक क्या है तो यह समझकर फिर प्रोक्योरमैंट पर इसका असर होता है। वह असर होने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर दूसरा सवाल मुझे कोई भी पूछ सकते हैं कि मैंने यहां यह स्टेटमैंट दे दिया कि इस साल सबसे ज्यादा देश में गेहूं का उत्पादन हुआ। फिर स्टाक की पोजीशन आज भी क्यों खराब है और आज भी हम इंपोर्ट क्यो करते हैं। यह महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी यदि पूछता है तो उसका जवाब देने की जिम्मेदारी को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। पिछले दो-तीन सालों में देश में जो प्रोक्योरमैंट हुआ और देश की जो जरूरत थी, इस पर हमें ध्यान देना होगा। इस साल देश की जो आवश्यकता थी, वह 150 लाख टन के आस पास थी। इसमें कुछ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए होगा, कुछ वैलफेयर स्कीम्स के लिए होगा, बफर स्टाक में कोई समस्या आ गई, कुछ राज्यों में बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, ऐसी इमरजेन्सी के लिए कुछ स्टाक रखना पड़ता है। यह सब मिलाकर 150 लाख टन की जरूरत हमारी थी। मगर हम वास्तव में ज्यादा कीमत देने के बाद भी और ज्यादा उत्पादन होने के बाद भी 110 मिलियन टन ही प्रोक्योर कर सके जबकि हमारी जिम्मेदारी 150 मिलियन टन प्रोक्योर करने की थी। 40 लाख टन का गैप इससे आ गया। यह गैप क्यों आ गया और पिछले दो-तीन सालों से यह गैप क्यों आ रहा है, यह सवाल कोई भी पूछ सकता है।

सभापति महोदय, जो टोटल प्रक्योरमेंट हुआ, उसमें पंजाब का पिछले साल का उत्पादन वर्ष 2006-07 का 145 लाख टन था। उसमें से मार्केट में 78 लाख टन गेहूं आया और *[अनुवाद]* इसमें से, 67.57 लाख टन, जो 75 प्रतिशत से अधिक है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब से खरीदा गया है। *[हिन्दी]* दूसरा राज्य हरियाणा है। वहां 100.53 लाख टन टोटल प्रोडक्शन हुआ था। मार्केट अराइवल्स 37.10 लाख टन था। *[अनुवाद]* इसमें से हरियाणा से भारतीय खाद्य निगम 33.46 लाख टन खरीद सका है जो 80 प्रतिशत से अधिक है।

[हिन्दी]

महोदय, इस देश में गेहूं पैदा करने वाले चन्द राज्य हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। मैंने कई बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर, कैप्टेन अमरेन्द्र सिंह से बात की, उनके साथ मीटिंग की कि प्रक्योरमेंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इस बारे में डिटेल डिसकशन किया और जो कुछ समस्याएं थीं, उन्हें दूर करने की कोशिश की। आज मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, श्री भूपेन्द्र सिंह हूडा ने भारत सरकार को प्रक्योरमेंट हेतु बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया। इसीलिए देश में जो टोटल प्रक्योरमेंट हुआ वह 111 लाख टन हुआ। इसमें से 100 लाख टन के आसपास प्रक्योरमेंट सिर्फ दो राज्यों, पंजाब और हरियाणा से हुआ। बाकी गेहूं पैदा करने वाले जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं, जिनमे उत्तर प्रदेश है। *[अनुवाद]* उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादन 250 लाख टन है, बाजार में 13 लाख टन गेहूं आया जोकि सरकार और अभिकरणों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को 5 लाख टन किया गया।

गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों में दूसरा प्रमुख स्थान मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में गेहूं का कुल उत्पादन 71.5 लाख टन और इसने भारतीय खाद्य निगम को 57,000 टन गेहूं दिया।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में गेहूं का प्रक्योरमेंट बहुत लेट शुरू हुआ था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप बैठ जाईए। बिना चेयर की अनुमति के नहीं बोलिए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: तीसरा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में कुल उत्पादन 69.75 लाख टन हुआ और उसने भारतीय खाद्य निगम को 3,87,000 टन गेहूं दिया। *[हिन्दी]* सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रक्योरमेंट एजेंसी को राजस्थान से 3 लाख हजार टन माल मिला। अगर आप इसी प्रकार गुजरात को देखें, तो गुजरात में टोटल प्रोडक्शन 30 लाख टन हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को वहां से जीरो लाख टन गेहूं मिला, यानी बिलकुल नहीं मिला। इस प्रकार गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन अच्छा हुआ है। पूरे देश को गेहूं सप्लाई करने की जिम्मेदारी पंजाब और हरियाणा लेते हैं और वहां से हमें कितना गेहूं मिला, वह मैंने बताया। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह बात सच है कि वहां सबसे ज्यादा प्रक्योरमेंट होती है।

महोदय, दूसरा सवाल यह है कि इन पांच राज्यों में भारत सरकार की तरफ से अलाटमेंट कितना हुआ है। इन पांचों राज्यों में टोटल मिलाकर भारत सरकार को इन राज्यों को जो एलोकेशन करना पड़ा, वह आंकड़ा 60-70 लाख टन के आसपास है। यानी जहां पैदा होता है, वहां से भारत सरकार की एजेंसी को माल नहीं मिलता है और जहां भारत सरकार के गोदामों में माल है, उसमें से बड़ा हिस्सा इन राज्यों को देना पड़ता है। इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार को माल मिले या नहीं मिले, लेकिन हम देते हैं, जिससे वहां की आम जनता की समस्या दूर हो। फूड सिक्योरिटी की समस्या को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक बात अब मेरे सामने और आई है और वह यह है कि जब मैं पंजाब और हरियाणा में जाता हूं, तो वहां के किसान मुझसे पूछते हैं कि देश की फूड सिक्योरिटी की समस्या को दूर करने का ठेका क्या हमने ही लिया है? बाकी राज्यों में जहां गेहूं पैदा होता है, वहां से सहयोग नहीं मिलता और पूरा प्रक्योरमेंट यहीं से क्यों किया जाता है? हमें इसी क्रॉप पर क्यों निर्भर रहना चाहिए, हम ज्यादा पैसे देने वाली क्रॉप पर क्यों नहीं जा सकते? इस तरह की बात आज पंजाब में हो रही है, हरियाणा में हो रही है और जब यह बात फैलेगी, तो इसका देश की फूड सिक्योरिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस सदन के माध्यम से जहां-जहां गेहूं पैदा होता है, जहां-जहां चावल पैदा होता है, उन सभी राज्यों से मेरा अनुरोध है कि बाकी कुछ भी राजनीति करिए, मगर फूड सिक्योरिटी की समस्या को हल करने के लिए, भारत सरकार को सहयोग देने की आवश्यकता है।

इसलिए जिन राज्यों में गेहूं और चावल पैदा होता है, इस सदन के माध्यम से उनसे मेरा निवेदन है कि आप जिस किसी पर राजनीति कीजिए, लेकिन फूड सिक्योरिटी की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार को आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, तभी हम इस देश के गरीब लोगों की समस्या को हल कर सकते हैं। उस समय 150 लाख टन की आवश्यकता थी और 110 लाख टन की एवैलेबिलीटी थी। इस 40 लाख टन के गैप को पूरा करने के लिए हमारे सामने इम्पोर्ट करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। किसान होने के नाते से मैं इम्पोर्ट से बिलकुल खुश नहीं हूं। जब मुझे इम्पोर्ट करने का निर्णय लेना पड़ता है तो मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि एक गलत काम हम लोग करते हैं, इस तरह की भावना हम लोगों के मन में पैदा होती है। लेकिन गरीब लोगों की फूड सिक्योरिटी से हम कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, भले ही हमें वह पसंद हो या न हो। इसलिए गरीब लोगों के अनाज की समस्या को हल करने के लिए हमें यह करना पड़ा।

महोदय, यहां सवाल उठाए गए कि जब हम लोगों ने इम्पोर्ट किया तो यहां के किसानों को वह कीमत क्यों नहीं दी? दूसरा, हमने जो पहला टैंडर मंगाया था, उसे कैंसिल क्यों किया गया? और तीसरा, बाकी टैंडर को हमने ज्यादा भाव पर क्यों एक्सैप्ट किया?

महोदय, एक बात मुझे सदन के सामने कहनी है कि जब मिनीमम स्पोर्ट प्राइज पूरे देश के लिए कॉमन होता है और वह पूरे साल के लिए होता है। जब यू.पी.ए. सरकार ने 850 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के लिए तय किया तब अन्तरराष्ट्रीय मार्किट में मिनीमम स्पोर्ट प्राइज 740 रुपये प्रति क्विंटल था, यानी 110 रुपये प्रति क्विंटल भारत के किसानों को दुनिया के किसानों से ज्यादा यू.पी.ए. सरकार

ने दिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। मुझे याद है, पंजाब में जब अकाली दल की सरकार आ गई तो उन्होंने और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांटैक्ट करके बताया कि बहुत अच्छी कीमत डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने तय की है और हम अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा गेहूं लगाएंगे तथा ज्यादा से ज्यादा गेहूं सेंटर पूल में देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो बात कही थी, उस पर उन्होंने अमल भी किया। इसलिए ज्यादा कीमत देने की जो मांग थी, वह हमने पूरी की। यह बात सच है कि अन्तरराष्ट्रीय कीमत से ज्यादा यहां कीमत दी गई है।

महोदय, यहां सवाल उठाया गया कि जब हमने इम्पोर्ट किया, तब इम्पोर्ट करने का कौन सा प्रोसिजर अपनाया गया? हमारे यहां ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी है, जो सिचुएशन देखती है और तय करती है कि क्या करना है। यह सब उस कमेटी ने ही तय किया कि इम्पोर्ट करने की आवश्यकता है। इसके बाद यह बात आई कि इम्पोर्ट करने की जम्मेदारी किस पर डालनी चाहिए? मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्तरराष्ट्रीय मार्किट में खरीदने और बेचने का एक्सपीरियंस कृषि मंत्रालय को नहीं है। हमारे देश में इसके लिए स्टेट ट्रैडिंग कार्पोरेशन और एम.एम.टी.सी. जैसे संस्थान पिछले कई सालों से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसी को सोच और समझकर स्टेट ट्रैडिंग कार्पोरेशन को इम्पोर्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए मंत्रियों की एक कमेटी गठित की गई और जो टेंडर इसके लिए मंगाए गए थे, वह इंटरनेट पर मंगाए गए थे। सभी स्टैक होल्डर्स को बुलाकर, उनके सामने टेंडर खोले गए और टेंडर खोलने के बाद सबसे अच्छी, सबसे कम कीमत के टेंडर को स्वीकार करने का निर्णय एस.टी.सी. ने लिया और उस पर हम लोगों ने अमल किया। सबसे कम बोली 1080 रुपये के आस-पास थी यानी 266 डॉलर थी। उस समय देश में मिनीमम स्पोर्ट प्राइज 850 रुपये पर गेहूं खरीदा जा रहा था। एस.टी.सी. ने वन मिलियन टन की डिमान्ड के लिए टेंडर मंगाए थे, लेकिन इस एक लाख मिलियन सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। केवल 3 लाख 60 हजार टन के आस-पास सप्लाई करने की जिम्मेदारी ली गई। यानी 265 डालर पर हमें जो व्हीट मिलने वाला था, वह 3.60 लाख टन के आसपास ही मिलने वाला था। तब एस.टी.सी. ने इसकी स्टडी करके हमें लिखा कि दुनिया का ट्रेंड यह दिखाई देता है कि कीमतें नीचे जा रही हैं और उन्होंने इस बारे में एक उदाहरण भी दिया कि जो 3.60 लाख टन का जो प्रपोजल आया था, जो ऑफर आई थी, यह ऑफर देने वाली कम्पनी ने कहा था कि अगस्त महीने तक अगर आप डिलीवरी लेंगे तो इसकी कीमत ज्यादा होगी और अगस्त, 2007 के बाद लेंगे तो इसकी कीमत कम होगी। एस.टी.सी. ने हमें लिखा कि यह ट्रेंड बताया है कि अगस्त के बाद दुनिया का प्रोडक्शन मार्केट में आने के बाद नीचे जाएंगी, कम हो जाएंगी। यह बात उन्होंने हमारे सामने रखी।

दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि इण्टरनेशनल ग्रेन काउंसिल दुनिया में सभी देशों का एक संगठन है और वह हर हफ्ते दुनिया के सभी देशों में हर आइटम की क्या कीमत है, इस बारे में मालूमात करती है। उस इण्टरनेशनल ग्रेन का काउंसिल की जो उस महीने की रिपोर्ट थी, इसमें दुनिया में जो गेहूं के प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं, वे नीचे जाने की पोसिविलिटी है। आस्ट्रेलिया में और कई देशों में अच्छा प्रोडक्शन होने की स्थिति है, इसलिए कीमतें नीचे जाएंगी, कम हो जाएंगी, इस बात की उन्होंने भी सपोर्ट की थी।

सभापति महोदय: लेकिन आस्ट्रेलिया में सूखा पड गया।

श्री शरद पवार: बाद में पड़ा, मैं बताता हूं। ये जो सब रिपोर्टें आ गईं, ये सब रिपोर्ट्स आने के बाद यह बताया गया कि प्राइसेज कम होने वाली हैं तो हमारे सामने एक लिखित स्वरूप में रिपोर्ट थीं कि प्राइसेज कम होने वाली हैं, आज की प्राइस जो ऑफर हुई, वह ज्यादा है और हम जो किसानों को कीमत देते हैं, वह इससे भी कम है। यहां के मार्केट का, किसानों का सर्वे करने के बाद और हर राज्य को कांटैक्ट करने के बाद राज्यों से हमें यह इन्फोर्मेशन मिली कि 8-9 लाख टन गेहूं हम अपने देश में किसानों से भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 850 रुपये है। हमारे पास ऑफर 3.60 लाख टन की थी और उसकी कीमत एक हजार रुपये से ऊपर थी और दूसरी तरफ हमारे पास स्टेट्स की इन्फोर्मेशन यह थी कि यहां हम 8-9 लाख टन 850 रुपये में ऑफर कर सकते थे तो किसके हमें स्वीकार करना चाहिए। अपने देश में अपने किसान 850 रुपये पर देने के लिए तैयार हैं, यह इन्फोर्मेशन मिलने के बाद हमने तय किया कि विदेश से हम गेहूं नहीं खरीदेंगे और अपने देश में खरीदेंगे।

मुझे यह कहने में खुशी है कि यह डिसीजन लेने के बाद भारत के किसानों ने 9 लाख टन गेहूं 850 रुपये की दर से भारत सरकार की किट्टी में फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया। जब हम 3.60 लाख टन गेहूं बाहर से

ने दिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। मुझे याद है, पंजाब में जब अकाली दल की सरकार आ गई तो उन्होंने और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांटैक्ट करके बताया कि बहुत अच्छी कीमत डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने तय की है और हम अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा गेहूं लगाएंगे तथा ज्यादा से ज्यादा गेहूं सेंटर पूल में देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो बात कही थी, उस पर उन्होंने अमल भी किया। इसलिए ज्यादा कीमत देने की जो मांग थी, वह हमने पूरी की। यह बात सच है कि अन्तरराष्ट्रीय कीमत से ज्यादा यहां कीमत दी गई है।

महोदय, यहां सवाल उठाया गया कि जब हमने इम्पोर्ट किया, तब इम्पोर्ट करने का कौन सा प्रोसिजर अपनाया गया? हमारे यहां ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी है, जो सिचुएशन देखती है और तय करती है कि क्या करना है। यह सब उस कमेटी ने ही तय किया कि इम्पोर्ट करने की आवश्यकता है। इसके बाद यह बात आई कि इम्पोर्ट करने की जम्मेदारी किस पर डालनी चाहिए? मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्तरराष्ट्रीय मार्किट में खरीदने और बेचने का एक्सपीरियंस कृषि मंत्रालय को नहीं है। हमारे देश में इसके लिए स्टेट ट्रैडिंग कार्पोरेशन और एम.एम.टी.सी. जैसे संस्थान पिछले कई सालों से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसी को सोच और समझकर स्टेट ट्रैडिंग कार्पोरेशन को इम्पोर्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए मंत्रियों की एक कमेटी गठित की गई और जो टेंडर इसके लिए मंगाए गए थे, वह इंटरनेट पर मंगाए गए थे। सभी स्टैक होल्डर्स को बुलाकर, उनके सामने टेंडर खोले गए और टेंडर खोलने के बाद सबसे अच्छी, सबसे कम कीमत के टेंडर को स्वीकार करने का निर्णय एस.टी.सी. ने लिया और उस पर हम लोगों ने अमल किया। सबसे कम बोली 1080 रुपये के आस-पास थी यानी 266 डॉलर थी। उस समय देश में मिनीमम स्पोर्ट प्राइज 850 रुपये पर गेहूं खरीदा जा रहा था। एस.टी.सी. ने वन मिलियन टन की डिमान्ड के लिए टेंडर मंगाए थे, लेकिन इस एक लाख मिलियन सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। केवल 3 लाख 60 हजार टन के आस-पास सप्लाई करने की जिम्मेदारी ली गई। यानी 265 डालर पर हमें जो व्हीट मिलने वाला था, वह 3.60 लाख टन के आसपास ही मिलने वाला था। तब एस.टी.सी. ने इसकी स्टडी करके हमें लिखा कि दुनिया का ट्रेंड यह दिखाई देता है कि कीमतें नीचे जा रही हैं और उन्होंने इस बारे में एक उदाहरण भी दिया कि जो 3.60 लाख टन का जो प्रपोजल आया था, जो ऑफर आई थी, यह ऑफर देने वाली कम्पनी ने कहा था कि अगस्त महीने तक अगर आप डिलीवरी लेंगे तो इसकी कीमत ज्यादा होगी और अगस्त, 2007 के बाद लेंगे तो इसकी कीमत कम होगी। एस.टी.सी. ने हमें लिखा कि यह ट्रेंड बताया है कि अगस्त के बाद दुनिया का प्रोडक्शन मार्केट में आने के बाद नीचे जाएंगी, कम हो जाएंगी। यह बात उन्होंने हमारे सामने रखी।

दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि इण्टरनेशनल ग्रेन काउंसिल दुनिया में सभी देशों का एक संगठन है और वह हर हफ्ते दुनिया के सभी देशों में हर आइटम की क्या कीमत है, इस बारे में मालूमात करती है। उस इण्टरनेशनल ग्रेन का काउंसिल की जो उस महीने की रिपोर्ट थी, इसमें दुनिया में जो गेहूं के प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं, वे नीचे जाने की पोसिविलिटी है। आस्ट्रेलिया में और कई देशों में अच्छा प्रोडक्शन होने की स्थिति है, इसलिए कीमतें नीचे जाएंगी, कम हो जाएंगी, इस बात की उन्होंने भी सपोर्ट की थी।

सभापति महोदय: लेकिन आस्ट्रेलिया में सूखा पड गया।

श्री शरद पवार: बाद में पड़ा, मैं बताता हूं। ये जो सब रिपोर्टें आ गईं, ये सब रिपोर्ट्स आने के बाद यह बताया गया कि प्राइसेज कम होने वाली हैं तो हमारे सामने एक लिखित स्वरूप में रिपोर्ट थीं कि प्राइसेज कम होने वाली हैं, आज की प्राइस जो ऑफर हुई, वह ज्यादा है और हम जो किसानों को कीमत देते हैं, वह इससे भी कम है। यहां के मार्केट का, किसानों का सर्वे करने के बाद और हर राज्य को कांटैक्ट करने के बाद राज्यों से हमें यह इन्फोर्मेशन मिली कि 8-9 लाख टन गेहूं हम अपने देश में किसानों से भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 850 रुपये है। हमारे पास ऑफर 3.60 लाख टन की थी और उसकी कीमत एक हजार रुपये से ऊपर थी और दूसरी तरफ हमारे पास स्टेट्स की इन्फोर्मेशन यह थी कि यहां हम 8-9 लाख टन 850 रुपये में ऑफर कर सकते थे तो किसके हमें स्वीकार करना चाहिए। अपने देश में अपने किसान 850 रुपये पर देने के लिए तैयार हैं, यह इन्फोर्मेशन मिलने के बाद हमने तय किया कि विदेश से हम गेहूं नहीं खरीदेंगे और अपने देश में खरीदेंगे।

मुझे यह कहने में खुशी है कि यह डिसीजन लेने के बाद भारत के किसानों ने 9 लाख टन गेहूं 850 रुपये की दर से भारत सरकार की किट्टी में फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया। जब हम 3.60 लाख टन गेहूं बाहर से

[श्री शरद पवार]

एक हजार रुपये से ज्यादा कीमत देकर लेते तो शायद इसका असर डोमैस्टिक प्रोडक्शन पर गलत होता। किसानों को भी इससे एक गलत संदेश जाता कि हम बाहर के लिए ज्यादा कीमत देते हैं और यहां के किसानों को कीमत नहीं देते। इसका असर हमारा प्रिक्यूरमेंट पर भी हो सकता था और इसलिए सोच-समझ कर यह डिसीजन ले लिया।

यह बात भी सच है कि इसके बाद दुनिया के सब मार्केट अगले कुछ दिनों में ऊपर गये। इसमें जो बातें सामने आईं, उनमें एक तरफ आस्ट्रेलिया में सुखा हो गया और कई देशों में फसल कम हो गई और इसका असर दिन-ब-दिन कीमतों पर पड़ा। यहां एक समस्या खड़ी की गई कि हमने लाल गेहूं क्यों खरीदा। भारत में जो गेहूं पैदा होता है, ऐसा गेहूं भारत में पैदा होता है, आस्ट्रेलिया में पैदा होता है और पाकिस्तान में पैदा होता है। इस साल पाकिस्तान की फसल कम हो गई, पाकिस्तान भी इसका आयात कर रहा है। आस्ट्रेलिया की फसल कम हो गई, उसने इसका निर्यात रोक दिया है। अब जो गेहूं पैदा होता है, वह अमेरिका में होता है और खास तौर पर ईस्टर्न यूरोप में, कनाडा में, यू.के., रशिया, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना और अन्य सभी देशों में रैड गेहूं पैदा होता है। अमेरिका में दूसरी किस्म का गेहूं पैदा होता है, मगर हमारे जो परचेज करने के बारे में नोर्म्स हैं, उन नोर्म्स को अमेरिकन सिस्टम या अमेरिकन एथॉरिटी पूरे नहीं करती थी। इस इश्यू पर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए इस तरह का सुझाव अमेरिका की तरफ से आया था, *[अनुवाद]* अमरीका के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मुझ से स्वयं मिले थे और उन्होंने मुझ से अनुरोध किया था परंतु हम इसे स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि यह बुनियादी समझौता है इसलिये नहीं कर सकते। हम गेहूं की गुणवत्ता के मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते *[हिन्दी]* इसलिए अमेरिका से हम नहीं ले सके और इसके बाद यूक्रेन, रशिया, कजाखिस्तान देश बाकी बचे।

सभापति महोदय: अमेरिका से कुछ भी लेने में बड़ा झगड़ा है।

श्री शरद पवार: इसीलिए हमने नहीं लिया। जो कुछ इंपोर्ट किया गया, उसके सप्लायर्स सिर्फ ये देश थे। यहां के गेहूं और हमारे गेहूं के कलर में फर्क है। अगर प्रोटीन क्वालिटी की अगर जांच करें, तो हमारे गेहूं से उस गेहूं में ज्यादा प्रोटीन है। हमारी फूड हैबिट्स अलग हैं और इस फूड हैबिट से रेड व्हीट के बारे में लोगों में नाराजगी रहती है। मैंने खुद अपने घर में कहा कि सात दिन के लिए इंपोर्टेड व्हीट ट्राई करिए। मुझे खुद यह पता लगा और अंदाजा हो गया कि हमारी खाने की जो आदत है, उसमें वहां के टेस्ट और यहां के टेस्ट में अंतर है। लेकिन इसकी क्वालिटी खराब नहीं थी। इस बारे में कुछ राज्यों ने हमें लिखा है, इसमें महाराष्ट्र छोड़कर बाकी राज्यों ने हमें इतना ही लिखा है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस रेड के मुकाबले व्हाइट का है। अगर आपके पास व्हाइट गेहूं हो, आप उसे भेजिए। इस तरह की रिक्वेस्ट कई राज्यों ने की थी। जो टोटल एलोकेशन हमने राज्यों को किया, उसमें बहुत कम शिकायतें आयीं। आप यह देखिए कि *[अनुवाद]* हमने विभिन्न राज्यों को कुल मिलाकर 51 लाख टन गेहूं आबंटित किया है। हमने गुजरात को 16 लाख टन गेहूं आबंटित किया परंतु हमें एक भी शिकायत नहीं मिली। हमने राजस्थान को भी गेहूं आबंटित किया है और वहां से भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बल्कि एक मंत्री ने इसको प्राथमिकता देने के लिए लिखा है, इसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं। *[हिन्दी]*

सभापति महोदय: जिन राज्यों ने नहीं दिया, उन राज्यों ने कोई शिकायत नहीं की। यह कोई बात नहीं है।

श्री शरद पवार: वेस्ट-बंगाल में हमने दिया, लेकिन कोई शिकायत नहीं आयी। शिकायत सिर्फ महाराष्ट्र से आयी। महाराष्ट्र में मुंबई और थाने में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां कुछ सैंपल दुकान से लिए गए। वे सैंपल्स खराब थे, इस तरह की बात सामने आयी। यह बात सामने आने के बाद राज्य सरकार के माध्यम से हमारे सामने आ गयी। यह होने के बाद हमने तुरंत वहां रेड व्हीट का डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया। हर स्टेट को हमने लिखित रूप में इन्फार्म किया कि यदि कहीं भी क्वालिटी के बारे में शिकायत हो, तो आप इसकी क्वालिटी लैबोरेट्री में टेस्ट करके, जो नेशनल गाइडलाइन है, उसके मुताबिक ही क्वालिटी हो, तभी इसका डिस्बर्समेंट करिए, नहीं तो डिसबर्समेंट मत करिए, एलोकेशन मत करिए। इस तरह की क्लियरकट गाइडलाइन देश के सभी राज्यों को दी थी। जहां शिकायत आयी, वहां रेड व्हीट एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से बंद कर दिया। इसलिए आज वह स्थिति नहीं है।

मुझे यही कहना था कि यह जो संकट आया, किस

स्थिति में आया। इंपोर्ट करने की जो नौबत आयी, वह किस तरह की परिस्थिति में आयी, यह बात मैंने सदन के सामने रखा। जो शिकायतें आयीं, ये लिमिटेड एरिया में आयीं, इस बात को भी मैंने सदन के सामने कहा। ऐसी स्थिति में सी.बी.आई. की जांच या और किसी के द्वारा जांच की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस पर बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आगे भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: पहले 263 में नहीं दिया, फिर जो टेंडर गया, वह 325 का आया, दूसरी बार और ज्यादा कर दिया। तब कहा था कि गेहूं सस्ता होगा, जबकि बाद में यह महंगा हो गया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस पर करीब पचास मिनट की चर्चा हो चुकी है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर सी.बी.आई. की इंक्वायरी नहीं करते, तो हम लोग प्रोटेस्ट में वाक आउट करते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह आपका अधिकार है।

अपराह्न 12.54 बजे

(तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए)

सभापति महोदय: अब कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हम चर्चा में लेंगे। यद्यपि यह खुद ही बहुत महत्वपूर्ण विषय था, इसमें पचास मिनट लगे। मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत और संगत उत्तर दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम 'शून्य काल' की कार्यवाही शुरू करेंगे।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवकाशी): माननीय सभापति महोदय, पिछले दो वर्षों से पूरे देश में डी.ए.पी. और यूरिया जैसे उर्वरकों की आपूर्ति और वितरण बाधित हुआ है। इससे जीविकोपार्जन के लिये कृषि पर निर्भर करने वाले किसान अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इसके लिए प्रभावी वितरण तंत्र विकसित विद्यमान था। लेकिन आवश्यकता और उत्पादन तथा मांग और आपूर्ति के बीच के बढ़ते अंतर जैसे विभिन्न कारणों से यह समस्या उत्पन्न हुई है। उत्पादन और आपूर्ति-वितरण के बीच 6 मिलियन टन के अंतर का अनुमान लगाया गया है। जहां तक यूरिया का सम्बन्ध है, केन्द्र सरकार ने इसमें कुछ हद तक सुधार किया है। फास्फोरिक उर्वरक की आपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा अपनी संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित की जानी होती है। भारत सरकार उर्वरकों का आयात करके इस समस्या का समाधान कर रही है। तमिलनाडु में दो उर्वरक इकाइयां पिछले अनेक महीनों से कार्य नहीं कर रही हैं और अब यहां पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा है। तमिलनाडु के किसानों, जो अंतर्राज्यीय नदी जल के बंटवारे के विवाद से पहले ही प्रभावित हैं, को इससे और भी धक्का पहुंचा है। तमिलनाडु में उर्वरकों, विशेषकर फास्फोरिक उर्वरक की कमी से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां कालाबाजारी करने वाले बेईमान लोग असहाय किसानों का शोषण कर उनसे उर्वरकों की अधिक कीमत वसूल कर धन कमा रहे हैं। उर्वरक की आपूर्ति और वितरण केन्द्र सरकार द्वारा उचित तंत्र के माध्यम से की जाती है और इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से फॉस्फोरिक उर्वरक की कमी की समस्या का समाधान करने में सहायता करने का आग्रह करते हुए यह अनुरोध करता हूं कि सरकार उचित मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करे।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

तसलीमा नसरीन एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं। वह बांग्लादेश की नागरिक हैं। उन्हें कट्टरपंथियों की धमकी के कारण देश छोड़ना पड़ा था। वह इसके कारण पूरी दुनिया घूम चुकी हैं। तत्पश्चात् वह भारत आईं और कोलकाता में रहने लगी। कल उन्हें अत्यंत दुखद परिस्थितियों में वह शहर छोड़ना पड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तसलीमा नसरीन को सहिष्णु और सांस्कृतिक शहर कोलकाता छोड़ना पड़ा। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

मुझे बताया गया है कि अब वह जयपुर में हैं। एक अपुष्ट खबर यह है कि उन्हें जयपुर छोड़ने के लिए भी कहा गया है; इस बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूं। भारत के संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यदि किसी लेखक को, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो, अपनी दृढ़ मान्यता के अनुरूप लिखने के लिए प्रताड़ित किया जाता है और धमकी दी जाती है, तो यह स्वीकार्य नहीं है। हमारा दृष्टिकोण यह है।

अब स्थिति यह है कि उन्होंने कहा है कि वह भारत में रहना चाहती हैं और यहीं पर अंतिम सांस लेना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि भारत उनका घर है। चूंकि भारत सरकार ने उन्हें वीजा दिया था, क्या भारत सरकार को पश्चिम बंगाल सहित देश के किसी भी हिस्से में उनके प्रवास के दौरान उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए? एक महिला वह भी एक प्रतिष्ठित लेखिका विपत्ति में है, उन्हें अपना जीवन शांतिपूर्ण रीति से जीने के लिए एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

अतः मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि उन्हें भारत के किसी भी स्थान पर रहने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। मुझे अपार प्रसन्नता होगी यदि पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें कोलकाता में ही रहने के लिए सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व स्वीकार करे।

लेकिन इसमें एक और मामला है। मामला यह है कि यदि तसलीमा नसरीन भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करती हैं, तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि उनको नागरिकता देने के मामले पर विचार किया जाए क्योंकि यह भारत की श्रेष्ठ परंपरा के अनुरूप है। यदि दलाई लामा को विभिन्न पक्षों की नाराजगी और आलोचना के बावजूद शरण दी जा सकती है, तो तसलीमा नसरीन को क्यों नहीं?

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: दोनों अलग-अलग मुद्दे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं आखिरी मुद्दे पर हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपकी बात सुन ली गई है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: और भी बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। आपकी बात हो गई है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: मुझे केवल एक ही बात कहनी है। देश को किसी भी प्रकार के कट्टरवाद के आगे झुकना नहीं चाहिए। चाहे वह हिन्दू कट्टरवाद हो अथवा मुस्लिम कट्टरवाद। मैं इस बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, हम भी इनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं।

सभापति महोदय: यद्यपि आपने नोटिस नहीं दिया है, फिर भी हम आपको एसोसिएट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मुंशी राम के अलावा और किसी माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाए ही है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: उनके अपने विचार हैं। आप किसी माननीय सदस्य को मजबूर नहीं कर सकते कि वे क्या विचार रखें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

सभापति महोदय: ठीक है, ये उनके विचार हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुंशी राम जी की बात के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

*...वधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: मुंशी राम जी, एक महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं इसलिए आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बैठिये। गवर्नमैंट को इस बात के लिए कम्पेल नहीं किया जा सकता। एक विषय उठाया जिसे सुन लिया गया।

...(व्यवधान)

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): सभापति महोदय, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की महत्वपूर्ण समस्या पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रोसीडिंग्स में कुछ भी नहीं जा रहा है। आप इसके लिए अलग से नोटिस दीजिए। आपको बाद में सुन लिया जायेगा। ऐसे कुछ नहीं सुना जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आजमी साहब, रिकार्ड में कुछ भी नहीं जा रहा है। आप अपना स्वास्थ्य मत खराब करिये।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: गवर्नमैंट को कम्पेल नहीं किया जा सकता। आप लोग उनकी बातों से एसोसियेट हो गये हैं। आपका नोटिस नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आजमी जी, आप अपना स्वास्थ्य मत खराब कीजिए क्योंकि रिकार्ड में कुछ भी नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): सभापति महोदय, मैं मुखालिफत करता हूं और वाकआउट करता हूं।*...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.02 बजे

(तत्पश्चात् श्री इलियास आजमी सभा से बाहर चले गए)

श्री मुन्शी राम: सभापति महोदय, पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का उत्पादन करने में पहला-दूसरा स्थान रखता है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुंशी राम जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं इसलिए आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुंशी राम जी, बहुत अच्छी बात उ रहे हैं। आप बैठ जाइये। आसन से किसी को मजबूर नह किया जा सकता। आपने अपनी बात कह दी है इसलिए आप बैठ जायें। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आप बैठ जाइये। आप दूसरे सदस्यों को भी अपनी बात कहने का अवसर दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मल्होत्रा जी, आप अलग से नोटि दीजिए। यह आज नहीं होगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बैठिये। आप दूसरों को भी अपनी बात कहने दीजिए। माननीय सदस्य तीन दिन धरने पर बैठे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुन्शी राम: सभापति महोदय, मैं पांच दिन धरने पर बैठा हूं।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य पांच दिन धरने पर बैठे हैं। मुंशी राम जी, आप अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्री मुन्शी राम: सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश में चीनी का उत्पादन कराने में पश्चिम उत्तर प्रदेश देश में पहला-दूसरा स्थान रखता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान 80 प्रतिशत से ज्यादा गन्ने की पैदावार करते हैं और देश को चीनी की उपलब्धता कराते हैं। लेकिन इस वर्ष गन्ना उत्पादन करने वाले किसान बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं। आज उनकी फसल का कोई भी खरीददार नहीं है। वर्ष 2006-07 में, जो पिछले आठ-दस महीने का उनका गन्ने का भुगतान था, वह प्राइवेट मिल मालिकों द्वारा आज तक नहीं दिया गया। इस समय उनकी फसलें खड़ी हैं। जो चीनी मिलों को 15 अक्तूबर तक चली जानी चाहिए थी, वे अभी तक 100 परसेंट चलनी शुरू नहीं हुई। इस कारण उनकी खड़ी फसल का आज कोई भी खरीददार नहीं है। इस सदन में 20 अगस्त को प्रश्न काल

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मुन्शी राम]

के दौरान मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से सवाल किया था कि आपने स्वीकार किया है कि गन्ने का उत्पादन 10 प्रतिशत से ज्यादा हुआ है और जो गन्ने की पैदावार बढ़ी है, उसकी आप किस तरह से खरीददारी करेंगे? उस समय गाननीय कृषि मंत्री जी ने इस सदन में वायदा किया था कि हम चीनी मिलों को अतिशीघ्र चलायेंगे। लेकिन भारत सरकार और प्रदेश सरकार उसमें नाकामयाब रही हैं। इसके लिए मुझे खुद 15 तारीख से लेकर 19 तारीख, यानी पांच दिन तक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा ताकि किसान आत्महत्या न करें। वे अपने संकट में यह महसूस करें कि हमारे जन-प्रतिनिधि हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं और कोई गलत निर्णय न लें।

मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उनके खेत खाली नहीं हैं। उन्होंने इस समय गेहूं की बुआई करनी थी। इससे गेहूं की पैदावार भी प्रभावित हुई है। लिहाजा मैं सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि गन्ने की जो अधिक पैदावार हुई, उसकी खरीददारी सरकार अपने स्तर से प्राइवेट चीनी मिलों के माध्यम से करवाए।

सभापति महोदय: सरकारी चीनी मिलों से खरीद करवाई जाए।

श्री मुन्शी राम: महोदय, किसानों की फसल के लिए वर्ष 2007 का भुगतान अविलंब कराया जाए।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट चीनी मिल मालिक हमेशा एक यूनिटी बनाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का शोषण करना चाहते हैं। इसलिए मेरी भारत सरकार से यह मांग है कि प्रत्येक जिले में दो-दो चीनी मिलें भारत सरकार को लगानी चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार से प्राइवेट चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों का शोषण न किया जा सके। धन्यवाद।

सभापति महोदय: श्री एम. शिवन्ना, जो कि कर्नाटक में गन्ना किसानों की फसल के मूल्य का भुगतान न किए जाने का मामला उठाना चाहते हैं, को हम श्री मुंशीराम जी की बात के साथ ही एसोशिएट कर लेते हैं क्योंकि ये एक समान विषय हैं।

[अनुवाद]

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय: अनेक महत्वपूर्ण मामले उठाए जाने हैं। मैं आपको अवसर कैसे दे सकता हूं?

...(व्यवधान)

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, यह कर्नाटक का ज्वलंत मुद्दा है।

सभापति महोदय: सभी जगह यह ज्वलंत मामला है। लेकिन मैं आपको अवसर कैसे दे सकता हूं?

...(व्यवधान)

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, मैं केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: आप दो मिनट में ही अपनी बात कहिए।

***श्री एम. शिवन्ना:** सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं गन्ना उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। मैं अपने मित्र और माननीय सदस्य के साथ अपने आपको संबद्ध करना चाहता हूं जिन्होंने इस मामले को पहले उठाया है।

महोदय, मैं अपना भाषण केवल कर्नाटक तक ही सीमित रखना चाहता हूं। कर्नाटक में लगभग 3 लाख 57 हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान 240 लाख टन गन्ने का उत्पादन किया गया था। 240 लाख टन में से 12 लाख टन गन्ने की पेराई नहीं की गई थी। इस वर्ष गन्ने का कुल उत्पादन, लगभग 260 लाख टन है। लेकिन यह अत्यंत चिन्ता का विषय है कि सरकार ने गन्ने के अत्यधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न समस्या का समाधान ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरी ओर चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई करने से मना कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप गन्ना खेतों में ही जलाया जा रहा है। इससे किसान प्रभावित हुए हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

हालांकि, कर्नाटक सरकार ने प्रति टन गन्ने के लिए 1200/- रु. का भुगतान करने का आदेश दिया है जिसमें से चीनी मिलों द्वारा केवल 800/- रु. का भुगतान किया जा रहा है। यह गन्ने की उत्पादन लागत से भी कम है। चीनी मिलों पर किसानों का 160 करोड़ रु. बकाया है।

---

*मूलत: कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मेरे चामराजनगर जिले में महादेशवर चीनी मिल और बन्नारी अम्मान चीनी मिल तौलने के दौरान भोले-भाले किसानों के साथ धोखा कर रही हैं। वे किसानों से गन्ना खरीदने में अनुचित विलंब कर रहे हैं। यदि गन्ने को 12 महीनों के भीतर नहीं खरीदा जाता, तो यह सूख जाता है जिसके परिणामस्वरूप गन्ने का वजन कम हो जाता है। इससे किसानों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। उपर्युक्त चीनी मिलें सड़कों का रखरखाव नहीं कर रही हैं, जो संबंधित मिलों की जिम्मेदारी है। गन्ना उत्पादकों को गन्ने की खरीद के समय कुल राशि के केवल 50 प्रतिशत का ही भुगतान किया जा रहा है। गन्ना उत्पादकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान न करके उनका शोषण किया जा रहा है। हालांकि पिछले मौसम में पेराई से चीनी मिलों ने काफी मुनाफा कमाया था लेकिन किसानों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। किसानों को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलना ही चाहिये। अतः किसानों के साथ धोखा करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

महोदय, चामराजनगर जिला देश के सबसे पिछड़े जिलों में से है। वहां वर्षा जल के अतिरिक्त जल का कोई अन्य स्रोत नहीं है। मेरे जिले के किसान बिजली बिलों का भुगतान करने में भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डा. के. करुणानिधि के नेतृत्व में तमिलनाडु राज्य सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई है। अतः मैं भारत सरकार से सभी किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि पूरे देश में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य एकसमान होना चाहिए।

अंत में मेरा भारत सरकार से विनम्र आग्रह है कि वह असहाय गन्ना उत्पादकों की सहायता करने के लिए हर संभव कदम उठाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: श्री शिवन्ना, कृपया बैठ जाइए। श्री प्रभुनाथ सिंह के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मध्य प्रदेश में सूखे की समस्या को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, कृपया मुझे बोलने का अवसर दीजिए।

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ और बरसात से परेशानी होती है, इसे पूरा देश जानता है। बाढ़ और बरसात के बाद भी यह समस्या बनी रह जाती है कि जेंवर की जो जमीन होती है उसमें जल-जमाव हो जाता है। बहुत सी छोटी-छोटी नदियां हैं, जिनमें मिट्टी भर जाने के कारण जब बाढ़ और बरसात का पानी आता है तो वह नदी से बाहर निकलकर किसानों की फसल बर्बाद कर देता है। खासकर उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश में जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है उसका हिस्सा और सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर का यह जो पूरा क्षेत्र है, इसमें बराबर यह समस्या बनी रहती है।

बिहार सरकार ने नदियों को जोड़ने का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है। मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस पर पहल करे और योजना आयोग भी इस पर विचार करे। लेकिन किसानों की जो तात्कालिक समस्या है, वह छेवर में जल जमा होना और छोटी-छोटी नदियों में मिट्टी भर जाना है। अगर छेवर से जल और नदियों से मिट्टी निकाल दी जाए तथा बड़ी-बड़ी नदियों पर पुल और नहरें बनाकर उन्हें मिला दिया जाए, तो मैं महसूस करता हूं कि इस समस्या का कुछ हद तक समाधान हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

करना चाहता हूं कि वह राज्य सरकार से प्रस्ताव मंगाकर उस पर कार्य करे और छोटी-छोटी नदियों से मिट्टी की निकालने तथा छेंवर से जल निकासी का प्रबंध करे। इससे बिहार, खासकर उत्तर बिहार के किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा।

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात कहूं। *[अनुवाद]* मैं अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा।

दार्जिलिंग में 1980 के अशांत वर्षों की याद आज भी हमारे जेहन में है। पश्चिम बंगाल राज्य से पृथक दार्जिलिंग राज्य की मांग के कारण वहां खून-खराबा, लोगों की हत्या और सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान हुआ था।

भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (जी.एन.एल.एफ.) के श्री सुभाष गीशिंग के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। समझौते के अनुसार दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डी.जी.एच.सी.) का गठन किया गया और वहां शांति बहाल की गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई और वहां विकासात्मक कार्य शुरू किए गए। तत्पश्चात् अनेक वर्षों के पश्चात पृथक दार्जिलिंग राज्य की मांग दोबारा उठाई गई है।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा और मार्च 2005 में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डी.जी.एच.सी. के अध्यक्ष श्री सुभाष गीशिंग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात्, दिसम्बर 2005, में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि संविधान की छठी अनुसूची में डी.जी.एच.सी. को शामिल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 244 में संशोधन करके डी.जी.एच.सी. को संवैधानिक अनुमति दी जाए।

दो वर्ष पश्चात् इस वर्ष सितंबर में प्रेस और लंबित विधेयकों की सूची अर्थात सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले नये विधेयकों की सूची के माध्यम से हमें पता चला कि कैबिनेट ने प्रारूप विधान को स्वीकृत कर दिया है। संविधान की छठी अनुसूची में डी.जी.एच.सी. को शामिल करने के लिए यह संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक है।

जी.एन.एल.एफ. ने कल से ही 104 दिनों के बंद की घोषणा की है। इस मौसम में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। दार्जिलिंग जिले की समस्त अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है और इससे बहुत नुकसान होगा। वास्तव में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच एकता हो गई थी। चूंकि भारत सरकार और कैबिनेट ने इसे स्वीकृत किया है, अत: मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार इस सत्र जिसके समाप्त होने में केवल कुछ दिन ही शेष हैं - में न केवल इस विधेयक को प्रस्तुत करे बल्कि इसे पारित भी किया जाए।

इस संबंध में फिर से हंगामा होगा क्योंकि इसमें संदेह है कि विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा अथवा नहीं। मेरी यह मांग है कि विधेयक पुर:स्थापित किया जाए और उसे इसी सत्र में पारित किया जाए। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री हान्डिक सभा में उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैं उनको बोल नहीं सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: हम संसदीय कार्य राज्य मंत्री से यह आश्वासन चाहते हैं कि विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा और उसे इसी सत्र में पारित किया जाएगा।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप और सदस्यों को भी सुनिए आपकी बात पूरी हो गई है। रेवती रमन सिंह जी के अलावा कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री आपके सूबे के हैं चैम्बर में बात कर लीजिएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: ठीक है, आप बैठ जाइए, मंत्री जी खड़े हैं।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): सभापति

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं मामले को संबंधित मंत्री के ध्यान में लाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में उठाना चाहता हूं। आप परिचित होंगे कि उत्तर प्रदेश में कोल जाति के लोग, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा और कई जिलों में निवास करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अन्य राज्यों में चाहे छत्तीसगढ़ हो, उत्तरांचल हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, मेघालय हो, बिहार या राजस्थान हो, यहां पर कोल जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने कैबिनेट और विधान सभा उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार के पास भेज रखा है और केन्द्र सरकार के पास वह प्रस्ताव लम्बित है। आज तक केन्द्र सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं किया है। मान्यवर, लाखों लोग इस वजह से प्रभावित हैं। मान्यवरा, मुलायम सिंह जी के प्रस्ताव पारित करने के बाद सैंकड़ों कोल जाति के बच्चों को पुलिस में नौकरी मिली थी लेकिन केन्द्र सरकार ने किया नहीं और उत्तर प्रदेश की मायावती जी की सरकार ने उसे खारिज कर रखा है इसलिए आज वे अपने अधिकार से वंचित हैं। मान्यवर, अभी आपने स्वयं देखा था कि कई प्रदेशों से, जनजाति के लोग, पैदल मार्च करके यहां आये और भारत सरकार को उनकी बात मंजूर करनी पड़ी। इसलिए ऐसा न करें कि हम लोगों को भी पैदल मार्च करना पड़े।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व का एक मामला उठाना चाहता हूं। यह मामला एन.टी.पी.सी. से संबंधित है, और जहां तक विद्युत उत्पादक संयंत्रों का प्रश्न है, इसे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइआक्साइड गैस का उत्सर्जक माना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की दिसम्बर में बैठक होने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थित, थिंक टैंक, सेन्टर फोर ग्लोबल डेवलपमेंट ने बहुत चिंताजनक आंकड़े जारी किए हैं। धनी देशों ने पृथ्वी के अस्तित्व पर संकट पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विद्युत संयंत्रों से जलवायु परिवर्तन करने वाली कार्बन डाईआक्साइट गैस का भारत की तुलना में 475 प्रतिशत अधिक उत्सर्जन करता है क्योंकि उसका विद्युत उत्पादन भारत की तुलना में छः गुणा अधिक है। फिर भी, भारत की विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियां तुलनात्मक रूप से अक्षम हैं जिनका कि अमीर देशों द्वारा विद्युत उत्पादन की तुलना में प्रदर्शन घटिया है। वित्त पोषण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपना कर विकास का एक उचित मार्ग तलाशने की आवश्यकता है। यह एक स्वीकृति तथ्य है कि कार्बन डाईआक्साइड एकत्र होती रहती है और सदियों के पश्चात् भूमंडल को गर्म करती है। अमीर देश सालाना ग्रीन हाउस गैसों के कुल वार्षिक उत्सर्जन के विषय में बात करते हैं जबकि निर्धन देश प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बात करते हैं परन्तु इस संकट हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए इतिहास को ध्यान में रखने की भी आवश्यकता है।

यद्यपि, सी.जी.डी. के आंकड़े कोई नई बात नहीं है, परन्तु, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 विद्युत संयंत्रों पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जा रहा है। यह एक चिंताजनक बात है कि न केवल एन.टी.पी.सी. अपितु अन्य भारतीय विद्युत उत्पादक कंपनियां जो कि विद्युत उत्पादन हेतु 'जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं, भी काफी मात्रा में कार्बन डाईआक्साइड गैसों का उत्सर्जन करती हैं।' मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु अपनाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करे ताकि जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं से बचा जा सके।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या निगरानी तन्त्र मौजूद है तथा मैं कार्बन डाईआक्साइड का अत्यधिक अत्सर्जन करने वाले विद्युत संयंत्रों को दंडित करने हेतु कड़े कानून लागू करने की मांग करता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार एन.टी.पी.सी. के संबंध में क्या कदम उठा रही है जिसे कार्बन डाईआक्साइड गैसों का विश्व का तीसरा बड़ा उत्सर्जन कहा जा रहा है। क्या ऐसा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा?

अपराह्न 1.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.10 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.10 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): माननीय सभापति जी, दो बजे के बाद जीरो ऑवर होना था।

कुछ माननीय सदस्य: छः बजे के बाद होना तय हुआ था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब मद संख्या 21, अर्थात् टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर चर्चा करेगी। श्री खारबेल स्वाईं अब आप बोलें।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1985 में ही एक रुग्ण कंपनी बन गई और मई, 1992 में इसे बी.आई.एफ.आर. को सौंप दिया गया था। अगस्त, 2001 में टोंगरा स्थित इसकी एक इकाई को बंद कर दिया गया। इस प्रकार बी.आई.एफ.आर. ने सरकार को एक उचित भागीदार तलाशने का परामर्श दिया। इसी के परिणाम स्वरूप, सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। कल मैंने बताया था कि मैं विनिवेश प्रक्रिया का समर्थन करता हूं। परन्तु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास कोई विनिवेश नीति है भी। विनिवेश के संबंध में इस सरकार की क्या नीति है? मैं उनसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या उन्हें किसी सरकारी उपक्रम में अपनी इक्विटी का विनिवेश करना चाहिए यही कारण है कि बी.आई.एफ.आर. उन्हें निर्देश दे रहा है। इस सरकार ने कई बार कुछ विशेष कंपनियों में अपनी पांच से दस प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने की योजना बनाई परन्तु, समाचार पत्रों में पहले ही यह घोषणा की जा चुकी थी कि सरकार ऐसा करना चाहती थी। वामपंथियों ने इसका विरोध किया और सरकार जारी की गई अधिसूचना को वापस लेने के लिए विवश थी। क्या एक मजबूत सरकार को प्रभावशाली तरीके से विचार अथवा कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? मेरा यह प्रश्न है।

अब वह महत्वपूर्ण भागीदार की बात कर रहे हैं। टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए महत्वपूर्ण भागीदार का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या किया है? क्या उन्हें कोई भागीदार मिल गया है? अथवा वह अभी भी उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? विधेयक के खण्ड 5 में एक प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि जब इसे किसी निजी पार्टी को दिया जाएगा निजी पार्टी को अध्यक्ष और बोर्ड के निदेशक के अतिरिक्त सभी कर्मचारियों को कार्य पर रखना होगा। उन्हें सभी कर्मचारियों को कम से कम एक वर्ष तक कार्य पर रखना होगा।

मेरा माननीय मंत्री से यह प्रश्न यह है कि एक वर्ष बाद उन कर्मचारियों का क्या होगा? क्या उनका भविष्य नए मालिक की मर्जी पर निर्भर करेगा? यदि वह कहता है कि एक वर्ष के पश्चात् वह उन कर्मचारियों को रखना नहीं चाहता तो उनका क्या होगा और सरकार उन कर्मचारियों को क्या सुरक्षा प्रदान करेगी?

माननीय वित्त मंत्री भी यहां उपस्थित हैं, मेरा माननीय मंत्री जी से अगला प्रश्न यह है कि उसके रुग्ण होने और बी.आई.एफ.आर. के पास भेजे जाने पर उसका वर्तमान मूल्य क्या हैं। क्या वह घाटे में चल रही है? मुझे यह महसूस हो रहा है कि टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया घाटे में चल रहा है और मुझे काफी आश्चर्य हो रहा है कि जब आप घाटे में चल रहे हों तो आप महत्वपूर्ण भागीदार कैसे ढूंढ रहे हैं। इसके लिए कौन आगे आएगा? इस मुद्दे पर मैं कुछ नहीं कह सकता। परंतु क्या यह एक सूचीबद्ध कम्पनी हैं? माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दें।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के तहत वर्तमान में ऐसे कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रुग्ण हैं और घाटे में चल रहे हैं। ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कारण गत वित्तीय वर्ष में सरकार को कितनी हानि हुई? मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया पर भी कोई देय बकाया है। यदि हां, तो सरकार देयों को लौटाने के लिए क्या करने जा रही है?

यदि कोई सरकारी क्षेत्र का उपक्रम रुग्ण हो जाता है और उसे वर्ष दर वर्ष हानि होती है तो क्या तब भी सरकार घाटे को वहन करती रहेगी और इसका वित्तीय भार देय के लोगों पर डालती रहेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे

यू.पी.ए. का समर्थन देने वाले दल हैं जिसका वामपंथी विरोध कर रहे हैं? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): इस चर्चा में भाग लेने और इर इस विधेयक का समर्थन करने का मुझे यह अवसर देने हेतु मैं अध्यक्षपीठ का आभारी हूं।

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) को राष्ट्रीयकृत अधिनियम सं. 17/1984 के अनुसार दो पूर्व रुग्ण कम्पनियों, मैसर्स इनलीक टायर्स लिमिटेड और मैसर्स नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड को मिलाकर और उसे परिसम्पत्तियां, अधिकार, नाम देकर हुए फरवरी 1984 में स्थापित किया गया था। उपर्युक्त दोनों उद्योगों का हस्तांतरण करके 5 मार्च, 1984 से इन्हें टी.सी.आई. के साथ मिला दिया गया। भारतीय टायर निगम लिमिटेड की एक प्रचालन टायर इकाई पश्चिम बंगाल के कांकीनाडा में है। बैंकों से कार्यशील पूंजी न मिलने के कारण यह इस समय अन्य टायर कम्पनियों जैसे जे.के. टायर, मोदी और अन्यों के लिए कन्वर्जन का कार्य कर रही है। टांगरा में स्थित इसकी अन्य इकाई औद्योगिक रबर डिवीजन को श्रम मंत्रालय और वी.आई.एफ.आर. की अनुमति से बंद कर दिया गया था और कर्मचारियो को 2001 में वी.आर.एस. दे दी गई थी। पश्चिम बंगाल में कल्याणी औद्योगिक एस्टेट में स्थित एक अन्य इकाई रीक्लेम रबर में अगस्त, 2003 में बंद कर दिया गया था।

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस समय बैंकों से कार्यशील पूंजी न मिलने की समस्या से जूझ रहा है। टायरों के विनिर्माण के लिए इसके पास रेडियल टेक्नोलॉजी नहीं है। इसकी मशीनें पुरानी हो चुकी हैं। इसके अलावा, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास टायरों के लिए अपना स्वयं का कोई ब्रांड नहीं है न ही विपणन के लिए कोई नेटवर्क है। वगैर निधियों वगैर अद्यतन प्रौद्योगिकी और विपणन के टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उन स्वयं को बनाए रखने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है।

टायर निजी विनिर्माता कम्पनियां अद्यतन प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही हैं और अच्छे माल का उत्पादन करके उनका सफलतापूर्वक विपणन कर रही हैं। टॉयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन निजी कम्पनियों से मुकाबला करने में असमर्थ है। यह अपने कर्मचारियों को अच्छे वेतनमान नहीं दे सकता। इसमें नियमित आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार 270 थी। ठेका श्रमिकी मजदूरों की संख्या 657 है। कम्पनियों के कर्मचारियों को 1987 का वेतनमान दिया जा रहा है। कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 93.10 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की कुल पूंजी 616.02 करोड़ रुपए है। अब इसकी वार्षिक मजदूरी 9.98 करोड़ रु. है। टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक रुग्ण उद्योग बन गया है और इस मामले को औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड, बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा गया था।

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव से फरवरी, 2005 में प्रस्तुत किया गया था और 29 नवम्बर, 2005 को कम्पमी से औद्योगिकी का पता लगाने और इसकी लाभप्रदता और बाजार शेयर में सुधार करने के लिए कहा गया था।

इस विधेयक को सेन्टर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2003-07 - उच्चतम न्यायालय मामले पृष्ठ सं. 532 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कम्पनी के सार्वजनिक स्वरूप को बदलने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

इस विधेयक को 17 मई, 2007 को लोक सभा मे प्रस्तुत किया गया था और 25 मई, 2007 को उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के पश्चात् संसदीय स्थायी समिति ने मूल विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने का सुझाव दिया है। सबसे पहले इसने विधेयक की उद्देशिका में परिवर्तन करने और कम्पनी में विनिवेश के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त समिति ने विनिर्दिष्ट मूल्यांकन कार्यप्रणाली के अनुसार कम्पनी की भूमि, परिसम्पत्तियों और क्षमताओं के बाजार मूल्य का आकलन करने और भारत सरकार से आवश्यक अनुमति मिलने के पश्चात् भूमि के प्रयोग की सिफारिश की थी। संसदीय स्थायी समिति द्वारा दिए गए ये सुझाव स्वागत योग्य हैं। हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली अनेक ऐसी संस्थाओं और उद्योगों के विनिवेश का पता चला जिन्हें इस के नाम पर बहुत कम राशि में बेच दिया गया।

संसदीय स्थायी समिति ने आगे यह भी सुझाव दिया है कि विनिवेश के पश्चात् विनिवेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी के अध्यक्ष और निदेशकों के अलावा कर्मचारियों, अधिकारियों को बनाए रखा जाए।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

इस अवधि के दौरान उन्हें कुछ वेतन और अन्य भत्ते दिए जाएं। यदि सुझाव पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिया गया था।

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार विधेयक में उचित संशोधन किया गया और प्रस्तुत किया गया।

विधेयक का खण्ड 3(1) कंपनी में विनिवेश हेतु विचारार्थ भुगतान को स्पष्ट करता है। विनिवेश की विधि को खण्ड 4 में स्पष्ट किया गया है। अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों हेतु प्रावधान खण्ड 5(1) में लिए गए हैं। स्थायी समिति ने विधेयक की धारा 5(1) में परिवर्तन की सफारिश की है जो वर्तमान कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संरक्षण की अवधि को मूलतः प्रस्तावित विनिवेश की तिथि से विनिवेश उपरांत एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने के संबंध में है।

इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था और विधेयक में तदनुसार संशोधन किया गया। इस धारा में संशोधन द्वारा कर्मचारियों के हितों को संरक्षित किया गया है।

स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर विधि और न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके एक नई धारा 6 शामिल की गई है।

इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन और स्वागत करता हूं।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा): महोदय, मैं अपनी पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्कसवादी) की ओर से विधेयक पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमने इस विधेयक पर स्थायी समिति में विस्तार से चर्चा की है और मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय ने स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

महोदय, विनिवेश एक काफी संवेदनशील शब्द है और इस विनिवेश के कारण सुधार के नाम पर दिवंगत प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के समय से देश में विभिन्न सरकारों को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। इसके अतिरिक्त जिस भी सरकार ने विनिवेश का समर्थन किया है, उसे देश की जनता द्वारा सत्ता से हटा दिया गया है। इसलिए एक नीति के रूप में हम इसके विरुद्ध हैं।

यह तर्क कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकारी राजकोष का क्षरण कर रहे हैं, ठीक नहीं है। मेरे पास यहां यह स्पष्ट करने के लिए अधिक समय नहीं है, परन्तु यदि आप प्रत्येक वर्ष के केन्द्रीय बजटों को देखें तो पायेंगे कि कर और लाभांशों के रूप में सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों से आने वाली राशि निसंदेह राज्य सरकारों द्वारा इन रग्ण उपक्रमों को दी गई राशि से अधिक नहीं है। इसलिए यह कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के इन रुग्ण उपक्रमों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये सरकारी राजकोष का क्षरण कर रहे हैं। इसलिए नीति के रूप में तो सरकारी क्षेत्र के सभी रुग्ण उपक्रमों का विनिवेश किया जाए और कर्मियों को बेरोजगार कर दिया जाए।

महोदय, हम इस नीति का विरोध करते हैं। परन्तु हम टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड जैसे कुछ मामलों में सरकार से सहमत हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विशेष मामले में, हम मानते हैं कि इस प्रकार का विनिवेश जिसमें एक ऐसा खण्ड शामिल है जिसके अनुसार कर्मचारियों और कर्मकारों के रोजगार की एक वर्ष के लिए, नहीं बल्कि तीन के लिए गारंटी होगी, जैसा कि मेरे मित्र ने इससे पहले उल्लेख किया था, स्वागत योग्य है। हम जानते हैं कि अधिकतर कर्मचारी काफी वृद्ध हैं और पिछली सरकार ने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया।

इन्हें जबरदस्ती स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार करने के लिए बाध्य करके सरकार ने कर्मचारियों को निकाल दिया है। कंपनी की रुग्णता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के भुगतान के कारण थी। कर्मचारियों को वी.आर.एस. राशि का भुगतान करने के कारण कंपनी रुग्ण हो गई है। ऐसा केवल टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के मामले में ही नहीं है अपितु केंद्र सरकार के अनेक सरकारी उपक्रमों के मामले में भी है, जिन्हें केवल इसलिए संकट में दिखाया गया है क्योंकि सरकारी नीति ने उन्हें कम्पनी से निकालने और वी.आर.एस. राशि अपनी निधि से देने के लिए बाध्य किया।

इस विशेष मामले में कर्मचारियों, जो अभी भी कार्य कर रहे हैं, के प्रयास से, कंपनी इस समय कुछ लाभ प्राप्त कर रही है। इसका श्रेय कर्मियों को एक विशिष्ट स्थिति में काम करने को जाता है। यद्यपि कोलकाता में टांगरा इकाई को पूर्व एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल के दौरान बेच दिया गया था, फिर भी वर्तमान इकाई अब कुछ लाभ कमा रही है। अब भी हम इससे सहमत हैं क्योंकि हमारा मानना है कि तीन वर्षों की अवधि में अधिकतर कर्मचारियों को उनके लाभ, सेवानिवृत्ति लाभ मिल जायेंगे।

यहां मेरी माननीय मंत्रीजी से केवल यह अपील है कि वेतनमान के बारे में एक बात पर विचार करें। हमने स्थायी समिति में इस पर चर्चा की थी। परन्तु चूंकि यह मामला बी.आई.एस.आर. के समक्ष है, जब यह बी.आई.एफ.आर. के बाहर आयेगा तो इस पर विचार किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि कर्मचारियों के वेतनमानों को संभवतः वर्ष 1984 से संशोधित नहीं किया गया है। इसलिए कर्मचारियों के वेतनमानों को सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की तरह वर्तमान ढंग से उन्नयन कर संशोधित किया जाए ताकि जो कर्मचारी अभी भी फैक्ट्री में हैं और जो फैक्ट्री के सुधार हेतु कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें उनके देय लाभ मिल सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, हम टायर कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007 पर चर्चा कर रहे हैं। यह विधेयक जिसे अब सभा में भारी स्वीकृति के लिए पुरःस्थापित किया गया है, देश में टायर उद्योग के विकास हेतु सरकार की कार्यवाही और उसकी ईमानदारी को प्रकट कर रहा है।

इस उद्योग का वर्ष 1984 में राष्ट्रीयकरण किया गया था ताकि देश में टायर उद्योग का बेहतर ढंग से विकास किया जा सके। टायर उद्योग, जैसा कि आप जानते हैं, आटोमोबाइल क्षेत्र में काफी अहम् उद्योग है। इसलिए इसके सुधार और आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 1984 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यद्यपि 1987 में पी.आई.बी. द्वारा इस निगम की आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु सिफारिश की गई थी, परंतु इसमें विलंब किया गया। सरकार ने इस संबंध में उचित समय पर कदम नहीं उठाये। लागत वृद्धि, अधिक समय और ये सब कारक आधुनिकीकरण के मार्ग में आड़े आए। इसलिए यह उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। अंततः यह रुग्ण उद्योग बन गया और इसे 1992 में बी.आई.ए.आर. को सौंप दिया गया। तब से यह मामला कुछ न्यायालयों में चल रहा है। कुछ वाद यहां-वहां चल रहे है। इसे अंततः बी.आई.एफ.आर. के समक्ष रखा गया था। प्रश्न यह था कि इस उद्योग का पुनरुद्धार कैसे किया जाए। अंततः अधिकांश कर्मचारियों ने वी.आर.एस. ले ली।

अंततः इसे फिर अंतिम निर्णय हेतु सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुर्ननिर्माण संबंधी बोर्डों को सौंप दिया गया। इस आधुनिकीकरण योजना के द्वारा इस उद्योग के लक्ष्य और सरकार के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता था। यद्यपि इस क्षेत्र में कुछ अच्छे निवेश हुए परंतु एक प्रकार से यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। अब सरकार संयुक्त उद्यम पर विचार कर रही है। प्रारंभ में, सरकार इस सभा की स्वीकृति लेने हेतु अधिक इच्छुक नहीं थी। यह केवल न्यायालय के हस्तक्षेप और न्यायालय के आदेश के कारण ही यहां है। संसद की स्वीकृति के बिना कोई निर्णय लेना संभव नहीं है। इसलिए, सरकार ने अंततः संसद की स्वीकृति लेने का निर्णय लिया। यह एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है जो कि एक राष्ट्रीय उद्योग है और इसमें सरकारी धन का निवेश किया गया था। इसलिए हमारी स्वीकृति लेना भी आवश्यक था।

लेकिन, मैं इस कंपनी की स्थिति के बारे में कुछ तथ्य जानना चाहता हूं। अब, यह संयुक्त उपक्रम होगा। इस सदन का यह जानने का अधिकार है कि कंपनी का 1992 में नेटवर्क क्या था और इसका वर्तमान नेटवर्क क्या है? जब हम विनिवेश हेतु अनुमति और स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 1992 में इसका नेटवर्क क्या था और वर्तमान नेटवर्क क्या है। क्या सरकार ने बीच की अवधि में इस कंपनी के पुनरुद्धार हेतु कोई बजटीय सहायता दी है? सुरक्षित ऋण को असुरक्षित इक्विटी में परिवर्तित करने का क्या औचित्य है? केवल संयुक्त उपक्रम में बदलने हेतु कंपनी के पुनर्गठन का क्या औचित्य है जिसमें भारी बकाया राशि छोड़ना और इक्विटी में बदलना भी शामिल है जबकि इससे कंपनी के स्वामित्व में भी परिवर्तन होगा। जब हम अनुमति प्रदान करें, तो हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। मंत्री जी को इस बारे में हमें बताना चाहिए। कंपनी की वर्तमान स्थिति क्या है?

कंपनी का पुनर्मूल्यांकन 2000-2001 में किया गया था। इसके बाद में, इसका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। आज 2007-2008 चल रहा है। अतः कंपनी का वास्तविक मूल्य क्या है? क्या सरकार ने 2001 के बाद कंपनी के मूल्य को संशोधित किया है? हमें पता होना चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्रीजी से इस स्थिति को स्पष्ट करने का निवेदन करता हूं कि क्या वे इस संयुक्त उपक्रम में परिवर्तित करने से पहले, कंपनी के मूल्य का आकलन करेंगे।

इस टायर उद्योग और इसके विभिन्न पहलुओं पर भी

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

चर्चा कर रहे हैं। यह दुर्लभ अवसर है जब सदन में टायर उद्योग पर चर्चा की जा रही है। मैं सरकार से कुछ बातें जानना चाहता हूं। हम जानते हैं कि यह उद्योग सामान्यत: देश के लिए और विशेषकर आटोमोबाइल उद्योग के लिये बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। 1989 में इस क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। इस लाइसेंस मुक्ति के बाद, देश में इस क्षेत्र विशेष के संबंध में क्या विकास हुआ है? कंपनी की कुछ कमियां हैं, वैश्विक टायर क्षेत्र की तुलना में बुनियादी अनुसंधान एवं विकास पर कम खर्च, निम्न उत्पादकता, अवसंरचनात्मक एवं संबंधित बाधाएं, कच्चे माल की उच्च लागत रेडियल टेक्नॉलॉजी का न होना, जो आज काफी महत्वपूर्ण है, और तकनीकी व्यावसायिकों का पर्याप्त संख्या मे न होना।

रेडियल टायर टेक्नोलॉजी के आगमन से इस उद्योग को खतरा है। हमारे पास रेडियल टायर टेक्नोलॉजी नहीं है। विश्व भर में रेडियल टायर टेक्नोलॉजी अपनायी जा रही है। अत: इस देश में इस उद्योग के लिए यह खतरा है।

सीमा-शुल्क में कटौती की वजह से आयात बढ़ रहा है। सौभाग्य से वित्त मंत्री भी यहां मौजूद हैं। बढ़ते आयात के कारण, घरेलू टायर उद्योग को हानि हो रही है और चीन से अत्यधिक आयात किया जा रहा है। भारी मात्रा में किये जा रहे आयात की वजह से देश में इस उद्योग का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। समग्र रूप में, उद्योग की यही स्थिति है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का कौन से उपाय करने का प्रस्ताव है ताकि यह उद्योग बना रहे और इसका विकास हो। अन्यथा, हमें केवल आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। वर्तमान आवश्यकताओं के कारण ऑटोमोबाइल उद्योग दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

अत: जब सरकार विनिवेश पर विचार कर रही है, तो सरकार के टायर उद्योग के प्रति भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहिये। वित्त मंत्री भी हस्तक्षेप कर सकते हैं और सीमा शुल्क घटाने के बारे में जवाब दे सकते हैं जिसकी वजह से टायर उद्योग को हानि हो रही है। मुझे आशा है कि माननीय भारी उद्योग मंत्री मेरे अन्य प्रश्नों का उत्तर देंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): माननीय सभापति महोदय, हम अभी एक सार्वजनिक उपक्रम के भाग्य पर चर्चा कर रहे हैं। बिडम्बना यह है कि यह लिमिटेड कंपनी बहुत पहले ही रुग्ण घोषित की जा चुकी है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बताया गया है कि यह उपक्रम वर्ष 1984 में ही रुग्ण घोषित किया जा चुका है। इन सभी वर्षों में यह कंपनी हानि उठा रही थी, और इसकी कुछ इकाइयां भी जो पहले अच्छा कार्य कर रही थी, अब बंद कर दी गई हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी वर्ष दर वर्ष भारी हानि उठा रही है।

अत: इस मामले में कार्यवाही करने का सही समय है। मंत्रालय स्वयं इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। कंपनी भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। केवल केन्द्र सरकार ही कार्यवाही कर सकती है और वह भी इस सदन में अधिनियम में संशोधन पारित करके। इस प्रयोजन हेतु, यह विनिवेश प्रस्ताव हमारे समक्ष आया है। जब हम इस पर विचार करें, तो वहां नियुक्त कर्मचारियों के अधिकारों और देयताओं को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सर्वप्रथम यह कहा गया था कि उनके अधिकारों और देयताओं को एक वर्ष तक मान्यता दी जाएगी। हमें यह जानकर खुशी है कि अब इसे तीन साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी देनदारियों और दावों को उस अवधि में निपटा दिया जाएगा। यह तो अनुभवों से ही पता चलेगा और उस पर भी विचार करना होगा।

अब, जहां तक विनिवेश प्रक्रिया का प्रश्न है, हमें मानना चाहिए कि टायर उद्योग वर्तमान में हानि में नहीं चल रहा। यह दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है। हम देश के हर कोने में विज्ञापन देखते हैं कि निजी कंपनियां दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही हैं और इस उद्योग के इस क्षेत्र विशेष में भारी मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक उपक्रम कुछ अनजाने कारणों की वजह से विकास नहीं कर सका, लेकिन उन कारणों से हम सभी भली भांति परिचित हैं।

मैं इसके इतिहास में नहीं जा रहा हूं। इस कंपनी का प्रबंधन सही नहीं था और यह बिना किसी आधारभूत विकास के, कार्य कर रही थी इसलिये स्वाभाविक रूप से इसे हानि उठानी पड़ी। अत: मैं समझता हूं कि इससे भारत सरकार सचेत हुई होगी कि भारत में कुछ लोक उद्यम है जो नुकसान में चल रहे हैं और हम भारी हानि उठा रहे हैं।

अब, इस विनिवेश का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकी लाना और कंपनी की लाभप्रदता और उसका मार्किट शेयर बढ़ाना है। क्या यह कंपनी इस नई प्रौद्योगिकी से अनजान थी? वे

इस नई प्रौद्योगिकी का आयात कर सकते थे और कंपनी को पुनर्जीवित किया जा सकता था। लेकिन सुधार के सभी प्रयास असफल रहे और विवाचन में, बी.टी.आर. के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में वित्तीय और पूंजीगत पुनर्गठन की सिफारिश की थी। उन्होंने विनिवेश की सिफारिश भी की थी। बोर्ड के सुझावों को अपनाने के अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से प्रत्येक मामले को विनिवेश हेतु सदन में न लाने का निवेदन करता हूं और विनिवेश के संबंध में हम सभी का मत लेने हेतु यही सामान्य प्रक्रिया होगी। अतः, मैं बहुत दुःखी मन से राष्ट्र के हित और इस कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के हित में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं समझता हूं कि सरकार अतीत में की गई गलतियों को सुधारने के लिये उपयुक्त प्रभावी कदम उठाएगी तथा राष्ट्र और कर्मचारियों के हित में सभी संभव उपाय करेगी।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

जैसाकि आप जानते हैं यह विधेयक स्थायी समिति द्वारा भेजा गया है और समिति ने इस विधेयक पर गंभीरता से चर्चा की और सर्वसम्मति से यह सिफारिश की कि चार मामलों को संसद तथा मंत्रालय के विचारार्थ भेजा जाए। इस सम्माननीय सभा को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि स्थायी समिति द्वारा की गई सभी चार सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

कल जब भाजपा के सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गए, तो मेरे अन्य मित्र मुझे इस विशिष्ट विभाग के बारे में श्री बृज किशोर त्रिपाठी जो अभी-अभी सदन से बाहर चले गए हैं, सहित अनेक सदस्यों के विचारों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने यह तस्वीर पेश करने की कोशिश की कि सरकार विनिवेश के अलावा कुछ नहीं कर रही है। मुझे यह कहने का अवसर नहीं मिला कि यह विभाग अन्य मंत्रालयों विशेषकर वित्त मंत्रालय के समन्वय से कार्य कर रहा है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक हमने 26 सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का पुनरुद्धार अथवा उन्हें अर्थक्षम बनाया है और कुछ पर विचार किया जा रहा है जिन्हें शीघ्र ही मूर्त रूप दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तीन और मामले मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजे जाने वाले हैं।

वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्तमान मार्किट शेयर 11.12 प्रतिशत है। मुनाफा कमाने वाली सी.पी.एस.यू. की संख्या 2004-05 में 138 से बढ़कर 187 हो गई है। केवल इतना ही नहीं; घाटे में चलने वाली सी.पी.एस.यू. का घाटा 2004-05 के 9,356 करोड़ रु. कम होकर 2005-06 में 5,952 करोड़ रु. हो गया है, यह गिरावट 36.38 प्रतिशत है। यह यू.पी.ए. सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति का परिणाम है। लाभांश, ब्याज और करों के रूप में केन्द्रीय राजस्व का अंशदान वर्ष 2004-05 के 1,06,603 करोड़ रु. से बढ़कर 1,25,384 करोड़ हो गया है, यह वृद्धि 13.36 प्रतिशत है।

एक प्रश्न पूछा गया था कि विनिवेश की नीति क्या है। हमारी सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है कि किसी भी नवरत्न कम्पनी के शेयर का विनिवेश नहीं किया जाएगा और यदि कम्पनियों के शेयरों का विनिवेश किया भी जाएगा, तो ऐसा संबंधित कामगारों, ट्रेड यूनियनों के परामर्श से ही किया जाएगा। केवल इतना ही नहीं हमने बोर्ड ऑफ रिकन्सट्रक्शन का गठन भी किया है जिसमें विभिन्न कार्य क्षेत्रों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। वे गहराई से अध्ययन करेंगे और अपनी सिफारिशें देंगे। कभी-कभी यह भी देखा गया है कि उनकी सिफारिशों में सुधार की गुंजाइश होती है, ऐसी स्थिति में मंत्री-समूह इस पर चर्चा करके अपनी सिफारिशें देंगे। हम वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ कार्य कर रहे हैं। आज हम यह कह सकते हैं कि 65,000 कामगारों, जिन्हें अपना मासिक वेतन और सांविधिक देयताएं नहीं मिलती थी, हमारी सरकार आने के बाद हमने बैठक की और यह नीति बनाई कि सांविधिक देयताओं और वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। तीन अथवा चार किस्तों में ही हमने लगभग सभी कम्पनियों, जिनमें बकाया देय थे, को अद्यतन कर दिया है। जो विनिवेश किया जा रहा है उसका तकनीकी पहलू है। वास्तव में यह एक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि किसी कम्पनी को संसद के अधिनियम के द्वारा लिया जाता है, तो आपको संसद में जाना होगा यदि आप उस कम्पनी में बदलाव करना चाहते हैं। जैसाकि उन्होंने सही कहा कि उस कारण से हम इस सम्माननीय सभा में आए हैं।

[श्री संतोष मोहन देव]

माननीय सदस्यों ने कतिपय प्रश्न पूछे हैं। मैं पूछे गए कुछ प्रमुख प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं और अन्य प्रश्नों का उत्तर विस्तृत रूप से लिखित में दूंगा। एक प्रश्न विशेषकर यह पूछा गया कि टायर कारपोरेशन को संयुक्त उद्यम के लिए क्यों लिया जा रहा है। बी.आर.पी.एस.ई. ने कहा कि राष्ट्रीयकृत कम्पनियों के साथ सहयोग करना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश में एक भी टायर कम्पनी राष्ट्रीयकृत नहीं है। अतः हमें इस संदर्भ में बी.आर.पी.एस.ई. के संशोधित दृष्टिकोण की प्रतीक्षा करनी पड़ी और तब उन्होंने कहा: "आप संयुक्त उद्यम लगा सकते हैं लेकिन उसमें भागीदारी 51% से अधिक नहीं होनी चाहिए।" अतः इस कारण से इसमें विलंब हुआ। अन्ततः बी.आई.एफ.आर. सहमत हुई और उन्होंने कहा: "आप पुनरुद्धार योजना लागू कीजिए और तत्पश्चात संयुक्त उद्यम के पार्टनर की खोज कीजिए।" यह सब होने के पश्चात् - यदि दोनों सदन इसे पारित करेंगे - तब हम बाजार में जाएंगे। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अपोलो टायर और कुछ अन्य कम्पनियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। वे पहले ही हमारी इस कम्पनी के साथ सहयोग कर रहे हैं। इस कम्पनी का कांट्रेक्ट और परमानेंट लेबर लगभग 1000 है। वे पहले से ही बेहतर कार्य कर रहे हैं। वे प्रति माह लगभग 1 करोड़ रु. का मुनाफा कमा रहे हैं। श्री चिदम्बरम, आपने हमारी मदद की है; यह पूछा गया कि क्या इसमें बदलाव करना उनके लिए संभव होगा? वे परिवर्तन कर रहे हैं। यह एक उदाहरण है। केवल इतना ही नहीं, 28 में से 16 से अधिक अपने वेतन का स्वयं अर्जन कर रही हैं।

एक समय वित्त मंत्रालय को भी इस बारे में शंका थी। इसी कारण कभी-कभी मैं उनको श्रेय देता हूं। मैं हमेशा से सी.पी.आई. (एम) का आलोचक रहा हूं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि पश्चिम बंगाल में सी.पी.आई. (एम) की ट्रेड यूनियनें यदि चाहें, तो किसी रुग्ण कम्पनी में बदलाव ला सकते हैं। अब वे यही कर रहे हैं।

महोदय, यदि आप चाहते हैं कि मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूं तो इसमें समय लगेगा। यहां उठाए गए सभी प्रश्नों को नोट कर लिया गया है। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मामले भी उठाए गए हैं।

इस टायर इंडस्ट्री के बारे में, जी हां हमारे देश में टायर इंडस्ट्री अपेक्षाकृत कमजोर है, इसका कारण यह नहीं कि आर एंड डी में कमी है बल्कि इस कारण कि इसमें प्रतिस्पर्धा बाहर के देशों से है। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम विकसित देशों का केन्द्र बन गए हैं। हम इस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हाल ही में दुपहिया और तिपहिया कम्पनियां कीमतों के संबंध में कुछ समस्याओं का सामना कर रही हैं। यहां प्रतिस्पर्धा है। अन्यथा हम विश्व में अग्रणी हैं। हम आगामी बजट के लिए वित्त मंत्रालय जा रहे है और हमें आशा है कि इस मामले पर विचार किया जाएगा।

जहां तक कम्पनी के पुनर्मूल्यांकन के बारे में श्री बृज किशोर त्रिपाठी के प्रश्न का संबंध है, मैं उन्हें आंकड़ें भेज दूंगा। इसके पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् उसमें बदलाव होगा और हमें इसकी पूरी आशा है...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मेरा प्रश्न पुनर्मूल्यांकन के बारे में था। वास्तव में वर्ष 2001 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था। आप संयुक्त उद्यम शुरू करने से पहले पुनर्मूल्यांकन करेंगे अथवा नहीं?...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: यह विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा। इसे गंभीरता से किया जाएगा। तत्पश्चात् हम इस पर बातचीत करेंगे। इसके बिना वित्त मंत्रालय सहमत नहीं होगा और इसमें तीन या चार महीनों का समय लगेगा। प्रतिष्ठित कम्पनियां इसे गंभीरता से करेंगी और यह कम्पनियां वित्त मंत्रालय, आई.डी.बी.आई. और अन्यों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कुछ ऐसे भी सक्षम संगठन हैं जो अपना यथा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र उद्योग की भूमि की बिक्री के मामले में ऐसा किया है। हमने ऐसा किया है और हमें इससे लाभ हुआ है।

आप जानना चाहते थे कि बजटीय समर्थन कितना है। अभी भी वे अपनी आय से ही वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रत्येक तिमाही में इसकी समीक्षा करते थे और स्थिति का पता लगाकर हम उन्हें धन राशि देते थे। हमारी सरकार की यह नीति है कि सांविधिक देयता प्रदत्त की जानी चाहिए। जब हम सत्ता में आए थे तब सर्वप्रथम हमने पांच हजार करोड़ और उससे अधिक रुपये की राशि दी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के नाम किसी भी सरकार द्वारा दी गई अधिकतम राशि थी। हमने ये राशि दी क्योंकि हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह कहा गया है कि सांविधिक देयता प्रदत्त करना अनिवार्य है तथा ऐसा न करना हानिकर पद्धति है। हम अभी भी इसका पालन कर रहे हैं। एन.डी.ए. के शासन के दौरान भी उन्होंने दो बार पैसा दिया। व्यापार क्षेत्रों और अन्यों के प्रति हमारी सरकार की यह नीति है। समवर्ती सरकारें भी इसका पालन कर रही हैं।

यह सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। आपने यह प्रश्न पूछा है। इस समय हमने अपनी इन 34 कम्पनियों में से 20 कम्पनियों को बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा है। एक समय ऐसा भी था जब बी.आई.एफ.आर. का कार्य संतोषजनक नहीं था। परन्तु अब इसमें सुधार हुआ है क्योंकि हम उन पर शीघ्र अतिशीघ्र अभिनिर्णय देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मुझे भरोसा है कि अगले वर्ष या ऐसे ही कुछ समय में इनमें से अधिकतर कम्पनियां लाभ कमाने लगेंगी।

कुछ फार्मास्यूटिकल्स कम्पनियां भारी घाटे में चल रही थीं। फिर भी वित्त मंत्रालय ने उनकी सहायता की क्योंकि वे आवश्यक मशीनों का उत्पादन कर रही हैं। अतः इस तथ्य के बावजूद कि यह अर्थक्षम नहीं होगा हमें इसका भुगतान करना होगा।

इन कम्पनियों को 1,629 करोड़ रु. का लाभ प्राप्त हुआ है और वर्ष 2006 में इन्होंने 2,960 करोड़ रु. का लाभ प्राप्त किया था। इसमें वृद्धि हो रही है। यह बड़ी कम्पनियां नहीं है। ओ.एन.जी.सी. और अन्य अच्छा कर रहे हैं। अब छोटी कम्पनियां भी इस लाभ में सहयोग कर रही हैं।

यहां कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 800 है। मेरे विचार में श्री त्रिवाठी ने यह मुद्दा उठाया था। उनकी नौकरी की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि इसमें कार्य करने वाली कर्मचारियों को तीन वर्ष के लिए नौकरी दी जानी चाहिए और हमने समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

श्री खारवेल स्वाईं: यह एक उचित मांग है।

श्री संतोष मोहन देव: जी हां, निसंदेह। आपने यह प्रश्न पूछा था।

दूसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा गया था कि विनिवेश की क्या शर्तें हैं। जैसा कि मैंने बताया था विनिवेश के संबंध में हम नवरत्न कम्पनियों को प्राथमिकता नहीं देते तथा उन्हें न देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने अन्य कम्पनियों के बारे में भी यही कहा है। मारुति का ही मामला ले लीजिए। पहले मारुति पूर्णतः एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम थी फिर वह निजी कम्पनी बन गई। तत्पश्चात् हमें हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए भारत निर्माण कार्यक्रम जिसके लिए निधियों की आवश्यकता थी कुछ राशि लेनी पड़ी। अतः हमारा मंत्रालय इसका विनिवेश करने के लिए सहमत हो गया और उस राशि को विशेष निधि में डाल दिया गया जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और एक निश्चित समय तक प्रत्येक व्यक्ति को कितनी प्रदान करने प्राथमिकता देने के लिए प्रायुक्त किया जाता है। अतः हम यह सब कार्य कर रहे हैं तथा हमें कुछ और निधियों की आवश्यकता पड़ेगी।

महोदय, श्री बृज किशोर त्रिपाठी ने यह प्रश्न भी पूछा है कि कम्पनी को कितनी स्वतंत्रता दी जाएगी। अब हमने एक नई नीति बनाई है। पहले नवरत्न कम्पनियां और विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी हमारे पास आते थे और विभिन्न कार्य करने के लिए हमारी अनुमति लेते थे। अब वे 1,000 करोड़ रु. तक का ठेका देने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि किसी आवश्यक कार्य के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ता है तब उन्हें सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। उन्हें केवल यह बताना होगा कि संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें इस देश में जाना है और उन्हें इसकी अनुमति दे दी जाती हैं। हमने उन्हें इसकी स्वतंत्रता दी है। हमने जैसा कि एन.डी.ए. सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था आपातकालीन स्थिति में उन्हें एक निश्चित सीमा के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया है। प्रत्येक कम्पनी एक निश्चित सीमा तक स्वयं निर्णय ले सकती है। उससे अधिक होने पर वे अनुमति लेने के लिए वित्त मंत्रालय अथवा अन्यों के पास जाएंगे। अतः यह सब कदम उठाकर हम निजी कम्पनियों और अन्य सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा जागृत कर रहे हैं। पहले, हमें सरकार की सहमति की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। उस प्रणाली को अब परिवर्तित कर दिया गया है। इस परिवर्तन से सुधार के पर्याप्त अवसर सामने आए हैं।

सी.पी.आई.(एम) से मैंने यह मुद्दा उठाया है कि लगातार विनिवेश नहीं होना चाहिए। निसंदेह, लगातार विनिवेश नहीं किया जाएगा। परन्तु मुझे यह भरोसा है कि विनिवेश करने के लिए हमें उसका प्रयोजन देखना होगा। विनिवेश से मिलने वाले धन को हमें विभिन्न क्षेत्रों मे सुधार हेतु प्रयुक्त करना चाहिए। आज, प्रश्नकाल के दौरान कई माननीय सदस्यों ने बिजली के मुद्दे पर मेरे मित्र श्री पिंदे से जिरह की। अब अगर वह प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाएंगे तो उन्हें धन की आवश्यकता होगी। वे धन कहां से लाएंगे? वह वित्त मंत्री को कर की उगाही नहीं करने देंगे। अतः बाजीगरी से उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसमें वह विभिन्न तरीकों से धन एकत्रित कर रहे हैं। अतः मेरे विचार में सभा को उनका सहयोग करना चाहिए। हमें राजनीति से आगे बढ़कर यह देखना चाहिए कि विकास हो।

[श्री संतोष मोहन देव]

कई राज्य सरकारें इस प्रक्रिया को अपना रही हैं। जी हां, उड़ीसा सरकार अच्छा कर रही है। उन्होंने अति महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैं उड़ीसा के मुख्य मंत्री से मिला था उन्होंने मुझे विद्युत क्षेत्र के संबंध में उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बताया। उनके पास कच्चा माल और अन्य सुविधाएं हैं और अब उनकी प्रणाली में काफी तेजी से सुधार आ रहा है। यह वर्तमान सरकार और पूर्व सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि उड़ीसा राज्य आगे जा रहा है।

महोदय, जैसा कि मैंने बताया विभिन्न माननीय सदस्यों ने लगभग 52 प्रश्न पूछे हैं। यदि मैं एक प्रश्न का उत्तर दूं तो मुझे और का भी उत्तर देना होगा। परन्तु मैं वादा करता हूं कि पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने हेतु इस पर चर्चा की जाए।

[अनुवाद]

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा): महोदय, उनके वेतनमान के बारे में क्या कहेंगे?

श्री संतोष मोहन देव: इस विषय पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन इस पर उचित समय पर चर्चा की जाएगी। वेतन आयोग पहले ही कार्य कर रहा है। आप 1987 में वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का अनिश्चित काल तक अनुपालन नहीं कर सकते।

अपराह्न 3.00 बजे

वे यह सब जारी नहीं रख सकते। हम आपसे सहमत हैं, लेकिन मैं यहां वायदा नहीं कर सकता। मैं यह संकेत दे सकता हूं कि हम इस पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड में सरकार की प्रतिभूति के निवेश और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:-

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

कंपनी में विनिवेश हेतु प्रतिफल का भुगतान

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 16 से पंक्ति 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"ऐसी कंपनी द्वारा केन्द्रीय सरकार को, कंपनी की भूमि, आस्तियों और दायित्वों के अधिकतम मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतिफल दिया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार हो।" (1)

(श्री संतोष मोहन देव)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में उपबंध

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 32 से 35 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे विनिधान के पश्चात् पद पर या सेवा में उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, मानों कंपनी का अपविनिधान ही न हुआ हो तब उसे अनुज्ञेय होते, बना रहेगा तथा ऐसे अपविनिधान की

तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान तक इस प्रकार बना रहेगा।" (2)

(श्री संतोष मोहन देव)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

प्रस्ताव 1, नियम 80(i) का निलंबन

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक का व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 6

अध्यारोही अधिनियम का प्रस्ताव

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 38 के पश्चात् निम्नलिखित अंतस्थापित करें-

6. इस अधिनियम के उपबंधों का, इनफैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1984 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा।" (3)

(श्री संतोष मोहन देव)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.03 बजे

संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब मद संख्या 22 - संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक पर चर्चा करेगी।

श्री बरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि हमारी आर्थिक गतिविधियों का आधार बनेगा।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): सभी विधेयक महत्वपूर्ण होते हैं।

श्री बरकला राधाकृष्णन: संदाय और निपटान प्रणाली हमारी सभी आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ अथवा आधार बनेगी। मेरा नम्र निवेदन है कि इस संबंध में चर्चा किसी और दिन और किसी नए आधार पर की जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: नहीं, हम इस बात पर सहमत हैं कि इस विधेयक पर चर्चा आरंभ की जाएगी और चर्चा जारी रहेगी। यह अगली बैठक में जारी रहेगी।

सभापति महोदय: जी, माननीय मंत्री जी।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत में संदाय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण और उस प्रयोजनार्थ भारतीय रिजर्व बैंक को एक प्राधिकरण के रूप में नियुक्ति और उससे संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, सामान्यत: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करते हुए एक बहुत संक्षिप्त वक्तव्य देता हूं। परन्तु, चूंकि श्री राधाकृष्णन जैसे वरिष्ठ सदस्य ने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं, तो मेरा यह दायित्व है कि मैं इस विधेयक को स्पष्ट करूं ताकि वह मेरे स्पष्टीकरण और इस पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि ये आशंकाएं पूर्णत: निराधार हैं और जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वह बहुत आवश्यक अविलंबनीय है और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श पर किया जा रहा है।

महोदय, मैं भारत में भुगतान प्रणाली के इतिहास को स्पष्ट करने हेतु कुछ समय लेना चाहता हूं। भारत में भुगतान प्रणाली अब तक केवल चैक क्लियरिंग तक सीमित रही है। चैक किसी एक बैंक में पेश किए जाते हैं, किसी अन्य बैंक में देय होते है और चैक क्लियरिंग प्रणाली मुख्यत: दस्तावेजों पर आधारित प्रणाली है। चैकों को एक केन्द्रीय स्थल पर ले जाया जाता है, बैंकों द्वारा उनका विनिमय किया जाता है और भुगतान किया जाता है। गत वर्षों में इसमें बहुत परिवर्तन आया है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आया है। नए प्रणालियों को अपनाया गया है और भुगतान प्रणाली बहुत व्यापक और जटिल प्रणाली बन गई है।

उदाहरण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान में वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली को अपना रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक केवल 14 केन्द्रों, जहां पर इसके कार्यालय हैं निपटान सेवाएं प्रदान करता है। लगभग 1068 क्लियरिंग हाउस है जो कि या तो भारतीय स्टेट बैंक के नियन्त्रण में हैं या सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समूह के नियन्त्रण में हैं। ये 1068 क्लियरिंग हाउस भुगतान सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: स्टॉक एक्सचेंजों को बाहर रखा जाएगा...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: श्री राधाकृष्णन जी कृपया आप मेरी बात सुनिए। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। कृपया धैर्य रखिए।

इसमें केवल चैक क्लियरिंग की ही बात नहीं है आजकल सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा बेचा जाता है। उनका निपटान किया जाना आवश्यक है। आजकल विदेशी मुद्रा में लेन देन होता है। विदेशी मुद्रा की खरीद फरोख्त होती है। उनका निपटान किया जाना आवश्यक है। हमारे पास पहले से ही क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया नामक एक संस्था है, एक केन्द्रीय काउंटर पार्टी और अन्तर-बैंक सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेन-देन हेतु एक विशिष्ट क्लियरिंग संस्था के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जिसकी स्थापना की गई है।

अन्ततः, नई प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप, आजकल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतराल और बढ़ते हुए क्रेडिट कार्ड भुगतान की सुविधाएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए आजकल हमारे पास बहुत से संस्थानों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं। इनमें वीजा और मास्टर कार्ड अधिक प्रसिद्ध कार्ड हैं जो कि बैंकों से जुड़े हुए हैं। अत: अन्य देशों की तरह हमारे पास भी विविध भुगतान प्रणाली मौजूद हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमने केवल चैक क्लियरिंग प्रणाली से काफी प्रगति की है। 1980 के मध्य तक इस देश में केवल चैक क्लियरिंग प्रणाली ही मौजूद थी। आज हमारे पास विभिन्न भुगतान प्रणालियां मौजूद हैं।

आप विश्वास कीजिए, इन भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए आज कोई कानून नहीं है। यह सब ठेका प्रणाली पर चल रहा है। बैंकों का समूह अथवा भारतीय स्टेट बैंक ने एक भुगतान प्रणाली की स्थापना की है, कोई भी बैंक जो कि उस भुगतान प्रणाली में लेन-देन करना चाहता है, वह सेवा प्रदाता ठेकेदारों द्वारा उदग्रहित शुल्क का भुगतान करके इस प्रणाली का हिस्सा बन जाता है।

भारत, अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक का एक सदस्य है। अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक अब एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय है। हम उस निकाय का एक भाग है। हमारे देश का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि पूरे देश में बड़ी संख्या में लेन-देन होता है। उन्होंने भुगतान प्रणाली के मूल सिद्धांत

तैयार किए हैं। भुगतान प्रणाली के इन मूल सिद्धांतों की संख्या इस समय दस है। मैं सभी दस सिद्धांतों को नहीं पढ़ूंगा, अपने अंतिम उत्तर में मैं उनका ब्यौरा दूंगा। पहला सिद्धांत यह है कि भुगतान प्रणाली का सभी संगत क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत एक तर्कसंगत कानूनी आधार होना चाहिए।

भुगतान प्रणाली विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून पर आधारित होनी चाहिए। अतः, कुछ वर्षों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने एक प्रारूप विधि तैयार की और यह कहा कि अब हम बी.आई.एस. का एक भाग हैं और सभी भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने हेतु हमारे पास कोई पृथक कानून होना चाहिए। हमारे पास एक विनियामक होना चाहिए; एक लाईसेंसिंग प्राधिकरण, एक विवाद निपटान तन्त्र, एक अपीलीय प्राधिकरण होना चाहिए और हमें एक विनियामक प्रणाली लागू करनी चाहिए।

प्रारूप विधि तैयार किए जाने के पश्चात् आर.बी.आई. ने यह निर्णय लिया कि मामले का व्यापक रूप से अध्ययन करने के लिए हमें एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करनी चाहिए; विश्व के सभी देशों, विशेषकर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित प्रथाओं की जांच करनी चाहिए और संसद द्वारा बनाए जाने हेतु एक प्रारूप विधि का सुझाव देना चाहिए। अतः, आर.बी.आई. ने आर.एच. पाटिल समिति की नियुक्ति की।

आर.एच. पाटिल समिति ने मामले की जांच की, एक विचारार्थ विषय, भुगतान प्रणाली के विनियमन हेतु समुचित विधायी परिवर्तनों का सुझाव देना था। समिति ने कुछ सिफारिशें की और मैं समिति की केवल महत्वपूर्ण सिफारिशों को पढ़ूंगा। सर्वप्रथम, कि प्रस्तावित विधान को अंतर्राष्ट्रीय समायोजन बैंक हेतु परिकल्पित कोर नियमों के अनुरूप होना चाहिए। मैं 10 नियमों में से पहले नियम को पहले ही पढ़ चुका हूं। दूसरे सुरक्षा समायोजन तंत्रों हेतु एक उचित, स्पष्ट और पारदर्शी विधिक आधार की आवश्यकता है। तीसरे, प्रस्तावित विधान को भुगतान तंत्रों के विनियमन और अधीक्षण पर कानून के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए, समिति ने ऐसे अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों का सर्वेक्षण किया और प्रारूप को उन अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के आधार पर तैयार किया। चौथे, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) को विनियामक होना चाहिए और भुगतान तंत्र पर विनियामक नजर होनी चाहिए। पांचवें प्रस्तावित विधान को देश में सभी प्रकार के भुगतान और समायोजन तंत्रों को समाहित करना चाहिए। मैं इस मद को दोहरा देता हूं। प्रस्तावित विधान देश में भुगतान और समायोजन तंत्रों के सभी प्रकारों को शामिल करे तथा आर.बी.आई. को प्रमाणीकरण या छूट, जैसा भी मामला हो, प्रदान करने की शक्ति दे।

परन्तु आर.बी.आई. एक सेवा प्रदाता भी है, और हम आर.बी.आई. को विनियामक बना रहे हैं। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि जब आर.बी.आई. सेवा प्रदाता और विनियामक की भूमिका निभाए तब ये दो भूमिकाएं आर.बी.आई. के भिन्न स्कंधों द्वारा निभाई जाएं। विनियामक और सेवा प्रदाता के मध्य स्पष्ट अंतर होना चाहिए और आर.बी.आई. के पृथक और विशिष्ट स्कंधों द्वारा विनियामक की भूमिका और प्रचालक की भूमिका का निर्वाह किया जाना चाहिए इस रिपोर्ट का आर.बी.आई. द्वारा अध्ययन किया गया था। इसलिए, इसके उपरांत आर.बी.आई. ने सरकार से प्रस्ताव किया था कि विधेयक लाया जाए।

अब मैं एक साधारण सुझाव देना चाहता हूं। हमें विधेयक की आवश्यकता क्यों है? आप आर.बी.आई. अधिनियम को ही संशोधित क्यों नहीं करते? कृपया विधेयक को देखें। यह एक खण्ड में संशोधन का मामला नहीं है। यह 38 खण्डों वाले विधेयक को लाने का मामला है। कृपया उन परिभाषाओं की ओर देखें जो आर.बी.आई. अधिनियम में नहीं हैं। परिभाषाएं भुगतान तंत्र; सेवा प्रदाता; तंत्र भागीदार; विनियामक; लाइसेंस प्रदाता शक्ति; वे परिस्थितियों जिनके अंतर्गत लाइसेंस दिया जाएगा; वे परिस्थितियों जिनके अंतर्गत लाइसेंस समाप्त किया जाएगा; विवादों का निपटान कौन करेगा; अपीलीय प्राधिकारी कौन होगा इत्यादि के संबंध में है। यह आर.बी.आई. अधिनियम के एक खण्ड को संशोधित करके नहीं किया जा सकता। हमें पृथक कानून बनाना होगा। इसलिए, आर.बी.आई. ने सरकार को सलाह दी थी कि हमें पृथक कानून की आवश्यकता है। विधेयक को आर.बी.आई. के साथ सलाह करके प्रारूपित किया गया है।

इस विधेयक को मेरे साथी द्वारा 25 जुलाई, 200[illegible] को लोक सभा में लाया गया था। इसे 28 अगस्त, 2006 को स्थायी समिति को संदर्भित किया गया था। स्थायी समिति ने इस पर विस्तार से चर्चा की और साक्ष्य लिया। समिति ने 16 मई, 2007 को अपना 56वां प्रतिवेदन रखा। स्थायी समिति में लोक सभा से 21 सदस्य और राज्य सभा से 9 सदस्य थे। उन्होंने सर्वसम्मत प्रतिवेदन दिया केवल सी.पी.आई. (एम) के एक माननीय सदस्य द्वारा विगत टिप्पण दिया गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

इसलिए सभा के सभी वर्गों, सभी दलों ने विधेयक का समर्थन किया है। यह एक आवश्यक विधेयक है। आपके पास सभी भुगतान तंत्रों के विनियमन के लिए एक विनियामक होना चाहिए। असम्मति श्री रूपचंद पाल द्वारा की गई थी। मैं उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का मद-वार उत्तर देने का इच्छुक हूं।

स्थायी समिति ने तीन परिवर्तनों की सिफारिश की थी। हमने सभी तीनों परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया है। प्रथमत: समिति ने सिफारिश की थी कि "बैंक" की परिभाषा को परिवर्तित करने की आवश्यकता है और किसी बैंक को अधिसूचित करने का प्राधिकार आर.बी.आई. के पास हो। हमने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। समिति इस मत से सहमत है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत पहले से स्थापित भुगतान और समायोजन तंत्रों के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड को एक प्रावधान के रूप में भुगतान और समायोजन तंत्र विधेयक में शामिल किया जाए। हमने इसे स्वीकार कर लिया है। तीसरे समिति ने सिफारिश की है कि सेबी अधिनियम की रूपरेखा अनुसार आर.बी.आई. को केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाए। हमने पहले भी कहा है "पूर्व स्वीकृति के साथ"। समिति ने बताया "नहीं, यह बिना पूर्व स्वीकृति के होना चाहिए"। हमने इसे स्वीकार कर लिया है।

आर.बी.आई. ने एक सिफारिश की थी कि जब आर.बी.आई. के सेवा प्रदाता के रूप में और तंत्र भागीदार के बीच कोई विवाद हो तो उस विवाद को विवाद निपटान प्राधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा सुलझाया जाए। हमने उसे भी स्वीकार कर लिया है।

इसलिए, सिफारिशों को स्वीकार करते हुए चार शासकीय संशोधन किए गए। यदि मैं पूर्ण सम्मान से कहूं तो केवल एक विगत टिप्पण - संभवत: विधेयक के प्रावधानों की पर्याप्त समझ न होने के कारण था। परन्तु मैं श्री रूपचंद पाल जी द्वारा उठाई गई प्रत्येक आपत्ति का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। पहली आपत्ति यह थी कि आर.बी.आई. अधिनियम के खण्ड 58 के संशोधन करें। क्योंकि यह पर्याप्त है। इसका उत्तर है कि यह पर्याप्त नहीं है। खण्ड 58 के संशोधन द्वारा, मैं 38 खण्डों को नहीं ला सकता। मैं इन सभी परिभाषाओं को नहीं ला सकता और मैं आर.बी.आई. को विनियामक नहीं बना सकता। इसलिए हमें एक पृथक विधेयक की आवश्यकता है। यह संभव नहीं है कि आर.बी.आई. अधिनियम के एक खण्ड में संशोधन के लिए 38 खण्डों वाला एक विधेयक लाया जाए।

दूसरे विनियामक, सेवा प्रदाता भी हो सकता है और इसमें हितों का कोई विवाद नहीं है। हमें कोई संदेह नहीं है। आर.बी.आई. आर.टी.जी.एस. हेतु सेवा प्रदाता होगा। आर.बी.आई. 14 केन्द्रों में सेवा प्रदाता होगा, परंतु क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के शेष 1068 केन्द्रों में आर.बी.आई. सेवा प्रदाता नहीं होगा। इसलिए आपको विनियामक की आवश्यकता है। इसलिए हम आर.बी.आई. को विनियामक के रूप में नियुक्त कर रहे हैं जो देश में सभी सेवा प्रदाताओं को विनियमित करेगा।

तीसरी आपत्ति यह है कि आर.बी.आई. के अनेक दस्तावेज किसी सार्वभौम पद्धति को इंगित नहीं करते है। यह सही नहीं है। वस्तुत: आर.बी.आई. ने "आर.बी.आई. विजन डाक्यूमेंट" नामक दस्तावेज तैयार और प्रस्तुत किया है। आर.बी.आई. के विजन दस्तावेज में सभी सार्वभौम पद्धतियां शामिल हैं। आर.एच. पाटील समिति ने सार्वभौमिक पद्धतियों का अध्ययन किया है, और यह विधेयक उस सिफारिश पर आधारित है।

चौथी आपत्ति यह है कि प्रस्तावित नयी निजी संस्था के पास न तो विशेषज्ञता है न ही अनुभव। यह पुन: गलत है। चार मेट्रो शहरों के अलावा भारतीय स्टेट बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो अब 1068 केन्द्रों पर क्लीयरिंग सेवाएं दे रहे हैं। अब, हम जो विचार कर रहे हैं, वे सब एक साथ एक नया निगम बनाएंगे जो नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा। इसके शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक और सार्वजनिक बैंक और अन्य बैंक होंगे। कोई भी शेयरधारक 10% से अधिक नहीं रख सकता। अत: कोई भी इस पर प्रभुत्व नहीं जमा सकता। भारतीय स्टेट बैंक एक मुख्य शेयरधारक होगा; सार्वजनिक बैंक भी मुख्य शेयरधारक होंगे; कुछ निजी बैंक भी इसमें होंगे। उन्हें भी शेयर्स दिए जाएंगे। एन.पी.सी.आई. अब सभी केन्द्रों के लिए भुगतान सेवा प्रदाता होगा जो पृथक स्थानों पर चलाए जाते हैं - कुछ स्थानों पर एस.बी.आई. द्वारा, एक स्थान पर एक सार्वजनिक बैंक द्वारा, अन्य दूसरे स्थान पर, दूसरे सार्वजनिक बैंक द्वारा। ये सभी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत आएंगे जिन्हें आर.बी.आई. द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाएगा और जो आर.बी.आई. द्वारा विनियमित किए जाएंगे। अत: हम जो विनियमन ला रहे हैं आज वहां कोई विनियमन नहीं है।

अन्ततः, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे यह निष्कर्ष निकाला, लेकिन उनका कहना कि निकट भविष्य में, सारी व्यवस्था निजी संस्थाओं द्वारा की जाएगी। मैं इसे नही समझ सकता क्योंकि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ऐसा कहता हो। वास्तव में, प्रत्येक व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करना है। आज भुगतान सेवाएं प्रदाता हैं - आर.बी.आई., क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, भारतीय स्टेट बैंक और सार्वजनिक बैंक। वे भुगतान व्यवस्था जारी रखेंगे, सिवाय इसके कि वे अब विनियामक के अन्तर्गत होंगे और विनियामक होगा आर.बी.आई.।

श्री खारबेल स्वाईं: यही आपत्ति का प्रश्न है।

श्री पी. चिदम्बरम: आर.बी.आई. को विनियामक क्यों नहीं होना चाहिए? एन.पी.सी.आई. जो गठित की जानी है धारा 25 की एक कंपनी होगी। किसी को भी लाभांश का वितरण नहीं किया जाएगा। अतः यह लाभ कमाने वाली निजी कंपनी नहीं है। यह गैर-लाभकारी कंपनी है। सभी अतिरिक्त लाभ भुगतान व्यवस्था के विकास में लगाए जाएंगे। कृपया कंपनी अधिनियम की धारा 25 देखें। इसका स्वामित्व बैंकों विशेषकर स्टेट बैंक और अन्य सार्वजनिक बैंकों के पास होगा। आर.बी.आई. द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत इसे आर.बी.आई. द्वारा ही विनियमित किया जाएगा। हम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था के अनुसार भारतीय भुगतान व्यवस्था स्थापित करने जा रहे हैं। यही समय है जब हमें यह करना था। मुझे बताया गया है कि कल भुगतान मोबाइल टेलिफोन से किए जा सकते हैं। वह प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है जिसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान मोबाइल फोन से कर सकते हैं; और मोबाइल टेलिफोन कंपनियां भुगतान सेवाएं देने जा रही हैं। अतः प्रौद्योगिकी अनेक नए भुगतान तंत्र लाएगी। ये सभी विनियमित की जानी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम यह कानून बनायें। स्थायी समिति ने विधेयक की प्रशंसा की। वास्तव में, कुछ असहमति की है। मैं असहमति के प्रत्येक बिन्दु का उत्तर दूंगा, मैं प्रत्येक चीज स्पष्ट करूंगा। अतः मैं सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं और सदन के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि इसे अवश्य ही पारित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत में संदाय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण और उस प्रयोजनार्थ भारतीय रिजर्व बैंक की एक प्राधिकरण के रूप में नियुक्ति और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, आज यहां संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया गया है और विधेयक प्रस्तुत करने के बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने विस्तार से विधेयक, जो अधिनियम बनने वाला है, के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया है कि इसे क्यों लाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि संदाय और निपटान प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के समान मानी जाती है और यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। वैसे हमारे देश में अनेक वर्षों से, अगर मैं कहूं कि आदिकाल से संदाय और निपटान प्रणाली प्रचलित है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह लंबे समय से चली आ रही है लेकिन तरीके भिन्न-भिन्न रहे हैं, चाहे हुंडी के माध्यम से हो या लेनदेन के माध्यम से हो, ये सब पहले से होता आ रहा है। परंतु जैसे-जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, आधुनिक साधन उपलब्ध होते जा रहे हैं, नए-नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं और इससे इस तरह का विधेयक लाने की आवश्यकता महसूस की गई है। उस दृष्टिकोण से इसे लाया गया है। निश्चित रूप से यह विधेयक समर्थन योग्य है। अभी तक संदाय और निपटान प्रणाली भिन्न-भिन्न कानूनों के दायरे में आती रही और संदाय संबंधी जो समस्याएं आती रही हैं, उनके विवाद को निपटाने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। इस कारण जो संदाय के लिए पात्र होते थे और जो कठिनाइयां महसूस करते थे, उन्हें न्याय मिलने में बड़ी कठिनाई होती थी। इसके साथ ही साथ कोई एक जैसा कानून नहीं होने के कारण और भी अनेक प्रकार की परेशानियां होती थीं। इस विधेयक में उन सब समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की गई है और 38 धाराओं के माध्यम से इसको विधि-सम्मत इस प्रणाली को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए कानूनी स्वरूप देने का काम इस विधेयक के माध्यम से होगा। निश्चित रूप से यह संदाय और निपटान प्रणाली को मजबूत करेगा और देश की अर्थव्यवस्था को इस कानून के कारण लाभ मिलेगा और संदाय के लिए जो पात्र होते हैं, उन्हें भी इसके कारण सहूलियतें मिलेगी। इसमें संदाय और निपटान

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

प्रणाली में कौन-कौन से संस्थान आयेंगे, उन सबकी परिभाषाएं दी गई हैं और सामान्यतः हम यह कह सकते हैं कि जो बैंकिंग कार्य प्रणाली को अपनाने वाले संस्थान हैं, वे इस परिभाषा से इस विधेयक के दायरे में आते हैं।

सभापति महोदय, इसमें एक बात कही गई है कि स्टाक एक्सचेंज को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। अब उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बैंकिंग प्रणाली स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से अपनायी जाती है तो फिर यह संदाय और निपटान विधेयक जो लाया गया है, जिसके माध्यम से कानून बनेगा तो उसे उसके दायरे से बाहर क्यों रखा गया है। हालांकि वित्त विभाग की स्थायी समिति ने भी उस विषय में विचार-विमर्श किया था और सरकार ने जो जवाब दिया था, अंत में जाकर उन्होंने छोटी सी टिप्पणी के साथ उससे सहमति व्यक्त की है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस सदन के माध्यम से देश की जनता को अवगत करायें कि स्टाक एक्सचेंज को इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है? ताकि जो छोटी-मोटी शंका-कुशंकाएं हैं, वे दूर हो जाएं। इसके साथ ही साथ इस विधेयक में अभिप्राधिकारी कौन होगा, इसकी व्यवस्था भी की गई है। फिर संदाय प्रणालियों का प्राधिकार किसके पास होगा, उसके बारे में भी उल्लेख किया गया है और वित्त मंत्री जी ने विस्तार से उसका बारे में बताया है कि आर.बी.आई. इस काम को देखेगी। वैसे आर.बी.आई. की तरफ से इस प्रणाली को अमल में लाने के लिए सहयोग देने की दृष्टि से पहले से एक बोर्ड रहा है और उस बोर्ड की कार्य-प्रणाली या व्यस्तता के कारण सही दिशा में काम करने में कठिनाई महसूस की जाती थी, इस कारण से भी यह विधेयक लाया गया है। फिर रिजर्व बैंक द्वारा विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य करने की व्यवस्था भी इसमें हैं। अब इसमें प्रणाली प्रदाता के अधिकार और कर्तव्य इन बातों का भी उल्लेख किया गया है। अगर यदि इसमें कहीं विवाद होंगे तो केन्द्र सरकार के पास अपील की व्यवस्था भी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो संदाय के लिए पात्र है...

सभापति महोदय: यदि आप और बोलना चाहते हैं तो नैक्स्ट टाइम के लिए आप कंटीन्यू करेंगे। क्योंकि साढ़े तीन बज गये हैं, अभी प्राइवेट मैम्बर बिजनेस लिया जायेगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत: मैं और बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय: नैक्सट टाइम के लिए आप कंटीन्यू करेंगे।

आइटम नं. 24, श्री जय प्रकाश जी।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के संबंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा दिनांक 21 नवम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 21 नवम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी 31वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.30½ बजे

गैर सरकारी सदस्य का संकल्प

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा - *जारी*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने एक महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलने की मुझे इजाजत दी है। हमारे देश को आजादी मिले 60 वर्ष हो गये हैं और 60 वर्ष के बाद भी हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है और शिक्षा की जो व्यवस्था है, वह उचित प्रतीत नहीं हो रही है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जो संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त है, उस संवैधानिक अधिकार के अनुसार देश में जो शिक्षा

की व्यवस्था होनी चाहिए, समान और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, शायद किसी हद तक वह पूरा नहीं हो सका है जिसके कारण आज देश में बड़े पैमाने पर अशिक्षा भी है और गरीबी भी है और ये सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे प्रदेश हैं जो बहुत पिछड़े हैं और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनसे हम खास तौर पर शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हैं और पुरुष से ज्यादा महिलाएं अशिक्षित हैं। आजादी के बाद हमारे अनवरत प्रयास होते रहे हैं। शिक्षा हमारा एजेंडा रहा है कि हम लोगों को साक्षर और शिक्षित बनाएंगे। 60 वर्ष की आजादी के बाद हमारा देश आगे नहीं बढ़ा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लेकिन जहां तक हमें आगे बढ़ कर जाना चाहिए था, उतना शायद हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कहां से हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? अंग्रेज चले गये मगर अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति थी, उसी शिक्षा पद्धति को आज भी हम अपने देश में कायम रखे हुए हैं। वर्ष 1836 में लेडी माइकिल ने शिक्षा पद्धति बनाई थी। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभापति जी, यह जो उत्तर प्रदेश में बम बलास्ट हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई सूचना देने का प्रबन्ध किया जाए क्योंकि बहुत भयंकर तीन स्थानों पर एक साथ अदालतों के अंदर बम बलास्ट हुए हैं और काफी लोग उनमें हताहत हुए हैं। इसलिए सरकार की तरफ से कोई आकर सदन को सूचना दे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मल्होत्रा जी, आप पुराने सदस्य हैं। आप डिप्टी लीडर हैं। आप किसी नियम के तहत उठाएंगे तो सरकार आएगी। आपको अवसर मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: बहुत ही गंभीर घटना हुई है। सरकार की तरफ से किसी को यहां आकर सूचना देनी चाहिए। ये मंत्री जी बैठे हैं। ये जाकर होम मिनिस्टर से कहें कि आप सूचना दें।...*(व्यवधान)*

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, अनेक अवसरों पर ऐसी परम्पराएं बन गई हैं कि इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो सदन को जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जानकारी के लिये सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। सरकार को भी जानकारी हासिल करनी होगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सारे चैनल्स पर आ रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सरकार जानकारी हासिल करेगी तभी तो सदन को बता सकती है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, मैं बता रहा था कि आज भी शिक्षा की वही व्यवस्था 1836 की व्यवस्था लागू है। हर पोलिटिकल पार्टी के लोग अपने एजेण्डा में शिक्षा को प्राथमिकता से रखते हैं। आजादी के बाद कई दलों की सरकारें बनीं, मगर अपने वायदे के अनुसार आम जन तक शिक्षा की व्यवस्था वे नहीं करा पाईं, मैं इस बात को स्वीकारता हूं।

जो संकल्प मैं लाया हूं, इसे मैं मजबूरी में लाया हूं। उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का यह विधेयक तो मैं मजबूरी में लाया हूं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। आजादी के बाद जिन लोगों के कन्धों पर देश की तरक्की के लिए, देश में साक्षरता हो, देश की गरीबी और फटेहाली दूर हो, अशिक्षा दूर हो, जिनके कन्धों पर यह भार था, शायद वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाये, जिसके कारण आज भी बड़े पैमाने पर देशवासी अशिक्षित हैं। कई प्रदेशों में तो हालात और भी खराब हैं। मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि कई प्रदेशों में अनवरत प्रयासों के कुछ नतीजे आये हैं, मगर कई ऐसे बड़े प्रदेश हैं, जिस प्रदेश से मैं स्वयं आता हूं। बिहार और बंगल का प्रदेश उत्तर प्रदेश, खास तौर से कई बड़े और गरीब प्रदेश हैं, जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि, इन सब प्रदेशों के हालात ठीक नहीं हैं। इसका मूल कारण यह है कि स्कूलों को हम लोगों ने खोला जरूर, स्वीकृति जरूर की, मगर आज भी आजादी के 60 वर्षों के बाद भी कई ऐसे स्कूल मिलेंगे, जहां आज भी बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते। खास तौर पर गांव के परिवेश में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को जो बच्चे हैं, चाहे वे किसी भी जाति और सम्प्रदाय के लोग हों, उनकी शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। आप किसी स्कूल में चले जाइये, वहां व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं है। आज भी देश में आपको हजारों स्कूल ऐसे मिलेंगे, जो भवनविहीन हैं, पेड़ के नीचे हैं और बच्चे स्कूल में पढ़ने का काम कर रहे हैं।

मैं भी इस व्यवस्था से अपने को सम्बद्ध करता हूं, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मैं पटना शहर से जुड़ा हुआ हूं। जिस वक्त मैं प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था,

[श्री राम कृपाल यादव]

मैं समझता हूं कि आप और सदन के कई माननीय सदस्य भी उसी तरह के स्कूल में पढ़े हैं, जो सरकारी स्कूल चलाये जा रहे हैं, क्योंकि हम गरीब और पिछड़े परिवार से आते हैं और हमारे जैसे परिवारों के पास इतना धन नहीं है, जिसके कारण उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। निजी स्कूलों में व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन गरीब आदमी अपने बच्चे को उनमें नहीं पढ़ा सकते। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पटना में सेंट जेवियर स्कूल भी है।

श्री राम कृपाल यादव: सेंट जेवियर स्कूल जो पटना में है, लेकिन राम कृपाल यादव जैसे लोगों को ऐसे स्कूलों में पढ़ने की इजाजत नहीं है।

मैं आपको बता रहा था कि जिस स्कूल से मैं शिक्षा ग्रहण करके आया हूं, वह हमारे घर के पास का ही स्कूल है। अब भी वह स्कूल वहीं अवस्थित है। वह सरकारी स्कूल था, पेड़ के नीचे हमें वहां पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उस स्कूल में भवन नहीं था और चट्टी बोरा हम लोग ले जाते थे और उस पर बैठकर पढ़ने का काम करते थे।

दो तरह की व्यवस्था इस देश में है। शहर की बात मैं बोल रहा हूं, गांव की बात छोड़िये। मैं बता रहा था कि आज भी हजारों स्कूल ऐसे हैं, जहां की स्थिति बहुत खराब है। बहुत से स्कूलों में तो आज भी बिल्डिंग नहीं है। अगर बिल्डिंग है तो उसकी हालत देखिये, चारों तरफ से लगी हुई दीवार है, मगर उसके ऊपर छत नहीं है। कहीं छत और दरवाजे हैं तो उसके दरवाजे और खिड़की गायब मिलेंगे। कहीं दीवार और छत सब हैं तो ब्लैकबोर्ड नहीं मिलेगा। यह वस्तु-स्थिति है। इस बात को आप स्वीकारेंगे, क्योंकि आप भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं, गांवों के परिवेश से आते हैं। सब कुछ अगर मिल जाएगा, तो टीचर्स गायब हैं। ऐसे स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? आज मैं उन बच्चों की हालत आपको बताना चाहता हूं। उनके संबंध में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट आयी है। उसके आधार पर प्राथमिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी स्थिति यह है जो पांचवीं कक्षा के बच्चे हैं, उनमें 55 फीसदी बच्चे ऐसे हैं, जो साधारण सवाल हल नहीं कर पा रहे हैं, यह संरक्षण रिपोर्ट है। इसे एक प्राइवेट संस्थान ने लोगों के बीच में घूम-घूमकर, जो गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने उनकी रिपोर्ट तैयार की है।

महोदय, यह विचित्र स्थिति है। यही नहीं, करीब 47 फीसदी बच्चे ऐसे हैं, जो सही तरीके से किताब भी नहीं पढ़ सकते हैं। यह व्यवस्था है। इस देश में अमीरों के लिए अलग व्यवस्था और गरीबों के लिए अलग व्यवस्था है। गरीबों को तो उन्हीं स्कूलों पर निर्भर रहना पड़ता है। गरीब के बच्चे आखिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। यह हमारे संविधान में है। संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 का अवलोकन किया जाए, तो स्पष्ट रूप से आपको लगेगा कि संविधान की जो अधिकार प्रदत्त शक्ति हम लोगों को है, उसके अनुसार सरकार कार्यवाही नहीं कर पा रही है। शिक्षा की समान व्यवस्था नहीं हो पायी है। अगर शिक्षा की समान व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो इस देश की पचहत्तर प्रतिशत आबादी कैसे आगे बढ़ पाएगी? वे कहते हैं कि गरीब के बच्चे अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं। गरीब का मतलब सभी जाति और धर्म के बच्चों के बारे में मैं बोल रहा हूं। गांव में गरीबी है, तो केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओ.बी.सी. के लिए नहीं है, जो सवर्ण जाति के जो बच्चे हैं, उनकी भी हालत वही है। उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जब तक इस देश में भेदभाव होता रहेगा, दो तरह की नीतियां चलती रहेंगी, तब तक इस देश की तरक्की संभव हो ही नहीं सकती है। एक कान्वेंट में पढ़कर जाएगा और दूसरा बिना मास्टर के पढ़े हुए बच्चे आएंगे, ऐसी स्थिति में कहां से दोनों में समानता आएगी, कैसे वे गरीब गांव के बच्चे विकसित हो पाएंगे, कैसे वह गांव तरक्की कर पाएगा, कैसे देश की 75 प्रतिशत आबादी तरक्की कर पाएगी? जो शिक्षा व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि धीरे-धीरे शिक्षा पर निजी स्कूलों, निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं का वर्चस्व कायम होता जा रहा है।

सभापति महोदय: राम कृपाल जी आप एक मिनट के लिए रुकिए। माननीय उपनेता मल्होत्रा जी ने कुछ विशेष जानकारी सरकार से मांगी थी। सरकार ने उत्तर प्रदेश के संबंध में शायद कुछ जानकारी प्राप्त की है। सरकार अगर जानकारी देना चाहे, तो दे सकती है।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय गृहमंत्री से बात की थी। उन्होंने कहा कि वे जानकारी ले रहे हैं ज्यों ही वे पूरी जानकारी जुटा लेंगे, संसद सदस्यों को बताएंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: विपक्ष के नेता को बोलने दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदय, आपका कहना सही है कि वे जानकारी करके देंगे, लेकिन कल और परसों शनिवार, इतवार है। दो दिन सदन का अवकाश रहेगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि आज हाउस एडजर्न होने से पहले जितनी जानकारी मिल सके, वह सदन को देनी चाहिए।

सभापति महोदय: ठीक है। अगर सरकार को जानकारी प्राप्त हो जाए तो सरकार कोशिश करे कि सदन समाप्त होने से पहले जानकारी दे। हम चेयर से सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन सरकार देना चाहे, तो दे।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: वे टेलिविजन चैनलों द्वारा दी गई रिपोर्टों पर आधारित सूचना नहीं दे सकते।

सभापति महोदय: आपको जितनी जल्दी संभव जानकारी जुटानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं बता रहा था कि दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है। धीरे-धीरे जो प्राइवेटाइजेशन का जोर चल रहा है, उसमें निजी शिक्षा में संस्थायें काम कर रही हैं, उसमें पढ़ाई का स्टैंडर्ड ठीक है। हमारे यहां गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो हमारे गांव में सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष की उम्र में जाते हैं और जो सामर्थ्यवान व्यक्ति या परिवार हैं, वे अपने बच्चों को दो से तीन वर्ष में स्कूल भेज देते हैं। वे छः साल की उम्र में तीन क्लास पास करके एल.के.जी. में चले जाते हैं। उनकी पढ़ाई की रूचि दो-ढाई वर्ष के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। उनके पास खिलाने की व्यवस्था, पढ़ाने की व्यवस्था है, जबकि हमने छठी कक्षा में जाकर ए, बी, सी, डी पढ़ना शुरू किया था। हम कहां से उनका कम्पैरीजन कर पाएंगे?

अपराह्न 3.45 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

सैंट माइकल और सैंट जेवियर्स के विद्यार्थियों की तुलना में हमारी पढ़ाई इसीलिए पीछे रह जाती है। यही व्यवस्था है। गांवों से क्वालिटी कैसे निकल सकती है। गांवों से क्वांटिटी निकल सकती है लेकिन क्वालिटी नहीं निकल सकती। हर व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वह अपने बच्चे को कौन्वैंट स्कूल में भेज सके। मैं समझता हूं कि पढ़ाई की इस दुरंगी नीति को समाप्त करना पड़ेगा। एक तरह का सिलेबस करने की आवश्यकता है, एक तरह का माहौल बनाने की जरूरत है। इस वजह से दिनोंदिन ऊंच और नीच की खाई बढ़ती जा रही है। जब तक हम इस खाई को पाटने का काम नहीं करेंगे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाएगी। अब तो दुनिया में कम्पीटिशन हो गया है। सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी निकालनी पड़ेगी, तभी ये बच्चे कम्पीट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें तभी अवसर मिल सकता है।

मैं मानूंगा कि आज इस देश में दस प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जो सामर्थ्यवान हैं। वे अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। गांवों में गरीब तबके के लोग ही रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है इसीलिए वे सरकारी स्कूलों पर डिपैंडैंट हैं। वैसे मैं यू.पी.ए. सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा पर विशेष जोर देने का काम किया है। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है, स्कूलों में भवन निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है, टीचर्स की बहाली के लिए पैसा दिया जा रहा है। लेकिन राज्यों के स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के लिए दी गई राशि का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अच्छी क्वालिटी के टीचर्स की बहाली नहीं हो पा रही है। हम कौन्ट्रैक्ट बेसिज पर शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। यदि शिक्षकों में गुणवत्ता नहीं रहेगी तो क्या वे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? यह बिल्कुल सही है। कई माननीय सदस्य इस बात का अहसास भी करते होंगे कि इन दिनों सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन शिक्षकों की बहाली हो रही है, वे बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारे यहां एक पॉलिसी बनाई गई है जिसमें 60 वर्ष के शिक्षक, जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी भी बहाली हो गई है। वे बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? उन्हें अपना पढ़ा हुआ भूल गया होगा क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं रही। उनकी बहाली इसलिए हो गई क्योंकि वे बी.एड और एम.एड. पढ़े हुए हैं। इस तरह के शिक्षकों से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। विडंबना है कि लोग अपनी नीतियां बनाते हैं, लेकिन उन नीतियों का असर देश के अवाम पर पड़ रहा है। पहले भारत सरकार राज्य सरकारों को जो 75 प्रतिशत भाग दिया

[श्री राम कृपाल यादव]

करती थी, अब उसमें कटौती कर गई है। अब 50 प्रतिशत दिया जा रहा है जिससे राज्य सरकार की आर्थिक बदहाली रहती है। इसलिए राज्य सरकार सक्षम नहीं है। बहुत से ऐसे राज्य हैं और मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपने सीमित साधन हैं। जब तक केन्द्र सरकार का उनको सहयोग नहीं मिल पायेगा तब तक वे काम नहीं कर पायेंगे।

यह बात सही है कि भारत सरकार शिक्षा पर जो राशि इन्वेस्ट कर रही है, उसे बढ़ाने का उसने निर्णय किया है। सरकार ने पिछली बार भी बजट में इस राशि को बढ़ाने का काम किया है। हमें लगता है कि इस बार के बजट में भी, योजना आयोग के समीप जो बातें आयी हैं, उससे लगता है कि भारत सरकार इस मूड में है कि वह शिक्षा पर और राशि आवंटित कर पायेगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। जब तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा तब तक हम और देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमने शिक्षा में सुधार करने के लिए जो प्रयास किये हैं, उसमें हमें बहुत सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अभी सन्तोषजनक नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं। इसके लिए समाज के हर तबके के लोगों को इसमें लगना पड़ेगा। समाजसेवी, अधिकारी, पदाधिकारी, शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी आदि हर तबके के लोगों को इसमें लगना पड़ेगा तभी हमारे यहां शिक्षा में सुधार आ सकता है और इसकी गुणवत्ता बढ़ सकती है। हमारे पुरखों जिन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़कर अपने आपको समाप्त करने का काम किया, उन्होंने एक सपना देखा था। मैं समझता हूं कि जब तक सब लोगों का इसमें सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम शिक्षा के स्तर को सुधार नहीं सकते। आजादी के बाद हमारा जो सपना रहा है कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचे और देश के हर नागरिक को हम शिक्षित कर सकें, वह सपना भी पूरा नहीं हो सकता। केवल सरकार के चाहने से यह काम संभव नहीं है। मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2005 में छः से चौदह साल तक के स्कूल जाने वाले बच्चे जो ड्रापआउट हुआ करते थे, उनकी संख्या में सुधार हुआ है। वर्ष 2001 में 28.5 परसेंट बच्चे, जिनकी संख्या छः से चौदह साल तक की थी, वे स्कूल नहीं जा पाते थे। अब उनकी संख्या घटकर 6.94 परसेंट हो गयी है। इसमें प्रोग्रेस हो रही है। वर्ष 2001 में शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स के 20.73 बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 16.2 परसेंट हो गयी है। मैं समझता हूं कि सरकार ने इसमें जो पहल की है, उसके अनुसार हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें सन्तोष नहीं होगा। देश की आर्थिक व्यवस्था पर हर चीज असर करती है। पिछड़ापन और गरीबी भी इसका कारण है। जब तक हम पूरी तरह से साक्षर नहीं हो जाते तब तक हम आगे बढ़ने का सपना सोच ही नहीं सकते।

मैं समझता हूं कि इस पर हमें निश्चित तौर पर एक प्रयास करने की आवश्यकता है। संविधान में हमारी जो प्रदत्त शक्ति है, हमें जो अधिकार प्राप्त हैं, उसके अनुसार अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, तो कुछ हो सकता है। अब नीतियां तो बनती रहती हैं लेकिन नीयत ठीक होनी चाहिए तभी नीति का असर सरजमीं पर हो सकता है।

महोदय, बातें तो बहुत कही जाती हैं, मगर जब तक वह बातें लागू नहीं होंगी तब यह सब बेकार हो जाता है। इस देश में आजादी के बाद से अब तक सभी सरकारों ने बहुत खूबसूरत नीतियां बनाने का काम किया, लेकिन नीयत ठीक नहीं रही। इसकी वजह से आजादी की 60 वर्ष बाद भी गांवों में अनेक ऐसे परिवार और बच्चे हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं है। इसका एक कारण गरीबी भी है। आज गांव में मां-बाप बच्चों को स्कूल न भेजकर काम करने के लिए भेज देते हैं। यदि उनको दो वक्त की रोटी मिल जाती तो शायद यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हमने देखा है कि भारत सरकार ने दोपहर में बच्चों को भुक्त भोजन देने की व्यवस्था की है, उससे बच्चों में शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा है, बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वे पढ़ नहीं पाते हैं। इस स्थिति में भी सुधार की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। दोपहर भोजन की यह जो व्यवस्था है, उसमें आम तौर पर यह देखा जाता है कि स्कूलों में पढ़ाई न करके, मास्टर और बच्चे खिचड़ी बनाने में लग जाते हैं। इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, तब तक आप जो राशि खर्च कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपका मन और दिल साफ है, उसका सही असर नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में आप कुछ सोचेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। यह बेहतर होगा कि हम बच्चों को खाना भी खिला दें और उनको पढ़ाई से भी वंचित न होना पड़े। दूसरी समस्या यह है कि हमारे यहां अवेयरनेस की कमी है।

यह बात भी सही है कि पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में प्रयास हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों और उनके गार्जियन्स में भी अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति जागृति और उमंग आई है। मैं समझता हूं कि इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे अपने आपको खुश कर लेना ठीक नहीं होगा। इस व्यवस्था में और सुधार करने की जरूरत है। इस दिशा में जब तक और अधिक प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक नतीजा निकलकर सामने नहीं आएगा और हमारे जो मूल उद्देश्य हैं, हम उनसे वंचित रह जाएंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था समान हो। हमारे यहां जो अमीरों के लिए अलग व्यवस्था और गरीबों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था है, उसे दुरुस्त करना होगा, असमानता को दूर करने का काम कीजिए, सभी के लिए एक तरह की नीति बनाएं और गांवों एवं घरों में, जहां अभी तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची है, इस संकल्प के साथ आप जाएं। निश्चित तौर पर अगर इसे सही मन से ले जाएंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा और हम, आप और सभी लोगों के प्रयास से यह काम होगा। यह संकल्प इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हम हायर सेकेण्डरी तक की कक्षाओं के लिए पूर्णरूपेण निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तब तक देश के विकास के लक्ष्य को हम एचीव नहीं कर पाएंगे, गांवों में बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति दो टाइम की रोटी का व्यवस्था नहीं कर पाता है, वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कैसे भेज पाएगा और निजी एवं अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजने की बात तो बहुत दूर है। यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है और इसके लिए हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि हम उन्हें निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करें, इसीलिए मैं यह संकल्प सदन के समक्ष लाया हूं। स्कूलों में जब तक पहली कक्षा से लेकर हायर सेकेण्डरी तक समान और निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती है और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैंने देखा कि इस देश की महिलाओं में, जो कि देश की आबादी का आधा हिस्सा है, शिक्षा का बहुत अभाव है।...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदय, क्या माननीय सदस्य के बोलने के लिए कोई समय-सीमा नहीं है, वह पिछले काफी समय से बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: यदि माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने बहुत अधिक समय ले लिया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपने सभी बिंदुओं को शामिल किया है। कृपया समाप्त करें।

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने ही जा रहा हूं। मैं कह रहा था कि निश्चित तौर पर सदन को और सरकार को मेरे इस संकल्प को मानना चाहिए। हमारे पुरखों ने समतामूलक समाज की परिकल्पना की थी इसलिए हमें अपने देश में गरीबी और फटेहाली को देखते हुए समान शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसके लिए प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकंड्री स्कूल तक की परीक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए, तब ही हम अपने संविधान की मूल भावना के तहत हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार दे सकते हैं। जब तक देश शिक्षित नहीं होगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा और गरीबी तथा बदहाली दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं सदन से और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस संकल्प पर मोहर लगाएं और निःशुल्क शिक्षा तथा समान शिक्षा देने की व्यवस्था कराएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब माननीय गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 4.01 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य - *जारी*

(तीन) उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में हुए बम विस्फोट

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): सभापति महोदय, मुझे उत्तर प्रदेश में हुए बम विस्फोटों के संबंध में वक्तव्य देने का निदेश हुआ है। मैं इस सम्माननीय सभा में आरंभिक

[श्री शिवराज वि. पाटील]

रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। हम सूचना एकत्र कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में सीरियल बम विस्फोट हुए। सभी विस्फोट न्यायालय परिषदों में हुए। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

लखनऊ:- लखनऊ के न्यायालय परिसर में साइकिल स्टैन्ड के पास दोपहर 1.05 बजे एक कम तीव्रता वाला बम विस्फोट हुआ। इसमें को भी हताहत नहीं हुआ है।

वाराणसी:- वाराणसी के न्यायालय परिसर में दोपहर 1.18 बजे से 1.20 बजे के बीच उच्च तीव्रता वाले तीन विस्फोट हुए जिसमें 10 व्यक्ति घायल हुए और 1 व्यक्ति मारा गया बताया गया है।

फैजाबाद:- फैजाबाद के न्यायालय परिसर में दोपहर को लगभग 1.25 बजे दो उच्च तीव्रता वाले विस्फोट हुए जिसमें 2 व्यक्तियों की जानें गईं और 15 घायल हुए।

ये सभी छः बम विस्फोट या तो न्यायालय परिसरों के भीतर अथवा उसके पास हुए और विशेषकर इन तीनों जगहों पर ही न्यायालय परिसरों में स्थित साइकिल स्टैण्डों के पास हुए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): फैजाबाद में कितने लोग मारे गए?

श्री शिवराज वि. पाटील: फैजाबाद में दो व्यक्ति मारे गए। हमारी जानकारी के अनुसार कुल मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है। प्रभावित क्षेत्रों की घेराबंदी कर ली गई है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण में पुलिस, बम निरोधक और खोजी दस्ते उस क्षेत्र की अतिसावधानी पूर्वक छानबीन कर रहे हैं। इसमें प्रयोग किए गए विस्फोटक के प्रकार, प्रक्रिया और किसी समूह अथवा संगठन के शामिल होने के संबंध में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि हाई एलर्ट घोषित किया गया है। आगे की जानकारी मिलते ही हम सभा को सूचित करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने हमें इन विस्फोटों के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी। मुझे विश्वास है कि इस सभा को सोमवार तक इस संबंध में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि वहां क्या हुआ। सीरियल विस्फोटों की यह पद्धति 1993 में प्रारंभ हुई थी जब मुम्बई में पहला आतंकवादी हमला हुआ और कुछ घंटों में या तीन घंटों में ही वहां एक व्यापक क्षेत्र में किए गए बम विस्फोटों के कारण कई व्यक्तियों की जानें चली गई थीं। तभी से मेरा यह मानना है कि हमारे जैसे बड़े देश में जहां छह जगह आतंकवादी फैले हुए हैं एक भी घटना को रोक पाना मुश्किल है। परंतु, जहां भी सीरियल विस्फोट हुए प्रथम दृष्टया सुविधा विभाग इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि इसके लिए वे काफी लम्बे समय से तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि तीन चार व्यक्ति मिलकर बस स्टेशन पर भीड़ देखकर बम फेंककर भाग जाते हैं।

गत वर्षों में कई सीरियल विस्फोट हुए हैं। यह यद्धपि दिल्ली में तीन विस्फोटों के साथ शुरू हुई और इसका सबसे खराब मामला गत वर्ष सामने आया जब मुम्बई में एक निश्चित समय में पांच से दस मिनट के भीतर सात अलग-अलग यात्री ट्रेनों में विस्फोट हुए। जहां तक मुझे जानकारी है इस मामले में, जिसमें पूरी घटना को सैनिक कार्यवाही की तरह अंजाम दिया गया, हम अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाए हैं। उसके बाद हैदराबाद में विस्फोट हुए। एक स्टेडियम में और दूसरा गोकुलचाट में जहां मैं स्वयं गया था। अतः सीरियल विस्फोट की घटनाएं बार-बार हो रही हैं।

मंत्री महोदय सोमवार को हमें बंगलौर, मुम्बई, हैदराबाद, सहित गत दो वर्षों में हुए और निसंदेह कुछ समय पहले के मामलों, अयोध्या और वाराणसी में हुए विस्फोटों जिनमें बंगलादेशियों के शामिल होने का अनुमान लगाया गया था, की और अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की जानकारी दें तथा उनके खिलाफ संस्थित किए गए मामलों की स्थिति का ब्यौरा दें ताकि विश्व को यह संदेश मिल सके कि सरकार आतंकवाद की इस समस्या को समाप्त करने के लिए संबंध में अत्यंत स्पष्ट है और किसी को भी इससे निकलने नहीं दिया जाएगा। मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है और साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि वे हमें इसी बीच लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद के संबंध में एकत्रित की गई और अधिक जानकारी दें।

सभापति महोदय: मैंने विपक्ष के नेता को इसलिए अनुमति दी है क्योंकि यह आतंकवाद का मामला है। आमतौर पर इसकी इजाजत नहीं है। परंतु माननीय मंत्री इसके अतिरिक्त एक वक्तव्य भी दे सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, आज समाचारों और टी.वी. चैनलों *[हिन्दी]* में कहा गया है कि आतंकवादियों द्वारा तिहाड़ जेल को तोड़कर, वहां से आतंकवादियों को छुड़ाने के बारे में हमारी इंटेलिजेंस एजेन्सीज ने होम मिनिस्टर को फैक्स किया है। यह भी कहा गया है कि तीन बम गले में डालकर राहुलजी को किडनैप करने की बात भी हो रही थी। ऐसी बहुत सी घटनाएं आ रही हैं। हाउस के सामने इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, उस बारे में भी बता देते तो अच्छा रहता।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं स्वयं को श्री अडवाणी द्वारा दिए गए वक्तव्य और जो कुछ अन्य बातें कहीं गई तक सीमित रखूंगा और यदि समय मिला तो मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण दूंगा।

मेरा भी यही मानना है कि सीरियल बम विस्फोट हो रहे हैं। दिल्ली में सीरियल बम विस्फोट हुए। वाराणसी में बम विस्फोट हुए। मुम्बई में बम विस्फोट हुए और अधिकतर मामलों में तीन विस्फोट हो रहे हैं और इतना ही नहीं हमें ऐसे भी कई बम मिले हैं जो फटे नहीं और वह फट सकते थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उन सीरियल विस्फोटों और आज हुए विस्फोटों के बीच एक अंतर है क्योंकि उन मामलों में या तो ये दिल्ली, हैदराबाद या मुम्बई में हुए। इस मामले में यह घटना पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है ताकि इसका अधिक प्रभाव पड़े अत: इस बात की अधिक संभावना थी कि वह वाराणसी, लखनऊ या फैजाबाद में इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों का पता लगाए।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इस बात से सहमत हूं कि ये विस्फोट एक ही शहर में हुए हैं। तीन-विस्फोट हुए हैं परंतु वाराणसी में पहले भी विस्फोट किए जा चुके हैं। फैजाबाद और लखनऊ में भी विस्फोट हो चुके हैं। इसका यह अर्थ है कि उन्होंने अपने कार्य करने के स्थान को बढ़ा दिया है। और यह आवश्यक है कि हम इन बातों पर ध्यान दें। मुझे दायर किए गए मामलों की स्थिति के संबंध में जानकारी देने में प्रसन्नता होगी। हमें गिरफ्तार किए गए और चल रहे मामलों की जानकारी है। परंतु इस मामले पर सभा द्वारा निश्चित समय में चर्चा करना लाभदायक होगा।

सभापति महोदय: इस पर अगले सप्ताह चर्चा में जा सकती है।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह जानकारी प्रदान करके हमें प्रसन्नता होगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री पूरी जानकारी एकत्रित करके सभा के समक्ष रख सकते हैं। यदि सभा निर्णय करेगी तो हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7301/2007]

अपराह्न 4.11 बजे

गैर सरकारी सदस्य का संकल्प

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा - *जारी*

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम): महोदय, मैं उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु संकल्प का समर्थन करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के साठ वर्ष बाद भी हमारे देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समदुायों में साक्षरता स्तर में सुधार नहीं हुआ है। हमें उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है। यहां तक की स्वतंत्रता के बाद भी संपूर्ण देश में साक्षरता स्तर अभी 25 प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाया है। संपूर्ण देश में केवल दक्षिणी राज्य, विशेषकर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ही शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

मैं आजकल बड़ी तीव्र गति से खोले जा रहे प्रारंभिक स्कूलों की स्थापना और कार्यकरण के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा सविनय मत है कि केवल सभी आधारभूत सुविधाओं युक्त स्कूलों को ही मान्यता प्रदान की जाए। एक बार मान्यता प्रदान करने के उपरांत तीन वर्षों में एक बार इसकी ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर समीक्षा की जाए। निरीक्षण दल के सदस्यों में केवल जिला शिक्षा अधिकारी ही न हों बल्कि अन्य संकायों के भी सदस्य हों। सभी व्यवसायिक क्षेत्रों को मातृ भूमि की सेवा करनी चाहिए विशेषकर शिक्षा में सुधार के लिए कार्य करना चाहिए ताकि शिक्षा के संदर्भ में स्कूलों की निष्पादनता में सुधार किया जा सके। अध्यापकों को समान वेतन दिया जाना चाहिए। नए खोले जा रहे स्कूल लोगों से धन ऐंठ रहे हैं। वे लोग न केवल विद्यार्थियों

[श्री जे.एम. आरुन रशीद]

अपितु उनके अभिभावकों का भी साक्षात्कार लेते हैं। वे अभिभावकों का साक्षात्कार क्यों लेते हैं? जब राजा थे, वे कहते थे कुलाकल्वी, जिसका अर्थ है जो कार्य पिता कर रहा है, पुत्र को भी वही करना होगा। इसी प्रकार, नए स्कूल अभिभावकों से धन ऐंठ रहे हैं और स्कूलों में उनके बच्चों को प्रवेश देने के लिए उनसे अधिक पैसा लेने के लिए उनका साक्षात्कार ले रहे हैं। संपूर्ण भारत में सभी स्कूलों के लिए ग्रामीण, अद्ध-शहरी, शहरी और सभी स्व-वित्त पोषित संस्थानों हेतु समान मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए। राज्य शिक्षा बोर्डों और के.मा.शि.बो. के पाठ्यक्रम के मध्य अंतर को कम किया जाना चाहिए। अनुशासन और व्यवहार संबंधी शिक्षा को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, जो इन दिनों समाप्त होती जा रही है। घर के लिए किताबों का भारी बस्ता ले जाने तथा पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को लिखित कार्य देना बंद कर देना चाहिए। स्थानांतरण प्रमाणपत्र में जाति का उल्लेख करना बंद कर देना चाहिए, ताकि कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य भेदभाव न हो। परीक्षा विधि में भी विषय वस्तु को बढ़ाकर या ऐसे परिवर्तन कर संशोधित किया जा सकता है जिन्हें विद्यार्थी आसानी से याद रख सकें। परीक्षा के दौरान संदर्भ के लिए पुस्तकें प्रदान की जा सकती हैं। जब तक किसी को विषय का ज्ञान नहीं होगा, वह अधिक अंक प्राप्त नहीं कर सकेगा। प्रश्नों का प्रकार वस्तुपरक और रचनात्मक होना चाहिए जिससे वे परीक्षा देते समय पुस्तकों से संदर्भ लेकर इसे अपने बच्चों में लिख सकते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को करने के लिए अंकों की प्रतिशतता को कम किया जाना चाहिए। एक शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। खेलों में भारत बहुत पिछड़ रहा है। अंचल-वार हमें खेलकूदों के विकास तथा विद्यार्थियों को बढ़ावे के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हमारे यहां कुशल खिलाड़ियों बने, जो खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकें।

सभी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों हेतु एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जो ऐसे अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा जो अल्पसंख्यक कल्याण की शैक्षिक प्रगति पर निगरानी रखेगा। महोदय, शैक्षिणिक शिक्षा और प्रशासन में सुधार तथा नए पहलुओं कार्यान्वयन के बारे चर्चा के लिए मुख्य अध्यापकों की बैठक जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों में आयोजित की जानी चाहिए।

एक कक्षा में आजकल 50 से 100 विद्यार्थी होते हैं। कक्षा अध्यापक को प्रत्येक छात्र को नाम से पुकारना पड़ता है। विदेशों, में प्रत्येक कक्षा में केवल 25 विद्यार्थी होते हैं ताकि अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी को पहचान सके।

गांवों में एक अध्यापक और एक मुख्य अध्यापक वाले स्कूल हैं। गांव के स्कूलों का जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपयुक्त निरीक्षण नहीं किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्कूल कई दिनों तक बिना अध्यापकों के चलते हैं। विद्यार्थी उपस्थिति लेते हैं। यह एक दयनीय स्थिति है। अध्यापक कई दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं। अध्यापक कक्षाएं नहीं लेते हैं, और यदि वे स्कूल आते भी हैं तो वृक्ष की छाया में कक्षाएं लेते हैं। विद्यार्थी रेत में बैठते हैं। हमारी संप्रग सरकार का सर्व शिक्षा अभियान अच्छा कार्य कर रहा है। हमें उपयुक्त कक्षा के निर्माण हेतु अभी भी और योजनाएं बनानी चाहिए और अध्यापकों को कक्षाओं का आयोजन करने के लिए प्रशिक्षण भी देना चाहिए।

संघ सरकार को अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयुक्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हमें विशेषकर ग्रामीण गरीब लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। कम से कम हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्कूल खोलने चाहिए जो ग्रामीण विद्यार्थियों और ग्रामीण गरीब लोगों को प्रोत्साहन देगा।

महोदय, मैं श्रीमती सोनिया गांधी के समर्थ मार्गदर्शन में संप्रग सरकार द्वारा अच्छी शिक्षा प्रदान कर ग्रामीण लोगों का ध्यान रखने हेतु पुनः बधाई देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय राम कृपाल यादव जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प जो हायर सैकेंडरी स्कूल की शिक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के संबंध में है, सदन चर्चा कर रहा है। हम सब जानते हैं कि देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की महती आवश्यकता है। देश की आजादी के बाद लगातार जो भी सरकारें राज्यों या केन्द्र में रही, शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए निरन्तर प्रयास करती रही लेकिन आज हम शिक्षा की दृष्टि से देश का परिदृश्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जब दूसरे देशों की तुलना करते हैं और अपने देश की तुलना करते हैं तो पाते हैं

कि देश में शिक्षा की बहुत जरूरत है। इतना ही नहीं साक्षरता के प्रतिशत में भी वृद्धि की आवश्यकता है। 2001 की जनगणना के मुताबिक देश में साक्षरता का प्रतिशत लगभग 64 है और उसमें भी महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत चिन्ताजनक है। हम साक्षरता के प्रतिशत की बात करते हैं तो उसमें से अर्थ निकलता है कि बहुत से लोगों को अक्षर ज्ञान होता है, वह अ, आ, ई से लेकर बारहखड़ी तक के अक्षर पहचान सकते हैं और अटक-अटक के पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र पढ़ते भी हैं तो उसमें वाक्यों, शब्दों का क्या अर्थ है, वह ठीक से नहीं जानते हैं। इस प्रकार की साक्षरता का प्रतिशत हमारे देश में यह है। हम सब इस बात से भी सहमत हैं कि देश को विकसित देश बनाने के लिए देश में शत-प्रतिशत साक्षरता की आवश्यकता है और केवल मात्र साक्षरता ही नहीं गुणवत्तायुक्त पढ़ाई की भी आवश्यकता है।

देश की आजादी के बाद जब भारत के संविधान का निर्माण करने की बात आई तो संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने संविधान बनाया और जब संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 45 जो नीति निदेशक तत्वों के दायरे में आता है, उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया।

आजादी के बाद लंबे वर्षों तक केंद्र में सरकार रही और राज्यों में भी सरकार रही है किंतु संविधान में लिखे हुए अनुच्छेद 45 के अनुपालन में कुछ विशेष प्रयास नहीं किए गए। साक्षरता के प्रचार-प्रसार के लिए, पढ़ाई की व्यवस्था के लिए बजट प्रावधान किया गया, योजनाएं बनाई गई और उन पर अमल करने का प्रयास भी किया गया लेकिन संविधान के अनुच्छेद 45 में जो लिखा गया था उस पर अमल करने का प्रयास ईमानदारी से नहीं हुआ। मैं इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और एन.डी.ए. सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 45, 21 और 51 में संशोधन किया और शिक्षा को मौलिक अधिकार का स्वरूप दिया। छठी कक्षा तक पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार के जिम्मे करने का निर्णय इसी आधार पर हुआ और सातवीं कक्षा से लेकर 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से की जाए, इस प्रकार का भी प्रावधान हुआ। जब संविधान में संशोधन किया तो उसका निष्कर्ष यह निकला कि गार्जियन, पेरेंट्स को भी दायित्व दिया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दायित्व स्वीकार किया। अब सर्वशिक्षा अभियान योजना चली है, यह इसी संविधान संशोधन के बाद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की नीयत से इसी सरकार ने बनाई है। सर्वशिक्षा अभियान योजना आज देश भर में लागू है जिसमें केंद्र सरकार पैसा देती है और राज्य सरकारें इस पर अमल करती हैं। परंतु जैसा कि यादव जी ने मध्याह्न भोजन के बारे में बताया, सर्वशिक्षा अभियान योजना की धनराशि से ज्यादातर स्कूल बनाना, कमरे बनाना फिर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना इस तरह से ज्यादातर पैसा उसी में खर्च होता है और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जो मूल भावना है, मूल सोच है, उस दिशा में कुछ हो रहा है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये सब करने की आवश्यकता है। यादव जी ने हॉयर सैकेंड्री तक की बात कही है, वास्तव में उनकी इस सोच से मैं भी सहमति व्यक्त करता हूं, हम सामान्यतः 14 साल के बच्चे के लिए दसवीं कक्षा तक का मानदंड मान लेते हैं क्योंकि चार साल का होने पर प्रवेश मिलता है और 14 साल का दसवीं तक पढ़ता है लेकिन अगर यह हॉयर सैकेंड्री तक होता है तो अच्छी बात है और करना भी चाहिए।

मैं इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। कहने के लिए तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून में हो गई है, मौलिक अधिकार के रूप में इसका प्रावधान संविधान में हो गवा लेकिन अमल की स्थिति नगण्य है। सरकार को अमल करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की आवश्कता है, नहीं तो संवैधानिक व्यवस्थ तो हो गई लेकिन अगर अमल नहीं हुआ तो शिक्षा के प्रचार-प्रचार में गरीबों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के कानून का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब कानूनी प्रावधान हो गया और इसके लिए कोई भी कोर्ट में जाकर मांग कर सकता है कि आपने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का वैधानिक प्रावधान किया है जो हमें नहीं मिल रही है इसलिए आप व्यवस्था कराएं लेकिन इतना झंझट कोई मोल नहीं लेता है, कोर्ट कचहरी में नहीं जाता है। सरकार को चाहिए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था ईमानदारी से लागू करे। अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा के स्तर की सरकारी स्कूलों में दयनीय स्थिति है, ये हम सब जानते हैं और इसका उल्लेख राम कृपाल यादव जी ने भी किया है। निजी स्कूलों में बहुत ज्यादा फीस ली जाती है क्योंकि सुविधाएं अच्छी होती हैं, भवन अच्छे होते हैं और शिक्षा भी ठीक दी जाती है परंतु देश के लगभग

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

38 करोड़ गरीब परिवारों के बच्चे-बच्चियां उस प्रकार की शिक्षा से वंचित रहते हैं और उनको बाध्य हो करके शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है।

महती आवश्यकता इस बात की है कि शासकीय विद्यालयों का स्तर ठीक किया जाना चाहिए। सारे देश में एक समान शिक्षा-पद्धति होनी चाहिए, पाठ्यक्रम भी एक प्रकार के ही होने चाहिए। ताकि अमीर का लड़का भी वही पढ़ाई करे, गरीब का लड़का भी वही पढ़ाई करे और जो अमीरी-गरीबी की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है, वह कम हो और जो असमानता का वातावरण है, वह भी दूर हो। मैं समझता हूं कि इसके कारण अनेक फायदे होंगे। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच-नीच, अमीर-गरीब इस प्रकार भी जो भावनाएं लोगों में रहती हैं और शासकीय विद्यालयों में जो गरीब तबके के बच्चे पढ़ने जाते हैं, यदि वे यदा-कदा किसी अन्य स्कूल में चले जाएं तो धनाढ्य परिवार के बच्चे उन बच्चों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, जैसा भारत के संविधान में उल्लिखित हैं और जबाब हम इस प्रकार का व्यवहार देखते हैं तो समरसता का वातावरण नहीं बनता और समरसता का वातावरण नहीं बनता है तो इसके कारण देश की स्थिति अमन-चैन की स्थिति में परिवर्तित नहीं हो पा रही है। इस प्रकार की एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। इस दृष्टि से यह संकल्प निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और इसकी भावना से मैं सहमति व्यक्त करता हूं। यदि सरकार स्वीकार करती है तो मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। परंतु जैसा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का कानून बना है, उस पर अमल नहीं हो पा रहा है, अगर वैसा ही इसका हश्र होगा तो फिर इस प्रकार का संकल्प पारित करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इस संकल्प से सहमति व्यक्त करते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि बजट में पर्याप्त प्रावधान करें और वास्तव मे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करें। आज निःशुल्क शिक्षा देने के नाम पर सरकारी विद्यालय वाले केवल ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं, बल्कि बाकी जितनी भी गतिविधियां स्कूलों में होती हैं, उन सब गतिविधियों से लिए भी पैसा लेने का काम किया जाता है। निजी स्कूलों मे ट्यूशन फीस भी लेते हैं, खेलकूद आदि गतिविधियों का शुल्क लेते हैं और अन्यान्य प्रकार का शुल्क भी लेते हैं। साइकिल स्टैंड, व्हीकल स्टैंड इस प्रकार की सुविधा यदि दी जा रही हैं तो उनका शुल्क भी लेते हैं। मैं समझता हूं कि अनेक शासकीय विद्यालयों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। अब केवल ट्यूशन फीस अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों से नहीं ली जाती हैं, लेकिन बाकी सबसे ली जाती है। फिर 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को बिना किसी जाति भेदभाव के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करने के प्रावधान का क्या हश्र होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चे और बच्चियों से केवल ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है, बाकी अन्यान्य प्रकार की फीस लेने की व्यवस्था अगर उस स्कूल में है तो वह सब उनसे ली जा रही है। इस तरह से कुल मिलाकर परिणाम यह हो रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब यह मौलिक अधिकार बनाया गया है, लेकिन इस मौलिक अधिकार के कारण भी अमल में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। बहुत से परिवारों में बच्चे-बच्चियों के माता-पिता बूढ़े हैं, अशक्त है, काम-धंधा नहीं कर पाते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते। अगर निःशुल्क पढ़ाई हो जाए तो घर में क्या खायें। इसलिए अनेकों ऐसे परिवारों में 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, जिनकी गरीबी की हालत है, माता-पिता अशक्त स्थिति में हैं, काम-धंधा उनके पास नहीं है। इसलिए ऐसे बच्चे, जिन्हें स्कूल में जाना चाहिए, खेल के मैदान में होना चाहिए और भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ऐसे बच्चे भी शिक्षा से वंचित होते हैं और फिर वे किसी न किसी काम-धंधे में लगते हैं तो इस प्रकार के 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए भी कहीं न कहीं व्यवस्था की जाए ताकि वह पढ़ सके और उसके परिवार के भरण-पोषण की दृष्टि से भी कोई न कोई व्यवस्था की जाए, तभी इस नियम का पालन हो पायेगा और तभी वे बच्चे पढ़ पायेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ पायेंगे।

सभापति महोदय, वृद्धावस्था के लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था है। जितनी पेंशन उन्हें मिलती है, उसमें सुबह-शाम का खाना ही नहीं हो पाता है तो बच्चों को कहां पढ़ने भेजेंगे। अब वे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं तो 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उस कानून का पालन करने की दृष्टि से यदि उनके घर की हालत खराब है तो उनके घरवालों को भी किसी न किसी प्रकार की मदद की कार्य योजना भी सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए। अन्यथा शिक्षा के क्षेत्र में भले ही मौलिक अधिकार बन गया हो, संविधान में संशोधन हो गया हो, परंतु उस पर अमल ठीक से नहीं हो रहा है। इन सब दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार को

कार्य योजना बनानी चाहिए। आज 11वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम स्वरूप ले रही है, उसमें इसका समावेश करने की आवश्यकता है। जब तक देश में सौ प्रतिशत साक्षरता नहीं होगी, हम विकसित राष्ट्र का सपना तो जरूर देख सकते हैं, अन्य क्षेत्रों में विकसित जरूर हो सकते हैं परंतु अगर लिटरेसी की दृष्टि से सौ प्रतिशत हमारे यहां साक्षरता हासिल नहीं होती है तो विकसित राष्ट्र में होना या न होना कोई बहुत ज्यादा महत्व रखेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इसलिए मैं उनके संकल्प का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हायर सैकेंड्री स्कूल शिक्षा तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए जो भी आवश्यक प्रबन्ध करने चाहिए, उसे करे, बजट में प्रावधान करे, वार्षिक और पंचवर्षीय योजना में प्रावधान करे और एक लक्ष्य तय करके कार्य योजना बनाए तथा देश को शत प्रतिशत साक्षर बनाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, संविधान में जैसा उल्लिखित है और यह प्रावधान भी है कि सबके लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन आज इसका अगर हम मूल्यांकन करें और आजादी के 60 वर्ष के बाद हम खासकर शिक्षा के क्षेत्र में इसका मूल्यांकन करें क्योंकि इस सदन में कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक है। आज मैं राम कृपाल यादव जी द्वारा हायर सैकेंड्री स्कूल तक अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए संकल्प पेश किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमें दिखाई देता है कि वाकई आज भी शिक्षा के क्षेत्र में हमें जितना विकास करना चाहिए, हम उतना विकास नहीं कर पाए हैं। समय-समय पर सरकार ने भी अपने बजट में प्रावधान किया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने का संकल्प हम ले चुके हैं और 2010 और 2012 तक इनकी कार्य योजना है। कहां तक इसमें कामयाबी हासील हो पाएगी, यह कहा नहीं जा सकता।

जहां तक अनिवार्य शिक्षा और नि:शुल्क शिक्षा देने की बात है, जैसा कि अभी सम्मानित सदस्यों ने कहा है, यह बात सत्य है कि केवल भाषण, विचार, कागज और बजट में हम कर देते हैं लेकिन इसकी वास्तविकता अगर हमें देखनी है तो गांव में आप चले जाइए, वहां आपको सही रूप में जानकारी मिल जाएगी। जहां तक हमने देखा है कि सर्व शिक्षा अभियान में 10671 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और यह तभी संभव हो पाएगा कि जब केन्द्र और राज्य में समन्वय हो। बहुत से राज्य सर्व शिक्षा अभियान के लिए मांग करते हैं कि हमें धन दिया जाए। अभी शैक्षणिक विकास अनुदान दिया गया है, उसमें पूरी रिपोर्ट मैं देख रहा था। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बजट में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है और 25 प्रतिशत राज्य सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है। यह बात सत्य है कि विभिन्न राज्यों की अपनी अलग-अलग परिस्थिति है। उसको देखते हुए हमें बाध्य नहीं करना चाहिए कि राज्य सरकार इस पर इतना अंशदान करे। अगर वहां साक्षरता नहीं है तो वहां पर अतिरिक्त धन देने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। अभी वर्ष 2007-08 में जो बजट का प्रावधान किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान में यह देखा गया है कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो अलग प्रदेश उत्तराखंड बना, वहां की स्थिति डगमगा रही है। मिड-डे मील में 3400 करोड़ की व्यवस्था वर्ष 2007-08 में की है। दिल्ली की सरकार ने 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मिड-डे मील की व्यवस्था की है। लेकिन देखा गया है कि आज भी भोजन करने के बाद 8 प्रतिशत बच्चे अपने घरों पर चले जाते हैं। यह बात सत्य है और कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि यदि वास्तविकता की जानकारी लेनी है तो आप गांवों में जायें और देखिये कि पूरे शिक्षा जगत से जुड़े हुये लोगों - शिक्षक, बच्चों - के लिये कमरे की व्यवस्था करा दी है, बर्तन और खाने बनाने वाले की व्यवस्था करा दी है लेकिन फिर भी शिक्षा जगत से लगे हुये पूरे लोग भोजन बनाने के काम में लग जाते हैं और बच्चे इधर-उधर टहलते रहते हैं। वे शिक्षा के लालच में नहीं आते बल्कि मिड डे मील के लालच में आते हैं। यही कारण है कि शिक्षक वहां बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इसलिये इस बारे में गम्भीरता से सोचना होगा।

सभापति महोदय, शिक्षा विकास सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश रैंकिंग में सब से नीचे हैं। इसलिये केन्द्र सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। इसी प्रकार शिक्षा विकास सूचकांक में केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ ऊपर हैं। हमें देखना पड़ेगा और जैसा कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि विभिन्न प्रदेशों की अपनी-अपनी स्थिति और समस्या है। वर्ष 2006 के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या केवल 70 लाख है जबकि वास्तविकता कुछ और है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइये तो मालूम होगा कि बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। सब से बड़ी चुनौती हमारे सामने एस.सी., एस.टी. और मॉइनौरटीज के बच्चों की है। आप

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

इन बच्चों की बस्ती में जाकर देखिये कि थोड़ा बहुत पढ़े हुये 5 साल की आयु के बच्चे खेलते रहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जहां अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं लेकिन शिक्षा उन्हें नहीं मिलती है और उन्हें रोजगार के लिये भेज दिया जाता है। चूंकि यह उनकी सब से बड़ी समस्या है, इसलिये हमें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये और एस.सी., एस.टी. और मॉइनौरटीज के बच्चों को शिक्षा देने पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, वर्ष 2006 में 2 लाख 40 हजार नये स्कूल खोले जाने की व्यवस्था की गई है। स्कूल चाहे कितने ही खोल दिये जायें लेकिन कोशिश यह होनी चाहिये कि कोई बच्चा बचने नहीं पाये जो शिक्षा से वंचित रह जाये। जब तक हम यह व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हमारा यह अभियान बिलकुल कारगर नहीं हो पायेगा। सरकार ने एक लाख 57 हजार स्कूल भवनों के निर्माण की व्यवस्था की है और जहां अधिक बच्चे हैं, वहा 6 लाख 50 हजार कमरों की व्यवस्था की है। सरकार ने एक लाख 57 हजार स्कूलों के लिये पेयजल की व्यवस्था के लिये हैंडपम्प लगाये जाने के लिये लिखा है। लेकिन होता यह है कि बच्चे को प्यास लगी, वह पानी पीने के बहाने निकलता है और सीधा घर पहुंच जाता है और वापस पढ़ने के लिये नहीं आता है। जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं तो देखता हूं कि हैंड पम्प खराब पड़े हुये हैं। हर जगह पेयजल के लिये हैंड पम्प की व्यवस्था नहीं की गई है जब कि यह मूलभूत आवश्यकता है और यह सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिये। इसे हम आज तक नहीं कर पाये, इसलिये इस ओर देखने की जरूरत है।

सभापति महोदय, सरकार ने स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था करने की बात बजट में कही है। आप देख रहे हैं कि एक अरब से ज्यादा की आबादी वाला देश बहुत पीछे है। इन मूलभूत सुविधाओं पर नजर रखें। आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उनके मुताबिक हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। हमारा लक्ष्य पूरे राज्य में शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य मिलनी चाहिये। जब तक बच्चों को हायर सैकण्ड्री और मिडिल तक शिक्षा नहीं दे पायेंगे, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायेगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप केन्द्रीय विद्यालय खोल रहे हैं और उसके लिये जो आपने मानक रख दिया है, अगर वहां यह पूरा करता है तो केन्द्रीय विद्यालय ही खोल दीजिये। अगर सरकार को यह कार्य करना ही है तो मेरी गुजारिश है कि कम से कम ब्लॉक स्तर पर एक केन्द्रीय विद्यालय खोलिये। अगर यह नहीं हो सके तो तहसील स्तर पर खोले जाने की व्यवस्था की जाये। जो बच्चे गरीब हैं, एस.सी., एस.टी. और मॉइनौरटीज से बच्चे आते हैं, वे कम से कम केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। आपने मानक में यह दिया है कि इतने केन्द्रीय कर्मचारी हों, इतने राज्य कर्मचारी हों, शहर से इतना नजदीक हो। इसे हमको ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा यह अभियान पूरा हो पाएगा और हम सब को साक्षर बना पाएंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ भाई राम कृपाल यादव जी ने जो उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संकल्प पर चर्चा का विषय रखा है, उसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): सभापति महोदय, श्री राम कृपाल यादव द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय अर्थात उच्चतर शिक्षा स्तर तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी गैर सरकारी सदस्य के संकल्प पर इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। को इस सम्मानित सभा के समक्ष इस संकल्प को लाने हेतु मैं श्री राम कृपाल यादव को बधाई देता हूं।

सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है। यदि आप विभिन्न समुदायों या समाजों को देखें जिन्होंने उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त किया है या विकास किया है तो आप देखेंगे कि उन समुदायों ने शिक्षा को महत्व दिया है और इस प्रकार उनके बच्चों ने अपने जीवन में सामाजिक विकास प्राप्त किया। जिन समाजों ने बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया वे पिछड़ गए। इसलिए शिक्षा समाज के सामाजिक परिवर्तन या विकास का आधार है।

हमारे देश संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने नीति निदेशक सिद्धान्तों में उल्लेख किया था कि संविधान को अंगीकार करने की तिथि से 10 वर्षों के भीतर राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। भारत के गणराज्य बन जाने के साढ़े पांच दशक बाद भी यदि आप हमारे देश के आंकड़ों को देखें तो हमारी आजादी के 60 वर्ष बाद भी विभिन्न राज्यों में साक्षरता स्तर 56 प्रतिशत से अधिक नहीं है; यदि आप संपूर्ण देश की बात करें तो साक्षरता दर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

विभिन्न राज्यों के संबंध में इन आंकड़ों में अंतर है क्योंकि कुछ राज्यों में, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, विशेषकर दक्षिणी राज्य जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में साक्षरता दर अच्छी है। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने नए शैक्षिक संस्थानों, अधिक स्कूलों या कॉलेजों को खोलने की ओर विशेष ध्यान दिया है और वहां औपचारिक और अनौपचारिक शैक्षणिक सुविधाएं हमेशा उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्मप्रचारकों ने शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य किया है। उन्होंने गिरजाघरों के साथ स्कूल प्रारंभ किए हैं। जिससे न केवल ईसाई समुदाय के लोगों, बल्कि अन्य समुदायों को भी पढ़ने का अवसर मिले और इसके परिणाम उन सभी स्थानों जहां पर स्कूल थे और जहां बच्चों को पढ़ने के अवसर थे, ने उच्च सामाजिक स्तर को प्राप्त किया।

महोदय, अब हम वैश्वीकरण के युग में हैं। समाज तेजी से बदल रहे हैं क्योंकि समस्याओं में तीव्र बदलाव आ रहा है। हमें बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के बच्चों के अध्ययन के लिए पर्याप्त स्कूल नहीं है, ऐसे स्कूल जहां अध्यापक और अन्य सुविधाएं हों जो उनकी प्रतिमा पहचान सकें और उन्हें तराश सकें। बच्चों का बहुमुखी मनुष्य के रूप में विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें हमारी शिक्षा प्रणाली पर अधिक ध्यान देना है।

आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणालियां हैं। जहां तक शिक्षा प्रणाली और मानदण्डों का सम्बन्ध है, पूरे देश में कोई समानता नहीं है। यहां सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और तथाकथित पब्लिक स्कूल हैं। विभिन्न बोर्डों जैसे सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. और अन्य राज्य बोर्डों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। अतः विद्यार्थियों के लिए भी पाठ्यक्रम में कोई समानता नहीं है। अनेक मामलों में सरकारी स्कूलों की दशा बहुत शोचनीय है। जैसा कि श्री राम कृपाल यादव जी ने बहुत सही कहा कि अनेक सरकारी स्कूलों के पास अपने भवन नहीं हैं और न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है।

तमिलनाडु में कुंबकोनम स्कूल में हुए अग्निकाण्ड के बारे में हम सब जानते हैं जिसमें अनेक विद्यार्थी मारे गए थे। देश के विभिन्न भागों में हमारे स्कूलों की यही दशा है। अनेक पब्लिक स्कूलों में भी उचित सफाई सुविधाएं नहीं है। यह बताया गया है कि कुछ राज्यों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण सफाई व्यवस्था का अभाव है। हमें देखना चाहिए कि हम ये सुविधाएं पब्लिक स्कूलों में भी कैसे दे सकते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्धारित दिशा निर्देश केन्द्रीय विद्यालयों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। एक अध्ययन में पाया गया कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत आवंटित निधियों का व्यय करना, इस योजना के तहत व्यय करने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों के कारण बहुत कठिन है। राज्यों की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल इन दिशा निर्देशों में संशोधन किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत निधियों का उपयोग क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय निर्माण और सफाई सुविधाओं में किया जा सकता है। इस योजना के तहत निधियों के उपयोग का क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए ताकि निधियों का शीघ्र और पर्याप्त उपयोग किया जा सके।

यद्यपि, संप्रग सरकार ने शिक्षा पर अधिक जोर दिया है, फिर भी अभी शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बहुत कम है। हमने आयकर पर कुछ प्रतिशत शिक्षा उपकर लगाया है। इस निधि का उपयोग देश में शिक्षा की दशा सुधारने में किया जा सकता है। हमें शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए। अभी यह, जी.डी.पी. के 2 प्रतिशत से भी कम है। इसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। हम 11वीं योजना निर्माण की प्रक्रिया में है। 11वीं योजना में हमें शिक्षा के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास का साधन है। इस बात पर अधिक बल दिया जाना चाहिए कि शिक्षा के लिए अधिक निधियां दी जाएं। यद्यपि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग समुदायों, आदिवासियों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, वे स्कूल आने के इच्छुक नहीं है। विद्यार्थियों को स्कूलों में आने के लिए आकर्षित करने हेतु कुछ साधन होने चाहिए।

हमने विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की है। मेरे राज्य में, विद्यार्थियों के स्कूल के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के साधन के रूप में हम तटीय क्षेत्रों से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए, जो मछुआरा समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध है, एकमुश्त अनुदान दे रहे हैं। अधिकांश मामलों में ये गरीब मछुआरे स्कूलों में नहीं आ रहे हैं। इन मछुआरों के बच्चों की शिक्षा उनके परिवारों पर एक बोझ बन गई है। वर्ष के अधिकांश दिन,

[डा. के.एस. मनोज]

मछुआरे मछली नहीं पकड़ते। अतः जब सीजन होता है, इन बच्चों को भी समुद्र में जाने के लिए बाध्य किया जाता है। वे स्कूल जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इन बच्चों को स्कूलों में आकर्षित करने के क्रम में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, एकमुश्त अनुदान, कुछ छात्रवृत्तियां काफी सहायक होंगी।

यद्यपि 'शिक्षा' समवर्ती सूची में है, कुछ राज्य इस प्रकार की प्रोत्साहन सुविधाएं प्रदान कर रहे है। केन्द्र सरकार को राज्यों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों जैसे समाज के कमजोर वर्गों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों और मछुआरों और आदिवासियों के बच्चों के लिए एकमुश्त अनुदान, कुछ छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु कुछ सहायता देने के बारे में सोचना चाहिए ताकि उन्हें स्कूल आने के लिए आकर्षित किया जा सके।

सामान्यतः अतीत में सरकारी स्कूलों में, अधिक अच्छे अध्यापक हुआ करते थे। अभी भी वे वहां हैं। यद्यपि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दावा कर सकते हैं कि वे अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यदि आप इन स्कूलों में पढ़ा रहे अध्यापकों की गुणवत्ता देखें, सरकारी स्कूलों के अध्यापक प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों से बेहतर हैं। यद्यपि हमें अच्छे अध्यापक मिल रहे हैं, जब तक स्कूलों में अच्छी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती, अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। अतः सरकार द्वारा अच्छी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

आज हम एजूसेट के युग में है जिसका उपयोग सरकारी स्कूलों में किया जाता है। माननीय सांसद क्लासरूम निर्माण, स्कूल भवन निर्माण कंप्यूटर, एजूसेट, स्मार्ट क्लास रूम आदि उपलब्ध कराने हेतु अपने एम.पी.लैड से निधियां आवंटित करते हैं। इसे सार्वभौमिक करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाल ही में हुई प्रगति से इन विद्यालयों को निचले स्तर और छोटी कक्षाओं को ही जोड़ा जाना चाहिए। सरकार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इन उपलब्धियों का प्रयोग करना चाहिए और एजूसेट प्रणाली की सहायता से शिक्षा प्रदान करने को रूचिकर बनाया जा सकता है, जिससे बच्चों को स्कूल लाने में मदद मिलेगी। इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार की चीजें जोड़ी जानी चाहिए।

मैं इस बात पर बल देता हूं कि विद्यार्थियों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु अधिक सार्वजनिक निवेश प्रदान किया जाए। अतः एक बार पुनः मैं श्री राम कृपाल यादव को इस बहुत महत्वपूर्ण संकल्प को सदन में चर्चा हेतु लाने के लिए बधाई देता हूं।

स्वतंत्रता के 60वें वर्ष में, हमें हमारे स्कूलों के सभी बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य और समान शिक्षा प्रदान करने के बारे में विचार करना चाहिए। संविधान में, यह उल्लेख है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए जब तक बच्चे दसवीं कक्षा में पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां, श्री राम कृपाल यादव उच्च माध्यमिक स्तर तक, जो बारहवीं कक्षा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग कर रहे हैं। आजकल, बारहवीं सबके लिए आधारभूत शैक्षिक योग्यता है। अतः हमें इस बात पर बल देना चाहिए कि 16 वर्ष की उम्र या उच्च माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क, अनिवार्य और समान शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक राजकोष से अधिक निवेश करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, श्री राम कृपाल यादव द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प का समर्थन करता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदयः चूंकि सभापति तालिका में से कोई भी उपस्थित नहीं है, अतः सदन की अनुमति से, मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन से कुछ समय के लिए पीठासीन होने का निवेदन करता हूं। इसके बाद मैं उन्हें मुक्त कर दूंगा; अतः अब सभा की अनुमति से मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन से पीठासीन होने का निवेदन करता हूं।

अपराह्न 4.57 बजे

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन *पीठासीन हुए*]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं, श्री राम कृपाल यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसमें स्पष्टतः कहा गया है कि इस सभा को सरकार से आग्रह करना चाहिए कि देश में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक मुफ्त, अनिवार्य और समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ये तीन मुख्य पहलू हैं जो उन्होंने इस संकल्प में रखे है।

निसंदेह, श्री राम कृपाल यादव द्वारा प्रस्तुत संकल्प काफी महत्वपूर्ण है। निस्संदेह संकल्प को प्रस्तुत करने की इच्छा सराहनीय और प्रशंसनीय है। परन्तु इसे लागू करने का भाग बाधाओं से भरा पड़ा है। मुझे विश्वास है कि वो इससे अवगत हैं कुछ माह पूर्व, हमें बताया गया था कि

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री शिक्षा के मूलभूत अधिकार को लागू करने के लिए केन्द्रीय विधान के विचार के समर्थन में योजना आयोग को समझाने में सफल रहे हैं, यह लगता है कि मानव संसाधन मंत्रालय का यह मत कि शिक्षा का अधिकार बिना किसी अतिरिक्त लागत के तंत्रात्मक परिवर्तनों को सुनिश्चित करने का साधन होगा, योजना आयोग को आश्वस्त में सफल रहा है।

दिसम्बर, 2002 में 86वां संविधान संशोधन पारित किया गया था जिसमें अनुच्छेद 21(क) अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। तथापि, अभी इसे अधिसूचित किया जाना है चूंकि इसे समर्थ बनाने वाले। शिक्षा का अधिकार, को अभी अधिनियमित किया जाना है। हमें बताया गया है कि योजना आयोग ने इस विचार को अनुमोदित कर दिया है। विधान के कार्यान्वयन की लागत के संबंध में मंत्रालय ने बताया है कि 11वीं योजना अवधि में इसके लिए 1,50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैं सरकार से वर्तमान स्थिति को समझना चाहूंगा। क्या मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगे?

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति महोदय, किसी देश या किसी समाज के भविष्य को संवारने में शिक्षा की काफी महत्ता है। इस बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। निस्संदेह हमारे जीवन में अच्छी शिक्षा की अहम् भूमिका के बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। देश में उत्तरोत्तर केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करने के संकल्प को दोहराया है। काफी पहले विचारक अरस्तु ने कहा था:

> "सभी ने जिन्होंने मानवता के नियंत्रण की कला पर विचार किया है, मानते हैं कि साम्राज्यों का भविष्य युवाओं की शिक्षा पर आश्रित है"

परन्तु वास्तिवक स्थिति क्या है? भारत में प्रारंभिक शिक्षा 2005-06 रिपोर्ट के अनुसार 32,000 से अधिक स्कूल या लगभग तीन प्रतिशत स्कूलों में कोई विद्यार्थी नहीं है। 35 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 11 लाख से अधिक स्कूलों के सर्वेक्षण में पाया गया कि कर्नाटक की स्थिति सबसे खराब है जहां लगभग 8000 स्कूल बिना एक भी विद्यार्थी के हैं। सर्वेक्षण ने यह भी पाया कि 6 प्रतिशत स्कूल, मुख्यतः बिहार राज्य में - जहां से इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले सदस्य आते है - दिल्ली, केरल और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में 25 विद्यार्थियों से कम थे। लगभग 23,000 स्कूलों में एक भी अध्यापक नहीं है और एक लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक अध्यापक था। यह हमारी शिक्षा की अत्यंत अप्रिय स्थिति है। सर्वेक्षण केवल 11 लाख स्कूलों में किया गया था।

हमारे देश की एक चौथाई, जनसंख्या अभी असाक्षर है, कई लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, यह वार-दाताओं और जागरूक नागरिकों को क्षुब्ध करता है कि उनके बहुमूल्य संसाधन को इस दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बर्बाद किया जा रहा है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि स्थिति में परिवर्तन केवल समाज के जागरूक वर्ग के प्रयासों से ही आएगा।

एक बार श्री अमर्त्य सेन ने इसके बारे में कहा था "भारत में शिक्षा की आश्चर्यजनक अवहेलना"। स्वतंत्रता भारत में 50 वर्षों तक सरकार प्रयोजित शिक्षा वृद्धि और विकास में अवरुद्ध रही। केवल 90 के दशक के प्रारंभ में ही हम मामले की गंभीरता के प्रति सचेत हुए। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एतिहासिक निर्णय में कहा था कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों को शिक्षा का मूलभूत अधिकार है। अवहेलना का एक मुख्य कारण सामान्य गलत धारणा था और मैं बल देकर कहूंगा कि सामान्य गलत धारणा कि साक्षरता बेहतर आर्थिक स्थिति का सहज परिणाम है, और कि एक में सुधार दूसरे में स्वतः ही झलकेगा। सदा से माना जाता रहा है कि गरीबी दुधारी तलवार है। माता-पिता न तो बच्चों के स्कूल से संबंधित व्यय कर सकते थे न ही वे बच्चों की आय के बिना दोनों लक्ष्यों को पूरा कर सकते थे। यही परिदृश्य अभी भी भारी है।

लेकिन बहुत से सर्वेक्षणों ने इस छवि को गलत साबित किया है। मध्याह्न भोजन योजना जिसे आज भी अनेक माननीय सांसदों ने समर्थन किया है, जैसी लोगों को खुश करने वाली योजनाएं, पुस्तकों और कपड़ों का निःशुल्क वितरण गरीब माता-पिता की मदद हेतु शुरू की गई थी। बाल श्रम पर प्रतिबंध हेतु एक अधिनियम पारित किया गया था जिससे स्कूल में उपस्थिति बढ़ने की आशा थी। तथापि, बाद के अनेक सर्वेक्षणों, अनुसंधान, निष्कर्षों ने यह दृढ़ता से स्थापित किया गरीबी की भूमिका निर्णायक नहीं होती। दो राज्यों, केरल और उत्तर प्रदेश के सांख्यिकीय आंकड़ों, से एकदम स्पष्ट है कि यह एक मिथक है। दोनों राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का अनुपात समान है लेकिन केरल को 100 फीसदी सफलता मिली है जबकि उत्तर प्रदेश ने निराशाजनक 40 फीसदी दर्ज की है। इन

[श्री भर्तृहरि महताब]

सर्वेक्षणों में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह पाया गया कि बच्चों का एक बड़ा समूह है जो न तो स्कूल जा रहा है न ही काम कर रहा है और वे बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक यह है कि 98 प्रतिशत लड़कों के माता-पिता और 89 प्रतिशत लड़कियों के माता-पिता ने, जो स्वयं गरीब और निरक्षर हैं, कहा कि वे अपने लड़के-लड़कियों को तब तक पढ़ाना चाहते थे जब तक वे ऐसा कर सकते हैं और उन सबने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रदान की जा रही शिक्षा की निम्न गुणवत्ता, जो उनके लिए एक व्यर्थ अभ्यास हो रहा है, के कारण स्कूल छोड़े गए हैं। इस कारण बाल श्रम बढ़ रहा है और मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

भारत में आज प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की क्या स्थिति है? संकल्प में प्रस्ताव है कि हमारी शिक्षा समान होगी। आज प्राथमिक, आरंभिक और माध्यमिक शिक्षा में हमारे पास तीन प्रकार के संस्थान हैं। पहला, निजी स्कूल हैं जिन्हें पब्लिक स्कूल कहा जाता है, दूसरा वे स्कूल है जो धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे विवेकानन्द शिक्षा केन्द्र, सरस्वती विद्या मंदिर, सत्य साई शिक्षा केन्द्र आदि। ये विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं। तीसरी श्रेणी सरकारी स्कूलों की है। यह बड़ी श्रेणी है। दूसरी और तीसरी श्रेणी के अधिकांश स्कूल राज्य शिक्षा बोर्डों से जुड़े हुए हैं जबकि अधिकांश निजी स्कूल जिन्हें हम पब्लिक स्कूल कहते हैं, सी.बी.एस.ई. या आई.सी.एस.ई. से जुड़े हैं जो कि एक राष्ट्रीय निकाय है। पब्लिक स्कूल विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक आधार पर चलाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के स्कूलों को जिनके बारे में मैंने अभी उल्लेख किया, राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। यहां मैं उल्लेख करूंगा कि सरकार क्या कर रही है। सरकार सरकारी स्कूलों को बढ़ाने और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को बढ़ाने हेतु बजट के माध्यम से धन दे रही है। इन स्कूलों में कौन आता है? उस पहलू पर मैं थोड़ी बाद में आऊंगा। यहां अन्तर्निहित विश्वास यह है कि निजी स्कूल गरीब लोगों का शोषण करते हैं जबकि सरकारी स्कूल निःशुल्क या कम लागत पर शिक्षा प्रदान करते हैं। यह हमारा दूसरा भय है और सरकारी स्कूलों का परिणाम भी अक्सर खराब होता है। ऐसा क्यों है? इन दो प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है।

सरकारी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा उल्लिखित पहली समस्या यह थी कि माता-पिता अपने बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते लेकिन निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के माता-पिता भी अपने बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति समान रूप से उदासीन है।

एक सम्बन्धित मामला समृद्धि का है। यह सामान्य विश्वास है कि गरीब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं क्योंकि वहां कम शुल्क होता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह अन्तर मौजूद नहीं है।

सरकारी अध्यापकों की दूसरी शिकायत थी कि पर्याप्त संख्या में अध्यापक नियुक्त नहीं किए गए हैं। तथापि, यह वास्तविकता है परन्तु तुलनात्मक आधार पर यह तर्क बेकार हो जाता है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात निजी स्कूलों के 19 की तुलना में 15 था।

एक प्रश्न उठता है कि कमजोर परिणाम के लिए क्या किया जा सकता है। एक कारक यह है कि सरकारी सेवक जो शिक्षित ग्रामीण जीवन का बड़ा भाग हैं, अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं। सरकारी सेवकों के परिवारों से सरकारी स्कूलों में, निजी स्कूलों के 54 प्रतिशत की तुलना में, केवल 26 प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। यहां सवाल यह उठता है कि हम क्यों इसे प्राथमिकता देते हैं।

मैं एक अन्य रोचक पहलू पर आना चाहूंगा। घटिया परिणाम के बारे में अनेक अन्य पहलु हैं। मैं उन पहलुओं में नहीं जाऊंगा।

सभापति महोदय: अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी। हालांकि आप अच्छा भाषण दे रहे हैं, पर समय की कमी है।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं केवल यही कहूंगा कि संविधान और हमारी सामाजिक परम्पराओं में अंतर्विरोध है। मैं इस सभा से अनुरोध करूंगा कि इस मूल पहलू पर चर्चा करें। हमारे समक्ष समस्या है। हम इस समस्या का सामना कैसे करें? संविधान ने अधिरिष्ट किया है कि सरकार सभी बच्चों को मुफ्त स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करे ताकि गरीब लोग पीछे न रह जाएं। राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन हेतु बड़ी संख्या में अध्यापकों को लगाया है परन्तु सरकारी राजशाही की प्रकृति तानाशाही की है। सरकारी अध्यापक स्वयं में एक वर्ग बन गया है। इनका प्रयोजन कम कार्य के साथ उच्च वेतनमान प्राप्त करना है। सरकारी स्कूलों के संबंध में सारी प्रशासनिक शक्ति माध्यमिक शिक्षा के सचिव में निहित है, जो राज्य मुख्यालय में बैठता है। उसके पास दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का

कोई प्रयोजन नहीं है। मैं केवल उत्तरदायित्वता की बात कर रहा हूं। इसे ठीक करने के लिए अध्यापकों को समुदाय के प्रति और यहां तक कि उन स्कूलों के परिणामों हेतु जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। कुछ राज्य सरकारें दैनिक निगरानी के कुछ उत्तरदायित्व को ग्राम स्तर अभिभावक समिति को देने पर विचार कर रही हैं परन्तु यह भी दोषरहित नहीं है। एक प्रतिवेदन आया कि वस्तुतः एक सरकारी स्कूल और एक निजी स्कूल में कितना व्यय किया जाता है।

भारतीय स्कूल शिक्षा तंत्र विश्व में सबसे बड़ा है। किसी शैक्षिक कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन, प्रभावी निगरानी प्रभावी सूचना तंत्र के साथ काफी उहम है। हमारे देश में आज यह जानने के लिए क्या तंत्र है कि हमारे देश का शैक्षिक तंत्र कैसा चल रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय हैं। इन्होंने जिला स्तर पर एक प्रतिवेदन तैयार किया है, इस प्रतिवेदन का नाम जिला शिक्षा सूचना तंत्र (डी.आई.एस.ई.) है।

यह इस समय प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी यह देख सकता है कि हमारा तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। परिणाम हमेशा यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। कुछ हद तक उनकी बात सही है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब उन देशों में शिक्षा का तंत्र नहीं था, भारत में सुव्यवस्थित छात्रावास युक्त विद्यालय था। तथापि, आजादी के 60 वर्षों के बाद भी भारत में साक्षरता दर 65.49 प्रतिशत है जो सिद्ध करता है कि 35% जनसंख्या अभी भी निरक्षर है।

भारत जैसे विकासशील देश को यह महसूस करना चाहिए कि वक्त की मांग सिंगल-ट्रेक शिक्षा तंत्र के स्थान पर एक डबल-ट्रेक शिक्षा तंत्र या बहु-ट्रेक शिक्षा तंत्र अपनाना चाहिए जो विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध करा सके, जो उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार और शिक्षा को रोजगारन्मुखी और लाभदायक बना सकते हैं।

सभापति महोदय: श्री महताब, कृपया सहयोग कीजिए, मैंने आपको काफी समय दिया क्योंकि आप एक अच्छा भाषण दे रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में कुछ बोलकर समाप्त कर रहा हूं।

देश के शैक्षिक तंत्र को पुनर्संगठित करने की आवश्यकता है। रोजगार उन्मुखी, कार्य अनुभव, क्षमताओं का विकास और व्यवहार के संबंध में, मैं यह कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जो स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। अब समय आ गया है कि हम शिक्षा के देशज तंत्र को महत्व दें। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भिन्न आवश्यकताएं होती हैं और शिक्षा के पश्चिमी ढांचे पर अधिक बल हमारे देश के स्वरूप के लिए हानिकारक हो सकता है।

मुझे सर्वशिक्षा अभियान, जो 2001 में लागू किया गया था, के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय: श्री महताब, आप 20 मिनट का समय ले चुके हैं। कृपया पीठ के साथ सहयोग करें।

श्री भर्तृहरि महताब: वर्ष 2001 में भारत में 'स्कूल से बाहर बच्चों' की संख्या लगभग 390 लाख अनुमानित की गई थी। वर्ष 2005 में यह संख्या लगभग 100 लाख थी। क्या हम मान लें कि सर्व शिक्षा अभियान अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है? सामान्य धारणा 'नहीं' है। यदि ऐसा है तो समस्या कहां है? समस्या स्कूल छोड़ने वालों के कारण है। वस्तुतः सी.ए.जी. रिपोर्ट भी इस पर चर्चा करती है।

शिक्षा की वास्तविक स्थिति, एक वार्षिक सर्वेक्षण, एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा आयोजित ने प्रकट किया कि इनमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत दो-पंक्ति के साधारण पैरा को भी नहीं पढ़ सकते। लक्षित जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत भाग एक सरल दो अंकों वाली संख्या का भाग नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को स्कूलों में जबरदस्ती भेजने का कोई औचित्य नहीं है। जिन्हें जनगणना, में साक्षर माना जाएगा, परन्तु जो रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। आप इस असफलता के लिए किसे उत्तरदायी ठहराते हैं?

अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्र ने सर्व शिक्षा अभियान हेतु आवंटन को बढ़ाया है। पहला निष्कर्ष यह है कि सरकार स्कूलों को चलाने के लिए हमेशा श्रेष्ठ एजेन्सी नहीं होती। दूसरा निष्कर्ष है कि जवाबदेही की कमी है।

एक उपाय यह है कि सरकार द्वारा वर्तमान शिक्षा वित्तपोषण की प्रक्रिया को बदला जाए। इसलिए वाउचरों की प्रणाली को प्रस्तावित किया गया। अब उन क्षमताओं का विकास करने का समय आ गया है जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था।

इस देश के प्रत्येक प्रखण्ड में आई.टी.आई.एस. की अधिक संख्या हेतु प्रयास किया जाना चाहिए ताकि जो व्यक्ति आठवीं कक्षा से उत्तीर्ण हो वह आई.टी.आई.एस. में

[श्री भर्तृहरि महताब]

बारहवीं कक्षा तक जाए और क्षमता में उस क्षेत्र में हो रही प्रगति के साथ प्रशिक्षित हो। राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

महोदय, कोठारी आयोग ने काफी पहले सुझाव दिया था कि डी.जी.पी. का 6 प्रतिशत शिक्षा में निवेश किया जाना चाहिए। तथापि, हमने इसे अभी तक प्राप्त नहीं किया है। यू.पी.ए. सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस उद्देश्य को प्राप्त करने का सुझाव दिया था। अब यू.पी.ए. सरकार के तीन या चार वर्ष बीत चुके हैं, इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री महताब कृपया समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, 15,000 करोड़ रुपये की राशि शिक्षा कर के रूप में संग्रहित की जा रही है। इसलिए, सर्वशिक्षा अभियान में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

महोदय इस विषय पर अपने विचारों को निष्कर्षतः बताते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जब हम मुफ्त शिक्षा हेतु बहस करते हैं, जब हम अनिवार्य शिक्षा और एकरूपीय शिक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने देश में शैक्षिक तंत्र की वास्तविक स्थितियों और इतिहास का पता नहीं होता। मैं मुफ्त शिक्षा के पक्ष में नहीं हूं। वाउचर तंत्र का परीक्षण चयनित ढंग से किया जा सकता है। हमारे देश में एकरूपीय शिक्षा नहीं हो सकती। इसमें संदेह नहीं की यह आदर्शवादी विचार है परन्तु इस देश में लागू करना काफी कठिन है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम): महोदय, यह विडम्बना ही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 60वें वर्ष में हम सरकार से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देने का अनुरोध कर रहे हैं।

महोदय, संविधान में नीति निदेशक तत्व के रूप में इस समयबद्ध अधिदेश का प्रावधान था कि हमें 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होगी और इसके लिए 10 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई थी। छह दशक बीत जाने के बाद भी हम उस अधिदेश को पूर्णतः अथवा संतोषजनक स्तर तक लागू करने की स्थिति में नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने बाद में नीति निदेशक तत्व के रूप में इस अधिदेश को बढ़ाकर मौलिक अधिकार का दर्जा दिया।

महोदय, जैसा कि श्री महताब ने अभी बताया है कि भारत की 35 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी निरक्षर है। परंतु, साथ ही हम साक्षरता को शिक्षा के बराबर नहीं मान सकते। लोग साक्षर हो सकते हैं परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे शिक्षित भी हैं। अब माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक अधिदेश का पालन करने में विफल होने पर अब हम यहां उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक महत्वाकांक्षी स्वप्न अथवा परियोजना अच्छी होती है और एक दिन हम इस लक्ष्य को प्रारंभ कर पाएंगे। परंतु महोदय, हमें इस मुद्दे की जांच बाल मजदूरी की अभी भी विद्यमान समस्या के संदर्भ में करनी होगी। यद्यपि, बाल मजदूरी को रोकने अथवा समाप्त करने के लिए कानून विद्यमान है परंतु बाल मजदूरी की समस्या अभी भी विद्यमान है। जब तक हम अपने बच्चों को कार्य स्थलों से दूर नहीं रखेंगे और स्कूल जाने के लिए उन्हें बाध्य नहीं करेंगे, हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में हम पूर्णतः विफल रहे हैं। हमारे निजी और सहकारी स्कूलों की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु तत्काल कुछ मध्यस्थता करे। सर्वशिक्षा अभियान, आपरेशन ब्लैक बोर्ड और ऐसी ही अन्य परियोजनाओं जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के बावजूद हमारे स्कूलों और हमारी शिक्षा प्रणाली को बुनियादी सुविधाओं की कमी है।

जब तक जनता को शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे तब तक संविधान में उल्लिखित प्रत्येक अधिकार बेमायने हो जाएगा। संविधान में शामिल अनुच्छेद 19(1) (क) एक अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षिक अधिकार है। परंतु यदि एक व्यक्ति अशिक्षित है, निरक्षर है तो वह और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा। संविधान में उल्लिखित अन्य अधिकारों के संबंध में भी यही बात लागू होगी।

हम हमेशा कहते हैं कि भारत का विकास हो रहा है। परंतु 35 प्रतिशत निरक्षर जनसंख्या के साथ भारत ऊपर नहीं उठ सकता और एक महान देश नहीं बन सकता। सच्चर समिति की रिपोर्ट हमारे समक्ष है। जब तक प्रत्येक मुस्लिम बालक और बालिका स्कूल नहीं जाते तब तक हम मुस्लिम समुदाय की स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक मुस्लिम बालक और बालिका स्कूल जाए। यह अत्यन्त आवश्यक है।

मैं यहां शिक्षा के महत्व पर विचार विमर्श नहीं करना चाहता। परंतु वैश्वीकरण के इस युग में एक परेशान करने वाली बात यह है कि सरकार जानबूझकर शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान न देने का प्रयास कर रही है। मैं ऐसे क्षेत्र से हूं जहां हम शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। परंतु केरल राज्य सहित वहां भी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र से सहयोग वापिस लेने का प्रयास किया। कुछ समय पहले हमें एक अत्यंत विक्षुब्ध करने वाला वाक्याय सुनने को मिला - अलाभकार स्कूलों को बन्द करना। स्कूल को चलाने के लिए उसका आर्थिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। हम इसे आर्थिक रूप से गैर अर्थक्षम मान रहे हैं। हमारा मानना है कि यह लाभकारी होना चाहिए। इन सभी बातों के बावजूद सरकार को विशेषकर वैश्वीकरण के इस युग में जहां शिक्षा को व्यवसायिक रूप दिया जा रहा है और गरीब बच्चों, समाज के गरीब वर्गों को शिक्षा के लाभों से वंचित किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। उन्हें एकलक्ष्य के समान शिक्षा के क्षेत्र से दूर किया जा रहा है। एकलक्ष्यों को अभी भी गुमनामी में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। हमें समाज के इस वंचित वर्ग को स्कूल जाना है क्योंकि स्कूल विद्या और क्षमता का मंदिर है। इस समय भारत का प्रभाव हो रहा है, वह विकास कर रहा है तथा एक महान देश बन रहा है। हमें इस बात पर अत्यंत गर्व है। हम उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. परंतु इसके साथ ही भारत दो भागों में विभाजित हो रहा है: अंधकार में और प्रकाश में। हमें विद्या और शिक्षा के प्रकाश को पूरे भारत में फैलाने के लिए तुरंत उपाय करने होंगे। इस प्रयोजन के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के सभी बच्चे स्कूल जाएं और उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो।

यद्यपि, मैं इस संकल्प को पेश करने के पीछे श्री राम कृपाल यादव के नेकनियती की सराहना करता हूं परंतु मुझे इस पर संदेह है कि यह एक महत्वाकांक्षी स्वप्न है। हम अभी तक माध्यमिक स्तर तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के सम्यक संवैधानिक अधिदेश को लागू करने में सफल नहीं हो पाए हैं। अतः मुझे आशा है कि कम से कम इस चर्चा और इस संकल्प से सरकार भारत में रहने वाले प्रत्येक बच्चे को कम से कम माध्यमिक स्तर तक तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए तत्काल कदम उठाएगी।

***श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली** (राजामुन्दरी): माननीय सभापति महोदय, मैं श्री राम कृपाल यादव द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। निरक्षता आज हमारे देश की एक गंभीर समस्या है। विकास का स्तर चाहे कुछ भी हो गरीबों को लाभ केवल तभी पहुंचाए जा सकते हैं जब हमारा समाज शिक्षित होगा। हम यह देख सकते हैं कि अनेक राज्य ऐसे हैं जिनका प्रति व्यक्ति आय केरल से भी अधिक है लेकिन, हम पाते हैं कि केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता कम है। इसका कारण यह है कि केरल ने शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली है। केरल ने सुनिश्चित किया है कि सभी पढ़ें और लिख सकें। ऐसे उदाहरण को देखकर उन उपायों का अनुसरण करने की आवश्यकता है जिनसे साक्षरता दर में सुधार हो। स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे देश में कोई निरक्षर नहीं है, तभी यह हमारे देश की वास्तविक स्वतंत्रता होगी। आज हमारा देश एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। आने वाले वर्षों में केवल तीन विश्व शक्तियां होगीं, अमरीका, चीन और भारत। इस सच को संपूर्ण विश्व द्वारा स्वीकारा जा रहा है। एक तरफ हम इस दावे को देखते हैं और दूसरी ओर कठोर सत्य को देखते हैं। आज भी, हमारी 70% जनसंख्या प्रतिदिन 20/- रु. से कम के साथ जीवन यापन कर रही है। यह रिपोर्ट हाल ही में संसद में रखी गई थी जो हमें शर्मिन्दा करती है। ऐसी स्थिति के पीछे क्या कारण हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो स्वयं में एक बड़ी चुनौती है, को लागू कर सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां लोगों को 100 दिन से कम रोजगार मिलेगा। इसी समान इच्छाशक्ति के साथ हमें 100% साक्षरता सुनिश्चित करने का निर्णय लेना चाहिए मुझे विश्वास है कि केवल तभी हमारे देश में वास्तविक प्रगति और वास्तविक विकास होगा। इन कार्यक्रमों के लिए धन इकट्ठा करने के बारे में मैंने पहले भी कुछ सुझाव दिए हैं। मुझे नहीं मालूम इसमें समय क्यों लग रहा है? हमें

*मूलतः तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली]

अमीर लोगों को दी जाने वाली राजसहायता को वापस ले लेना चाहिए और उन निधियों का गरीब लोगों के विकास हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सभी संसद सदस्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति सहित अन्य संवैधानिक कर्मी राजसहायता प्राप्त घरेलू गैस का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें 150 रु. की गैस सब्सिडी की आवश्यकता है, परन्तु हम फिर भी यह सब्सिडी ले रहे हैं। यदि हम अपने देश में 4 लाख रु. से अधिक वार्षिक आय प्राप्त करने वाले सभी कर निर्धारितियों से गैस सब्सिडी वापस ले लेते हैं, तो हम 6000 करोड़ रुपए एकत्रित कर सकते हैं। सरकार को तुरन्त निर्णय लेना चाहिए कि क्या 4 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को गैस सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं? अमीर लोगों से भी ऐसी सब्सिडी वापस लेकर, इस प्रकार प्राप्त हुई धनराशि का प्रयोग गरीब लोगों के उत्थान के लिए किया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गरीब बच्चा स्कूल जाए। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त भोजन, कपड़ा और छात्रावास सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। हमें अभिभावकों को भी चेतावनी देनी चाहिए कि यदि वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो उनके मुफ्त आवास और राशन कार्ड जैसे लाभों में कटौती की जाएगी। आने वाले दिनों में हमारे देश में विकास होगा, इसके विकास के साथ गरीबी भी बढ़ेगी। विकास के मार्ग पर हमारे देश को ले जाते हुए यह सही नहीं है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक लड़का और लड़की 10+2 तक स्कूल जाए। यह आज हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती है। यदि सरकार इस चुनौती को स्वीकार करती है, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिख सकेंगे। अधिक समय न लेते हुए मैं संकल्प का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है। मैं श्री राम कृपालंय यादय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प संसद के सामने रखा है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। इस सदन में कई बार इस बात का संकल्प लिया गया है कि हम इस देश को एक महान राष्ट्र बनाएंगे और इसकी कमजोरियां दूर करेंगे। जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जैसे हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे देश में अभी भी सौ प्रतिशत साक्षरता नहीं हो पायी है। जो सरकारी आंकड़ा साक्षरता का है, वह 65 प्रतिशत है। मुझे शंका है कि इसमें मुश्किल से 20 या 25 प्रतिशत व्यक्ति पूरी तरह से शिक्षित होंगे या लिखना-पढ़ना जानते होंगे, या इससे भी कम होंगे। लेकिन हमारा राष्ट्र और हमारी सरकार जिस तरह से साक्षरता के प्रति ऑबसेस्ड रही है, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का प्रोग्राम नहीं बनाया गया है, प्रोग्राम साक्षरता का बनाया गया है। इसमें कोशिश यह की जा रही है कि आदमी अंगूठा लगाना छोड़ दे और खाली दस्तखत करना सीख ले। दुर्भाग्य की बात है। वर्ष 2002 में एक 'डाकार' डिक्लेरेशन प्रोग्राम हुआ, उसमें भारत सरकार ने पहली बार इस बात को संकल्पबद्ध किया कि हम आने वाले वर्ष 2015 तक सारे बच्चों को शिक्षित करेंगे। उसके लिए एक कानून संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया। यह कानून तो अभी बन नहीं पाया है। केवल संविधान संशोधन हुआ है और आप इस बात पर गौर करेंगे कि बाकी के जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, वे सरकार को बाध्यकारी होते हैं। लेकिन यह जो फंडामेंटल राइट बनाया गया है, वह सरकार के सहारे चलता है। यह बड़ी अजीब सी बात है और इससे सरकार की नीयत का पता चलता है कि सरकार की क्या नीयत है।

साक्षरता और गरीबी ये दो राजनैतिक दृष्टि से सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम पिछले 60 वर्षों में रहे हैं। आदमी को साक्षर बनाओ और आदमी की गरीबी दूर करो। सच्चाई तो यह है कि अब यह साबित हो चुका है कि हमारे देश में गरीबी इसलिए है चूंकि आदमी अनपढ़ है। मैंने पहले भी संसद में एक बार कहा था कि यह रिलेटिव टर्म है। हम गरीबी और अमीरी की तुलना करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक भाषा है कि फलाना गरीब है और फलाना अमीर है। यह एक रिलेटिव टर्म है। हिन्दुस्तान का आदमी गरीब नहीं है। वह सिर्फ अंडर प्रोटैक्टिव है। क्यों? चूंकि वह पढ़ा-लिखा नहीं है, बीमार रहता है। जो एम्पलॉयमेंट पोटेंशियल है, उसे वह आज तक समझ ही नहीं पाया है। उसके लिए इतनी पूरी दुनिया रहस्यमय है। यह जवाबदेही भारत सरकार की थी। आप जानते हैं कि क्या हुआ है, संविधान संशोधन के बाद इस संसद के माध्यम से संविधान संशोधन हुआ और एक भी मत इसके खिलाफ नहीं पड़ा। मैं इस चीज का गवाह हूं। इसके बावजूद भी कम्पलसरी एजुकेशन बिल आज तक नहीं आया।

अपराह्न 5.39 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

वह भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक टक्कर मार रहा है। यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें उसकी जिम्मेदारी उठाए। इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से इस बात को मानना है कि यह संविधान संशोधन है, संविधान के माध्यम से हिन्दुस्तान के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है तो उसे सेफगार्ड करने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार उसे वहन करना चाहिये, चाहे कोई कीमत लगे।

सभापति महोदय, मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं लेकिन एक दूसरा मुद्दा है, इसलिये मैं डिटेल्ज में नहीं जाऊंगा। हमारे पूर्व वक्ता पहले ही कह चुके हैं जिनके साथ मैं सहमत हूं। आज की तारीख में हिन्दुस्तान के अंदर बच्चों और नौजवानों की संख्या 54 प्रतिशत है। यह बहुत भजबूती के साथ कहा जाता है कि आने वाले 15 वर्षों में हिन्दुस्तान के अंदर बच्चों और नौजवानों की संख्या 85 प्रतिशत होगी और केवल 15 प्रतिशत ही बुजुर्ग होंगे जबकि पूरी धरती में इसका उलटा है। वहां 55 प्रतिशत लोग उम्रदार, रिटायर्ड लोग और 45 प्रतिशत बच्चे और नौजवान होंगे। इस सब का क्या अर्थ हो सकता है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि हिन्दुस्तान की भूमि के लड़के-लड़कियां बाहर जायेंगे और मानवता की सेवा करेंगे। क्या भारत सरकार इस बात के लिये तैयार है, क्या हमारा समाज इस बात के लिये तैयार है? हमारे पास ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिये जिसमें बच्चे पढ़कर अच्छे नागरिक बन सकें। हम इस बात को देखें कि उनको यूनिवर्सल एजुकेशन मिले। आज शिक्षा में वर्ण-व्यवस्था कायम हो गई है। जो प्रभावशाली और पैसे वाले लोग हैं, वे अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दिलाते हैं, कांवैंट स्कूल में भेजते हैं, हिन्दुस्तान के बाहर पढ़ने के लिये भेजते हैं लेकिन गरीब और मध्य वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों में मजबूरी और लाचारी से पढ़ते हैं। वे प्रायमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ता पहले ही बता चुके हैं कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है। मेरा खुद का दुखद अनुभव है। सरकारों को यह समझ में आ गया है कि जहां टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें पक्की नौकरी मत दो। उन्हें पैरा-टीचर बनाकर रखो। कच्ची नौकरी पक्का काम, पक्की नौकरी कच्चा काम। कितनी दुखद स्थिति है? सरकार की जवाबदेही हर बच्चे की शिक्षा के प्रति है। हमारा एजूकेशन के लिये केजुअल एटीच्यूड है। यह बात बच्चों के प्रति किसी तरह से क्षम्य नहीं है। सरकार खुश होगी कि वह इनफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना चाहती है जबकि देश में 10 लाख टीचर्स की कमी है। हमारे देश में बहुत से नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। कितनी दुखद बात है कि हम विश्व बैंक से पैसा मंगाते हैं और एक लाख 70 हजार करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हजारों करोड़ रुपया इनफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हजारों करोड़ रुपयों का गबन हो जाता है, एक-डेढ़ लाख करोड़ रुपये कॉरपोर्ट हाऊसेज पर बकाया है जो वे हजम कर गये हैं लेकिन शिक्षा के लिये पैसा खर्च करने के लिये सरकार को सोचना पड़ता है, क्यों? सरकार को एक कॉमन स्कूल के लिये खर्च करने में दिक्कत आ रही है। मेरी स्पष्ट मांग है कि हिन्दुस्तान के अंदर एक कॉमन शिक्षा प्रणाली, एक यूनिवर्सल शिक्षा प्रणाली होनी चाहिये जिसमें चाहे डी.एम. हो, कलैक्टर हो या चपरासी हो, उन सब के लड़के एक साथ उस स्कूल में पढ़ने चाहिये। इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा।

सभापति महोदय, आदमी जानता है कि जो पैसे वाले लोग हैं, वे बड़े स्कूल में साल में लाख रुपया खर्च करते हैं जहां इनसान को इनसान बनाने की शिक्षा दी जाती है लेकिन जहां सरकारी स्कूलों के सहारे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें क, ख, ग तक नहीं आता और उन्हें पता ही नहीं कि वे क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने एक गांव में जाकर लोगों से पूछा कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिये स्कूल क्यों नहीं भेजते तो मुझे उत्तर मिला कि उनका बच्चा कौन सा कलैक्टर बन जायेगा। हिन्दुस्तान का जो सामाजिक ढांचा है, उसके मुताबिक उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी हैसियत को लॉक करने का मकैनिज्म हैं। आज हमारी हालत यह है कि गरीब लोग मजदूरी कर रहे हैं। उन्हें सरकारी स्कूलों के सहारे आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस संकल्प के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। अभी तीन और वक्ताओं को इस पर बोलना है। हम संकल्प का समय आधा घंटा बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यगण: हां, कृपया।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें, कुछ अन्य वक्ता भी हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: हमारा मानना है कि जो आदमी गांवों में पांचवीं या छठी कक्षा तक पढ़ा है, भारत सरकार को हर उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि वह एक विशेषज्ञ है, चाहे वह मजदूरी कर रहा है या मिट्टी का काम कर रहा है। अगर आदमी की प्रोडक्टिविटी का सर्टिफिकेट हो सकता है, प्राइमरी शिक्षा की बदौलत या जूनियर और हाई स्कूल शिक्षा की बदौलत, तब तो इस बात के मायने हैं। यदि उसकी सामाजिक आर्थिक हैसियत बदलने वाली नहीं है, तो उसका प्राइमरी शिक्षा के प्रति कोई रुझान भी नहीं होता, इस बात को हम महसूस कर सकते हैं। हमें आपके माध्यम से इस सरकार से यह आग्रह करना है कि एक तरफ भारत का जो नॉलेज कमीशन है, वह इस बात के लिए बार-बार कह रहा है कि हिन्दुस्तान को ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर आती है कि वह तत्काल सारी विसंगतियां दूर करते हुए कॉमन एजूकेशन सिस्टम खड़ा करे और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें ज्यादा भेद नहीं हो। जो हमारे गांव के बच्चे हैं, उनमें हीन भावना न हो और जो शहर के बच्चे हैं, उनके अंदर कोई दूसरा भाव न हो कि हम अच्छे स्कूल से पढ़कर आए हैं, हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं, हम कई भाषाएं जानते हैं और हम समाज को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। यह जो सामाजिक पक्षपात है, इसने हिन्दुस्तान को बहुत कमजोर किया है और यह दुखद स्थिति है कि गांवों में रहने वाले लोग, जिनको पूरी शिक्षा मुहैया नहीं हो पाई, वे जीतोड़ मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, और आज उनके आत्महत्या करने की नौबत आ रही है। पढ़े-लिखे लोग जो यहां सट्टा-बाजारी कर रहे हैं, शेयर मार्केट में खेल खेल रहे हैं, वे बिना कुछ किए, बिना एक कारखाना लगाए, बिना उत्पादकता बढ़ाए आज अरबपति और खरबपति बने जा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण विसंगतियां हैं और इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि हर हाल में हिन्दुस्तान के हर नागरिक को एक हुनरमंद नागरिक बनाने की नीति बनाए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे हमारा बच्चा देहात में पैदा हुआ हो, आदिवासी अंचल में पैदा हुआ हो, या शहर में पैदा हुंआ हो, उसको गुणवत्तापूर्ण यूनिवर्सल एजुकेशन मिलनी चाहिए और हर हाथ को एक हुनर, एक स्किल देने की पालिसी भारत सरकार को तैयार करनी चाहिए। आप याद रखिएगा कि आने वाले समय में हिन्दुस्तान के करोड़ों बच्चे इस हिन्दुस्तान से बाहर पूरी मानवता की सेवा करने के लिए जाने वाले हैं, और हमें अपनी विदेश नीति का हिस्सा इस सिद्धांत को बना लेना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि आज भी जो सर्व शिक्षा अभियान है, उसकी सच्चाई उजागर हो चुकी है। वह एक एडहॉक प्लान है। हमने सी.ए.जी. की रिपोर्ट देखी है, उसकी परफॉर्मेन्स मॉनीटरिंग की है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हो गई है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के दीगर हिस्सों में जहां अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, हमारे गांव देहात के बच्चों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उन बच्चों के हाथों में बंदूकें आ गई हैं। यह चिन्ता के स्वर आपको सुन लेने चाहिए और समझ लेने चाहिए। हम एक बार पुनः आपके माध्यम से इस सरकार से पुरजोर आग्रह करते हैं कि जो कंपलसरी एजुकेशन बिल है, उसको हर तरीके से आप प्रभाव में लाइए और यह भारत सरकार की जवाबदेही है कि पूरा खर्चा उठाते हुए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करे जो हमारे बच्चों को कामयाब इंसान बना सके, उनको पूरी धरती पर कहीं भी जाने के लिए अच्छा प्रोफैशनल बना सके, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी खड़ी कर सके और हिन्दुस्तान को एक विकसित राष्ट्र बना सके। ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास बिना विलंब के तत्काल करें और इसी सदन में इस बात की घोषणा करें जिससे हिन्दुस्तान समय रहते वैसा बन सके जैसा महामहिम पूर्व राष्ट्रपति माननीय डा. अबुल कलाम जी ने सपना देखा था कि हिन्दुस्तान एक विकसित राष्ट्र बन सके।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): धन्यवाद मैं श्री राम कृपाल यादव द्वारा शुरू की गई चर्चा में भाग लेकर प्रसन्न हूं। यह वस्तुतः सभा को शिक्षा की समस्या और उस क्षेत्र में असफलता पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है।

यह बताया गया है कि संविधान में एक अधिदेश था कि 10 वर्षों के भीतर शिक्षा सबके लिए अनिवार्य की जाए और 14 वर्ष तक की आयु के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यह 1958 या संभवतः 1962 तक हो जाना चाहिए था। अब हमारे गणराज्य के 58 वर्षों के बाद हम इस पर एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं कि इस कार्य को कैसे करें।

महोदय, हम समझ सकते हैं कि भारत, एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न संस्कृतियां, अनेक भाषाएं और यह सब कुछ है को शिक्षित करना एक मुश्किल कार्य है। फिर भी हमारे संविधान के निर्माताओं - वे हमारे स्वतंत्र आंदोलन के महान नेता को - ने सोचा था कि हम 10 वर्षों के भीतर इसे पूरा कर सकेंगे परन्तु हम ऐसा नहीं कर सके। संभवतः यहां महात्मा गांधी के बारे में सोचना आवश्यक है, जिन्होंने हमारे देश को इस ढंग से प्रोत्साहित किया कि वे लोगों को उस कार्य के लिए आगे ला सकते थे जिसे लोग पहले असंभव समझते थे। संभवतः इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें लोगों को प्रोत्साहित करने और इस कार्य हेतु एक और महात्मा गांधी की आवश्यकता है।

महोदय, संभवतः, आपने हो चिन-मी के बारे में सुना होगा। वियतनाम युद्ध के दिनों में अमरीका ने वियतनाम को कार्पेट बम्ब से उड़ाया था। हो चिन-मी ने लोगों को नारा दिया था कि एक हाथ में आप बन्दूक लीजिए और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कीजिए और अपने दूसरे हाथ में एक पेन के साथ एक बच्चे को शिक्षित कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि उस देश ने क्या किया था। जब यह देश अमरीकी आक्रमकता से मुक्त हुआ ये लोग स्वतंत्र और साक्षर थे।

क्यूबा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र या आर्थिक प्रगति के पथ पर नहीं है, यह देश काफी निचले क्रम पर है। परन्तु क्यूबा ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। इनकी स्वास्थ्य देखभाल भी काफी अच्छी है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी स्वीकारा गया है। यह एक करिश्मा था। एशियन रॉकेट में वे एक महिला को अंतरिक्ष भेज सकते थे, और वह महिला निरक्षर थी, उसे प्रशिक्षित किया गया और उस स्तर तक लाया गया।

इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं। यहां केरल का उदाहरण दिया गया है। वह भी इसलिए क्योंकि अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में केरल आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है परन्तु, केरल ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है और शिक्षा के क्षेत्र में केरल की काफी अच्छी स्थिति है।

वहां क्या थी और यहां क्या नहीं है यही देखना है। वहां दृढ़ इच्छा शक्ति है, और यह सब करने की एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है, जिसका केन्द्र में आभाव है। यहां इसी निश्चय और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है।

महोदय, संभवतः लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख किया है। वहां श्री नारायण गुरू हैं। ऐसे ही शिवा गिरी और वो सब हमारे सभापति महोदय के निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। वह एक संत थे जिन्होंने मंदिर निर्माण और यही सब कार्य प्रारंभ किए। कई मंदिर बनाने के बाद उन्होंने कहा कि "आओ अब 'सरस्वती चेत्रा' प्रारंभ करें, शिक्षा का मंदिर, ज्ञान अर्जन का मंदिर।" उन्होंने केरल के लोगों को इस ढंग से प्रेरित किया ताकि वे स्वयं को शिक्षित करें। ऐसा दक्षिण भारत के सभी राज्यों में किया गया। तमिलनाडु में भी आप देखेंगे कि पेरियार ने द्रविड लोगों को प्रेरित किया। वे एक संत व्यक्ति थे तथा उन्होंने लोगों को बताया कि वे लोग केवल शिक्षा के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। जिसकी हमारे देश में संभवतः आज कमी है। इसलिए मैं सोचता हूं कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, संस्थागत गारंटी भी आवश्यक है

निरक्षरता - शिक्षा की कमी और सब चीजें गरीबी के ही रूप हैं। यहां चर्चा के दौरान दो प्रतिवेदनों का उल्लेख किया गया था। एक सच्चर समिति का प्रतिवेदन है और दूसरा डा. अर्जुन सेनगुप्ता समिति का प्रतिवेदन है। डा. अर्जुन सेनगुप्ता ने असंगठित क्षेत्र की स्थितियों पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। हमने केवल उसके कुछ उद्धरण ही लिए हैं। हमारी जनसंख्या अधिकांशतः गरीब है। डा. अर्जुन सेनगुप्त के प्रतिवेदन के अनुसार लगभग 394 मिलियन लोग अर्थात भारतीय लोगों का लगभग 35 करोड़ लोग अपना जीवनयापन बहुत ही कम आय के साथ कर रहे हैं तथा उनकी यह आय प्रतिदिन 6 रु. से 20 रु. तक है। गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को शैक्षिक संस्थानों मे भेजने के बारे में नहीं सोच सकता है। वह केवल यही सोच सकता है कि अगले दिन का भोजन कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसलिए यदि ऐसी स्थिति में कोई ऐसा अवसर आता है जब उसके बच्चे को किसी प्रकार का कोई काम या कुछ प्रकार की आय मिले तो वह इसे वरीयता देगा ताकि अन्य बच्चों और स्वयं वह बच्चा कुछ न कुंछ भोजन प्राप्त कर सके।

इसलिए इसी तरह की अत्यधिक गरीबी और सुविधाओं से वंचित रहना भी एक समस्या है...*(व्यवधान)* यह सही है कि, कुछ लोग तो यहां तक कि वेश्यावृत्ति और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार इत्यादि में भी संलिप्त हो जाते हैं। यदि आप गरीबी की ओर नजर डालें तो डा. अर्जुन सेनगुप्त ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि गरीबी को विभिन्न कोणों से देखा जा सकता है। लगभग 90% अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम अत्यधिक गरीब लोगों की श्रेणी में आते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

समुदायों के 90 प्रतिशत से अधिक लोग अत्यधिक गरीब हैं। मछुआरे, जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं वे भी अत्यधिक गरीब लोग हैं।

इसलिए, समुदाय के ऐसे वर्गों में जहां गरीबी अत्यधिक है, उनके लिए सरकार के पास विशेषकर इन वर्गों के लोगों में शिक्षा के संवर्धन हेतु क्या कोई नीति है। यह एक मुख्य प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि सरकार की ऐसी कोई नीति है।

यहां चर्चा के दौरान अनेक लोगों ने बताया कि प्राथमिक और उच्चतर स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक विधि होनी चाहिए। यहां, अमीर लोगों के पास विशेष स्कूल हैं, जहां केवल अमीर जा सकते हैं। यदि आप खर्च उठा सकते हैं, तभी आप इन स्कूलों में जा सकते हैं। ऐसे स्कूल हैं जहां प्रत्येक क्षेत्र में सामान्यता नजर आती है। अधिकतर राज्यों में सरकारी स्कूल काफी गरीब हैं। इसलिए शिक्षा को एक मानक प्रदान किया जाना चाहिए। एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे अमीर और गरीब बच्चों के लिए अलग-अलग स्कूल नहीं हों और उनके बीच का यह अन्तर भी कम हो। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह बताया गया है कि मंत्री और संसद सदस्यों इत्यादि के बच्चे विशेष प्रकार के स्कूलों में जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: यह एक नई जाति प्रणाली है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: आप जैसे भी इसका वर्णन करें परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। सार्वभौमिक शिक्षा होनी चाहिए।

सायं 6.00 बजे

महोदय, क्या मैं कुछ और मिनट का समय ले सकता हूं।

सभापति महोदय: क्या आप समाप्त नहीं कर रहे हैं?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं अभी समाप्त नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: शाम के 6 बज चुके हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: ठीक है, मैं अगले दिन बोलूंगा। मैं अपनी बात जारी रखूंगा।

सभापति महोदय: हां, आप अपने भाषण को अगली बार जारी रख सकते हैं।

अब, यदि आप सब सहमत हों, तो 'शून्य काल' आरंभ किया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब यह शून्य काल है। अपनी बात संक्षेप में कहें तथा लंबे भाषण न दें।

अब श्री शैलेन्द्र कुमार भाषण देंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। नेपाल की हाल की घटनाओं के मद्देनजर तराई क्षेत्र से मधेशियों का पलायन शुरू हो गया है। मधेशी बहुत दहशत में हैं। ये मधेशी भरत वंश मूल के हैं और खासतौर पर अवध प्रांत के रहने वाले हैं। उन पर जुल्म और अत्याचार वहां माओवादियों द्वारा ढाया जा रहा है। आज देश की सीमावर्ती जिले में मधेशियों का जमावड़ा भारी संख्या में हो रहा है। लगभग चालीस हजार मधेशी भारतीय सेना की शरण में आ चुके हैं। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत के लिए यह मुश्किलें भी पैदा करने वाली बात है। मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि नेपाल के मामले में यदि भारत सरकार ने दखल नहीं दिया, तो सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र नेपाली नागरिकों की शरणस्थली बन जाएंगे। इसका ताजा उदाहरण है कि अभी बलरामपुर स्टेशन पर और सिद्धार्थनगर जिले में जिलाधिकारी के समक्ष शरणार्थियों ने धरना-प्रदर्शन किया और उन्होंने यह मांग की कि हमें शरणार्थी घोषित करते हुए मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा का भी सवाल है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मामले में भारत सरकार दखल करे, मधेशियों की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करे और नेपाल में शांति व्यवस्था कायम करने की पहल करे, यह मैं भारत से मैं मांग करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो गन्ने के काश्तकार हैं, उनकी बहुत बुरी स्थिति हो चुकी

है। यहां तक समाचार आ रहे हैं कि जो गन्ने के काश्तकार हैं, वे धनाभाव के कारण, अपमानित होने के कारण और कर्ज के कारण आत्महत्यायें कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज हमारे सामने है कि जो लोग खेती कर रहे हैं, वे आत्महत्यायें कर रहे हैं और जो सट्टे का खेल खेल रहे हैं या शेयर बाजार में खेल खेल रहे हैं, वे अरबपति-खरबपति हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत ही गंभीर सवाल है। अब भारत सरकार के सामने यह सवाल आ गया है कि तत्काल पालिसी के माध्यम से हस्तक्षेप करे और गन्ने के जो काश्तकार हैं, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए, चीनी और गन्ने उत्पादन की जो पालिसी है, उसे चेंज करायें।

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): धन्यवाद, महोदय मैं विश्व के तमिलों के नेता, श्री वाइको जो ए.डी.एम.के. के अध्यक्ष हैं उनकी ओर से भाषण दे रहा हूं।

महोदय, पोल्लाची, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय है तथा पोल्लाची निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है तथा किनाथुकावाडु इसका एक भाग है जोकि इसके अत्यंत समीप स्थित है। रेलवे लाइन के ये दो क्षेत्र मूलरूप से दक्षिण रेलवे के मदुरै मण्डल के भाग थे।

दक्षिण रेलवे में रेलवे के सेलम मण्डल का गठन करते हुए उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के इन दो क्षेत्रों का चयन कर ओलावोकोड मण्डल ने पल्लकड़ के साथ जोड़ दिया। मेरे निर्वाचन का चयन करना तथा उन्हें केरल के अन्य मण्डल के साथ जोड़ने की प्रक्रिया की सूचना मुझे नहीं दी गई थी, न ही इस विषय पर मुझसे परामर्श किया गया था। जनता का प्रतिनिधि होने के नाते तथा उस क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते यह काम जो कि ओलवक्कोड मण्डल को सौंप दिया गया है, मेरा अपमान है।

उस क्षेत्र के लोग भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैं सेलम मण्डल के निर्माण का स्वागत करता हूं जिसकी लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी तथा जो तमिलनाडु के उस भाग के लोगों की मांग थी, परंतु केरल मण्डल को मेरा क्षेत्र सौंपे जाना, किए गए भेदभाव को दिखाता है तथा जिस किसी ने भी तमिलनाडु के लोगों की ओर से करार पर हस्ताक्षर किए है उन्होंने उस क्षेत्र के सक्रिय प्रतिनिधि के रूप में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा किया है।

महोदय, कुछ माननीय सांसदों ने, जो कि मेरे एम.डी.एम.के. दल के नहीं थे ने अभिपुष्टि की है कि उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि समय की सीमा पर खरा नहीं उतरेगा। इसका कोई पूर्व उदाहरण नहीं मिलता है जहां माननीय सांसदों ने इस प्रकृति के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हों।

नियंत्रण पत्र में भी मेरा नाम शामिल नहीं किया गया तथा मैंने लोक सभा सचिवालय में विशेषाधिकार हनन का मामला दायर किया है। मैं सरकार से पोल्लाची तथा किणत्तुक्कडवु क्षेत्र को सेलम मण्डल में रखने अथवा तमिलनाडु में भारतीय रेलवे के मदुरै मण्डल में यथा मूल स्थिति में बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक आगामी वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषरूप से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 08 पर जो कि शाहजहांपुर से आरंभ होकर बेहरोर पर समाप्त होता है पर सड़क यातायात की दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है तथा इन घातक दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है तथा कुछ ही लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है, परंतु उचित चिकित्सा देखभाल के अभाव में अन्य हताहत लोगों की मृत्यु हो जाती है।

मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मेरे निर्वाचन क्षेत्र, बेहरोर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों, अभिघातज मरीजों के लिए एक अभिघात अस्पताल बनाया जाए तथा उन्हें उचित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दी जाए तथा तत्पश्चात् उन्हें अन्य बड़े जिला अस्पतालों अथवा चिकित्सा कालेज अस्पतालों में ले जायी जाए।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): महोदय, सरकार ने गेहूं का दाम एक हजार रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया और उसके पहले दो सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया। लेकिन इस देश में धान उत्पादकों को सरकार से निराश होना पड़ा। आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के धान उत्पादक विशेष रूप से आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि धान का लागत खर्च गेहूं से भी ज्यादा है। इससे पहले गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस धान से कम होता था। मगर गत दो वर्षों में धान की कीमत बहुत कम हो गई और गेहूं की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। गेहूं उत्पादकों को दिया गया, उससे हमारे मन में कोई रोष नहीं है, मगर धान उत्पादन

[प्रो. महादेवराव शिवनकर]

करना आज घाटे का सौदा है, इसलिए धान उत्पादकों को लागत के आधार पर मूल्य दिया जाए। इसलिए मैंने तीन सुझाव दिए हैं - (1) धान उत्पादकों का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल एक हजार रुपये करें। (2) जब तक धान का समर्थन मूल्य एक हजार रुपये नहीं किया जाता, तब तक गेहूं के समान धान को सौ रुपये, दो सौ रुपये प्रति क्विंटल सरकार बोनस दे। अभी सरकार ने बोनस के रूप में दो बार पचास, पचास रुपये बढ़ाए हैं, मतलब सौ रुपये बढ़ाए हैं। इसके कारण तीव्र असंतोष है। मेरा सरकार से आग्रह है कि कम से कम दो सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। (3) धान उत्पादक किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसलिए उन किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ करें, विशेष रूप से महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर किसान बड़े पैमाने पर कर्ज से लदे हुए हैं। इन मांगों के लिए धान उत्पादको ने जुलूस निकाले, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब में आन्दोलन हुए राज्य बंद करने की मांग हुई। इसलिए केन्द्र सरकार धान उत्पादक किसानों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और दो सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस शीघ्र घोषित करे।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): गहोदय, मैं केरल तट पर विशेष रूप से मेरे जिले अलेप्पी में कैंसर की बढ़ती घटनाओं की अत्यंत गंभीर मुद्दे पर तथा अलेप्पी मेडिकल कालेज मे कैंसर विभाग को केन्द्रीय सहायता से सुदृढ करने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हाल ही में, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, एन.एस.एस. कालेज, चेरथला के कालेज छात्रों द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था। उन्होंने भी अलेप्पी के समुद्रतट के साथ-साथ कैंसर के बढ़ते हुए मामलों की जानकारी दी है। त्रिवेंद्रम के क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र में हाल ही में किया गया एक अन्य अध्ययन भी यह दर्शाता है कि समुद्र तट के साथ-साथ के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार की कैंसर की घटनाओं में वृद्धि हुई हैं। इस विषय पर अधिक गहराई से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं सरकार से वहां कैंसर की बीमारी के बढ़ते मामलों के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किए जाने का अनुरोध करता हूं।

दूसरे, अलेप्पी मेडिकल कालेज में कैंसर उपचार सुविधा अत्यंत ही कम है। हमारे पास केवल एक कोबाल्ट रेडियेशन मशीन है तथा वह भी खस्ता हाल में है। इसलिए, अलेप्पी मेडिकल कालेज में कैंसर उपचार सुविधा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। कैंसर की बीमारी के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सहायता योजना के तहत अनेक स्कीमें मौजूद हैं। अलेप्पी मेडिकल कालेज में कैंसर विभाग को इन स्कीमों के तहत सम्मिलित किया जाना चाहिए, तथा उक्त कालेज में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण भी किया जाना चाहिए ताकि लोगों को विशेषरूप से अलेप्पी में, जो कि पिछड़ा हुआ व तटवर्ती इलाका है, को उपचार सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इससे अलेप्पी के लोगों को मदद मिलेगी।

सभापति महोदय: सभा सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2007 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.12 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा, सोमवार, 26 नवम्बर, 2007/5 अग्रहायण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

विवरण-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर श्री रघुवीर सिंह कौशल	121
2.	श्री रशीद मसूद श्री असादूद्दीन ओवेसी	122
3.	श्री रेवती रमन सिंह श्री हंसराज ग. अहीर	123
4.	श्री सुरेश अंगडि	124
5.	श्री आलोक कुमार मेहता श्री राम कृपाल यादव	125
6.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	126
7.	श्री सुव्रत बोस	127
8.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	128
9.	डा. सत्यनारायण जटिया श्री महावीर भगोरा	129
10.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री हेमलाल मुर्मू	130
11.	श्री टेकलाल महतो	131
12.	श्री मो. ताहिर श्री सुभाष महरिया	132
13.	श्री तथागत सत्पथी श्री संतोष गंगवार	133
14.	श्री मोहन रावले श्री पी.सी. गद्दीगउडर	134
15.	श्री एम. शिवन्ना श्री मोहन सिंह	135
16.	श्री मनोरंजन भक्त	136
17.	श्री चन्द्रभूषण सिंह श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	137
18.	श्रीअनंत गुढे	138
19.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	139
20.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री हरिसिंह चावडा	140

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम	1000
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1012, 1132
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	991, 993, 1021, 1045, 1105
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1006, 1019, 1030, 1115, 1143
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	979, 1129, 1147, 1164
6.	अजय कुमार, श्री एस.	976, 1077
7.	अजगल्ले, श्री गुहाराम	1008
8.	अंगडि, श्री सुरेश	1021, 1060, 1077
9.	अप्पादुरई, श्री एम.	1001, 1073
10.	आठवले, श्री रामदास	1007, 1052, 1148, 1165

1	2	3
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	992, 1123, 1141, 1166
12.	बर्मन, श्री हितेन	1025
13.	बर्मन, श्री रनेन	1010, 1113
14.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	1111
15.	भगोरा, श्री महावीर	1048, 1136, 1161, 1175
16.	भाईलाल, श्री	1095
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	1027
18.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	966, 1025, 1117
19.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1025
20.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	979, 1037
21.	चौरे, श्री बापू हरी	977, 1031, 1093
22.	चावडा, श्री हरिसिंह	1030, 1110, 1144
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	975, 1025, 1039
24.	चौधरी, श्री पंकज	981, 1038
25.	चौधरी, श्री अधीर	996, 1124
26.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	979
27.	देवरा, श्री मिलिन्द	964, 979, 1142
28.	देशमुख श्री सुभाष सुरेशचंद्र	995, 1049, 1145, 1162, 1176
29.	धोत्रे, श्री संजय	977, 1031, 1093
30.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	969
31.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1174
32.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	1034, 1068
33.	गढवी, श्री पी.एस.	1102
34.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	987, 1042, 1067, 1140, 1158
35.	गंगवार, श्री संतोष	1017
36.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	977, 1031, 1093
37.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1077
38.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	983
39.	गुढे, श्री अनंत	1028
40.	जाधव, श्री प्रकाश बी.	1091, 1157
41.	जगन्नाथ, डा. एम.	999, 1050, 1125
42.	झा, श्री रघुनाथ	1003, 1106, 1128
43.	जिन्दल, श्री नवीन	960, 1131
44.	जोगी, श्री अजीत	1097
45.	जोशी, श्री प्रहलाद	971, 1077, 1120
46.	कनोडीया, श्री महेश	1092, 1114, 1124
47.	खारवेलथन, श्री एस.के.	972, 1018, 1057, 1076, 1085
48.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1033, 1133, 1151, 1169
49.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1096
50.	कृष्ण, श्री विजय	998, 1126

1	2	3
51.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1011, 1099
52.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	1002
53.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	980, 1086
54.	महरिया, श्री सुभाष	1001, 1119, 1134, 1153
55.	महतो, श्री नरहरि	1104
56.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1024, 1062, 1079
57.	महतो, श्री टेक लाल	1025, 1063
58.	माझी, श्री परसुराम	1108, 1130
59.	मंडल, श्री सनत कुमार	1099, 1121
60.	माने, श्रीमती निवेदिता	987, 1042, 1067, 1140, 1158
61.	मसूद, श्री रशीद	1020, 1059, 1154, 1171
62.	मिडियम, डा. बाबू राव	997, 1125, 1146
63.	मैन्या, डा. टोकचोम	1140
64.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	967, 1041, 1137, 1157, 1172
65.	मो. ताहिर, श्री	986, 1026, 1053, 1064
66.	मंडल, श्री अबु अयीश	985, 1122, 1139
67.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1046, 1131, 1144
68.	नायक, श्री अनन्त	1087
69.	निखिल कुमार, श्री	1009
70.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1032, 1067, 1081, 1089
71.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	991, 1064, 1118
72.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1089
73.	पासवान, श्री सुकदेव	1004
74.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1019, 1030, 1066
75.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1023, 1061, 1078, 1087
76.	पाठक, श्री ब्रजेश	986
77.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1013, 1054, 1149, 1157
78.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	962, 1158
79.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1035, 1066, 1155
80.	राई, श्री नकुल दास	1094
81.	राजगोपाल, श्री एल.	963, 1015, 1025, 1056, 1150
82.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1103, 1121
83.	रामदास, प्रो. एम.	961
84.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1022
85.	राणा, श्री काशीराम	989, 1030
86.	राव, श्री के.एस.	1069, 1077
87.	राव, श्री रायापति सांबाशिवा	994, 1025, 1047, 1073
88.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	984, 1073, 1138, 1156
89.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	1037

1	2	3
90.	रावत, प्रो. रासा सिंह	1101, 1104
91.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	970, 1044, 1135, 1159, 1173
92.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1106
93.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	990, 1043
94.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	959, 1030, 1035, 1082, 1155
95.	रिजीजू, श्री कीरेन	962, 1158
96.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	968, 1016, 1072, 1084, 1168
97.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	974, 1127
98.	सत्पथी, श्री तथागत	1025, 1106
99.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1051, 1074, 1086, 1163
100.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1005, 1047
101.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1030, 1099
102.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	993, 1124, 1142, 1160, 1174
103.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	961, 1112
104.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1019, 1058, 1152, 1170
105.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1143
106.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	980, 1030, 1066, 1143
107.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1109
108.	सिंह, श्री मोहन	1086
109.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1098
110.	सिंह, श्री राकेश	1174
111.	सिंह, श्री रेवती रमन	1014, 1055, 1075, 1167
112.	सिंह, श्री सुग्रीव	1021, 1023, 1061, 1078
113.	सिंह, श्री उदय	973, 996, 1053
114.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	1092, 1114
115.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	988
116.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	997, 1035
117.	सुमन, श्री रामजीलाल	980, 1086
118.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	965, 1116
119.	थामस, श्री पी.सी.	1154
120.	तुम्मर, श्री वी.के.	989, 1066, 1082, 1110
121.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	991, 1064, 1118
122.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	978, 1036, 1070, 1083, 1090
123.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1029, 1085, 1080, 1088
124.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	991, 993, 1021, 1040, 1094
125.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	980, 1100
126.	यादव, श्री गिरिधारी	1100
127.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1026, 1064, 1107
128.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	982, 1040, 1071

विवरण-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कॉर्पोरेट कार्य	:	140
पृथ्वी विज्ञान	:	
वित्त	:	128, 135, 139
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	123
विधि और न्याय	:	
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	132
विद्युत	:	121, 125, 130, 131, 133, 134
ग्रामीण विकास	:	136, 137
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	124, 126, 127
जनजातीय कार्य		
शहरी विकास		129, 138
महिला और बाल विकास	:	122

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कॉर्पोरेट कार्य	:	987, 1027, 1088, 1110
पृथ्वी विज्ञान	:	1029, 1076, 1095, 1104, 1121
वित्त		959, 960, 964, 966, 970, 972, 973, 975, 978, 979, 982, 983, 986, 989, 993, 996, 998, 999, 1000, 1001, 1003, 1004, 1011, 1012, 1013, 1015, 1017, 1019, 1023, 1033, 1037, 1038, 1039, 1042, 1045, 1046, 1049, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1061, 1066, 1074, 1078, 1080, 1082, 1084, 1085, 1086, 1089, 1096, 1098, 1101, 1105, 1108, 1111, 1114, 1128, 1132, 1135, 1143, 1152, 1155, 1158, 1167, 1169, 1170, 1174, 1176
आवास और शहरी गरीबी उपशमन		971, 1005, 1073, 1100, 1165
विधि और न्याय		963, 995, 1009, 1016, 1035, 1047, 1102, 1126, 1148, 1173
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	1010, 1028, 1044, 1058, 1077, 1113, 1119

विद्युत	:	962, 969, 974, 976, 980, 985, 991, 997, 1002, 1008, 1014, 1018, 1025, 1030, 1034, 1059, 1063, 1065, 1070, 1079, 1092, 1093, 1107, 1117, 1159, 1163
ग्रामीण विकास		961, 965, 968, 977, 1031, 1036, 1041, 1048, 1062, 1072, 1083, 1090, 1106, 1129, 1131, 1134, 1144, 1145, 1149, 1150, 1154, 1157
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	967, 984, 994, 1040, 1043, 1122
जनजातीय कार्य	:	988, 1032, 1071, 1087. 1091, 1109, 1112, 1116, 1125, 1139, 1146, 1153, 1156, 1161, 1172, 1175
शहरी विकास	:	990, 992, 1006, 1007, 1020, 1022, 1051, 1060, 1069, 1075, 1094, 1097, 1115, 1124, 1127, 1130, 1133, 1140, 1162, 1166
महिला और बाल विकास	:	981, 1021, 1024, 1026, 1064, 1067, 1068, 1081, 1099, 1103, 1118, 1120, 1123, 1136, 1137, 1138, 1141, 1142, 1147, 1151, 1160, 1164. 1168, 1171.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित